मुकदमों का विवरण

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 (2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1099)

11 दिसंबर, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** मुख्य न्यायाधीश **,** संजय किशन कौल**,** संजीव खन्ना**,** बी**.** आर**.** गवई और सूर्या कांत**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्देःभारत के संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य के शासन के लिए विशेष व्यवस्थाओं को शामिल किया।राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत एक उद्घोषणा के निर्वाह के दौरान संवैधानिक आदेश 272 और 273 जारी किए, जो आदेश जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के पूरे संविधान को लागू करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए प्रभावी थे।समकालीन रूप से, संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया, जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने इन कार्यों की संवैधानिकता को चुनौती दी। सीओ 272 को अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जारी किया गया था और अनुच्छेद 370 के खंड (3) में संशोधन करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने सी. ओ. 272 को इस आधार पर अनुच्छेद 370 (1) (डी) के अधिकार से बाहर होने के रूप में चुनौती दी किए। इसने अनुच्छेद 370 को संशोधित किया, जो केवल अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग पर किया जा सकता था; और बी।केवल राज्य सरकार अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत राष्ट्रपति को "सहमति" दे सकती है।इसके अलावा, सी. ओ. 273 जारी करने में अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग को चुनौती दी गई थी।निर्धारण के लिए प्रश्न थेः

ए। क्या संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान अस्थायी प्रकृति के थे या क्या उन्होंने संविधान में स्थायित्व का दर्जा प्राप्त किया था;

बी। क्या अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 367 में संशोधन संवैधानिक रूप से वैध था ताकि अनुच्छेद 370 के खंड (3) में "राज्य की संविधान सभा" शब्दों द्वारा निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा के संदर्भ को प्रतिस्थापित किया जा सके।

एड। ध्यान देंःमाननीय डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश ने अपने लॉर्डशिप, माननीय न्यायमूर्ति श्री बी आर गवई और माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत की पीठ का फैसला सुनाया, जबकि माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना ने अपने अलग-अलग फैसले सुनाए।1 2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ग. क्या अनुच्छेद 370 (1) (घ) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का पूरा संविधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता था;घ. क्या अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश के अभाव में संवैधानिक रूप से अमान्य था जैसा कि खंड (3) के परंतुक द्वारा अनिवार्य है;

ई. क्या जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 20 जून 2018 को राज्यपाल की घोषणा और उसके बाद 21 नवंबर 2018 को जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 53 (2) के तहत विधानसभा को भंग करने के लिए शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से मान्य था;

च. क्या 19 दिसंबर 2018 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा और उसके बाद के विस्तार संवैधानिक रूप से मान्य थे;

छ. क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) में विभाजित किया गया था, यह ध्यान में रखते हुए संवैधानिक रूप से वैध थाः(i) अनुच्छेद 3 का पहला परंतुक जिसके लिए आवश्यक है कि किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को निर्दिष्ट करने वाले विधेयक को उसके विचारों के लिए राज्य के विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए; और (ii.) अनुच्छेद 3 का दूसरा परंतुक जिसमें संसद में विधेयक पेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या राज्य की सीमा का नाम बदलने के लिए राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है;

ज. चाहे अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा के कार्यकाल के दौरान, और जब राज्य की विधानसभा या तो भंग हो जाती है या निलंबित एनिमेशन में होती है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 (3) (ए) के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति और अनुच्छेद 1 (3) (बी) के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

संघवाद-असममित संघवाद-भारतीय राज्यों का संवैधानिक एकीकरण-जम्मू और कश्मीर का विलय-भारत के संविधान के अनुच्छेद **370** ने जम्मू और कश्मीर राज्य के शासन के लिए विशेष व्यवस्थाओं को शामिल किया-चाहे जम्मू और कश्मीर राज्य में संप्रभुता हो-संप्रभुता का अर्थ।

3

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 4

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई

और सूर्यकांत, जे. जे.):विलय के दस्तावेज (आई. ओ. ए.) के निष्पादन और 25 नवंबर 1949 की घोषणा के जारी होने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य संप्रभुता के किसी भी तत्व को बरकरार नहीं रखता है, जिसके द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था-जम्मू और कश्मीर राज्य के पास

'आंतरिक संप्रभुता' नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग है-अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की एक विशेषता थी न कि संप्रभुता।[पैरा 514]-आयोजित (संजय किशन कौल, जे. के अनुसार):प्रेम नाथ कौल मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय के आलोक में, जम्मू और कश्मीर राज्य ने आंतरिक संप्रभुता के एक तत्व को बरकरार रखा, जबकि महाराजा हरि सिंह ने डोमिनियन के साथ आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर किए-संविधान की संविधान सभा ने इस आंतरिक संप्रभुता को मान्यता दी।

[पैरा 112]-आयोजित (संजीव खन्ना, जे. के अनुसार):अनुच्छेद का निरसन

370 यह संघीय ढांचे को नकारता नहीं है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले नागरिक करते हैं और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को दिए गए समान दर्जे और अधिकारों का आनंद लेंगे।[पैरा 2]

भारत का संविधान-अनुच्छेद **356**-जम्मू और कश्मीर का संविधान -धारा **92**-भारत के संविधान के अनुच्छेद **356** और धाराओं के तहत जारी की गई घोषणाएं।**92** जम्मू और कश्मीर के संविधान की संवैधानिक वैधता।

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई

और सूर्यकांत, जे. जे.):याचिकाकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने तक जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणाओं को जारी करने को चुनौती नहीं दी-घोषणाओं को चुनौती निर्णय के योग्य नहीं है क्योंकि प्रमुख चुनौती उन कार्यों के लिए है जो घोषणा जारी होने के बाद किए गए थे।[पैरा 514]

भारत का संविधान-अनुच्छेद **356**-राष्ट्रपति की घोषणा-अनुच्छेद **356** के तहत राष्ट्रपति या संसद द्वारा शक्ति का प्रयोग-घोषणा जारी होने के बाद अनुच्छेद **356** के तहत की गई कार्रवाइयों का आकलन करने के लिए मानक**,** यदि कोई हो**,** पर सीमाएं।

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई

और सूर्यकांत**,** जे**.** जे**.):**अनुच्छेद **356** के तहत घोषणा जारी होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है -

राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए-शक्ति के प्रयोग को चुनौती देने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि यह एक दुर्भावनापूर्ण या शक्ति का बाहरी प्रयोग है-एक बार प्रथम दृष्टया मामला बन जाने के बाद, ऐसी शक्ति के प्रयोग को सही ठहराने की जिम्मेदारी संघ पर स्थानांतरित हो जाती है-अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करने की संसद की शक्ति कानून बनाने की

शक्ति तक ही सीमित नहीं हो सकती है, जिससे राज्य के विधानमंडल की गैर-कानून बनाने की शक्ति को बाहर कर दिया जाता है-ऐसी व्याख्या संविधान के पाठ के विपरीत प्रावधान में एक सीमा में पढ़ने के बराबर होगी।

लेख।[पैरा 514]-आयोजित (संजय किशन कौल, जे. के अनुसार) (सुसंगतता

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई) के साथःराज्य विधानसभा के विघटन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल की भविष्यवाणी संवैधानिक तंत्र की विफलता पर की गई थी, जो राज्यपाल शासन से पहले हुई थी और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करना केवल एक बाद का परिणाम था-एक बार राष्ट्रपति की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, ताकि लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया जा सके, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानसभा के विघटन सहित अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की शक्ति है-आपातकाल लागू करना एक असाधारण स्थिति को उजागर करता है और राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की अनुपस्थिति में, इन निर्वाचित अंगों की शक्ति किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास होनी चाहिए-अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति को गैर-सक्षम परिवर्तन करने से नहीं रोकता है।[पैरा

112] – संजीव खन्ना**,** जे**.** मुख्य न्यायाधीश डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़ के साथ सहमत हैं। भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **370-**जम्मू और कश्मीर राज्य के शासन के लिए विशेष व्यवस्थाओं को शामिल करने का दायरा और व्याख्या**,** यदि एक अस्थायी प्रावधान है**-**अनुच्छेद का ऐतिहासिक संदर्भ**-**संविधान के भाग **XXI** में **Art.370** का स्थान**-**का प्रभाव।

5

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 6

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई

और सूर्यकांत**,** जे**.** जे**.):**अनुच्छेद **370** को शामिल करने और अनुच्छेद **370** को संविधान के भाग **21** में शामिल करने के ऐतिहासिक संदर्भ से यह पता लगाया जा सकता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है।**[**पैरा **514]**-आयोजित **(**प्रति

संजय किशन कौल**,** जे**.) (**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़ के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**,**

सीजेआई**):**अनुच्छेद **370** के ऐतिहासिक संदर्भ**,** इसके पाठ और इसके बाद के अभ्यास जैसे कारकों का एक संयोजन इंगित करता है कि अनुच्छेद **370** का उद्देश्य एक अस्थायी प्रावधान होना था।**[**पैरा **112]**-आयोजित **(**संजीव खन्ना**,** जे**.** के अनुसार**)**

(डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** मुख्य न्यायाधीश और संजय किशन दोनों के साथ सहमति

कौल**,** जे**.):**अनुच्छेद **370** को एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया था और इसका कोई स्थायी चरित्र नहीं था।**[**पैरा **2]**

भारत का संविधान-अनुच्छेद **370-Art.370 (3)** के तहत शक्तियों के दायरे में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को भंग करने का अधिनियम।

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई और

सूर्यकांत, जे. जे.):जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ-जब संविधान सभा को भंग कर दिया गया, तो केवल अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने संविधान सभा को अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया-इसने अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा धारण की गई शक्ति को समाप्त नहीं किया।[पैरा

514] – आयोजित (संजय किशन कौल, जे. के अनुसार) (डॉ. डी. वाई. के साथ सहमति।

चंद्रचूड़, सीजेआई):अनुच्छेद 370 (3) में अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने और बदले में, राज्य की आंतरिक संप्रभुता की मान्यता को समाप्त करने और भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए तंत्र शामिल था-चूंकि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत तंत्र राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद समाप्त हो गया था-अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन से अप्रभावित थी-राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, राज्य के पूर्ण एकीकरण के उद्देश्य के अनुरूप।[पैरा 112]-संजीव खन्ना,

जे**.** संजय किशन कौल**,** जे**.** के साथ सहमति व्यक्त करते हुए भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **370-**अनुच्छेद **370** का संशोधन**.** अनुच्छेद **370 (1) (**डी**)-**राज्य में भारत के संविधान का अनुप्रयोग

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद **370 (1) (**डी**)** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद **370 (1) (**डी**)** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद **367** में संशोधन किया ताकि अनुच्छेद **370** के खंड **(3)** में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा के संदर्भ को "राज्य की विधान सभा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके**-**अनुच्छेद **367** में संशोधन की वैधता**-**राष्ट्रपति ने अनुच्छेद **356 (1) (**बी**)** के तहत एक घोषणा के अस्तित्व के दौरान संवैधानिक आदेश **272** और **273** जारी किए**-**इन आदेशों का प्रभाव भारत के पूरे संविधान को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करने और संविधान के आदेश **27** को चुनौती देने के लिए था

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई

और सूर्यकांत, जे. जे.):अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करके संशोधित नहीं किया जा सकता है-अनुच्छेद 370 (3) द्वारा विचार की गई प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए था यदि अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करना है या इसे संशोधित किया जाना है या जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके अनुप्रयोग में संशोधित किया जाना है-सी. ओ. 272 का पैराग्राफ 2 जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 367 के माध्यम से संशोधित किया गया था, अनुच्छेद 370 (1) (डी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से संशोधित करता है, अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए परंतुक प्रक्रिया का पालन किए बिना-संशोधन के लिए परंतुक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए एक व्याख्या खंड का उपयोग नहीं किया जा सकता है-हालाँकि, अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग सी. ओ. 272 जारी करने के लिए किया जाता है।

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 8

कि अनुच्छेद 370 (3) संविधान सभा की सिफारिश के बिना काम करना बंद कर देता है-राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया चल रही थी-अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की पराकाष्ठा है और इस तरह शक्ति का एक वैध प्रयोग है-इस प्रकार, सीओ 273 वैध है-भारत का संविधान संवैधानिक शासन के लिए एक पूर्ण संहिता है-सीओ 273 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान निष्क्रिय है और इसे निरर्थक घोषित किया गया है।[पैरा 514]-आयोजित

(संजय किशन कौल**,** जे**.)** के अनुसार **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़ के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**,**

सीजेआई):जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन से अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति अप्रभावित रही-राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद किसी भी समय अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, राज्य के पूर्ण एकीकरण के उद्देश्य के अनुरूप-इसलिए, सी. ओ. 273, जो घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 (3) के तहत जारी किया गया था, वैध है-राज्य सरकार की सहमति के बिना सी. ओ. 272 जारी करने की शक्ति वैध है, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति की शक्ति राज्य सरकार की सहमति से सीमित नहीं है-अनुच्छेद 36 सहपठित अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति।[पैरा 112]-आयोजित (प्रति

संजीव खन्ना**,** जे**.) (**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** मुख्य न्यायाधीश दोनों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए**)**

और संजय किशन कौल, जे.):सी. ओ. 272 का पैराग्राफ (2), जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 367 का सहारा लेकर संशोधित किया गया था, अधिकार से परे है और कानून की दृष्टि से बुरा है, हालांकि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संबंधित शक्ति को देखते हुए इसे बनाए रखा जा

सकता है-सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 370 के खंड (3) के संदर्भ में निष्क्रिय कर दिया गया है-अंत में, सी. ओ. 273 वैध है।[पैरा 2]

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम **2019 -**एस**. 14-**संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम **2019** लागू किया जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों**,** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया**-**मूल आधारों पर और प्रक्रियात्मक आधारों पर पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती**-**भारत के संविधान के अनुच्छेद **3** के तहत शक्ति की रूपरेखा**-Art.3** के पहले परंतुक के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग**-**जम्मू और कश्मीर पर लागू होने वाले **Art.3** के दूसरे परंतुक का निलंबन**-**भारत का संविधान**-Art.3**।

आयोजित **(**डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई के अनुसार**) (**अपने लिए**,** बी**.** आर**.** गवई

और सूर्यकांत, जे. जे.):अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत राज्य के विधानमंडल के विचार अनुशंसनीय हैं-इस प्रकार, घोषणा के तहत अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग वैध था और दुर्भावनापूर्ण नहीं था-सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अलग किए जाने को छोड़कर)-बयान को देखते हुए, यह परंतुक करना आवश्यक नहीं है कि जम्मू और कश्मीर राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के तहत अनुमत है या नहीं-हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाने के निर्णय की वैधता अनुच्छेद 3 (ए) को देखते हुए बरकरार है जिसे स्पष्टीकरण I के सहपठित पढ़ा गया है।14 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम-राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।[पैरा

514] – आयोजित (संजय किशन कौल, जे. के अनुसार) (डॉ. डी. वाई. के साथ सहमति।

चंद्रचूड़, सीजेआई):अनुच्छेद 3 की कसौटी पर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 4 को चुनौती देने पर भारत सरकार की ओर से इस आश्वासन के कारण बहस करने की आवश्यकता नहीं है कि चुनाव होने पर जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा-अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत राज्य विधानमंडल के 'विचारों' का पता लगाना अनिवार्य है कि क्या प्रस्तावित विधेयक राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम से संबंधित है-हालाँकि, तत्काल मामले में जब से जम्मू और कश्मीर राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था और राज्य विधानमंडल पहले ही भंग हो चुका था, राज्य विधानमंडल के कार्य केंद्रीय संसद द्वारा किए गए थे-इसलिए, राज्य विधानमंडल के विचारों का पता लगाना संभव नहीं था।

विधानमंडल-यह इस प्रकार है कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 वैध है।

[पैरा 112]-आयोजित (संजीव खन्ना, जे. के अनुसार) (डॉ. डी. वाई. के साथ सहमति।

चंद्रचूड़, सीजेआई):केंद्र शासित प्रदेश आम तौर पर भौगोलिक रूप से छोटे क्षेत्र होते हैं, या असामान्य कारणों या कारणों से बनाए जा सकते हैं-किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के गंभीर परिणाम होते हैं, अन्य बातों के अलावा, यह राज्य के नागरिकों को एक निर्वाचित राज्य सरकार से वंचित करता है और संघवाद पर प्रभाव डालता है-किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के रूपांतरण/निर्माण को बहुत मजबूत और ठोस आधार देकर न्यायसंगत ठहराया जाना चाहिए-यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के सख्त अनुपालन में होना चाहिए।[पैरा 6]

मानवाधिकार-जम्मू और कश्मीर-संजय किशन के अनुसार आयोजित

कौल, जे. ने जम्मू और कश्मीर में कम से कम 1980 के दशक से राज्य और गैर-राज्य दोनों पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और रिपोर्ट करने और सुलह के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक निष्पक्ष सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की।[पैरा 120]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के फैसले में, मुख्य न्यायाधीश

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एससीसी 1:[1994] 2 एससीआर 644 और

राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) 3 एससीसी 184:[2007]

1 एस. सी. आर. 317-पर निर्भर।

कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) 3 एस. सी. सी. 1:[2017] 5 एस. सी. आर. 160; संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1969] 2 एस. सी. आर. 365; माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम भारत संघ (1971) 1 एस. सी. सी. 85:[1971] 3 एससीआर 9 और रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत संघ (1994) 1

एस. सी. सी. 191:[1993] 1 एससीआर 480-समझाया गया।डॉ. शाह फैसल बनाम भारत संघ (2020) 4 एससीसी 1:[2020] 3 एससीआर

1115; प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1959] पूरक 2 एस. सी. आर. 270; मोहम्मद मकबूल दामनू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1972) 1 एस. सी. सी. 536:[1972] 2 एससीआर 1014; थिरू के. एन. राजगोपाल बनाम थिरू एम. करुणानिधि, (1972) 4 एससीसी 733; भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता (2017) 2 एससीसी 538:[2016] 9 एससीआर 985; डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) 1 एससीसी

378:[1987] 1 एस. सी. आर. 798; भारत संघ बनाम सुकुमार सेनगुप्ता, (1990) सप एस. सी. सी. 545:[1990] 3 एस. सी. आर. 24; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, (1975) पूरक एस. सी. सी. 1:[1976] 2 एस. सी. आर. 347; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) 8

एससीसी 501:[2018] 7 एस. सी. आर. 1; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ (2023) 9 एस. सी. सी. 1; राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) 3 एस. सी. सी. 392; भूपेंद्र

कुमार बोस बनाम उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 945:[1962] 2 पूरक।एससीआर 380;

टी. वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1985) 3 एससीसी 198:[1985]

3 एस. सी. आर. 509; राष्ट्रपति चुनाव में (1974) 2 एस. सी. सी. 33:[1975] 1 एससीआर 504;

विरेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1955] 1 एस. सी. आर. 415; सी. आई. टी. वी.अहमदभाई उमरभाई एंड कंपनी. [1950] एससीआर 335; मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान

बनाम राधाकिशन (1979) 2 एस. सी. सी. 468:[1979] 2 एस. सी. आर. 148; कलावती बाई बनाम सोयराबाई (1991) 3 एस. सी. सी. 410:[1991] 2 एस. सी. आर. 599; गुन्टैया बनाम हम्बम्मा, (2005) 6 एस. सी. सी. 228:[2005] 1 पूरक।एस. सी. आर. 770; उत्तम दास चेला सुंदरदास

v. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (1996) 5 एससीसी 71:[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 5; नलिनख्या बैसैक बनाम श्याम सुंदर हद्दार [1953] एस. सी. आर. 533; वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड बनाम।नगर निगम, पूना [1959] पूरक 2 एस. सी. आर. 71; नंदिनी सत्पथी बनाम पी. सी. दानी (1978) 2 एस. सी. सी 424:[1978] 3 एस. सी. आर. 608; बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [1955] 2 एस. सी. आर. 603; केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225:[1973] पूरक।एस. सी. आर. 1; पुरानलाल लखनपाल I बनाम भारत के राष्ट्रपति [1955] 2 एस. सी. आर. 1101; पुरानलाल लखनपाल II बनाम भारत के राष्ट्रपति [1962] 1 एस. सी. आर. 688; दिल्ली कानून अधिनियम [1951] एस. सी. आर. 747; जे. एन. गणात्रा

बनाम मोरवी नगरपालिका (1996) 9 एस. सी. सी. 495:[1996] 3 पूरक।एससीआर 742;

आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम. एच. घासवाला, (2002) 1 एस. सी. सी. 633; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह 1963 ए. आई. आर. 358:[1964] 4 एससीआर 485; शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951) एससीसी 966:[1952] एससीआर 89; सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी

25; किहोतो होल्लोहन बनाम ज़चिल्लु (1992) 2 सप एस. सी. सी. 651:[1992] 1 एससीआर

686; भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 474; आई. आर.

कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ टी. एन. (2007) 2 एस. सी. सी. 1:[2007] 1 एससीआर 706; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) पूरक एससीसी 1:[1976] 2 एस. सी. आर. 347; किशन लाल बनाम राजस्थान राज्य (1990) पूरक एस. सी. सी. 742:[1990] 2 एस. सी. आर. 142; फिरोज एन. दोतीवाला बनाम पी. एम. वाधवानी (2003) 1 एस. सी. सी. 433:[2002] 4 पूरक। एससीआर 416; सीआईटी बनाम सुंदरम स्पिनिंग मिल्स (2000) 1 एससीसी 466:[1999] 5 पूरक।एससीआर

365; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225:[1973] पूरक।एस. सी. आर. 1; प्रदीप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एस. सी. सी. 1:[2006] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ (2023) 9 एस. सी. सी. 1; स्वराज अभियान (वी) बनाम भारत संघ (2018) 12 एस. सी. सी. 170; कुलदिप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एस. सी. सी. 1; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम 11 संघ

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 12

भारत (2011) 13 एससीसी 344:[2011] 11 एस. सी. आर. 527 और बाबूलाल पाराटे बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 51:[1960] 1 एस. सी. आर. 605-संदर्भित।

बलराज कुंवर बनाम जगतपाल सिंह, आई. एल. आर. 26 सभी 392 और सम्राट बनाम।

सदाशिव एयर 1947 पी. सी. 82-संदर्भित।डाइस, संविधान का कानून (8 वां संस्करण। 1915); ऑस्टिन, न्यायशास्त्र (चौथा संस्करण। 1873); जॉन डिकिंसन, ए वर्किंग थ्योरी ऑफ सॉवरेनटी I, राजनीति विज्ञान त्रैमासिक, खंड 42, अंक 4, दिसंबर 1927, पृष्ठ 524-548; लेस्टर बी ऑर्फी एल्ड, संघीय संविधान का संशोधन (2012); मैक्स प्लैंक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, 'सॉवरेनटी' ऑक्सफोर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, IV, पीपी। 3-4; 17 नवंबर, 1948 को संविधान सभा की बहस, श्री के. टी. शाह का भाषण, पुस्तक 2, पृष्ठ। 437-438; 25 अक्टूबर 1956, और 7 नवंबर 1956, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बहसें; श्री मेहर चंद महाजन, हर-आनंद पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "पीछे मुड़कर देखना" 2023 का पुनर्मुद्रण; वी. पी. मेनन, ओरिएंट लॉन्गमैन (1961) द्वारा "भारतीय

राज्यों के एकीकरण की कहानी"; बी. शिवा राव, भारत के संविधान की रचना; न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत"-का उल्लेख किया गया है।

संजय किशन कौल के फैसले में, जे.

प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1969] पूरक 2 एस. सी. आर. 270; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ [1964] 1 एस. सी. आर. 371 और बाबूलाल पाराटे बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

बॉम्बे [1960] 1 एस. सी. आर. 605-पर निर्भर था।एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एससीसी 1:[1994] 2 एससीआर 644-समझाया गया।

आर. सी पौड्याल बनाम भारत संघ (1994) 1 पूरक एस. सी. सी. 324; संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य [1969] 2 एस. सी. आर. 365; केशवानंद भारती बनाम।

केरल राज्य (1973) 4 एससीसी 225:[1973] पूरक।एससीआर 1; डॉ. शाह फैसल और ओआरएस बनामभारत संघ और एएनआर। (2020) 4 एससीसी 1:[2020] 3 एससीआर 1115;

प्रस्ताव 1 एस. सी. आर. 405; माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम भारत संघ (1971) 1 एस. सी. सी. 85:[1971] 3 एससीआर 9; भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता (2017) 2 एससीसी 538:[2016] 9 एससीआर

985; दिल्ली कानून अधिनियम, पुनः। (1951) एससीसी 568:[1951] एस. सी. आर. 747; पुरानलाल

लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति [1962] 1 एससीआर 688; कृष्ण कुमार सिंह

बनाम बिहार राज्य, (2017) 3 एस. सी. सी. 1:[2017] 5 एससीआर 160; के. एन. राजगोपाल बनाम एम

करुणानिधि (1972) 4 एससीसी 733; रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत संघ

(1994) 1 एस. सी. सी. 191:[1993] 1 एस. सी. आर. 480; मो.मकबूल दमनू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1972) 1 एस. सी. सी. 536:[1972] 2 एससीआर 1014; हाजी

अब्दुल गनी खान बनाम भारत संघ 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 138; राजा राम

पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) 3 एससीसी 184:[2007] 1 एससीआर 317;

पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत संघ [1955] 2 एस. सी. आर. 1101; थिरू के. एन. राजगोपाल बनाम थिरू एम. करुणानिधि और अन्य (1972) 4 एससीसी 733; रामेश्वर

प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) 2 एससीसी 1:[2006] 1 एस. सी. आर. 562 और विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997) 6 एस. सी. सी. 241:[1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 404-संदर्भित।

मनोहर लाल बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1970 डेल 178-संदर्भित।

मिलर बनाम क्वीन (2019) यूकेएससी 41 और वेलास्केज़ रोड्रिग्ज़ बनाम होंडुरास

(सर। ग) सं. 4 (आई. ए. सी. एच. आर.) 1988-निर्दिष्ट।कल्हण और नीलमतपुराण की राजतरंगिणी (राजाओं की नदी), जिसे चंद्र देव द्वारा रचित माना जाता है; पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासः प्राचीन कश्मीर, खंड। 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994) 16; ए. आर. नाज़की, एस. एस. तोशखानी एंड के. वारिक्वू में 'जड़ों की खोज में' (संस्करण), कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत (पेंटागन प्रेस 2009) 145; इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 1-2,46,80,98,100,102-103; वाल्टर आर. लॉरेंस, द वैली ऑफ कश्मीर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1895) 284,296,300,302; रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास (पिकाडोर 2008) 44,60,63,69,248; बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947-2000 (पेंगुइन बुक्स 2007) 92,93-94,418-419; रेखा चौधरी, नायला अली खान में 'कश्मीर इन द इंडियन प्रोजेक्ट ऑफ नेशनलिज्म' (संस्करण।), कश्मीर का चर्मपत्रः इतिहास, समाज और राजनीति (पालग्रेव मैकमिलन 2012) 154,171-172; ए. जी. नूरानी, द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012, खंड। 2 (तुलिका बुक्स 2013) 44,77-80,401,543; ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का एक संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत 2014) 16-17,48,49,50-78,95,111-113,117-120,217-223; वी. पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स (ओरिएंट लॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड)। लिमिटेड 1956) 391; दुर्गाप्रसाद (संस्करण।), द राजतरंगिणी ऑफ कल्हण, खंड। 2 (1894) 408; मोनियर-विलियम्स, मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस (तीसरा संस्करण।, ट्रूबनर एंड कंपनी 1879) 151; ए. आर. नाजकी, एस. एस. में 'इन सर्च ऑफ रूट्स'।

13

इन आरईः संविधान का अनुच्छेद 370 14

तोशखानी और के. वारिक्वू (संस्करण।), कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत (पेंटागन प्रेस 2009) 2; अनीता मेधेकर और फारूक हक, अलेक्जेंड्रू-मिर्सी नेडेलिया और मारिलेना-ओना नेडेलिया में 'भारत और पाकिस्तान द्वारा शांति पर्यटन गंतव्य के रूप में कश्मीर को बढ़ावा देना', सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक समृद्धि के लिए शांति का विपणन (आई. जी. आई. ग्लोबल 2019) 34; न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद, जम्मू और कश्मीर का संविधानः इसका विकास और टिप्पणियां (तीसरा संस्करण।, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा. लिमिटेड 1998) 41,42,44,50,51; डेविड ई.

लॉकवुड, 'कश्मीरःशेख अब्दुल्ला की बहाली '(1975) 31 (6) द वर्ल्ड टुडे, 250; सुरिंदर मोहन,' जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र '2012 16 (3) वर्ल्ड अफ एयर, 112-113,104; पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःआधुनिक कश्मीर, खंड। 3 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994) 852; ब्लैक लॉ डिक्शनरी, (छठा संस्करण, 1990); संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। VII, पेज 34 और एम. क्लिंकनर और एच. डेविस, अंतर्राष्ट्रीय कानून में सत्य का अधिकारःमानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून में पीड़ितों के अधिकार; A.Sachs, जीवन और कानून की अजीब कीमिया, 155 (OUP, 2009) और 4 RG Tietel, संक्रमणकालीन न्याय और संक्रमणकालीन न्याय के वैश्वीकरण में संविधानवाद का परिवर्तन, (OUP, 2014)-संदर्भित।

संजीव खन्ना के फैसले में, जे.

एस. आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।(1994) 3 एससीसी 1:[1994] 2 एस. सी. आर. 644 और रामेश्वर प्रसाद और अन्य (6) बनाम संघ

भारत और दूसरा (2006) 2 एस. सी. सी. 1:[2006] 1 एस. सी. आर. 562-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

मौलिक लेखन/अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1099।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहतःसंविधान का अनुच्छेद 370

के साथ

रिट याचिका (सी) 2015 की संख्या 871,2014 की 722,2017 की एसएलपी (सी) संख्या 19618, रिट याचिका (सी) Nos.1013,1082,1068,1037,1062,1070,1104,1165,1210,1222,2019 की 396,756,2018 की 398,924,1092,1162,1048,1268 और 2019 की 1368।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

रूपः

आर. वेंकटरमानी, भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के. एम. नटराज, विक्रमजीत बनर्जी, A.S.Gs, डी. सी. रैना, महाधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता, शैलेश मडियाल, ए. ए. जी., मुजफ्फरनगर।एच. बेग, सुश्री नित्या रामकृष्णन, गोपाल शंकरनारायणन, कपिल सिब्बल, सी. यू. सिंह, शेखर नाफड़े, प्रशांतो चंद्र सेन, गोपाल सुब्रमण्यम, डॉ. राजीव धवन, दुष्यंत दवे, रवींद्र कुमार रायजादा, राकेश द्विवेदी, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, जफर ए. शाह, हरीश साल्वे, वी. गिरि, महेश जेठमलानी, एस. गुरु कृष्ण कुमार, बिमल रॉय जाड, विक्रम शर्मा, प्रणव कोहली, दिनेश द्विवेदी, सुश्री नित्या रामकृष्णन, पी. वी. सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्तागण , आफताब अली खान, मुर्तजा।ए.

खान, सुश्री सफी ना बेग, एम. जेड. चौधरी, अली सफीर फारूकी, एस. मंसूरी, आकाश कामरा, एन. साई विनोद, प्रसन्ना एस., सुश्री मालविका प्रसाद, शादन फरासत, सुश्री रूपाली सैमुअल, अर्चित कृष्ण, विभोर जैन, एम. वी. मुकुंद, सुश्री स्वाति आर्य, युवराज सिंह राठौर, डॉ. अनिरुद्ध राजपूत, अनिरुद्ध शर्मा, श्रीधर पोटराजू, पट्टाभिराम, नचिकेता जोशी, प्रणीत प्रणव, यशराज सिंह बुंदेला, बरुण कुमार सिन्हा, श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, राकेश मुद्गल, पंकज कुमार शुक्ला, नीरज कुमार, स्नेह वर्धन,

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 16

श्रीकुमार, सुलभ रेवाड़ी, आदित्य चटर्जी, सुश्री मानसी बिंजराजका, बिनित अग्रवाल, पी. वी. दिनेश, जैमन एंड्रयूज, सुश्री अन्ना ओमन ए, प्रशांत भूषण, सुश्री आयुषी, अक्षत मालपानी, मोहम्मद। इरशाद हनीफ, सुश्री ज्योतिका कालरा, डॉ. चारू वली खन्ना, जॉयदीप मुखर्जी, सुश्री अन्वेशा देब, त्रिपुरारी रे, बलवंत सिंह बिल्लौरिया, अनिरुद्ध रे, विवेकानंद सिंह, नित्यानंद मूर्ति पी, श्रीमती भानु प्रभा, एन सुरेशा, डॉ. निशा कांत ओझा, राजिंदर सिंह, सुरेश कुमार शर्मा, अतुल वाडेरा, सुश्री शिल्पा सिंह, दिलीप कुमार दुबे, राजीव पांडे, सुरजीत सिंह, आदर्श उपाध्याय, सार्थक रायजादा, पंकज जामथानी, मुकेश कुमार वर्मा, अनंत संगल, शिवम सिंघानिया, सुश्री दिव्या रॉय, पल्लव मोंगिया, विष्णु शंकर जैन, अश्विनी कुमार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

सक्सेना, सुश्री कविता केटी, अश्विन के, गोपाल झा, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, सिद्धार्थ सिन्हा, राजेश के. सिंह, श्यामल कुमार, बिटू कुमार सिंह, सुनील कुमार तोमर, अजय कुमार पांडे, संदीप सिंह, डॉ. बृज भूषण के. जौहरी, सुश्री रिद्धी जाड, ओ. पी. सिंह, सुरेश कुमार भान, कुमार जी भट, ए. के. कौल, एन. बी. विशन, हर्ष महान, दीपक ज्योति घिल्डियाल, सुश्री पूर्णिमा जौहरी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री अदिति त्रिपाठी, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., कुमार प्रशांत, प्रमोद कुमार विश्नोई, अवनीश दवे, वैभव द्विवेदी, सुश्री रिया

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370

अमरेंद्र कुमार सिंह, उमेश दुबे, वैभव तिवारी, पीयूष सिंह, विशाल, सुश्री मधुलिका, परविंदर चौधरी, जी. शिवबलमुरुगन, वसंत कुमार ए, संचित वशिष्ठ, सुश्री निधि वशिष्ठ, पूर्णेन्दु बाजपेयी, मुदित चौधरी, हिमांशु नगरवाल, गौरव कुमार, रोहित नगर, दीपक चौहान, सुश्री अंकिता गौतम, अभिनव अधिवक्तागण विक्रम कुमार सिंह, सुश्री सतमिता घोष, राघव सभरवाल, सुश्री तन्वी दुबे, अनुकृत गुप्ता, संजय कुमार दुबे, वरुण बायरेड्डी, मेकला गणेश कुमार रेड्डी, रिजू राज सिंह जामवाल, सुश्री मधुष्मिता बोरा।उपस्थित दलों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

व्यक्तिगत रूप से आवेदक

व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थ।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश टेबल ऑफ कंटेंट *

ए. पृष्ठभूमि. **8** बी. संदर्भ. **14** ग. प्रस्तुतियाँ. **17**

i. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ।भारत संघ की प्रस्तुतियाँ। **45**

डी. मुद्दे. **59** ई. विश्लेषण. **61**

आई. जम्मू और कश्मीर राज्य की संप्रभुता नहीं थी। **61**

* एड। ध्यान देंःपृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

ए। संप्रभुता का अर्थ। 62 ख।भारत संघ और जम्मू का इतिहास और

कश्मीर. 66 सी.न तो संवैधानिक व्यवस्था और न ही किसी अन्य कारक से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने संप्रभुता का एक तत्व बनाए रखा।

ii.भारत के संविधान के अनुच्छेद **356** और जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा **92** के तहत जारी की गई घोषणाओं की संवैधानिक वैधता।अनुच्छेद **356.115** के तहत राष्ट्रपति या संसद द्वारा शक्ति के प्रयोग पर सीमाएँ।

ए। अनुच्छेद 356.116 बी के तहत राष्ट्रपति की घोषणा।एस. आर. बोम्मई के बाद अनुच्छेद 356 की व्याख्या। 120 सी।घोषणा के बाद शक्ति के प्रयोग की वैधता पर एस. आर. बोम्मई. 127 डी। भाग XVIII की व्याख्या. 134 I. अनुच्छेद 352 और 356 135 II के तहत राष्ट्रपति के पास मौजूद कार्यकारी शक्तियों की तुलना। अनुच्छेद 356 की व्याख्या। 'अपरिवर्तनीयता' का तर्कःअनुच्छेद 357 (2) और कृष्ण कुमार सिंह की व्याख्या। विधानमंडल के विधायी और संवैधानिक कार्यों के बीच का अंतर।उद्घोषणा जारी होने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत की गई कार्रवाइयों का आकलन करने के लिए मानक।

iv.अनुच्छेद **370:**एक अस्थायी प्रावधान**?..... 160**

ए। अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक संदर्भ. 160 I. जम्मू और कश्मीर का विलय. 161 II. भारतीय राज्यों का संवैधानिक एकीकरण. 176 ए) राज्यों का आंतरिक संविधान. 176 बी) भारतीय राज्यों के लिए संविधान की पुष्टि करने की प्रक्रिया।183 III. संविधान सभा में अनुच्छेद 370 पर बहस। 187 IV. अनुमान. 194 बी.अनुच्छेद 370 में प्रावधानों का दायरा। संविधान के भाग 21 में स्थान और अनुच्छेद 370 पर सीमांत टिप्पणी। अनुच्छेद 370 की व्याख्या। अनुमान. 224

v. अनुच्छेद **370 (3)** के तहत शक्तियों के दायरे में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को भंग करने का प्रभाव।

ए। सम्पत प्रकाश. 228 बी में निर्णय।अनुच्छेद 370 के तहत संविधान सभा की सीमित शक्ति। अनुच्छेद 370 (1) और 370 (2). 234 II की संरचना। अनुच्छेद 370 (3) की संरचना. 241 सी.अनुमान. 242

vi.कार्बन डाइऑक्साइड **272.251** के लिए चुनौती

ए। अनुच्छेद 370 (1) (डी) के माध्यम से अनुच्छेद 370 का संशोधन। जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान का अनुप्रयोग। 251

II. सी. ओ. 272.256 III का अनुच्छेद 2। किसी प्रावधान का सार या प्रभाव उसके रूप. 258 IV से अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 367 के संशोधन की वैधता. 265 वी. पिछले संवैधानिक आदेश जिन्होंने अनुच्छेद 367 का संशोधन किया. 278 बी।अनुच्छेद 370 (1) (डी) 288 सी के तहत शक्ति के प्रयोग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में पूरे संविधान को लागू करना।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करना।

vii.सीओ **273.295 viii** के लिए चुनौती।जम्मू और कश्मीर के संविधान की स्थिति। **318 ix.**मूल आधारों पर पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती। **321**

ए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक इतिहास और अनुच्छेद 323 बी के अस्तित्व का कारण।अनुच्छेद 3.326 I के तहत शक्ति की रूपरेखा। संघवाद, प्रतिनिधि लोकतंत्र और राज्यों का महत्व। 326 II। केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का कारण। 330 III। केंद्र शासित प्रदेशों की यात्राः1956 2023 तक. 335 IV. अनुच्छेद 3,337 का दायरा

x. प्रक्रिया के आधार पर पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती। **343 21**

क. अनुच्छेद 3.443 ख के पहले परंतुक के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग।जम्मू और कश्मीर पर लागू अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक का निलंबन। 347

एफ. निष्कर्ष. **348**

1. यह निर्णय मेरे प्रतिष्ठित सहयोगियों-न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के साथ मौखिक बहस के दौरान और उसके बाद हुई चर्चाओं से समृद्ध हुआ है।निर्णय के लिए उनके इनपुट ने विचारों के संश्लेषण को जन्म दिया है जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वसम्मत परिणाम आया है।हम वाद-विवाद के दौरान और कनिष्ठ परामर्शदाता की एक सक्षम टीम की सहायता से लिखित संक्षिप्त विवरणों में वरिष्ठ अधिवक्ता की छात्रवृत्ति के लिए अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

ए *।पृष्ठभूमि

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य के शासन के लिए विशेष व्यवस्थाओं को शामिल किया।राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत एक घोषणा के अस्तित्व के दौरान संवैधानिक आदेश 272 और 273 जारी किए।इन आदेशों में भारत के पूरे संविधान को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रभाव है। समकालीन रूप से, संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 1 लागू किया जिसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने इन कार्यों की संवैधानिकता को चुनौती दी है।

3. जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकार का गठन 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 के गठबंधन द्वारा किया गया था।भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद पी. डी. पी. से संबंधित राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती ने 19 जून 2018 को इस्तीफा दे दिया।अगले दिन, राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत एक घोषणा जारी की, जो राज्यपाल को जम्मू और कश्मीर की सरकार की सभी शक्तियों और कार्यों को ग्रहण करने की शक्ति सौंपती है।

* एड। ध्यान देंःभाग ए. 1 "पुनर्गठन अधिनियम" 2 "पी. डी. पी".

राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्य।धारा 92 के तहत एक घोषणा के लिए खंड (5) के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।धारा 92 के खंड (3) के तहत, घोषणा छह महीने के बाद अस्तित्व में नहीं रहती है।राज्य में राज्यपाल शासन की घोषणा राष्ट्रपति की सहमति से की गई थी।21 नवंबर 2018 को राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 53 (2) के तहत राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया।

4. 28 नवंबर 2018 को, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि धारा 92 (3) के तहत घोषणा जारी होने के छह महीने बीत चुके थे।19 दिसंबर 2018 को, राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य जानकारी पर विचार करने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए एक घोषणा जारी की।घोषणा में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित घोषणाएँ थीं:

ए। भारत के संविधान और राज्य के संविधान के तहत राज्य सरकार के कार्य और उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती हैं।

बी। राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा; और

ग. संविधान के अनुच्छेद 3 का पहला परंतुक और दूसरा परंतुक निलंबित कर दिया गया है।

5. इस घोषणा को लोकसभा ने 28 दिसंबर 2018 को और राज्यसभा ने 3 जनवरी 2019 को मंजूरी दी थी।उसी दिन, राष्ट्रपति ने एक अन्य आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल में निहित शक्तियां जो उपरोक्त घोषणा के मद्देनजर राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाएंगी, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

6. राष्ट्रपति शासन के विस्तार को लोकसभा ने 28 जून 2019 को और राज्यसभा ने 1 जुलाई 2019 को मंजूरी दी थी।3 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया था।जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 356 (4) के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन की अवधि 23 थी।

दूसरे प्रस्ताव के छह महीने बाद 3 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

7. 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने सी. ओ. 272, संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 2019 जारी किया।सी. ओ. द्वारा, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू कियाः

ए। भारत के संविधान के सभी प्रावधानों ने उन सभी पिछले संविधान आदेशों को निरस्त कर दिया जिनके द्वारा संविधान के चुनिंदा प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के लागू किया गया था; और

बी। अनुच्छेद 367 (4) जिसमें एक संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में "संविधान सभा" परंतुक को "विधान सभा" में बदल दिया गया था।”

8. 5 अगस्त 2019 को, संसद ने राज्य के विधानमंडल के रूप में अपनी क्षमता में निम्नलिखित अभ्यास किया, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा मौजूद थीः

ए। राज्यसभा ने अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश की कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड काम करना बंद कर देंगेः“कि यह सदन अनुच्छेद 370 (3) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित सार्वजनिक अधिसूचना की सिफारिश करता हैः‘

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) सहपठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर, यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं कि उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड, खंड (1) को छोड़कर, जो इसके तहत पढ़ा जाएगा, अर्थात्ः“इस संविधान के सभी प्रावधान, समय-समय पर बिना किसी संशोधन या अपवाद के, अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।

विनियमन; भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखने वाली अधिसूचना, प्रथा या उपयोग, या अनुच्छेद 363 या अन्यथा के तहत परिकल्पित कोई अन्य साधन, संधि या समझौता।”बी। इसके साथ ही, राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 3 पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसे अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत सदन में निम्नलिखित शब्दों में भेजा गया थाः

“कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को अपने विचारों के लिए इस सदन को भेजा है क्योंकि यह सदन 19 दिसंबर, 2018 की भारत के राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल की शक्तियों के साथ निहित है।यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकार करने के लिए विचार व्यक्त करने का संकल्प करता है।”

ग. साथ ही, लोकसभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भी स्वीकार कर लियाः

“कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को अपने विचारों के लिए इस सदन को भेजा है क्योंकि यह सदन 19 दिसंबर, 2018 की भारत के राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल की शक्तियों के साथ निहित है।यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करने के लिए विचार व्यक्त करने का संकल्प करता है।

घ. राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया।

9. 6 अगस्त 2019 को, संसद ने जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन किया और निम्नलिखित विधायी कार्यों के साथ आगे बढ़ीः

ए। लोकसभा ने अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश की कि अनुच्छेद 370 में विशेष प्रावधान लागू नहीं होगा और इसके बजाय यह प्रावधान बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करेगाः

“कि यह सदन अनुच्छेद 370 (3) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित सार्वजनिक अधिसूचना की सिफारिश करता हैः

संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत घोषणा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) सहपठित अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर, यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं कि जिस तारीख को भारत के राष्ट्रपति घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, उस तारीख से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड उनके खंड (1) को छोड़कर प्रभावी नहीं होंगे, जो इसके तहत पढ़ा जाएगा; अर्थात्ः-

“इस संविधान के सभी प्रावधान, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, बिना किसी संशोधन या अपवाद के, जम्मू और कश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य प्रावधान या किसी कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद लागू होंगे।”बी। लोकसभा ने पुनर्गठन अधिनियम पारित किया।

10. संसद के दोनों सदनों ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो भागों में विभाजित करते हुए पुनर्गठन विधेयक (अनुच्छेद 3 के परंतुक में निर्धारित इस तरह की कवायद के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने के बाद) पारित कियाःक. विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर; और

ख. विधान सभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख।11. पुनर्गठन विधेयक के परिशिष्ट में एक अनुसूची थी जिसमें संघ सूची और संसद द्वारा समवर्ती सूची के तहत अधिनियमित केंद्रीय कानूनों को सूचीबद्ध किया गया था जो बाद में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे।संविधान के अनुरूप लाने के लिए मौजूदा राज्य विधानों में भी संशोधन किए गए हैं।

12. 6 अगस्त 2019 को, लोकसभा की सिफारिश के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत सी. ओ. 273 जारी किया, जैसा कि सी. ओ. 272 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 6 अगस्त 2019 से प्रभावी होने के साथ लागू नहीं हुआ।9

अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना, एस. ओ. 2889 (ई) जारी की, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 31 अक्टूबर 2019 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया।इस अधिसूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभाजित किया गया था।राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया।

बी *।संदर्भ

13. 19 अगस्त 2019 को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था

डॉ. शाह फैसल बनाम भारत संघ में संविधान का अनुच्छेद 32।5

14. जब सी. ओ. 272 और सी. ओ. 273 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह संविधान पीठ के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ताओं ने एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की मांग की।निवेदन यह था कि प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, 6 में एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रकृति का था।वकील के अनुसार, बाद में संपत में

प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, 7 एक अन्य संविधान पीठ ने निर्णय दिया

(प्रेम नाथ कौल (ऊपर) में पहले के निर्णय पर विचार किए बिना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान नहीं है क्योंकिः

ए। न तो जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने और न ही राष्ट्रपति ने कभी यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 370 का प्रभाव समाप्त हो गया है; और

* एड। ध्यान देंःभाग बी।

5 लिखित याचिका (ग) 2019 की सं. 1099 6 1959 पूरक (2) एस. सी. आर. 270

7 (1969) 2 एससीआर 365 27

बी। अनुच्छेद 368 के परंतुक को देखते हुए, जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधनों को लागू करने के लिए समय-समय पर अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।

15. एक बड़ी पीठ का संदर्भ इस आधार पर भी मांगा गया था कि मोहम्मद मकबूल दमनो बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 8 में संविधान पीठ के बाद के निर्णय ने प्रेम नाथ कौल (उपरोक्त) में अनुच्छेद 370 की व्याख्या को नजरअंदाज कर दिया और किसी भी स्थिति में, निर्णय यह तय नहीं करता है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान को अपनाने के बाद भी अनुच्छेद 370 जारी रह सकता है या नहीं।डॉ. शाह फैसल (उपरोक्त) की संविधान पीठ ने तीन प्रश्न तैयार किएः

“((i) किसी मामले को बड़ी पीठ को कब भेजा जा सकता है?

((ii) क्या प्रेम नाथ कौल मामले (प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749) और संपत प्रकाश मामले (संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1118) में इस न्यायालय के कथित विरोधाभासी विचारों को देखते हुए वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है?

(iii) क्या संपत प्रकाश मामला [संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1118] प्रेम नाथ कौल मामले [प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749] में न्यायालय के फैसले पर विचार नहीं करने के लिए असंबद्ध है?”

16. संविधान पीठ ने एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की याचिका को खारिज करते हुए तीन कारण बताए जो नीचे दिए गए फैसले के उद्धरण से सामने आते हैंः

“42. सबसे पहले, यह ध्यान देने योग्य है कि निर्णयों की व्याख्या उनके तथ्यों और संदर्भ से अलग, निर्वात में नहीं की जा सकती है।किसी निर्णय में किए गए अवलोकनों को एक विशेष अर्थ देने के लिए चुनिंदा रूप से नहीं चुना जा सकता है।प्रेम नाथ कौल मामले में न्यायालय [प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749] को एक विशेष अधिनियम पारित करने में युवराज की विधायी क्षमता निर्धारित करनी थी।अधिनियम के दौरान पारित किया गया था

8 (1972) 1 एस. सी. सी. 536

जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के निर्माण से पहले, लेकिन भारत के संविधान के लागू होने के बाद की अवधि।जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा के निर्णय को दिए गए महत्व के बारे में इस मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को इन तथ्यों के आलोक में पढ़ने की आवश्यकता है।

43. दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (2) का ढांचा ऐसा था कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, जो एक निर्वाचित निकाय नहीं था, बल्कि राज्य के महाराजा द्वारा लिया गया था, जो राज्य की संविधान सभा की बैठक से पहले महाराजा की घोषणा के आधार पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा था, संविधान के अनुच्छेद 370 (2) के तहत प्रदान किए गए निर्णय के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा जाना था।इसके लिए तर्क स्पष्ट है, क्योंकि संविधान सभा का कार्य भारत संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों के दायरे और दायरे को और स्पष्ट करना था, जिस पर अनुच्छेद 370 के तहत राज्य सरकार ने संविधान सभा के आयोजन से पहले ही कुछ निर्णय ले लिए होंगे, जिससे संविधान सभा अंततः सहमत नहीं होगी।इसलिए, प्रेम नाथ कौल [प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749] मामले

में न्यायालय ने संकेत दिया कि अनुच्छेद 370 (2) के तहत संविधान सभा का निर्णय अंतिम था। इस वास्तविकता को अनुच्छेद 370 (2) की भाषा के अनुरूप राज्य की संविधान सभा के आयोजन से पहले अनुच्छेद 370 के तहत राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों तक सीमित होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

44. तीसरा, प्रेम नाथ कौल मामले में संविधान पीठ [प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749] ने राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 के संचालन को जारी रखने या समाप्त करने पर चर्चा नहीं की।यह न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दा नहीं था, जैसा कि संपत प्रकाश मामले [संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1118] में था, जहां विवाद को पहले विशेष रूप से बनाया गया था, और न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।यह न्यायालय प्रेम 29 में पढ़ने का कोई कारण नहीं देखता है

नाथ कौल मामला [प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 749] एक ऐसी व्याख्या है जिसके परिणामस्वरूप यह इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के साथ मेल खाती है, विशेष रूप से जब निर्णय के एक सामान्य पठन के परिणामस्वरूप ऐसी व्याख्या नहीं होती है।"

सी *।प्रस्तुतियाँ

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री कपिल सिब्बल, डॉ. गोपाल सुब्रमण्यम, श्री जफर ए शाह, डॉ. राजीव धवन, श्री दुष्यंत दवे, श्री शेखर नाफड़े, श्री दिनेश द्विवेदी, श्री सी. यू. सिंह, श्री संजय पारिख, श्री पी. सी. सेन, सुश्री नित्या रामकृष्णन, डॉ. मेनका गुरुस्वामी, श्री मुजफ्फर आर. एच. बेग और श्री गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए।याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री मनीष तिवारी और श्री वारिशा फरासत भी पेश हुए।श्री इरफान हफीज लोन और डॉ. जहूर अहमद भट व्यक्तिगत रूप से पार्टियों में थे।

18. श्री आर वेंकटरमानी, अटॉर्नी जनरल, श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल; श्री हरीश साल्वे, श्री राकेश द्विवेदी और श्री वी गिरि, श्री महेश जेठमलानी, श्री गुरुकृष्ण कुमार, श्री रवींद्र कुमार रायजादा, श्री बिमल जॉड वरिष्ठ वकील; श्री के. एम. नटराज और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।श्री कानू अग्रवाल, सुश्री अर्चना पाठक दवे, श्री वी. के. बीजू, श्री विक्रम शर्मा, डॉ. अनिरुद्ध राजपूत, श्री डी. वी. रैना, श्री राहुल तनवानी, श्री एकलव्य द्विवेदी, श्री राजेश भूषण और डॉ. चारू माथुर भी उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए।

i. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ

19. 20 जून 2018 को जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल की घोषणा को अमान्य होने के रूप में चुनौती दी गई है।राज्यपाल की संतुष्टि की अनिवार्य पूर्व शर्त कि राज्य

सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, को पूरा नहीं किया गया था।9 यह संविधान का उल्लंघन करने वाला एक राजनीतिक कार्य था, जिसे अंततः अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के इरादे से लाया गया था। 19 जून 2019 को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हटने के एक दिन बाद 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगाया गया था। अन्य दलों को शक्ति प्रदर्शन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया

* एड। ध्यान दें:भाग सी।

9 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित निवेदन।10 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित निवेदन।

घर।अन्य दलों-कांग्रेस, पी. डी. पी. और नेशनल कांफ्रेंस-ने राज्यपाल को एक फैक्स में गठबंधन बनाने की इच्छा व्यक्त की थी।11 राज्यपाल का दायित्व था कि वह दलों से संपर्क करे और सरकार बनाने की संभावनाओं का पता लगाए।12

20. जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 में राज्यपाल शासन की अनिवार्य अधिकतम छह महीने की अवधि की परिकल्पना की गई है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।राज्यपाल शासन के बाद लगातार राष्ट्रपति शासन लागू करना धारा 92 की योजना को विफल कर देता है और जम्मू-कश्मीर के संविधान और भारतीय संविधान के साथ धोखाधड़ी के समान है।13 जिस तरह से केंद्र सरकार ने कार्य किया है और राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय सभी असंवैधानिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक हथकंडे थे।14

21. 19 दिसंबर 2018 के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा निम्नलिखित कारणों से शुरू से ही अमान्य है:

ए। धारा 92 के तहत घोषणा के बाद, अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी। यह भी आधारहीन था क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता को दर्शाने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था।लोकसभा और राज्यसभा में बहस से पता चलता है कि घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव बिना बहस के और राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना पारित किया गया था।

बी। अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का एकतरफा प्रयोग एक खतरनाक मिसाल कायम करता है और यह आशंका पैदा करता है कि संविधान के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह का व्यवहार देश के किसी भी अन्य राज्य में किया जा सकता है।यह संघीय ढांचे को सत्ता में बैठे राजनीतिक दल की सनक के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है।इसका उपयोग कमजोर करने के लिए भी किया जा सकता है

11 डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ।

12 श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

13 डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।; श्री कपिल सिब्बल सीनियर अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर।

14 श्री कपिल सिब्बल सीनियर अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर।

15 श्री दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित दलीलें; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एस. सी. सी 1.

16 डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष हितों के लिए संविधान के तहत विशेष प्रावधान।17

22. अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के लागू होने पर की गई विवादित कार्रवाई अमान्य है। निम्नलिखित कारणों से उद्घोषणा जारी होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग की सीमाएँ हैंः

ए। एक बार जब राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, जैसा कि राज्य में हुआ था, राज्यपाल शासन की घोषणा के बाद, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था।यह 19 दिसंबर 2018 की घोषणा और सभी परिणामी कार्रवाइयों को प्रस्तुत करता है-जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक का विवादित सी. ओ. और निलंबन शुरू से ही अमान्य है।

बी। अनुच्छेद 356 का उद्देश्य राज्य में शासन को बहाल करना है।19 अनुच्छेद 356 भारत के संविधान के भाग XVIII में रखा गया है-जो 'आपातकालीन प्रावधानों' से संबंधित है।राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि सरकार को "इस संविधान" के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।"इस" पर बल देना शक्ति की प्रकृति को दर्शाता है।अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में संवैधानिक सरकार संभव हो 20;

ग. अनुच्छेद 357 (2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति या संसद द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए कानून, उद्घोषणा के बंद होने के बाद, तब तक जारी रहेंगे, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकरण द्वारा "परिवर्तित या निरस्त या संशोधित" नहीं किया जाता है।" ये शब्द शक्ति का अनुमान लगाते हैं।

17 कार्यान्वयनकर्ता की ओर से मनीष तिवारी और अधिवक्ता श्री अभिमन्यु तिवारी द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ।

18 थिरू के. एन. राजगोपाल बनाम थिरू एम. करुणानिधि, (1972) 4 एससीसी 733 [5 न्यायाधीश], याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ। संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता; याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की लिखित दलीलें; श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रत्युत्तर वरिष्ठ अधिवक्ता।

19 एस. आर. बोम्मई (पारस 108,113,288,289),

20 वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा।

राज्य के मामलों के संबंध में संघ द्वारा किए गए परिवर्तनों को बदलने या पूर्ववत करने के लिए पुनर्स्थापित विधानमंडल का।अनुच्छेद 357 (2) बाद के राज्य विधानमंडल को ऐसी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदलने या निरस्त करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, संसद अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के दौरान इस अस्थायी शक्ति के प्रयोग में अपरिवर्तनीय परिवर्तन नहीं कर सकती है। 21 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 और 357 के तहत शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि "संविधान के रूप" को बनाए रखा जाए।

घ. अनुच्छेद 250 (2) में कहा गया है कि घोषणा के समाप्त होने की तारीख से छह महीने के बाद कानूनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।पुनर्स्थापनात्मक उद्देश्य और शक्ति की अस्थायी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति इस शक्ति के प्रयोग में विवादित कार्यों के माध्यम से संविधान में स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते थे।

ङ. अनुच्छेद 356 (1) के अनुसार, राज्य के विधानमंडल और कार्यपालिका की शक्ति क्रमशः संसद और राष्ट्रपति को हस्तांतरित की जाती है।हालांकि, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति या संसद को घटक शक्ति के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं की गई है।संवैधानिक शक्ति तब तक हस्तांतरित नहीं की जा सकती जब तक कि जम्मू और कश्मीर के संविधान में विशेष रूप से इसका प्रावधान न हो। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राज्य सरकार की सहमति देने की शक्ति प्राप्त नहीं करता है, और संसद अनुच्छेद 370 (3) 24 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना की सिफारिश करने के लिए विधान सभा की घटक शक्तियों को प्राप्त नहीं करती है।

21 वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन की लिखित दलीलें; याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें; वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी द्वारा मध्यस्थ की ओर से लिखित दलीलें; हस्तक्षेप करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री नित्या रामकृष्णन की लिखित दलीलें;

22 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।

23 वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा।

24 वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा; सारांश और लिखित प्रस्तुतियाँ/तर्क।

च. इस न्यायालय ने कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 25 के मामले में निर्णय दिया है।

कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति को सामान्य विधायी शक्ति के संवैधानिक समकक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसके बावजूद कि एक ही बल और प्रभाव प्रदान करने वाले

प्रावधान के बावजूद।इसी तरह, संघ की कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों को राज्य कार्यपालिका या विधायिका की शक्तियों के संवैधानिक समकक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है।

26; और

छ. संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है।राज्य विधानमंडल में प्रश्न और बहस जैसे कुछ गैर-विधायी कार्य निहित हैं। राज्य विधानमंडल में निहित ऐसे गैर-विधायी कार्यों का प्रयोग राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है।

23. लोगों की इच्छा राज्य सरकार, अनिवार्य रूप से राज्यपाल की कथित सहमति में कोई अभिव्यक्ति नहीं पाती है, क्योंकि वहां कोई मंत्रिपरिषद नहीं थी।इस प्रकार, सार्वजनिक इच्छाशक्ति और सार्वजनिक कारणों की कमी के कारण सी. ओ. अलोकतांत्रिक हैं।28

24. अनुच्छेद 370 की व्याख्या निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिएः

ए। अनुच्छेद 370 में केंद्र और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच सहयोग के तीन तरीकों की परिकल्पना की गई हैःसबसे कम डिग्री अनुच्छेद 370 (1) (डी) के पहले परंतुक के तहत है जहां केवल राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है; दूसरा परंतुक अनुच्छेद 370 (1) (बी) (ii) के तहत है और दूसरा परंतुक अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत है, जहां राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है; और उच्चतम परंतुक अनुच्छेद 370 (3) के तहत है जहां जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता होती है।

25 (2017) 3 एससीसी 1

26 श्री गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ।27 डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ।

28 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा मुजफ्फर ए. आर. एच. बेग, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर।

29 श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

बी। अनुच्छेद 370 की व्याख्या तीन स्तंभों के संदर्भ में की जानी चाहिए-असममित संघवाद 30, स्वायत्तता और सहमति।31 असममित संघवाद, अर्थात कुछ संघीय उप-इकाइयों के लिए अलग-अलग अधिकार, भारतीय संघीय योजना का एक हिस्सा है।यह मूल संरचना का एक हिस्सा है, जैसा कि संघवाद 32 है;

ग. अनुच्छेद 370 दो संविदाकारी पक्षों अर्थात् जम्मू और कश्मीर राज्य और भारत अधिराज्य के बीच समझौते को दर्शाता है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को संघ और

उसकी सीमाओं के प्रति राज्य के संबंध को निर्धारित करने की शक्ति दी गई थी।एक बार जब राज्य के संविधान द्वारा इस संबंध को स्पष्ट कर दिया गया, तो परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा, जो केवल संबंध को बदलने के लिए सशक्त थी, का अस्तित्व समाप्त हो गया था; और

घ. अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों की संवैधानिक शक्ति को मान्यता दी, जो जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के माध्यम से या अन्यथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अधीन राज्य के संविधान को बनाने या पुनर्निर्मित करने के लिए व्यक्त की गई थी।34

25. अनुच्छेद 370 के सीमांत नोट और संविधान के भाग 21 में प्रावधान को रखने का उपयोग यह मानने के लिए नहीं किया जा सकता है कि प्रावधान निम्नलिखित कारणों से अस्थायी हैः

ए। चूंकि महाराजा या उनके उत्तराधिकारियों ने भारत संघ के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए राज्य ने अवशिष्ट संप्रभुता बनाए रखी और उसी की मान्यता के रूप में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया।35 इसका कारण

30 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे।

31 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।32 याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्र सेन द्वारा प्रस्तुतियाँ. 33 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा मुजफ्फर आर एच. बेग, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा।

34 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।

35 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।

अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान के भाग 21 में रखना यह था कि भारत की संविधान सभा ने यह मान लिया कि जब भी राज्य की संविधान सभा की स्थापना होगी, वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश करेगी, और इस तरह राज्य को पूरी तरह से संघ में एकीकृत करेगी।यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत के संविधान के अध्याय 21 में रखे जाने के कारण, अनुच्छेद 370 को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकता था।यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा गया था और अनुच्छेद 370 (3) में इसे निरस्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया था।36 इस प्रकार, यह केवल अस्थायी था क्योंकि भारतीय संविधान में इसके समावेश के समय संविधान सभा मौजूद नहीं थी।संविधान के अध्याय 21 में रखे जाने के बावजूद यह भारतीय संविधान का एक स्थायी प्रावधान था और राज्य को दो संविधानों द्वारा शासित किया जाना था।

बी। सीमांत नोट में 'अस्थायी' शब्द, समय की सीमित अवधि का उल्लेख नहीं करता है, जिसके बाद अनुच्छेद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।इसका तात्पर्य यह है कि जब तक इसके निरसन की

विशिष्ट शर्तें, यानी जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा का आयोजन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तब तक अनुच्छेद समय की अवधि के बावजूद काम करता रहेगा।38

26. जम्मू और कश्मीर के संविधान के अधिनियमन पर, संविधान सभा कार्यात्मक आधिकारिक बन गई और इस तरह, अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया।संविधान सभा की सिफारिश के अभाव में, अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सका और विधान सभा संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकी।39

27. अनुच्छेद 370 को 1950 और 1957 के बीच ही संविधान सभा द्वारा निरस्त किया जा सकता था।उसके बाद, यानी राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद, इसे केवल इस तरह से संशोधित किया जा सकता है -

36 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।37 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।38 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।39 श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

अनुच्छेद 368 के तहत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, जिसके बाद अनुच्छेद 370 (1) (डी) द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में इसका विस्तार किया गया।जम्मू और कश्मीर के संविधान के अधिनियमन और इसके परिणामस्वरूप राज्य की संविधान सभा की समाप्ति के बाद, अनुच्छेद 370 (1) अकेले जीवित है क्योंकि इसके निरसन का एकमात्र तंत्र अर्थात अनुच्छेद 370 (3) का सहारा संविधान सभा की सिफारिश के बिना नहीं लिया जा सकता था।इस प्रकार, राज्य और संघ के बीच दोहरी संवैधानिक व्यवस्था ने वास्तविकता प्राप्त की।40

28. कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ वकील द्वारा ली गई स्थिति के विपरीत कि अनुच्छेद 370 (1) और 370 (3) भारत के संविधान के स्थायी पहलू हैं, संविधान सभा के विघटन के बाद, वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी का तर्क है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।जम्मू और कश्मीर का संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 370 के रूप में अंतरिम व्यवस्था का संचालन बंद हो गया। अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति के लिए शक्ति का स्रोत नहीं रह गया, जैसा कि मूल रूप से इरादा था।41 श्री दिनेश द्विवेदी इस प्रस्ताव से असहमत थे कि चूंकि संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 (3) जारी रहेगा।42 वह इस आधार पर विवादित कार्यों को चुनौती देते हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत किसी भी शक्ति का अब प्रयोग नहीं किया जा सकता है।एक अस्थायी प्रावधान को विवादित संवैधानिक आदेश या पुनर्गठन अधिनियम लाने के लिए शक्ति का स्थायी स्रोत नहीं बनाया जा सकता था। जनवरी 1957 के बाद, भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सका और जम्मू और कश्मीर के संविधान को निरस्त नहीं किया जा सका, क्योंकि यह भारत के संविधान से पूरी तरह से स्वतंत्र था।43

29. अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारत अधिराज्य में शामिल होते हुए भी संप्रभुता का एक हिस्सा बनाए रखाः

ए। अन्य राज्यों के विपरीत, भारत डोमिनियन और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच कोई विलय समझौता नहीं था।उनके संबंधों की शर्तों को विलय के दस्तावेज 44 में अवहेलना की गई थी, जिसके तहत हालांकि कुछ मामलों को संघ में स्वीकार कर लिया गया था।

40 डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।41 श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ। 42 श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ।43 श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ।44 “आई. ओ. ए "

दस्तावेज़ के खंड 8 के अनुसार महाराजा द्वारा संप्रभुता बरकरार रखी गई थी।यह स्थिति-कि महाराजा के पास निहित अवशिष्ट संप्रभुता इस न्यायालय द्वारा भी लागू की गई थी।बी। भारत के संविधान द्वारा एक राज्य के लिए एक अलग संविधान सभा की मान्यता ही इंगित करती है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान जो एक संप्रभु निकाय का निर्माण था, जम्मू और कश्मीर राज्य की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता था।एक बार जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो संप्रभुता संविधान को हस्तांतरित कर दी गई।इस संप्रभुता को अनुच्छेद 370 (3) 46 द्वारा मान्यता दी गई है।

ग. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की संप्रभुता अनुच्छेद 370 (2) से भी स्पष्ट है, जिसमें प्रभावी रूप से कहा गया है कि यदि संविधान सभा के अस्तित्व में आने के बाद केंद्रीय संसद को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसे संविधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार के समक्ष।47 एक बार जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जम्मू और कश्मीर के संविधान ने संप्रभुता ग्रहण कर ली।संविधान द्वारा निर्मित राज्य का संविधान और राज्य की विधान सभा स्थायी हैं।48 जम्मू और कश्मीर का संविधान एक स्वतंत्र, शाश्वत दस्तावेज है।चूंकि यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया था, इसलिए यह न तो भारत के संविधान के अधीन था और न ही अनुच्छेद 370 के अधीन था।इसे केंद्र सरकार के किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित या निरस्त नहीं किया जा सकता है।घ. इस न्यायालय ने माना है कि आंतरिक संप्रभुता को विधायी शक्तियों के वितरण द्वारा विभाजित किया जा सकता है, जो संघवाद की एक आवश्यक विशेषता है।

45 जफर शाह; याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें; वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे की लिखित दलीलें; वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी द्वारा लिखित दलीलें।

46 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।47 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।48 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।49 श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ।

50 एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ; याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरा 97 प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।

ई. जम्मू और कश्मीर के 1939 के संविधान में शासक की संप्रभुता को मान्यता दी गई थी, और उत्तरदाताओं के तर्क के विपरीत (कि आई. ओ. ए. को निष्पादित करने के बाद शासक की संप्रभुता समाप्त हो गई), संप्रभुता आई. ओ. ए. या 1949 की घोषणा के बाद भी जारी रही।51 अन्य घोषणाओं और आई. ओ. ए. के साथ पढ़ें, घोषणा ने शासक की संप्रभुता को नहीं छीन लिया।संघ की शक्ति आई. ओ. ए. के तीन विषयों के संबंध में थी।बाद में 1991 में शासक द्वारा सूची I में सभी प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था।1991 में, जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 को शासक की संप्रभुता को समाप्त करने और विधायिका की सामूहिक संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाने के लिए संशोधित किया गया था।हालाँकि, 1991 के इस संशोधन को जम्मू और कश्मीर के संविधान के अधिनियमन तक संसद की सीमित शक्ति के आलोक में देखा जाना चाहिए।

30. अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जारी सी. ओ. 272 निम्नलिखित कारणों से असंवैधानिक हैः

ए। अनुच्छेद 370 (1) (डी) संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन और भारत में उनके अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।हालाँकि, सी. ओ. 272 अनुच्छेद 367 के प्रावधानों के केवल संशोधन और जम्मू और कश्मीर राज्य में उनके अनुप्रयोग से परे है।यह एक निश्चित प्रकार की शक्ति निहित करता है, जिसका उपयोग एक निश्चित शरीर द्वारा पूरी तरह से भिन्न शरीर में किया जाता है।यह अनुच्छेद 370 (3) 53 के मूल आधार को बदलने के समान है जो केवल अनुच्छेद 370 (3) के संशोधन के माध्यम से किया जा सकता था।अनुच्छेद 370 (2) को देखते हुए "संविधान सभा" शब्द को "विधान सभा" के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, जो पूर्व पद के लिए एक विशिष्ट सी अर्थ देता है।54 अभिव्यक्ति 'संविधान'

51 श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर।52 श्री दिनेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर।

53 श्री जाफ आर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ; याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित प्रस्तुतियाँ; याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की लिखित प्रस्तुतियाँ; वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी द्वारा हस्तक्षेपकर्ता की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

54 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता; 39 में से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

'सभा' अस्पष्ट नहीं है और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।संविधान सभा विधान सभा से पूरी तरह अलग है।उत्तरार्द्ध न तो विकल्प है और न ही पूर्व का उत्तराधिकारी है।56 इस प्रकार सी. ओ. 272 राष्ट्रपति की शक्ति 57 का एक रंगीन अभ्यास है।

बी। अनुच्छेद 367 एक व्याख्या खंड है।सी. ओ. न केवल व्याख्या के तरीके को बदलता है बल्कि विधान सभा को संविधान सभा की घटक शक्ति प्रदान करके प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। यह अनुच्छेद 370 (3) 58 का संशोधन है।

ग. जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 147 के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के संविधान के तहत विधानसभा को भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं थी।नतीजतन, न तो विधानसभा और न ही राज्यपाल सी. ओ. 272 को सहमति दे सकते थे।सी. ओ. 272 अमान्य है क्योंकि यह विधानसभा में एक ऐसी शक्ति निहित करता है जिसे जम्मू और कश्मीर का संविधान स्पष्ट रूप से 59 को प्रतिबंधित करता है।घ. अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के अद्वितीय संवैधानिक दर्जे को मान्यता देता है।इस प्रकार, इस प्रावधान में अनुच्छेद 370 (3) में अपने स्वयं के संशोधन का प्रावधान है।जब ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान मौजूद हो, तो संशोधन किसी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है।

ई. अनुच्छेद 370 (1) (डी) जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा "अन्य" प्रावधानों को लागू करने के लिए है।चूंकि सी. ओ. 272 अनुच्छेद 370 से संबंधित है, इसलिए प्रावधान में कोई भी संशोधन

याची ।

55 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।56 वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी द्वारा हस्तक्षेपकर्ता की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

57 वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी द्वारा हस्तक्षेपकर्ता की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

58 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ; याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।

59 श्री द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ। संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता।

60 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।

यह केवल अनुच्छेद 370 (3) के माध्यम से किया जा सकता है न कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के माध्यम से।

च. अनुच्छेद 370 को पहले अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग के माध्यम से संशोधित किया गया था।सी. ओ. 48 और 72 अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जारी किए गए थे, और उन्होंने अनुच्छेद 367 में उपखंड 4 को जोड़ा और संशोधित किया।हालाँकि, सी. ओ. 272 के विपरीत, सी. ओ. 48 और 72 में अनुच्छेद 370 का कोई संदर्भ नहीं था।वे विशुद्ध रूप से स्पष्ट आदेश थे।उन्होंने अनुच्छेद 370 में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया। 61 हालांकि, सी. ओ. 272 पिछले दरवाजे 62 के माध्यम से अनुच्छेद 370 में संशोधन करता है;

छ. उत्तरदाताओं का यह तर्क कि संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक और संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता समाप्त हो गई है, गलत है।जबकि अनुच्छेद 370 (1) (बी) के तहत शक्तियां शक्तियों में संशोधन करने की प्रकृति में हैं, अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति एक घटक शक्ति है।दोनों पर रखी गई सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार करने से एक असंगत निष्कर्ष निकलेगा कि संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 370 (3) के तहत इसे समाप्त करने से अधिक कठिन होगा।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 (3) को केवल एक संविधान निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकता है और कम से कम 63;

ज. अनुच्छेद 370 को केवल अनुच्छेद 370 (3) का सहारा लेकर संशोधित किया जा सकता था, जो इसके परंतुक के अधीन था।यह इस न्यायालय द्वारा प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 64 में दोहराया गया था, जिसका निर्णय जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद किया गया था।

आई. वैकल्पिक रूप से, अनुच्छेद 367 अनुच्छेद 370 (3) पर लागू नहीं होता है क्योंकि बाद वाला एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है।जाहिर तौर पर,

61 मोहम्मद मकबूल दमनो बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1972) 1 एस. सी. सी. 536; याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।62 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।

63 श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रत्युत्तर वरिष्ठ अधिवक्ता पृष्ठ 18-19 पैरा 41; मध्यस्थ की ओर से अधिवक्ता सुश्री वारिशा फरासत की ओर से प्रत्युत्तर में संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ।

64 1959 पूरक (2) एस. सी. आर. 270।

अनुच्छेद 367 का उपयोग अनुच्छेद 370 (3) 65 में कोई बदलाव करने के लिए नहीं किया जा सकता है।जे. संविधान में कार्यकारी आदेश द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है।केवल संसद ही अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है।सी. ओ., जो प्रभावी रूप से संविधान में संशोधन करता है, एक कार्यकारी आदेश 66 से प्रभावित नहीं हो सका;

के. सी. ओ. 272 ने सी. ओ. 1954 को लागू नहीं किया।यह राज्य की संविधान सभा की उचित सहमति से जारी किया गया था, जो उस समय अस्तित्व में थी।इस प्रकार, राज्यपाल के पास संविधान सभा की सहमति से जारी किए गए ऐसे सी. ओ. को गैर-लागू करने के लिए सहमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

एल. भारत के संविधान का थोक अनुप्रयोग दिमाग के अनुप्रयोग की कमी से पर्याप्त है-जो एक अनिवार्य पूर्व शर्त थी।अनुच्छेद 370 (1) (डी) एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है, जहां स्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर, और उचित रूप से ध्यान देने पर, संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित किया जाता है ताकि उक्त आवश्यकताओं को

पूरा किया जा सके।सी. ओ. 272 भारत के पूरे संविधान के प्रावधानों को राज्य पर लागू करता है। राज्य के लिए उन प्रावधानों की उपयुक्तता तय करने के लिए कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ।पूरे संविधान का इस तरह का व्यापक अनुप्रयोग, एक बार में, स्पष्ट रूप से बिना किसी विचार-विमर्श के है।

एम. उत्तरदाताओं ने गलती से मोहम्मद पर भरोसा किया है।मकबूल

दमनू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 69 का तर्क है कि

संविधान सभा और विधान सभाएँ विनिमेय हैं।उक्त मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि

65 श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ; श्री जाफ आर ए शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता रेजोइंदर द्वारा प्रस्तुतियाँ।

66 डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।67 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।

68 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।

69 (1972) 1 एस. सी. सी. 536

राज्यपाल, सदर-ए-रियासत के उत्तराधिकारी होने के नाते, सदर-ए-रियासत के समान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।इस मामले पर निर्भरता गलत है; और

एन. आई. ओ. ए. का उद्देश्य संघ में शामिल होना था।आई. ओ. ए. में निर्धारित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर राज्य की संप्रभुता बनी रही। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा राज्य के लोगों से किए गए इस वादे को पूरा करने के लिए थी कि विलय का मुद्दा उन्हें अनुसमर्थन के लिए भेजा जाएगा।इसलिए, विधान सभा को राज्य की संविधान सभा के विकल्प के रूप में मानना, आई. ओ. ए. की शर्तों के साथ-साथ अपनी शर्तों पर राज्य के संघ में एकीकरण का उल्लंघन करेगा।71

31. सी. ओ. 272 असंवैधानिक है क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक को पूरा करने के लिए अपनी सहमति हासिल नहीं कर सकते थेःक. सी. ओ. 272 कथित रूप से राज्य सरकार की सहमति से जारी किया गया है।हालाँकि, चूंकि जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा को राज्यपाल द्वारा भंग कर दिया गया था जब सीओ 272 जारी किया गया था, इसलिए मंत्रिपरिषद मौजूद नहीं थी और ऐसी कोई सहमति नहीं ली जा सकती थी।राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य नहीं कर रहे थे।यह न केवल भारत के संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के जनादेश के खिलाफ है, बल्कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत सहमति की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करता है।

बी। राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की शक्तियों को हड़प लिया।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के प्रावधान आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट किए गए मामलों के बजाय निर्दिष्ट किए गए मामलों के बीच अंतर करते हैं। अनुच्छेद 370 (1) एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होता है।इसलिए, अनुच्छेद 356 सहित भारत के संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, राष्ट्रपति के पास जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ प्रावधानों को लागू करने की शक्ति है।यह शक्ति दूसरे परंतुक के अधीन है।विशेष रूप से, अनुच्छेद 356 में कोई गैर-अस्थाई खंड नहीं है।निहित रूप से, गैर-अस्थाई खंडों के महत्व पर विचार करते हुए,

70 श्री कपिल सिब्बल सीनियर अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर।

71 सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ।

सहमति केवल राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है न कि राष्ट्रपति द्वारा।सी. ओ. 272 जारी किए जाने के समय राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं थी।दूसरे परंतुक द्वारा आवश्यक ऐसी सहमति के अभाव में, सी. ओ. 272 जारी नहीं किया जा सकता था; और

ग. उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, भले ही राज्य सरकार के कार्यों का राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अनुसार वैध रूप से प्रयोग किया जा सके, अनुच्छेद 356 (1) (ए) राष्ट्रपति को "कार्यों" का प्रयोग करने की अनुमति देता है न कि राज्य सरकार के "विशेषाधिकारों" का।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के अनुसार राष्ट्रपति के साथ सहमति बनाना एक विशेषाधिकार है न कि एक कार्य और इसलिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। 73

32. सी. ओ. 273 दिनांक 6 अगस्त 2019 निम्नलिखित कारणों से असंवैधानिक हैः

ए. सी. ओ. 273 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने संसद की सिफारिशों पर घोषणा की थी कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं हुए हैं, सिवाय एक खंड के जो जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के उत्परिवर्तन को प्रभावी रूप से लागू करता है।

बी. सी. ओ. 272 की अयोग्यता के परिणामस्वरूप, सी. ओ. 273 उन्हीं कारणों से शून्य है जो सी. ओ. 272 75 के संबंध में ऊपर बताए गए हैं;ग. सी. ओ. 273 अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।हालांकि, इस तरह की सिफारिश जारी करने के लिए सक्षम प्रतिनिधि निकाय से कोई "सिफारिश" नहीं की गई थी

72 याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की लिखित दलीलें; भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता (2017) 2 एस. सी. सी. 538, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी द्वारा मध्यस्थ की ओर से लिखित दलीलें; मनीष तिवारी और श्री अभिमन्यु तिवारी द्वारा कार्यान्वयनकर्ता की ओर से लिखित दलीलें।

73 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की लिखित दलीलें।

74 याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें।

75 याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें; वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी द्वारा मध्यस्थ की ओर से लिखित दलीलें।

अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक ।चूँकि संविधान सभा की सिफारिश अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के तहत अनिवार्य है, और प्रासंगिक समय पर संविधान सभा के अस्तित्व को देखते हुए ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं की जा सकती थी, इसलिए सी. ओ. 273 अनुच्छेद 370 (3) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।76 अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक को राज्य के लोगों को यह तय करने की शक्ति देने के लिए शामिल किया गया था कि वे भारत के साथ एकीकरण करना चाहते हैं या नहीं।घ. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा यह निर्धारित करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण थी कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व बना रहना चाहिए या नहीं।इसके विघटन के बाद ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था।संविधान सभा ने पहले ही जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त नहीं करने की इच्छा व्यक्त की थी।इसलिए, राष्ट्रपति के पास संविधान सभा की इच्छा के विपरीत कार्य करने की कोई शक्ति नहीं थी।78 इरादा इसे एक अस्थायी शक्ति बनाना था जो केवल संविधान सभा द्वारा प्रयोग की जा सकती थी, और (पूर्वाग्रह के बिना), राज्य के लोगों द्वारा अनुच्छेद 370 79 को निरस्त करने के लिए;

ई. यह मानते हुए भी कि सी. ओ. 272 इस हद तक वैध था कि इसने संविधान सभा को विधान सभा के साथ प्रतिस्थापित किया था, तब भी सिफारिश की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि सी. ओ. 273 को उस समय जारी किया गया था जब अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा लागू थी और विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी।

76 वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा।

77 श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

78 संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 1969 2 एस. सी. आर. 365, "इस खंड में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि अनुच्छेद चालू रहेगा और केवल तभी लागू नहीं हो सकता है जब राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस आशय के अधिनियम के लिए निर्देश देता है।"इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की संविधान सभा यह नहीं चाहती थी कि यह अनुच्छेद बंद हो जाए और वास्तव में, इस अनुच्छेद के निरंतर संचालन के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह सिफारिश की कि यह केवल इस संशोधन के साथ ही लागू होना चाहिए।" श्री दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ।

79 श्री कपिल सिब्बल सीनियर अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर।

80 वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों की रूपरेखा।

च. भारत के संविधान को स्वीकार करने वाले अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर राज्य का एक अलग संविधान था और इसका संघ में विलय नहीं हुआ था।इसने केवल आई. ओ. ए. द्वारा सहमत शर्तों पर भारत में प्रवेश किया था। सीओ 273 ने आईओए 81 को अमान्य कर दिया है;

छ. सी. ओ. 273 (सी. ओ. 272 के साथ) भारत संघ द्वारा जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ किए गए समझौते को एकतरफा रूप से निरस्त करके अनुच्छेद 370 के आधार को नष्ट करने के बराबर है।

ज. उत्तरदाताओं का तर्क है कि चूंकि संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक का सहारा नहीं लिया गया था।

संभव है और अधिकतम लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया (अर्थात,

कानून असंभवताओं को करने के लिए मजबूर नहीं करता है) संविधान सभा की सिफारिशों के बिना विवादित कार्यों को उचित ठहराता है।यह अनुच्छेद 370 (2) पर आधारित उपरोक्त तर्कों और संविधान और विधान सभा के बीच अंतर को देखते हुए मान्य नहीं है।83

33. पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित कारणों से असंवैधानिक हैः ए। अनुच्छेद 356 के तहत जारी राष्ट्रपति की घोषणा ने संविधान के अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक को इस हद तक निलंबित कर दिया कि यह राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल को उसके विचारों के लिए संदर्भित करने और अनुच्छेद 3 के पूरे दूसरे परंतुक से संबंधित है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है जिसके द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत एक विधेयक केवल राज्य के विधानमंडल की सहमति से शुरू किया जा सकता है।स्थायी परिवर्तन लाने वाला कानून अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को अस्थायी रूप से निलंबित करके लागू नहीं किया जा सकता है।चूंकि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा ही अमान्य थी (ऊपर उल्लिखित कारणों से), इसलिए अनुच्छेद 3 का निलंबन भी इसी तरह अमान्य था।अन्यथा भी, अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का निलंबन न तो आकस्मिक था और न ही परिणामी।

81 श्री जफर शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ।

82 याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम की लिखित दलीलें; श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रत्युत्तर वरिष्ठ अधिवक्ता।

83 श्री कपिल सिब्बल सीनियर अधिवक्ता की ओर से प्रत्युत्तर।

अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग।यह अनुच्छेद 356 (1) (सी) के तहत प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्ति से परे था, जिसे राज्य को ही निरस्त नहीं किया जा सकता है।पुनर्गठन अधिनियम एक ऐसा कानून नहीं है जिसे संसद अनुच्छेद 357 (1) और अनुच्छेद 356 84 के तहत बनाने के लिए सक्षम होगी।

बी। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल के लिए एक अनिवार्य संदर्भ परंतुक करने वाले अनुच्छेद 3 के परंतुक के निलंबन का प्रभाव लोगों की इच्छा को निलंबित करने का था, जो परंतुक के तहत संरक्षित था।परंतुक का उद्देश्य राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र को बदलने से पहले लोगों की इच्छा का अनिवार्य निर्धारण करना है।इस प्रकार राष्ट्रपति से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उनकी "इच्छाओं से परामर्श किया गया है", और यह कि, केवल राज्य विधानमंडल के कहने पर, इस तरह का परिवर्तन प्रभावी हो सकता है।

ग. किसी भी मामले में, भले ही अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक को वैध रूप से निलंबित कर दिया गया था, यह केवल जम्मू और कश्मीर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की स्वीकृति थी, न कि इसके स्रोत की।जम्मू और कश्मीर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और इसका निरंतर अस्तित्व अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक का उल्लंघन है।जम्मू और कश्मीर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता जम्मू और कश्मीर के संविधान से उपजी है, और यह स्थायी, संप्रभु और भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थी।अनुच्छेद 3 का परंतुक केवल क्षेत्रीय अखंडता 86 की औपचारिक मान्यता थी।

घ. पुनर्गठन अधिनियम ने अनुच्छेद 3 का सहारा लेकर अनुच्छेद 368 के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया है।जब विशेष प्रावधानों के तहत कोई विशेष कार्रवाई होती है, तो इसे एक सामान्य प्रावधान का सहारा लेकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है जो सीधे विषय वस्तु से संबंधित नहीं है।अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट कानूनों में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन के प्रावधान होंगे, जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

84 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।85 वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित निवेदन।

86 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।

पूरक, आनुषंगिक या परिणामी प्रावधान, जो संसद उचित समझे।हालांकि, अनुच्छेद 4 (2) में कहा गया है कि ऐसी किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।अनुच्छेद 4 (2) का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 3 का उपयोग अनुच्छेद 368 को हटाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो संवैधानिक संशोधन 87 के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है। पुनर्गठन अधिनियम अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करता है।ङ. अनुच्छेद 3 का पाठ और संरचना किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का समर्थन नहीं करती है।किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नीचा दिखाने की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है और राज्य की निरंतर प्रथा कम के बजाय अधिक से अधिक संघीय स्व-शासन की दिशा में आंदोलन का संकेत देती है।अनुच्छेद 3 के उपखंड (बी) से (ई) क्षेत्रों, सीमाओं और नामों से संबंधित हैं; उपखंड (ए) स्पष्टीकरण 2 के सहपठित पढ़ा जाता है जो एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए व्यापक शक्ति निर्धारित करता है।ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इसकी अनुमति है और उनमें से कोई भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित

नहीं करता है।88 अनुच्छेद 3 को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप हो।केंद्र में सत्ता में पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

च. 2019 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 3 द्वारा निर्धारित शक्तियों की प्रकृति से असंबंधित है।अनुच्छेद 3 किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने से संबंधित नहीं है।अनुच्छेद 3 (खंड ए-ई) के अन्य तत्वों के विपरीत, केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्य के पुनर्गठन में विधायी और कार्यकारी शक्ति का भारी हस्तांतरण शामिल है।संविधान सभा का इरादा यह नहीं था कि इस तरह का स्थानांतरण संसदीय कानून 90 से प्रभावित हो;

87 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।

88 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित दलीलें; याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।

89 डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 378 श्री दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ।

90 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।

छ. पुनर्गठन अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन लाने का प्रभाव हैःराज्य पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों को मिटाना; अनुच्छेद 54 और 55 के तहत लद्दाख के पूरे क्षेत्र को उसके अधिकारों से वंचित करना, राज्यों की परिषद में क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में बदलाव; राज्य सभा के निर्वाचक मंडल से क्षेत्र को छोड़कर-ये सभी परिवर्तन अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (ए) से (ई) के तहत आते हैं।इस प्रकार, इन परिवर्तनों को केवल अनुच्छेद 368 (2) का सहारा लेकर लागू किया जा सकता था, जो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अधीन था।91 एक कानून जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की विधान सभा को अस्वीकार करता है जैसे कि विवादित अधिनियम को अनुच्छेद 3 92 के तहत नहीं लाया जा सकता है।

ज. अनुच्छेद 3 में परिकल्पित स्थितियों के विपरीत किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के बीच एक गुणात्मक अंतर है-अनुच्छेद 3 के प्रत्येक उपखंड एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक कानून के परिणामस्वरूप, नागरिक किसी मौजूदा या नए राज्य में रह सकते हैं। इन प्रावधानों के तहत नागरिकों द्वारा आनंदित संघीय प्रतिनिधि लोकतंत्र या तो स्थिर है या बढ़ाया गया है।इसके विपरीत, किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में पतन प्रतिनिधि लोकतंत्र में कमी या हानि का कारण बनता है।

आई. अनुच्छेद 3 के उद्देश्य को राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट 1955 के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भारतीय राज्यों का विभाजन भाग ए, बी, सी और डी राज्यों में करना संभव नहीं था।इस प्रकार, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 94 ने इन भेदभावों को हटा दिया और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को पेश किया।1955 के बाद से, अनुच्छेद 3 के तहत विभिन्न कानूनों के माध्यम से वर्तमान राज्यों गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर आदि को केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया।

91 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।92 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।93 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।94 “सातवां संविधान संशोधन "

95 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।

जे. कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नामित करने के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण थे, न कि पूर्ण राज्य।कुछ मामलों में, एक छोटे से क्षेत्र के लिए एक पूर्ण राज्य का निर्माण करना उचित नहीं समझा गया था, और इन क्षेत्रों में लोगों के सांस्कृतिक अंतर का मतलब था कि उन्हें पड़ोसी राज्यों में शामिल नहीं किया जा सकता था।ऐसे क्षेत्रों को केंद्रीय रूप से प्रशासित माना जाता था।हालांकि, समय के साथ, इन क्षेत्रों को राज्यों के रूप में नामित किया गया-जो संघवाद की दिशा में एक प्रगतिशील कदम था।हालाँकि, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, किसी मौजूदा राज्य को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला गया है।इससे प्रतिनिधि लोकतंत्र और संघवाद में कमी आती है।संघवाद की भारतीय समझ राज्यों को केवल प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं मानती है।यह कहावत कि भारत "विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ" है, केवल इसका मतलब है कि राज्यों को संसद द्वारा पुनर्गठित किया जा सकता है; लेकिन उन्हें संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों में समाप्त या प्रतिगामी नहीं किया जा सकता है; और

के. अनुच्छेद 1 (1) में कहा गया है कि भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का उपयोग संसद द्वारा 'केंद्र शासित प्रदेशों का संघ' बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।मुद्दा यह नहीं है कि क्या संसद वास्तव में ऐसा करेगी।इस प्रकार अनुच्छेद 3 के तहत संघ की शक्ति संघवाद के सिद्धांत से टकराती है।98

34. पुनर्गठन अधिनियम जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था क्योंकिः

ए। मौजूदा इकाइयों, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में कोई भी बदलाव केंद्र की ओर से नहीं बल्कि संबंधित इकाई से परिचित लोगों की ओर से होना चाहिए।परिवर्तन से प्रभावित लोगों को इस तरह के परिवर्तन की इच्छा रखनी चाहिए।द.

96 श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ।

97 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित दलीलें; श्री कपिल सिब्बल की ओर से लिखित दलीलें।

98 श्री चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ वकील की लिखित प्रस्तुतियाँ।

केंद्र जो स्थानीय परिस्थितियों और इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक विचारों से अवगत नहीं है, उसे ऐसी सीमाओं में परिवर्तन को सीमा आयोग जैसे सक्षम निकायों पर छोड़ देना चाहिए।

बी। राज्यसभा ने पुनर्गठन विधेयक के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए।राज्यसभा के 240 सदस्यों में से केवल 4 जम्मू-कश्मीर से थे।इसलिए, राज्यसभा को राज्य के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है।लोगों की इच्छा राज्य की विधान सभा के माध्यम से ही व्यक्त की जा सकती थी।विधानसभा को भंग कर दिया गया और विधानसभा के लिए चुनाव जानबूझकर केवल विवादित अधिनियम 100 को लागू करने की दृष्टि से नहीं किए गए थे; और

ग. जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को संसद के बजाय बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए, जो राज्य के लोगों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं है।अगर लोगों को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसा करते।जिस तरह संसद राज्यों की ओर से राज्यसभा के सदस्यों का फैसला नहीं कर सकती, उसी तरह वह राज्य के लोगों की ओर से फैसला नहीं कर सकती।द्विसदनीयता और साझा संप्रभुता इस एकतरफा गैर-लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रतिबंधित करेगी जिसमें राज्य के लोगों को बाहर रखा गया है।101

ii.भारत संघ की प्रस्तुतियाँ 102

35. जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक एकीकरण की प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक एकीकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह मिलती-जुलती है।

99 (17 नवंबर, 1948 को संविधान सभा की बहस, श्री के. टी. शाह का भाषण, पुस्तक 2, पृष्ठ। 437-438); याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।

100 याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ, श्री शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता।101 सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, रेजोइंदर की लिखित प्रस्तुतियाँ।102 भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमानी ने प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ दीं जो नीचे दिए गए प्रारंभिक छह पैराग्राफ में दर्ज हैं।इसके बाद श्री तुषार मेहता द्वारा मूल प्रस्तुतियाँ की गईं जिन्हें महान्यायवादी की प्रस्तुतियों के बाद शामिल किया गया है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात् छोटे राज्यों के विलय के साथ लोकतंत्रीकरण, राज्यों के संघ का गठन, संविधान बनाने के लिए संविधान सभाओं का विचार आदि। जहां तक संवैधानिक एकीकरण प्रक्रिया का संबंध है, भारत संघ और जम्मू-कश्मीर के बीच कोई विशिष्ट या विशेष समझौता नहीं था।103

36. राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत अधिकार के प्रयोग का अंतिम जायजा लेने और यह तय करने के लिए खुला था कि क्या अभ्यास को बिल्कुल भी अद्यतन करने की आवश्यकता है, या अनुच्छेद 370 (1) (डी) के किसी अन्य आह्वान की आवश्यकता है।राष्ट्रपति की यह शक्ति अतीत में अनुच्छेद 370 के संबंध में किसी भी प्रथा द्वारा सीमित या सशर्त नहीं है।104

37.अनुच्छेद 370 की कल्पना और अभिकल्पना उसी तर्ज पर संवैधानिक एकीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए की गई थी जैसे अन्य राज्यों के साथ हुई थी।एक अवधि तक इसके निरंतर अभ्यास को एक बादल के रूप में या इसके मूल उद्देश्य के विरूपण के रूप में नहीं देखा जा सकता है।105

38. सीमावर्ती राज्य क्षेत्रों का एक अलग वर्ग है और अनुच्छेद 3 के तहत उनके पुनर्गठन पर अलग से विचार किया जाना चाहिए।106 39.न तो असममित संघवाद और न ही किसी अन्य संघीय विशेषताओं का उल्लंघन किया गया है।107

40. प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में कोई अधिकार नहीं छीने गए हैं।108

41. अनुच्छेद 370 संविधान में एकमात्र प्रावधान है जिसे संविधान स्वयं "अस्थायी" घोषित करता है।यह समझ कि यह अस्थायी है, लेख के इतिहास का मसौदा तैयार करने, संविधान सभा में बहस, संसदीय बहस, संविधान आदेशों के क्रमिक जारी होने से आगे बढ़ती है।भाग 21 के अन्य प्रावधानों को या तो "विशेष प्रावधान" या "अस्थायी प्रावधान" नाम दिया गया है।109

103 भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी की लिखित प्रस्तुतियाँ 104 भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी की लिखित प्रस्तुतियाँ 105 भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी की लिखित प्रस्तुतियाँ 106 भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी की लिखित प्रस्तुतियाँ 107 भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी की लिखित प्रस्तुतियाँ 108 भारत के महान्यायवादी श्री आर. वेंकटरमानी की लिखित प्रस्तुतियाँ 109 भारत के महान्यायवादी श्री तुषार मेहता की लिखित प्रस्तुतियाँ

42. अनुच्छेद 370 (1) का प्रभावी अधिनियम भारत के संविधान के तहत दो अंगों को, एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, अपनी स्वतंत्र इच्छा पर भारत के संविधान के किसी भी हिस्से/प्रावधान (अनुच्छेद 1 को छोड़कर) को बनाने, संशोधित करने या नष्ट करने की अनुमति देना था और जम्मू और कश्मीर राज्य में ऐसे अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना था।इस शक्ति की विस्तृत चौड़ाई से पता चलता है कि यह एक स्थायी प्रावधान होने का इरादा नहीं हो सकता था- या तो समय के प्रवाह से या किसी अन्य तरीके से।110

43. अनुच्छेद 370 का प्रभाव जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को शेष भारत में अपने साथी नागरिकों के समान व्यवहार से वंचित करना था।अनुच्छेद 370 ने उन्हें बिना किसी विधायी या संसदीय प्रक्रिया के कई मौलिक और वैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया।इस तरह के परिणाम

स्पष्ट रूप से संविधान के निर्माताओं को पता होंगे और इसलिए, निर्माता कभी भी इसे एक स्थायी प्रावधान बनाने का इरादा नहीं रख सकते थे।111

44. अनुच्छेद 370 का निरस्त होना जम्मू और कश्मीर के निवासियों को देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले नागरिकों के बराबर लाता है, उन्हें पूरे संविधान के साथ-साथ सैकड़ों लाभकारी कानूनों से सभी अधिकार प्रदान करता है।इसलिए, भारत के संविधान को राज्य में लागू करना कभी भी "मनमाना कार्य" नहीं हो सकता है।112

45. संविधान में यह एकमात्र प्रावधान है जहां (i) भारतीय संविधान के प्रावधान; और (ii) जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए लाभकारी विधानों का अनुप्रयोग, उस समय की सरकार के आवेदन पर सहमत होने पर निर्भर करता है।संविधान निर्माताओं द्वारा इस तरह की व्यवस्था की कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी।113

46. अनुच्छेद 370 एकमात्र प्रावधान है जो एक तंत्र (अनुच्छेद 370 (3) के माध्यम से) प्रदान करता है जिसके द्वारा इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।स्थायी होने के इरादे वाले प्रावधान में ऐसा "अंतर्निर्मित अग्निशामक खंड" नहीं होगा।114

110 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें 111 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें 112 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें 113 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें 114 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें 53

47. अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक केवल जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के अस्तित्व के दौरान ही लागू रहना था क्योंकिः115

ए। जब जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया था, तब भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 पहले से ही अस्तित्व में था।अनुच्छेद 370 (3) से अवगत होने के कारण जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा अपने विघटन के समय -

आई. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करने की सिफारिश की गई;

ii.कुछ अपवादों और संशोधनों की सिफारिश की जिनके साथ अनुच्छेद 370 लागू रह सकता था;

iii.अनुच्छेद 370 (1) को स्थायी बनाते हुए उपखंड (3) और इसके परिणामस्वरूप उपखंड (2) को हटाने की सिफारिश की गई;

iv.यह अनुच्छेद 370 (3) में "अस्थायी" शब्द को "स्थायी" और "संविधान सभा" को "विधान सभा" के साथ प्रतिस्थापित करते हुए सीमांत नोट को बदल सकता था।

v. अनुच्छेद 370 (1) (डी) को हटाने की सिफारिश की, राज्य और संघ के बीच संबंधों को फ्रीज कर दिया क्योंकि यह तब मौजूद था जब संविधान [जम्मू और कश्मीर पर लागू] आदेश, 1954 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीओ 48 द्वारा पारित किया गया था; और

vi.सिफारिश की इन शक्तियों के उपलब्ध होने के बावजूद और शक्ति की उपलब्धता के प्रति सचेत होने के बावजूद, संविधान सभा ने इनमें से कुछ भी नहीं करने का फैसला किया और इसे भंग कर दिया गया।

बी। एक बार जब राज्य संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक ही समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्तियों का एकमात्र भंडार बन जाता है।सिफारिश के अभाव में भी राज्य के निवासियों के हित में इस शक्ति का प्रयोग करना उसका कर्तव्य है।

115 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें

48. याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय विशुद्ध रूप से कार्यकारी उपलब्धि से लिया गया था, गलत है।यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे देश की भागीदारी को दर्शाती है।116

49. यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि भारतीय संविधान में प्रदान की गई भारत के राष्ट्रपति की शक्ति का अस्तित्व और प्रयोग भारत के संविधान के बाहर किसी निकाय द्वारा किए गए निर्णय या इसकी कमी पर निर्भर है। 117

50. यदि अनुच्छेद 370 के खंड 3 के परंतुक में उल्लिखित संविधान सभा की अनुपस्थिति को भारत के राष्ट्रपति की शक्ति को निरर्थक और अनावश्यक के रूप में माना जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अनुच्छेद 370 (1) (बी) और 370 (1) (डी) के तहत, भारत के संविधान के किसी भी परंतुक को संशोधित किया जा सकता है और जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है।यहां तक कि वे प्रावधान जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, उन्हें संशोधित किया जा सकता है और जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जा सकता है या जम्मू-कश्मीर पर इसके लागू होने में कई संशोधन किए जा सकते हैं और समाप्त किया जा सकता है-जैसा कि अतीत में हुआ है।यह व्याख्या अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान की मूल संरचना से भी ऊपर रखने के बराबर होगी।

51. भले ही राज्य संविधान सभा वर्तमान में अस्तित्व में थी, इसके लिए परिकल्पित सीमित भूमिका केवल एक "सिफारिश" करना था।ऐसी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी।118

52. राज्य संविधान सभा की सीमित भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इसे "विधान सभा" के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है और राज्य विधान सभा के स्थान पर संसद द्वारा सिफारिश को पारित किया जाता है।संसद एक अलोकतांत्रिक निकाय नहीं है और राज्यों की परिषद के साथ, यह संघीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।119

53. संसद पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा का भंडार है और ऐसी स्थिति में जो अन्य संघीय इकाइयों के साथ एक संघीय इकाई के संबंधों से संबंधित है, प्रयोग करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक अधिकार है

116 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 117 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 118 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 119 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 55

संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शक्तियाँ संसद होगी।यह सवाल केवल जम्मू और कश्मीर ही नहीं बल्कि संघीय व्यवस्था के सभी राज्यों से संबंधित है।120

54. अनुच्छेद 370 के उपखंड (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति निरंकुश है क्योंकि (ए) अनुच्छेद 370 एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होता है।

“भारत के संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद;

और (बी) अनुच्छेद 370 का उपखंड (3) एक गैर-अस्थाई खंड के साथ शुरू होता है।

“ इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद।

राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग, इस प्रकार, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों सहित किसी भी संवैधानिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित नहीं है। 121 55.राष्ट्रपति की निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए "संविधान सभा" शब्द को "विधान सभा" से बदलना आवश्यक था।122

56. संसद को विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा क्योंकिः123

ए। अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत आपातकाल;

बी। राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की दृष्टि से राज्य के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय है कि प्रत्येक संघीय इकाई, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले; और

ग. भारत की संविधान सभा संविधान शक्ति का प्रयोग कर रही थी जबकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा "विधायी" शक्ति का प्रयोग कर रही थी।

57. अनुच्छेद 370 का खंड (3) एक असाधारण, अद्वितीय और अभूतपूर्व खंड है।अनुच्छेद 370 (3) की प्रकृति का कोई प्रावधान किसी भी संवैधानिक दस्तावेज या भारतीय संविधान के किसी भी

प्रावधान में मौजूद नहीं है।खंड (3) के तहत शक्ति को एक विशिष्ट नाम के तहत वर्गीकृत करना संभव नहीं है।अनुच्छेद 370 के खंड (3) के तहत शक्ति

120 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 121 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 122 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 123 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें

एक पूर्ण राष्ट्रपति शक्ति है, जिसे विशेष रूप से एक "अस्थायी" प्रावधान के लिए डिज़ाइन किया गया है।124

58. जहाँ तक जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंध है, अनुच्छेद 1 और भारत के संविधान के लागू होने से पहले भी स्थिति यह थीः125

ए। आई. ओ. ए. द्वारा, शासक ने अपना अधिकार समर्पण कर दिया; और

बी। 25 नवंबर 1949 की घोषणा द्वारा, शासक ने राज्य के संबंध के संबंध में अपनी पूर्ण शक्ति को आत्मसमर्पण कर दिया।59. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन एक शासक द्वारा किया गया था जिसने खुद अपनी संप्रभुता को आत्मसमर्पण कर दिया था।जम्मू और कश्मीर का संविधान नामक दस्तावेज़ और इसके निर्माण के लिए बनाया गया निकाय भारत के संविधान और भारत की संविधान सभा के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा और उसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर का संविधानः126 ए।1951 में महाराजा की घोषणा द्वारा गठित किया गया था जो पहले ही भारत में शामिल हो चुके थे;

बी। भारत के संविधान में पहले से ही जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 1 की अनुसूची के तहत शामिल करने के बाद इसका गठन किया गया था, जिससे यह किसी भी संप्रभुता से रहित भारत का हिस्सा बन गया;ग. एक नए राष्ट्र के लिए या शासन का एक स्वतंत्र मॉडल प्रदान करने के लिए दस्तावेजों के रूप में अपने शास्त्रीय अर्थों में तैयार नहीं किए गए थे।यह केवल राज्य के आंतरिक शासन के लिए एक विधायी अधिनियम था और भारत के संविधान के अधीन था; और

घ. एक सीमित जनादेश था और जम्मू और कश्मीर के भारतीय संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता था।60. राज्य का संविधान पूरी तरह से सरकार का एक गणराज्य रूप स्थापित नहीं करता है क्योंकि यह वास्तविक संप्रभु दस्तावेज यानी भारत के संविधान पर निर्भर था।127

124 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 125 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 126 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 127 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 57

61. भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से भारत संघ को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।राज्य का संविधान न तो संप्रभुता स्थापित करता है और न ही ऐसा करने का दावा करता है।प्रस्तावना इस तथ्य का संकेत है।128

62. एक मौलिक दस्तावेज बनने के लिए, एक संविधान में निर्विवाद संप्रभुता के कई पहलुओं को शामिल करना आवश्यक है, जिसमें नए क्षेत्र को प्राप्त करने की शक्ति भी शामिल है [जिसमें, अपने आप में अपने क्षेत्र को "सौंपने" की शक्ति शामिल है]।यह राज्य के संविधान में अनुपस्थित है क्योंकि यह पहले से ही अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संविधान का हिस्सा था। 129.

63. अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति अनिवार्य रूप से प्रत्येक दस्तावेज को निरस्त करने से पहले मानती है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए निरस्त किया जाना आवश्यक है कि भारत का पूरा संविधान बिना किसी बाधा या कानूनी बाधा के जम्मू और कश्मीर पर लागू हो।यह शक्ति अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 370 (3) के तहत भारत के राष्ट्रपति में निहित है।130

64. भारत के लोगों द्वारा प्रदत्त शक्ति से बहने वाला संविधान के रूप में जाना जाने वाला केवल एक सर्वोच्च दस्तावेज हो सकता है।अन्य सभी अधिनियम (चाहे वे संविधान के रूप में जाने जाते हों या अन्यथा) भारत के संविधान के अधीन हैं और ऐसे अन्य दस्तावेजों का निर्माण करने वाला निकाय भी भारत के संविधान के अधीन है।131 65.अनुच्छेद 367 का उपयोग पहले अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए किया गया था।यह अनुच्छेद 370 को संशोधित करने का एक वैध मार्ग है। 132

66. जब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, तो अनुच्छेद 3 (जो अकेले जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है) का दूसरा परंतुक लागू नहीं था।ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जारी सी. ओ. 272 ने किसी भी पिछले संवैधानिक आदेश के स्थान पर पूरे संविधान को राज्य पर लागू किया था।नतीजतन, संविधान के सभी 'संशोधनों' को हटा दिया गया और केवल पहला परंतुक था

128 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 129 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 130 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ

131 एस. बी. आई. बनाम संतोष गुप्ता, (2017) 2 एस. सी. सी. 538; श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें; श्री वी. के. बीजू, अधिवक्ता की लिखित दलीलें।

132 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल द्वारा तिथियों की सूची

बलपूर्वक।इसलिए, दूसरे परंतुक का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।133

67. अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति एक पूर्ण शक्ति है जिसका प्रयोग अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा के अस्तित्व के दौरान किया जा सकता है।राज्यों को पहले राज्य आपातकाल के दौरान पुनर्गठित किया गया है।134

68. अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की शक्ति है।135

69. अनुच्छेद 3 के तहत निर्णय की आवश्यकता पैदा करने वाली सामग्री की पर्याप्तता न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।136

70. याचिकाकर्ताओं ने विधानसभा के विघटन और अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल घोषित करने की घोषणा को चुनौती नहीं दी।उन्होंने केवल घोषणा के निर्वाह के दौरान की गई कार्रवाइयों को चुनौती दी।137

71. इस न्यायालय के लिए अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत शक्तियों पर सीमाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं है।138

72. राष्ट्रपति ने पहले भी अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है, तब भी जब राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू था।139 73.अनुच्छेद 370 (1) में प्रयुक्त "संशोधन" शब्द की व्याख्या संकीर्ण तरीके से नहीं की जा सकती है।यह राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होने वाले संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है।इसलिए, सी. ओ. 272 द्वारा अनुच्छेद 367 में खंड (4) को जोड़ना वैध है।140 74.जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान सभा द्वारा संवैधानिक शक्ति की निरंतरता का प्रयोग किया गया है।

133 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें 134 भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की लिखित दलीलें

135 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ; सुश्री दिव्या रॉय, अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ

136 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 137 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 138 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ 139 श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल की लिखित प्रस्तुतियाँ

140 श्री विक्रमजीत बनर्जी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें 59

राज्य संविधान की धारा 147 के तहत, विधानसभा अनुच्छेद 370 (3) के तहत आवश्यक सिफारिश प्रदान करने के लिए समान रूप से सक्षम है।141

75. संविधान के आने के साथ पूर्ववर्ती राज्यों का स्वतंत्र होना समाप्त हो गया।वास्तव में, उनकी संप्रभुता के हर निशान को विलय के दस्तावेजों के निष्पादन के साथ छोड़ दिया गया था और राज्य पूरी तरह से भारत के प्रभुत्व के साथ एकीकृत हो गए थे।142

76. अनुच्छेद 370 (3) में एक गैर-अस्थाई खंड है, जो अनुच्छेद 370 (1) और (2) को ओवरराइड करता है, जिसमें शर्तों के सही होने पर अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का प्रावधान है।143

77. 1954 के सी. ओ. 48 के माध्यम से प्रस्तुत अनुच्छेद 35-ए, जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है।यह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करते हुए कई मौलिक अधिकारों को लागू करता है।हालाँकि, यह अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत "अपवादों और संशोधनों" के दायरे से परे है।144

78. जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 6 के तहत संवैधानिक योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) के तहत संवैधानिक योजना का घोर उल्लंघन है।145

79. अनुच्छेद 370 के तहत गैर-अस्थाई खंड को संविधान के अनुच्छेद 368 के गैर-अस्थाई खंड को रास्ता देना चाहिए।146

80. जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान कई समस्याएं पैदा करते हैं, विशेष रूप से संपत्ति रखने के अधिकार, नागरिकता के अधिकार और बसने के अधिकार के संबंध में।147

81. भारत संघ के कार्य संविधान निर्माताओं के इरादे और संविधान की समझ के अनुरूप हैं।

141 श्री विक्रमजीत बनर्जी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की लिखित दलीलें

142 श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता 143 की लिखित दलीलें, श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता 144 की लिखित दलीलें, श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

145 दिव्या राय के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र रायज़ादा, अधिवक्ता रवींद्र रायज़ादा की लिखित दलीलें, दिव्या रॉय के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता 147 श्री बिमल रॉय जाड, वरिष्ठ अधिवक्ता की लिखित दलीलें।

जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त अनुच्छेद 370।148

82. राज्य की विधानसभा के विचार केवल तभी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब एक नया राज्य बनाया जाता है और नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के मामले में नहीं।149

83. जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जा रहा था।इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से, अनुच्छेद 370 (3) में 'संविधान सभा' शब्द का अर्थ 'विधान सभा' के रूप में किया जाना चाहिए था।' इस व्याख्या को सी. ओ. 272 के आधार पर वैधानिक रूप दिया गया था। 150

84. अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है।151

85. अनुच्छेद 35 ए देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।152

डी *।मुद्दे

86. संविधान पीठ के समक्ष निर्देश निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाता हैः

ए। क्या अनुच्छेद 370 के प्रावधान अस्थायी प्रकृति के थे या क्या उन्होंने संविधान में स्थायित्व का दर्जा प्राप्त किया था;बी। क्या अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 367 में संशोधन संवैधानिक रूप से मान्य है ताकि अनुच्छेद 370 के खंड (3) में "राज्य की संविधान सभा" शब्दों द्वारा निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा के संदर्भ को प्रतिस्थापित किया जा सके।ग. क्या अनुच्छेद 370 (1) (घ) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का पूरा संविधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता था;

घ. क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

* एड। ध्यान देंःभाग डी।

148 श्री अनिरुद्ध राजपूत, अधिवक्ता की लिखित दलीलें, श्री अपूर्व शुक्ला, अधिवक्ता की लिखित दलीलें

150 सुश्री अर्चना पाठक दवे, अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ श्री राहुल तनवानी की लिखित प्रस्तुतियाँ, अधिवक्ता की लिखित प्रस्तुतियाँ 152 सुश्री मधुष्मिता बोरा की लिखित प्रस्तुतियाँ 61

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति की कमी जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश के अभाव में संवैधानिक रूप से अमान्य है जैसा कि खंड (3) के परंतुक द्वारा अनिवार्य है।

ई. क्या जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 20 जून 2018 को राज्यपाल की घोषणा और उसके बाद 21 नवंबर 2018 को जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 53 (2) के तहत विधानसभा को भंग करने के लिए शक्ति का प्रयोग संवैधानिक रूप से मान्य है;

च. क्या राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर 2018 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई घोषणा और उसके बाद के विस्तार संवैधानिक रूप से मान्य हैं;

छ. क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) में विभाजित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक रूप से मान्य हैः

आई. अनुच्छेद 3 का पहला परंतुक जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को निर्दिष्ट करने वाले विधेयक को उसके विचारों के लिए राज्य के विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए; और

ii.अनुच्छेद 3 का दूसरा परंतुक जिसमें संसद में विधेयक पेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या राज्य की सीमा का नाम बदलने के लिए राज्य

विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है;ज. चाहे अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा के कार्यकाल के दौरान, और जब राज्य की विधानसभा या तो भंग हो जाती है या निलंबित एनिमेशन में होती है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 (3) (ए) के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति और अनुच्छेद 1 (3) (बी) के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

ई *।विश्लेषण

आई. जम्मू और कश्मीर राज्य के पास संप्रभुता नहीं थी

* एड। ध्यान देंःभाग ई।

87. कुछ याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारतीय संघ में शामिल होने पर संप्रभुता के एक तत्व को बनाए रखा।उन्होंने तर्क दिया कि आई. ओ. ए. ने रक्षा, विदेशी संबंध और दूरसंचार के विषयों पर नियंत्रण सौंपकर भारत संघ को 'बाहरी संप्रभुता' सौंप दी, लेकिन राज्य ने 'आंतरिक संप्रभुता' को बनाए रखा क्योंकिः

ए। जम्मू और कश्मीर और भारत के बीच संबंधों का इतिहास;

बी। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन;ग. जम्मू और कश्मीर के संविधान को अपनाना; और घ।रक्षा, विदेशी संबंध और दूरसंचार को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति।

उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद 370 राज्य द्वारा बरकरार रखी गई संप्रभुता को समाप्त कर दे। जवाब में, भारत संघ ने यह तर्क दिया कि राज्य के पास निहित किसी भी संप्रभुता को आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर के साथ सौंप दिया गया था। संघ ने तर्क दिया कि संवैधानिक योजना (भारतीय संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान दोनों की) यह संकेत नहीं देती है कि संप्रभुता का कोई भी तत्व राज्य द्वारा बनाए रखा गया था।यह सवाल कि क्या राज्य ने संप्रभुता के किसी भी तत्व को बनाए रखा है, एक प्राथमिक मुद्दा है जो इस न्यायालय के समक्ष अन्य मुद्दों पर होगा।

ए। संप्रभुता का अर्थ

88. राजनीतिक सिद्धांत, कानून और दर्शन में संप्रभुता के अलग-अलग अर्थ हैं।यहाँ तक कि इन तथ्यों के भीतर भी, इसकी सामग्री के बारे में कोई निश्चित अर्थ नहीं है।हॉब्स से लेकर लॉक से लेकर रूसो तक यूरोपीय दार्शनिकों ने संप्रभुता पर विचार-विमर्श किया और इसका अर्थ सदियों से विकसित हुआ है।जबकि इसे शुरू में एक व्यक्ति (आम तौर पर, सम्राट) के भीतर रहने के रूप में माना जाता था, अब इसे एक निकाय या समूह के भीतर आराम करने के लिए सोचा जाता है।

89. इसकी सटीक सामग्री पर सहमति के अभाव के बावजूद, इस बात पर व्यापक सहमति है कि कानूनी संप्रभुता तब मौजूद होती है जब किसी निकाय के पास असीमित या अप्रतिबंधित विधायी शक्ति या अधिकार होता है और जब कोई अन्य उससे श्रेष्ठ नहीं होता है।153 यह

153 उदाहरण के लिए, संविधान का कानून (8 वां संस्करण) देखें। 1915); ऑस्टिन, न्यायशास्त्र (चौथा संस्करण। 1873); जॉन डिकिंसन, संप्रभुता I का एक कार्य सिद्धांत, राजनीति विज्ञान त्रैमासिक, खंड 42, अंक 4, दिसंबर 1927, पृष्ठ 524-548; 63

यह इंगित करता है कि एक संप्रभु प्राधिकरण के पास कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है और वह किसी अन्य इकाई के अधीन नहीं है।संविधान के कानून में, डाइसी ने कहाः“हालाँकि, यह ध्यान से ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'संप्रभुता' शब्द, जब तक कि यह उस अर्थ में सटीक रूप से उपयोग किया जाता है जिसमें ऑस्टिन कभी-कभी इसका उपयोग करता है, केवल एक कानूनी अवधारणा है, और इसका अर्थ है किसी भी कानूनी सीमा से अप्रतिबंधित कानून बनाने की शक्ति।

किसी निकाय के लिए उपलब्ध शक्ति की असीमित प्रकृति पर बल अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास और शक्ति के प्रयोग पर अन्य आधुनिक सीमाओं के साथ कम हो गया है।155 जबकि 'संप्रभुता' अभिव्यक्ति का अर्थ पहले यह समझा जाता था कि संप्रभु संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार या कानून के रूप को लागू कर सकता है, आधुनिक कानूनी प्रणालियाँ उन कानूनों की प्रकृति को सीमित करती हैं जिन्हें संवैधानिक या अन्य प्रतिबंधों द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। इसलिए, संप्रभुता का पहलू जिसमें किसी अन्य निकाय के अधीनता की आवश्यकता नहीं होती है, पारंपरिक पहलू की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें शक्ति को असीमित होने की आवश्यकता होती है।

90. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में स्पष्ट संप्रभुता का अर्थ बाहरी संप्रभुता का नहीं बल्कि आंतरिक संप्रभुता का वर्णनात्मक है।पूर्व को आम तौर पर अन्य राष्ट्रों के संबंध में एक राष्ट्र की स्वतंत्रता के रूप में समझा जाता है, जबकि उत्तरार्द्ध "भीतर संप्रभुता" का संबंध है।

राज्य के भीतर व्यक्तियों और संघों के लिए राज्य।” 156 बाहरी

और आंतरिक संप्रभुता पूरी तरह से अलग अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग पहलू हैं।धीरे-धीरे इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाने लगा है।157 डाइसी की टिप्पणी (ऊपर निकाली गई) स्पष्ट रूप से आंतरिक संप्रभुता के संदर्भ में है क्योंकि कानून बनाने की अप्रतिबंधित शक्ति दो राष्ट्रों के बीच संबंधों के विपरीत, एक राज्य के भीतर व्यक्तियों और संघों से संबंधित है।

91. ओर्फी एल्ड ने संप्रभुता के विषय पर साहित्य का अध्ययन किया।अध्ययन में आंतरिक संप्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया हैः

154 डाइस, संविधान का कानून (8 वां संस्करण। 1915) 70 पर

155 भारत संघ बनाम सुकुमार सेनगुप्ता, 1990 एस. सी. सी. 545

156 लेस्टर बी ऑर्फी एल्ड, संघीय संविधान का संशोधन (2012)

157 सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का मैक्स प्लैंक विश्वकोश, 'संप्रभुता' ऑक्सफोर्ड सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून//ओपिल।ओपलॉ।कॉम/डिस्प्ले/10.1093/law:एपिल/9780199231690/लॉ-9780199231690-ई 1472>

ए। यह तथ्य के रूप में या तथ्य और कानून के रूप में मौजूद है।हालाँकि किसी राज्य के कानून को अनिवार्य रूप से मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह संप्रभु को मान्यता दे सकता है।

बी। संप्रभु शक्ति इस मायने में निरपेक्ष है कि किसी भी विषय पर कानून पारित किया जा सकता है।

ग. यह अविभाज्य है।

घ. संप्रभु द्वारा पारित कानून को विशेष मामलों में लागू करने की आवश्यकता नहीं है; और

ङ. कानूनी संप्रभुता निर्धारित होती है।यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है।

92. भारत में संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है।158 भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम, जनता, एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं,

इस संविधान को लागू करें और खुद को सौंप दें।" संविधान नहीं था

एक बाहरी प्राधिकरण जैसे कि औपनिवेशिक शक्ति या उसके सम्राट द्वारा अपनाया गया।संविधान अपने अस्तित्व का श्रेय रियासतों के शासकों जैसे आंतरिक प्राधिकरण को नहीं देता है।

93. लोगों की आवाज संविधान सभा में गूंजी, हालांकि यह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव द्वारा नहीं बनाई गई थी।16 मई 1946 को, कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया कि हालांकि संविधान सभा के गठन का "सबसे संतोषजनक तरीका" वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा, लेकिन इससे "पूरी तरह से अस्वीकार्य देरी" होगी।इस प्रकार, योजना ने निर्धारित किया कि सबसे "व्यावहारिक पाठ्यक्रम" "हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को चुनाव निकायों के रूप में उपयोग करना है।" कैबिनेट मिशन ने विधानसभा के गठन के लिए निम्नलिखित योजना का प्रस्ताव रखाः

ए। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आनुपातिक सीटों की कुल संख्या, लगभग एक से दस लाख के अनुपात में, वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए निकटतम विकल्प के रूप में आवंटित करना;

बी। प्रत्येक प्रांत में मुख्य समुदायों के बीच सीटों के अपने प्रांतीय आवंटन को उनकी आबादी के अनुपात में विभाजित करना; और

158 इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975 पूरक एस. सी. सी. 1; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ, (2018) 8 एस. सी. सी. 501 65

ग. यह प्रावधान करना कि किसी प्रांत में प्रत्येक समुदाय को आवंटित प्रतिनिधियों का चुनाव उस समुदाय के सदस्यों द्वारा उसकी विधान सभा में किया जाएगा।

मुसलमान, सिख और 'जनरल' (वे सभी व्यक्ति जो मुसलमान या सिख नहीं थे) को तीन मुख्य समुदायों के रूप में मान्यता दी गई थी।हालाँकि, चूंकि इस पद्धति के माध्यम से छोटे अल्पसंख्यकों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, इसलिए यह प्रस्ताव किया गया था कि नागरिकों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी और बहिष्कृत समूहों के अधिकारों पर सलाहकार समिति में "प्रभावित हितों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उनका कार्य मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खंड, और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक योजना पर संघ संविधान सभा को रिपोर्ट करना और यह सलाह देना होगा कि क्या इन अधिकारों को प्रांतीय, समूह या केंद्रीय संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।"

94. संविधान सभा के चुने जाने के बाद भी आम जनता संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में लगी हुई थी।फरवरी 1948 में, प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान 1948 के मसौदे को प्रकाशित किया गया और व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।संविधान के मसौदे की प्रतियां एक रुपये में बेची गईं, जिन पर जनता सहित कई नागरिक निकायों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।159 इस प्रकार, भारत के लोगों ने-समग्र रूप से-संविधान सभा के माध्यम से संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और खुद को देने के लिए अपनी संप्रभु राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया।संविधान को अपनाने के परिणामस्वरूप, लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग करते हैं।160

95. जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता बरकरार रखी है या नहीं, यह निर्णय देते समय इस न्यायालय द्वारा जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, वह दो गुना हैःसबसे पहले, क्या जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपने लोगों से अलग संप्रभुता बनाए रखी?यदि नहीं, तो क्या जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग अलग-अलग राज्यों में रहने वाले भारत के नागरिकों द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग से अलग है?इन और संबंधित मुद्दों के उत्तर को उन ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में समझा जाएगा जिन्होंने हमारे अतीत को आकार दिया है और वर्तमान पर उनका प्रभाव बना हुआ है।

159 शिवा राव, द फ्रेमिंग ऑफ़ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, IV, पृ. 3-4

160 राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम भारत संघ, (2018) 8 एस. सी. सी. 501

बी। भारत संघ और जम्मू और कश्मीर का इतिहास

96. 1834 में, जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह की सेना की कमान संभालने वाले जनरल ज़ोरावर सिंह ने लद्दाख पर आक्रमण किया।लद्दाख डोगरा शासन के तहत आया और 1846 में जम्मू और कश्मीर राज्य में शामिल किया गया।1841-42 में चीन-सिख युद्ध के दौरान, किंग साम्राज्य ने लद्दाख पर आक्रमण किया लेकिन चीन की तिब्बती सेना हार गई।9 मार्च 1846 को लाहौर के महाराजा और ब्रिटिश सरकार के बीच लाहौर की संधि को लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया।1947 में विभाजन के समय, लद्दाख जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा था और इसे श्रीनगर से प्रशासित किया जाता था।

97. लाहौर की संधि के बाद, ब्रिटिश सरकार ने 16 मार्च 1846 को अमृतसर की संधि को लागू किया, जिसके अनुसार चंबा सहित सिंधु नदी के पूर्व और रावी नदी के पश्चिम में स्थित पहाड़ी पहाड़ी देश, और लाहौल को छोड़कर, ब्रिटिश सरकार द्वारा जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को हस्तांतरित कर दिया गया था।महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु 30 जून 1857 को हुई और उनके पुत्र महाराजा रणबीर सिंह ने उनका स्थान लिया।प्रारंभ में, राज्य पर एक राजशाही के रूप में शासन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, संप्रभुता सम्राट में निहित थी।

98. 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के बाद, औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे या नियंत्रण में क्षेत्र ब्रिटिश सम्राट के पास निहित थे, जिनके नाम पर भारत को शासित किया जाना था।महाराजा रणबीर सिंह की मृत्यु 1885 में हुई और महाराजा प्रताप सिंह उनके उत्तराधिकारी बने।

99. 30 अगस्त 1889 को ब्रिटिश संसद ने व्याख्या अधिनियम 1889 लागू किया।धारा 18 (4) ने ब्रिटिश भारत अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में शामिल करने के लिए बाध्य किया:“महामहिम के प्रभुत्व वाले सभी क्षेत्र और स्थान जो कुछ समय के लिए भारत के गवर्नर-जनरल के माध्यम से महामहिम द्वारा शासित हैं।

100. "भारत" शब्द को धारा 18 (5) में शामिल किया गया था:“ब्रिटिश भारत, भारत के गवर्नर-जनरल के माध्यम से महामहिम के आधिपत्य के तहत देशी राजकुमार या प्रमुख के किसी भी क्षेत्र के साथ प्रयोग किया जाता था।

और कश्मीर ऐसा था कि बाहरी संप्रभुता क्राउन के पास थी।101. महाराजा प्रताप सिंह के बाद 1925 में जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने पदभार संभाला।20 अप्रैल 1927 को, महाराजा द्वारा जारी एक अधिसूचना में "राज्य विषय" शब्द की अवहेलना की गई थी, जिसके संदर्भ में "राज्य विषय" को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जो बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 ए के तहत जम्मू और कश्मीर के "स्थायी निवासी" शब्द की अवहेलना का आधार बनने वाले थे, जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है।

102. महाराजा हरि सिंह ने 22 अप्रैल 1934 को संवत 1991 का विनियमन संख्या 1 अधिनियमित किया जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए 'प्रजा सभा' नामक एक विधान सभा की स्थापना की।प्रजा सभा को कुछ विधायी कार्य सौंपते हुए, महाराजा हरि सिंह ने सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक मामलों पर सर्वोच्चता बनाए रखी।यह पूर्ववर्ती खंड में चर्चा किए गए इसके अर्थ के संदर्भ में आंतरिक संप्रभुता का संकेत था।

103. भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा, जिसे 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, भारत की स्थापना एक संघ के रूप में की गई थी जिसमें राज्यपालों के प्रांत, मुख्य आयुक्तों के प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे जो भारत संघ में शामिल हुए थे या होंगे। भाग II का शीर्षक था 'भारतीय संघ' और भाग का अध्याय I 'संघ की स्थापना और भारतीय राज्यों के विलय' के लिए प्रदान किया गया था।धारा 5 में भारतीय संघ की घोषणा का प्रावधान किया गया है।161 धारा 6 सक्षम की गई

161 धारा 5-भारतीय संघ की घोषणा

(1) यदि महामहिम के लिए यह विधिसम्मत होगा कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उनके समक्ष इस संबंध में कोई संबोधन प्रस्तुत किया गया है और यदि इसके बाद उल्लिखित शर्त संतुष्ट हो जाती है, तो घोषणा द्वारा यह घोषणा करना कि उसमें नियुक्त किए गए दिन से-भारत संघ के नाम से क्राउन के तहत एक संघ में एकजुट होगा-(ए) वे प्रांत जिन्हें इसके बाद राज्यपालों के प्रांत कहा जाता है; और

(ख) वे भारतीय राज्य जो संघ में शामिल हो गए हैं या उसके बाद शामिल हो सकते हैं और इस तरह से स्थापित संघ में वे प्रांत शामिल होंगे जिन्हें इसके बाद मुख्य आयुक्तों के प्रांत कहा जाएगा।

(2) उल्लिखित शर्त यह है कि राज्य -

(क) जिसके शासक, इस अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग II में निहित प्रावधानों के अनुसार, राज्य परिषद के कम से कम बयालीस सदस्यों को चुनने के हकदार होंगे; और

(ख) कुल जनसंख्या, जिसका उक्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारण किया गया है,

किसी भारतीय/रियासत के शासक को एक आई. ओ. ए. को निष्पादित करने के लिए यह घोषणा करते हुए कि वह दस्तावेज़ की शर्तों के अधीन भारतीय संघ में शामिल हो गया है।जम्मू और कश्मीर राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था।इसलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान धारा 6 के अनुसार महाराजा द्वारा आई. ओ. ए. के निष्पादन पर ही लागू होंगे। 104.जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम 1939 को 7 सितंबर 1939 को लागू किया गया था।जबकि महाराजा हरि सिंह ने सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों पर संप्रभुता और सर्वोच्चता बनाए रखी, अधिनियम की धारा 23 ने प्रजा सभा को धारा 24 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन पूरे जम्मू और कश्मीर राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया।इस अधिनियम ने कार्यकारी कार्यों को एक परिषद के साथ निहित किया जिसमें एक प्रधानमंत्री और शासक द्वारा नियुक्त अन्य मंत्री

शामिल थे।अधिनियम ने उच्च न्यायालय (जिसे 1928 में स्थापित किया गया था) को दीवानी मुकदमों और दीवानी, आपराधिक और राजस्व अपीलों पर अधिकार क्षेत्र के साथ एक रिकॉर्ड न्यायालय होने का प्रावधान किया।

105. मई 1946 में, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने 'राज्य की संधियाँ और सर्वोच्चता' शीर्षक से एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया था कि भारत में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना के बाद, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और उनके संबंधित क्षेत्रों पर सर्वोपरि शक्ति संबंधित रियासतों को वापस मिल जाएगी।इसने परिकल्पना की कि राज्य उत्तराधिकारी सरकार के साथ संघीय संबंध बना सकते हैं।16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया था।वक्तव्य के पैराग्राफ 15 (1) और 15 (4) के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना ने एक ऐसे भारत संघ की सिफारिश की जिसमें संघ का रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर नियंत्रण होगा, जबकि राज्यों का उन सभी अन्य विषयों पर अधिकार क्षेत्र बना रहेगा जो संघ को नहीं सौंपे गए थे।

106. इस बीच, संविधान सभा का चुनाव किया गया और देश के लिए शासन के रूप पर विचार-विमर्श करने और इसके लिए एक संविधान बनाने के लिए एक साथ आई।संविधान सभा में देश भर से एक व्यापक-आधारित प्रतिनिधित्व शामिल था जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होते रहे। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में,

राज्यों की कुल आबादी का कम से कम आधा हिस्सा, जैसा कि इस प्रकार निर्धारित किया गया है, संघ में शामिल हो गया है।

भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपने पहले सत्र के लिए बैठक की। 107.22 जनवरी 1947 को, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें घोषित किया गया था कि "प्रथम और गंभीर"

भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का संकल्प।”

पैराग्राफ 2,3,4 और 7 ने घोषणा की किः“(2) जहाँ अब ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र, वे क्षेत्र जो अब भारतीय राज्यों का निर्माण करते हैं, और भारत के ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत और राज्यों के बाहर हैं, साथ ही साथ ऐसे अन्य

स्वतंत्र संप्रभु भारत में गठित होने के इच्छुक क्षेत्र उन सभी का एक संघ होगा; और

(3) जहाँ उक्त क्षेत्र, चाहे वे अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ हों या ऐसे अन्य क्षेत्रों के साथ जो संविधान सभा द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और उसके बाद संविधान के कानून के अनुसार, उनके पास होंगे।

और स्वायत्त इकाइयों की स्थिति को अवशिष्ट के साथ बनाए रखें।

शक्तियाँ, और सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग, ऐसी शक्तियों और कार्यों को छोड़कर जो संघ में निहित हैं या संघ को सौंपी गई हैं या जो संघ में अंतर्निहित या निहित हैं या जिसके परिणामस्वरूप हैं; और

(4) जहाँ संप्रभु स्वतंत्र भारत, उसके घटक भागों और सरकार के अंगों की सभी शक्तियाँ और अधिकार लोगों से प्राप्त होते हैं; और

…

(7) जहाँ न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर इसके संप्रभु अधिकारों को बनाए रखा जाएगा;

…"

(जोर दिया गया) 108।उद्देश्य प्रस्ताव इस चर्चा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता के एक तत्व को बनाए रखा है क्योंकि यह भारत में विलय के परिणामों के बारे में संविधान निर्माताओं की समझ को दर्शाता है।निस्संदेह, रियासतों के शासकों को समकालीन और समानांतर समझ थी

परिग्रहण के परिणाम-संप्रभुता का नुकसान।वास्तव में, यह उन कारकों में से एक था (यदि मुख्य कारक नहीं था) जिसके कारण कुछ रियासतें (जैसे हैदराबाद) भारत में शामिल होने में संकोच करती थीं।उद्देश्य संकल्प के निम्नलिखित भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:क. पैराग्राफ 2 ने संकेत दिया कि जो क्षेत्र शामिल होंगे, वे भारत के संप्रभु देश में शामिल होंगे।

ख. पैराग्राफ 3 ने संकेत दिया कि विलय करने वाले क्षेत्र कुछ स्तर की स्वायत्तता बनाए रखेंगे (जो संप्रभुता से अलग है);ग. पैराग्राफ 4 ने संकेत दिया कि भारत की संप्रभुता समग्र रूप से उसके लोगों से प्राप्त हुई थी।इसमें शामिल होने वाले क्षेत्रों के लोग शामिल थे; और

घ. पैराग्राफ 7 ने इस बात को पुष्ट किया कि संप्रभुता की केंद्रीयता पूरे देश के लोगों के साथ निहित है।

109. 20 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि:

ए। ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी; और

बी। रियासतों का भविष्य वित्तीय हस्तांतरण की तारीख निर्धारित होने के बाद तय किया जाएगा।

110. 3 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक समझौता किया, इस समझौते को 'माउंटबेटन योजना' के रूप में जाना जा रहा है।अन्य बातों के साथ-साथ माउंटबेटन योजना की परिकल्पना की गईः

ए। ब्रिटिश भारत का विभाजन;

बी। उत्तराधिकारी सरकारों को अधिराज्य का दर्जा देना;ग. भारत और पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता और संप्रभुता;घ. दोनों देशों द्वारा संविधानों को अपनाना; और

ई. रियासतों के लिए भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प।111. 13 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, मुहम्मद अली जिन्ना, 71 के साथ एक बैठक बुलाई थी।

लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल निश्तर और सरदार बलदेव सिंह, जिन पर राज्यों के विभाग के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।यह परिकल्पना की गई थी किः

“कि यह लाभप्रद होगा यदि भारत सरकार राज्यों के साथ सामान्य चिंता के मामलों से निपटने के लिए एक नया विभाग स्थापित करे, जिसे संभवतः "राज्य विभाग" कहा जाता है; कि यदि ऐसा किया जाता है, तो नए विभाग को दो खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो देश के विभाजन के लिए तैयार हैं और मौजूदा राजनीतिक विभाग और राजनीतिक सलाहकार को इस नए विभाग के गठन में हर संभव सहायता और सलाह देनी चाहिए।

112. 15 जून 1947 को राज्यों पर कांग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटिश दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि सर्वोच्चता की चूक के परिणामस्वरूप स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा।इसमें कहा गया है किः

“समिति ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिपादित और व्याख्या किए गए सर्वोच्चता के सिद्धांत से सहमत नहीं है, लेकिन अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो भी सर्वोच्चता की चूक के कारण होने वाले परिणाम सीमित हैं।विशेषाधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ राज्यों और भारत सरकार के बीच मौजूद अधिकारों को सर्वोपरि होने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।इन अधिकारों और दायित्वों पर अलग से विचार किया जाना चाहिए और आपसी समझौते द्वारा नवीनीकरण या परिवर्तन किया जाना चाहिए।भारत सरकार और राज्यों के बीच संबंध सर्वोच्चता की चूक से समाप्त नहीं होंगे।इस चूक से राज्यों को स्वतंत्रता नहीं मिलती है।”

ब्रिटिश सरकार और भारतीय निकाय स्पष्ट रूप से इस बात पर असहमत थे कि क्या सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी।

113. 25 जून 1947 को, भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार और भारतीय राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में एक राज्य विभाग की स्थापना के लिए 27 जून 1947 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की।विज्ञप्ति में कहा गया हैः

“राजनीतिक विभाग के समाप्त होने पर उत्तराधिकारी सरकार में से प्रत्येक के पास भारतीय राज्यों के साथ अपने संबंधों का संचालन करने के लिए एक संगठन होगा, इसके लिए महामहिम वायसराय ने मंत्रिमंडल के परामर्श से केंद्र सरकार और भारतीय राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों से निपटने के लिए राज्य विभाग नामक एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया है।यह विभाग होगा

सरदार पटेल के प्रभारी, जो सरदार अब्दुर रब निश्तर के परामर्श से काम करेंगे।नए विभाग को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा और इसका काम इस तरह से वितरित किया जाएगा कि उचित समय पर इसे बिना किसी विस्थापन के दोनों उत्तराधिकारी सरकारों के बीच विभाजित किया जा सके।”

114. 3 जुलाई 1947 को, सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह को पत्र लिखकर कहा कि "कश्मीर के हित बिना किसी देरी के भारतीय संघ और उसकी संविधान सभा में शामिल होने में निहित हैं" और "इसका पिछला इतिहास और परंपरा इसकी मांग करती है, और भारत आपकी ओर देखता है और आपसे यह निर्णय लेने की उम्मीद करता है।"

115. राज्य विभाग सरदार पटेल की अध्यक्षता वाले गृह मंत्रालय का एक हिस्सा था।5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने निम्नलिखित बयान जारी कियाः

“मेरे पास भारतीय राज्यों के शासकों से कहने के लिए कुछ शब्द हैं, जिनमें से कई को अपने व्यक्तिगत मित्र के रूप में गिनकर मुझे खुशी हो रही है।यह इतिहास का सबक है कि उनकी राजनीतिक खंडित स्थिति और एकजुट रुख बनाने में हमारी असमर्थता के कारण भारत ने आक्रमणकारियों की लगातार लहरों के आगे घुटने टेक दिए।अतीत में हमारे आपसी संघर्ष और आपसी झगड़े और ईर्ष्या हमारे पतन और कई बार विदेशी प्रभुत्व के शिकार होने का कारण रहे हैं। हम फिर से उन गलतियों या जाल में फंसने का साहस नहीं कर सकते।हम स्वतंत्रता की दहलीज पर हैं।

…

लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस अलगाव के बावजूद एक मौलिक सजातीय संस्कृति और भावना जो आपसी हितों के बाध्यकारी तर्क द्वारा प्रबलित है, हम पर शासन करती रहेगी।अपने भौगोलिक निकटता और अघुलनशील संबंधों, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के कारण शेष भारत के साथ आपसी मित्रता और सहयोग के संबंधों को बनाए रखने वाले अधिकांश राज्यों के मामले में यह और भी अधिक होगा।इन राज्यों के साथ-साथ भारत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसके विभिन्न हिस्सों के बीच एकता और आपसी सहयोग की आवश्यकता है।

…

मुझे नहीं लगता कि यह उनकी इच्छा हो सकती है कि वे प्रभुत्व से इस स्वतंत्रता का उपयोग इस तरह से करें जो भारत के सामान्य हितों के लिए हानिकारक हो या जो लोकप्रिय हितों की सर्वोच्चता के खिलाफ हो।

कल्याण या जिसके परिणामस्वरूप पिछली शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के बीच विकसित हुए उस पारस्परिक रूप से उपयोगी संबंध को त्याग दिया जा सकता है।यह इस तथ्य से काफी हद तक प्रदर्शित हुआ है कि भारतीय राज्यों का एक बड़ा बहुमत पहले ही संविधान सभा में आ चुका है।जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उनसे मैं अपील करता हूं कि वे अभी शामिल हों।राज्यों ने पहले ही इस बुनियादी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के लिए वे भारतीय संघ में आएंगे।हम इन तीन विषयों पर प्रवेश की तुलना में उनमें से अधिक की उम्मीद करते हैं जिसमें देश के सामान्य हित शामिल हैं।

…

न ही राज्यों के साथ नए विभाग के संबंधों को किसी भी तरह से संचालित करना मेरी नीति होगी जो दूसरे पर एक के प्रभुत्व का स्वाद लेती है; यदि कोई वर्चस्व होगा, तो यह हमारे आपसी हितों और कल्याण का होगा।

…

आने वाली पीढ़ियाँ हमें इस बात के लिए शाप न दें कि हमें अवसर मिला था, लेकिन वे इसे हमारे आपसी लाभ में बदलने में विफल रहे।इसके बजाय, यह हमारा गौरवपूर्ण विशेषाधिकार होना चाहिए कि हम पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों की विरासत छोड़ें जो इस पवित्र भूमि को दुनिया के राष्ट्रों के बीच अपने उचित स्थान पर ले जाए और इसे शांति और समृद्धि के निवास में बदल दे।"

116. 10 जुलाई 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के दूसरे पठन के दौरान, प्रधान मंत्री एटली ने निम्नलिखित बयान दियाः"राज्यों के साथ हमारे सभी संबंधों में एक विशेषता यह रही है कि क्राउन ने उनके विदेशी संबंधों का संचालन किया है।उन्हें पूरे भारत से स्वतंत्र रूप से कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है।संधियों और समझौतों की समाप्ति के साथ, राज्यों को अपनी स्वतंत्रता फिर से मिल जाती है।लेकिन

वे भौगोलिक भारत का हिस्सा हैं, और उनके शासक और लोग ब्रिटिश भारत में अपने साथी भारतीयों की देशभक्ति से कम महान नहीं हैं।मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि क्राउन के साथ उनके सर्वोच्च संबंधों के औपचारिक विच्छेद के कारण, वे शेष भारत से कटे हुए द्वीप बन जाते।क्राउन के साथ उनके मौजूदा संबंधों की समाप्ति का ऐसा कोई परिणाम नहीं है।

…

यह महामहिम की सरकार की आशा है कि सभी राज्य, नियत समय में, और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक या दूसरे नए प्रभुत्व के भीतर अपना उचित स्थान प्राप्त करेंगे, लेकिन जब तक उपनिवेशों के संविधान इस तरह से तैयार नहीं किए जाते हैं कि राज्यों को इच्छुक भागीदारों के रूप में शामिल किया जाए, तब तक उनके बीच संबंध का एक कम जैविक रूप होना चाहिए, और एक व्यापक प्रणाली पर काम करने से पहले एक अवधि होनी चाहिए।"

(जोर दिया गया) यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार के भीतर भी, सर्वोपरि होने के सटीक व्यावहारिक प्रभावों के बारे में अनिश्चितता थी।

117. 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया।धारा 1 (1) के संदर्भ में, दो स्वतंत्र अधिराज्य-भारत और पाकिस्तान-की स्थापना 15 अगस्त 1947 से की जानी थी।धारा 7 (1) (बी) ने निर्धारित किया कि स्वतंत्रता के बाद, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और उन राज्यों के शासकों के पास वापस आ जाएगी। नतीजतन, संप्रभु राज्यों के रूप में, 562 रियासतों के पास स्वतंत्र रहने या इस अधिनियम द्वारा स्थापित दो उपनिवेशों में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। धारा 8 में कहा गया है कि एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान शर्तों के अधीन दोनों उपनिवेशों पर लागू होते रहेंगे।धारा 9 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत के गवर्नर-जनरल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश 1947 जारी किया जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों को भारत में तब तक लागू किया जब तक कि अन्य प्रावधान संविधान सभा द्वारा लागू नहीं किए जाते।धारा 6 आई. ओ. ए. के निष्पादन के माध्यम से भारत में रियासतों के विलय से संबंधित है। धारा 6 निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई है:"धारा 6.भारतीय राज्यों का विलयः-

(1) एक भारतीय राज्य को डोमिनियन में शामिल माना जाएगा यदि गवर्नर-जनरल ने उसके शासक द्वारा निष्पादित विलय के दस्तावेज की अपनी स्वीकृति को इंगित किया है जिसके द्वारा राज्य की ओर से शासकः-

(क) घोषणा करता है कि वह इस इरादे से डोमिनियन में प्रवेश करता है कि गवर्नर-जनरल,

और अधिराज्य के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य अधिराज्य प्राधिकरण, उसके विलय के दस्तावेज के आधार पर, लेकिन हमेशा उसकी शर्तों के अधीन रहते हुए, और केवल अधिराज्य के उद्देश्यों के लिए, राज्य के संबंध में ऐसे कार्यों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम के तहत आदेश द्वारा उनमें निहित किए जा सकते हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने का दायित्व मानता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए राज्य के भीतर प्रभाव अधिनियम दिया गया है, जहां तक वे विलय के दस्तावेज के आधार पर लागू होते हैं। (2) विलय के दस्तावेज़ में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन्हें शासक उन मामलों के रूप में स्वीकार करता है जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है, और सीमाएं, यदि कोई हों, जिनके लिए डोमिनियन विधानमंडल की राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति और राज्य में डोमिनियन के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग, क्रमशः विषय हैं।

(3) एक शासक, अपने द्वारा निष्पादित और गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकार किए गए एक पूरक दस्तावेज द्वारा, अपने राज्य के विलय के दस्तावेज को उन कार्यों का विस्तार करके बदल सकता है जो उस दस्तावेज के आधार पर किसी भी डोमिनियन प्राधिकरण द्वारा अपने राज्य के संबंध में प्रयोग किए जा सकते हैं।"

राज्य विभाग द्वारा सामान्य आई. ओ. ए. और स्थिर समझौतों का मसौदा तैयार किया गया था।

118. भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली।विभाजन के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के दो उपनिवेशों की स्थापना हुई।अंग्रेजों की सर्वोच्चता समाप्त हो गई।जिन रियासतों ने किसी भी डोमिनियन के साथ आई. ओ. ए. को निष्पादित नहीं किया था, वे स्वतंत्र राज्य बन गए। इनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर शामिल थे।एक बार फिर, जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता शासक महाराजा हरि सिंह के हाथ में थी।

119. जम्मू और कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर किए।27 सितंबर 1947 को, नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि "पाकिस्तान की रणनीति अब कश्मीर को प्रभावित करने और आने वाली सर्दियों के कारण कश्मीर के कमोबेश अलग-थलग होने पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने की है।"

120. इसके तुरंत बाद, 26 अक्टूबर 1947 को, महाराजा हरि सिंह ने अपनी सरकार से तत्काल सहायता का अनुरोध करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को एक संदेश संबोधित किया।पत्र में कहा गया है कि महाराजा यह तय करने के लिए समय चाहते थे कि उन्हें किस अधिराज्य में शामिल होना चाहिए या क्या यह राज्य के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर दोनों के हित में होगा कि वे "स्वतंत्र रहें।"" महाराजा ने ठहराव समझौते के बावजूद पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के लिए गंभीर खतरे का उल्लेख किया।121. राज्य की स्थितियों और "स्थिति के बड़े आपातकाल" को ध्यान में रखते हुए, महाराजा ने कहा कि उनके पास भारतीय डोमिनियन से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, साथ ही यह स्वीकार करते हुए कि भारत जम्मू और कश्मीर को भारत के डोमिनियन में शामिल किए बिना उनके द्वारा मांगी गई मदद नहीं भेज सकता था।महाराजा ने भारत संघ में शामिल होने का फैसला किया।विलय के बाद यह उल्लेख किया गया कि यदि जम्मू और कश्मीर राज्य को बचाया जाना है तो श्रीनगर में तत्काल सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।"

122. महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर किए।महाराजा ने कहा कि वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में ऐसा कर रहे थे जो किसी भी भारतीय राज्य को शासक द्वारा आई. ओ. ए. के निष्पादन द्वारा भारत डोमिनियन में शामिल होने में सक्षम बनाता है।महाराजा ने मेरे उक्त राज्य में और उस पर मेरी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए भारत अधिराज्य को स्वीकार कर लिया।" परिणामस्वरूप, जब अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता समाप्त हो गई तो राज्य द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता को भारत संघ को सौंप दिया गया।आई. ओ. ए. में पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित घोषणा शामिल हैः

"मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत डोमिनियन को इस आशय से स्वीकार करता हूँ कि भारत के गवर्नर जनरल, डोमिनियन विधानमंडल, संघीय न्यायालय और डोमिनियन के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य डोमिनियन प्राधिकरण इसके आधार पर मेरे विलय के दस्तावेज का उपयोग करेगा, लेकिन हमेशा इसकी शर्तों के अधीन, और केवल डोमिनियन के उद्देश्यों के लिए, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में ऐसे कार्यों का प्रयोग करेगा जो 15 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन में लागू भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा या उसके तहत उनमें निहित किए जा सकते हैं।

123. पैराग्राफ 3 के संदर्भ में, महाराजा ने अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों को उन मामलों के रूप में स्वीकार किया जिनके संबंध में डोमिनियन 77

विधायिका राज्य के लिए कानून बना सकती है।" पैराग्राफ 5 में निर्धारित किया गया है कि आई. ओ. ए. की शर्तों में भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस तरह के संशोधन को महाराजा द्वारा दस्तावेज़ के पूरक दस्तावेज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।" पैराग्राफ 7 में कहा गया हैः

"7. इस लिखत की किसी भी बात को भारत के किसी भी भावी संविधान की स्वीकृति के लिए या ऐसे किसी भावी संविधान के तहत भारत सरकार के साथ समझौता करने के लिए मेरे विवेकाधिकार को बाधित करने के लिए किसी भी तरह से प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा।"

124. पैराग्राफ 8 में प्रावधान किया गया है कि आई. ओ. ए. में कुछ भी राज्य में और उसके ऊपर महाराजा की संप्रभुता की निरंतरता, शासक के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किसी भी शक्ति, अधिकार और अधिकारों के प्रयोग को बाधित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि दस्तावेज़ द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया हो और किसी भी कानून की वैधता जो लागू थी।

125. आई. ओ. ए. को 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकार किया गया था।गवर्नर-जनरल ने कहा कि सैन्य सहायता के लिए महाराजा की अपील के जवाब में, भारतीय सेना के सैनिकों को कश्मीर भेजने के लिए कार्रवाई की गई है "ताकि आपकी सेना को आपके क्षेत्र की रक्षा करने और आपके लोगों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने में मदद मिल सके।"

126. 5 मार्च 1948 को, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक अंतरिम सरकार स्थापित करने की घोषणा जारी की, जब तक कि राज्य के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता।

127. भारत का संविधान लागू होने से पहले, रियासतों को भारत अधिराज्य के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया उत्तरोत्तर प्राप्त की जा रही थी।कई रियासतों ने आई. ओ. ए. और स्थिर समझौतों को लागू किया।

128. राज्यों पर श्वेत पत्र (1951) में क्षेत्रीय एकीकरण पर एक उज्ज्वल चर्चा हैः

“224. नए संविधान को अपनाने के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक राज्यों के क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया का पूरा होना है।भौगोलिक रूप से भारत अधिराज्य से सटे राज्यों, जैसा कि वे भारत का संविधान लागू होने से पहले मौजूद थे, को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः

((i) प्रवेश करने वाले राज्य, और

((ii) गैर-स्वीकार करने वाले राज्य।

केवल दो गैर-स्वीकृत राज्य थे, हैदराबाद और जूनागढ़।प्रवेश करने वाले राज्यों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता हैः-

(क) ऐसे राज्य जो एकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं थे और अलग-अलग इकाइयों के रूप में बने रहे।अर्थात मैसूर और जम्मू और कश्मीर; (ख) राज्यों के संघ;

(ग) केंद्रीय रूप से विलय किए गए राज्य;

(घ) प्रांतीय रूप से विलय किए गए राज्य; और (ङ) खासी हिल स्टेट्स फेडरेशन।

नए संविधान के तहत, सभी घटक इकाइयों, दोनों प्रांतों और राज्यों-बाद के कार्यकाल में गैर-स्वीकृत राज्य शामिल हैं-को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्ः

(1) भाग ए राज्य जो पूर्व राज्यपालों के प्रांतों के अनुरूप हैं,

(2) भाग बी राज्य जिनमें राज्यों के संघ और हैदराबाद, मैसूर और जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल हैं और

(3) भाग सी राज्य जो पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के अनुरूप हैं।

नया संविधान दो-गुना प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों के क्षेत्रीय एकीकरण को लागू करता है।सबसे पहले, संविधान का अनुच्छेद 1 भाग बी राज्यों सहित पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सभी राज्यों के क्षेत्रों

को शामिल करने के लिए भारत के क्षेत्रों की अवहेलना करता है।यह 1935 के अधिनियम में सन्निहित योजना से एक महत्वपूर्ण विचलन है, जबकि उस अधिनियम की धारा 311 (1) ने भारत को भारतीय शासकों के सभी क्षेत्रों के साथ ब्रिटिश भारत को शामिल करने के लिए बाध्य किया था, यह अधिनियम भारतीय संघ के क्षेत्रों की अवहेलना नहीं करता था।दूसरा, नए संविधान के उद्घाटन के साथ, विलय किए गए राज्यों ने अलग-अलग संस्थाओं के रूप में अस्तित्व के सभी अवशेष खो दिए हैं।यह आने वाले अनुच्छेदों में निर्धारित स्थिति से स्पष्ट होगा।"

79

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 80

129. जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, श्वेत पत्र के पैरा 221 में कहा गया हैः

"जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान 221।जम्मू और कश्मीर राज्य 26 अक्टूबर, 1947 को भारत में शामिल हो गया।राज्य के शासन द्वारा निष्पादित विलय दस्तावेज का रूप अन्य विलय करने वाले राज्यों के शासकों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों के समान है।कानूनी और संवैधानिक रूप से

इसलिए इस राज्य की स्थिति अन्य विलय करने वाले राज्यों की स्थिति के समान है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार इस स्थिति के लिए प्रतिबद्ध है कि इस राज्य का विलय राज्य के लोगों के विश्वास के अधीन है।हालाँकि, यह विलय के कानूनी तथ्य से अलग नहीं है। इसलिए राज्य ने

भाग बी राज्यों में शामिल।"

(जोर दिया गया) 130।श्वेत पत्र में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को भाग बी राज्य के रूप में शामिल किया गया था।इसके अलावा, संविधान के उद्घाटन के साथ, सभी विलय की गई संस्थाओं ने "अलग-अलग संस्थाओं के रूप में अस्तित्व के सभी अवशेष खो दिए हैं"।श्वेत पत्र में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि उसके लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगे, अनुच्छेद 370 के प्रावधान पेश किए गए।हालाँकि, विलय के कानूनी तथ्य के परिणामस्वरूप महाराजा से भारत में संप्रभुता का हस्तांतरण हुआ था।श्वेत पत्र में कहा गया हैः

"इस प्रावधान का प्रभाव यह है कि जम्मू और कश्मीर राज्य, भारत का एक हिस्सा बना हुआ है।यह भारतीय संघ की एक इकाई है और संघ की संसद के पास विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों पर या राज्य सरकार की सहमति से परिवर्धन के बाद इस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र होगा।अनुच्छेद 370 के तहत एक आदेश जारी किया गया है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है (1) वे मामले जिनके संबंध में संसद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बना सकती है और (2) अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अलावा अन्य प्रावधान, जो उस राज्य पर लागू होंगे (परिशिष्ट एलवीएल)।एक संविधान सभा बुलाने के उद्देश्य से कदम उठाए जाएंगे जो इन मामलों पर विस्तार से विचार करेगी और जब उन पर निर्णय लेने की बात आएगी, तो

राष्ट्रपति को एक सिफारिश करेगा जो या तो अनुच्छेद 370 को निरस्त करेगा या निर्देश देगा कि यह ऐसे संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा जो वह निर्दिष्ट करे।"

131. जून 1949 में, महाराजा हरि सिंह ने अपनी शक्ति और अधिकार युवराज करण सिंह को सौंपते हुए एक घोषणा जारी की, जो राज्य के शासक के रूप में कार्य करेंगे।शासक के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद, युवराज करण सिंह ने जम्मू और कश्मीर से चार प्रतिनिधियों को भारत की संविधान सभा के लिए नामित किया।16 जून 1949 को शेख अब्दुल्ला कश्मीर राज्य के तीन अन्य प्रतिनिधियों मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और मोती राम बागड़ा के साथ संविधान सभा में शामिल हुए।

132. इस समय, कई रियासतों ने एकल इकाइयाँ बनाने के लिए समझौतों में प्रवेश किया।भावनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और अन्य रियासतों ने संयुक्त राज्य सौराष्ट्र का गठन किया।ग्वालियर, इंदौर और अठारह अन्य रियासतों ने संयुक्त राज्य ग्वालियर, इंदौर और मालवा (मध्य भारत) का गठन किया। इसी तरह के समझौतों के कारण पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पी. ई. पी. एस. यू.), संयुक्त राज्य राजस्थान और संयुक्त राज्य त्रावणकोर और कोचीन का गठन हुआ।

133. जुलाई 1949 में, भारतीय राज्यों के बारे में राज्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक नोट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाएगाः

"भारत सरकार ने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और उनकी राय है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में वर्तमान विशिष्ट स्थिति को देखते हुए यह वांछनीय है कि राज्य का विलय मौजूदा आधार पर जारी रखा जाए।

जब तक राज्य को अन्य राज्यों के स्तर पर नहीं लाया जा सकता।इसलिए इस राज्य के संबंध में एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में ऊपर सुझाए गए आधार पर एक विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया) यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि जम्मू और कश्मीर का विलय तब तक के मौजूदा आधार पर जारी रहना था जब तक कि राज्य को अन्य राज्यों के स्तर पर नहीं लाया जा सकता; राज्य को भारतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा जब तक कि संसद संविधान के सभी प्रावधान नहीं बनाती (जो 81 के भाग III में निर्दिष्ट राज्यों पर लागू थे)।

संविधान की अनुसूची I) जम्मू और कश्मीर पर लागू होती है।राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट उन मामलों तक सीमित होगी जो भारत अधिराज्य की कानून बनाने की शक्ति को दर्शाते हैं।इसलिए, जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान इस तथ्य का संकेत नहीं था कि इसने संप्रभुता का एक तत्व बनाए रखा।बल्कि, यह उस समय राज्य की स्थितियों के कारण आवश्यक था और जब तक राज्य को अन्य राज्यों के बराबर नहीं लाया जा सकता, तब तक इसे जारी रखने का इरादा था।

134. 14 अक्टूबर 1949 को, जम्मू और कश्मीर को संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधित भारतीय राज्यों के क्षेत्र के साथ अनुच्छेद 1 के तहत भाग III राज्यों में शामिल किया गया था।भाग III राज्य थेः

“1. हैदराबाद

2. जम्मू और कश्मीर

3. मध्य भारत

4. मैसूर

5. पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ 6.राजस्थान

7. सौराष्ट्र

8. त्रावणकोर-कोचीन

9. विंध्य प्रदेश "

जम्मू और कश्मीर सहित नौ भाग III राज्य थे।135. 15 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में कश्मीर को चार सीटें आवंटित की गईं।विभिन्न राज्यों को संविधान सभा में सीटों का पुनः आवंटन आवश्यक था क्योंकि दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीचः

ए। कई छोटे राज्यों का प्रांतों में विलय हो गया।बी। कई अन्य राज्यों को राज्यों के संघ बनाने के लिए एकजुट किया गया था; और सी।कुछ राज्यों को सीधे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के रूप में प्रशासित किया जाने लगा।

136. इन परिवर्तनों के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन की आवश्यकता थी।जिन तौर-तरीकों का पालन किया गया वे इस प्रकार थेः

ए। प्रांतों में विलय किए गए राज्यों के लिए, विधान सभा के अध्यक्ष को चुनाव कराने और संविधान सभा के लिए निर्वाचित या नामित व्यक्तियों को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया था।

बी। जहां राज्यों को राज्यों का संघ बनाने के लिए एकजुट किया गया था और हैदराबाद, मैसूर और जम्मू और कश्मीर के लिए, राजप्रमुख या शासक को यह कार्य सौंपा गया था; और

ग. उन राज्यों के मामले में जिन्हें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में गठित किया गया था, कार्य मुख्य आयुक्त को सौंपा गया था।

137. 17 अक्टूबर 1949 को, राज्य परिषद में अन्य राज्यों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर राज्य को चार सीटें आवंटित की गईं।सभी राज्यों की सीटों का आवंटन इस प्रकार थाः

“पहली अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट समय के लिए राज्यों की टिप्पणियां

राज्य/कुल सीटें

1 हैदराबाद 11

2 जम्मू और कश्मीर 4

3 मध्य भारत 6

4 मैसूर 6

5 पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ 3 6 राजस्थान 9

7 सौराष्ट्र 4

8 त्रावणकोर-कोचि 6

9 विंध्य प्रदेश 4

कुलः53

सभी सीटों का कुल। 205 "

138. अनुच्छेद 306 ए का मसौदा, जो बाद में संविधान को अपनाने पर अनुच्छेद 370 बन गया, पर 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में बहस हुई।गोपालस्वामी अय्यंगार ने बहस में भाग लेते हुए अनुच्छेद 370 के लिए तर्क प्रस्तुत किया।प्रस्तुतियों के दौरान अय्यंगार के भाषण को कई बार पढ़ा और फिर से पढ़ा गया है।अय्यंगार ने कहा किः

“महोदय, यह मामला, इस विशेष प्रस्ताव का मामला, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है।सदन इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ है कि उस राज्य ने भारत अधिराज्य में विलय कर लिया है।इस परिग्रहण का इतिहास भी सर्वविदित है।यह विलय 26 अक्टूबर, 1947 को हुआ था।तब से राज्य का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है।

राज्य में अभी हालात सामान्य नहीं हैं।इसका अर्थ

विलय यह है कि वर्तमान में वह राज्य एक संघीय राज्य, डोमिनियन ऑफ इंडिया की एक इकाई है। यह डोमिनियन एक गणराज्य में परिवर्तित हो रहा है, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी, 1950 को किया जाएगा।द.

इसलिए, जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के नए गणराज्य की एक इकाई बनना होगा।जैसा कि सदन को पता है, डोमिनियन में प्रवेश हमेशा एक दस्तावेज के माध्यम से होता था जिस पर राज्य के शासक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे और जिसे भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकार किया जाना था।यह इस मामले में हुआ है क्योंकि सदन को भी पता है कि नए संविधान में विलय के साधन अतीत की बात होगी।राज्यों को संघीय गणराज्य के साथ इस तरह से एकीकृत किया गया है कि उन्हें गणराज्य की इकाइयाँ बनने के उद्देश्य से विलय के दस्तावेज़ को स्वीकार या निष्पादित नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनका उल्लेख संविधान में ही किया गया है; और, व्यावहारिक रूप से सभी के मामले में

जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा अन्य राज्यों, उनके संविधानों को भी पूरे भारत के संविधान में शामिल किया गया है।वे सभी अन्य राज्य इस तरह से खुद को एकीकृत करने और प्रदान किए गए संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं।"

(जोर दिया गया) 139।25 नवंबर 1949 को युवराज करण सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक घोषणा जारी की गई थी।उद्घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा में जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रस्तावना में कहा गया है:

"जबकि अब भारत की संविधान सभा द्वारा बनाए जा रहे पूरे भारत के लिए नए संविधान के उद्घाटन के साथ, भारत सरकार अधिनियम, 1935 जो अब इस राज्य और भारत अधिराज्य के बीच संवैधानिक संबंधों को नियंत्रित करता है, निरस्त हो जाएगा।

और जबकि, इस राज्य के सर्वोत्तम हित में, जो आर्थिक राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में हितों के समुदाय द्वारा शेष भारत के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, यह वांछनीय है कि इस राज्य और भारत के डोमिनियन के बीच स्थापित संवैधानिक संबंध इस राज्य और भारत के चिंतनशील संघ के बीच के रूप में जारी रहना चाहिए; और भारत के संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान, जिसमें इस राज्य के विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि शामिल थे, ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

…"

140. उद्घोषणा में कहा गया है कि संविधान के प्रावधान भारत के राज्य और संघ के बीच संवैधानिक संबंध को नियंत्रित करेंगे, और यह अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत हैंः

"अब मैं घोषणा और निर्देश देता हूँ -

कि भारत की संविधान सभा द्वारा शीघ्र ही अपनाया जाने वाला भारत का संविधान जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, इस राज्य और भारत के कल्पित संघ के बीच संवैधानिक संबंध को नियंत्रित करेगा और इस राज्य में मेरे द्वारा, मेरे उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों द्वारा इसके प्रावधानों की अवधि के अनुसार लागू किया जाएगा।

कि उक्त संविधान के प्रावधान, इसके प्रारंभ की तारीख से, इस राज्य में वर्तमान में लागू अन्य सभी असंगत संवैधानिक प्रावधानों को हटा देंगे और निरस्त कर देंगे।"

(जोर दिया गया) 141।शासक द्वारा की गई घोषणा में यह बहुत स्पष्ट किया गया था किःए। जम्मू-कश्मीर राज्य और भारत संघ के बीच संवैधानिक संबंध 85 द्वारा शासित होंगे।

संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने पर भारत का संविधान;

बी। संविधान को जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा; और

ग. संविधान अपने प्रारंभ पर राज्य के अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा और निरस्त कर देगा जो इसके साथ असंगत थे।

यह घोषणा याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को संबोधित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता बनाए रखी क्योंकि इसने भारत संघ के साथ विलय का समझौता नहीं किया था।यह घोषणा कि भारत का संविधान न केवल राज्य में अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा, जो इसके साथ असंगत थे, बल्कि उन्हें निरस्त भी कर देगा, वह विलय के समझौते से प्राप्त होता है।हम याद कर सकते हैं कि आई. ओ. ए. के पैराग्राफ 7 में प्रावधान किया गया है कि दस्तावेज़ में कुछ भी भारत के किसी भी भविष्य के संविधान की स्वीकृति के लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा।घोषणा ने भारत के संविधान को बिना किसी अनिश्चितता के स्वीकार कर लिया। इसलिए आई. ओ. ए. के पैराग्राफ 7 का कानूनी महत्व समाप्त हो गया।संविधान की स्वीकृति एक सशर्त, अस्थायी या प्रतिवर्ती अधिनियम नहीं था।आई. ओ. ए. के पैराग्राफ 8 में प्रावधान किया गया है कि इसमें कुछ भी राज्य में और उसके ऊपर महाराजा की संप्रभुता की निरंतरता, शासक के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किसी भी शक्ति, अधिकार और अधिकारों के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि दस्तावेज़ द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया था और किसी भी कानून की वैधता जो लागू थी।घोषणा के जारी होने के साथ, अनुच्छेद 8 का कानूनी परिणाम समाप्त हो गया।यह घोषणा जम्मू और कश्मीर द्वारा अपने संप्रभु शासक के माध्यम से भारत को संप्रभुता के पूर्ण और अंतिम समर्पण को दर्शाती है-अपने लोगों के लिए जो संप्रभु हैं।

142. भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करते हुए लागू किया गया था।

143. 1 मई 1951 को, युवराज करण सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना का निर्देश देते हुए एक घोषणा जारी की गई थी।संविधान

जम्मू और कश्मीर की विधानसभा 31 अक्टूबर 1951 को बुलाई गई थी।संविधान सभा के समक्ष अपने बयान में, शेख अब्दुल्ला ने महाराजा द्वारा आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने से पहले की परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर से आक्रमण की ओर इशारा किया, जो अन्यथा पाकिस्तानी सैनिकों और आदिवासियों द्वारा पूरे राज्य पर कब्जा करने का कारण बनता:

"इस आक्रमण के भारी दबाव ने राज्य के सशस्त्र बल के साथ-साथ इसकी प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और पूरी तरह से रक्षाहीन लोगों को आक्रमणकारियों की दया पर छोड़ दिया।यह एक सामान्य प्रकार का आक्रमण नहीं था, क्योंकि युद्ध के कोई नियम नहीं देखे गए थे। हजारों की संख्या में राज्य पर हमला करने वाले आदिवासियों ने जो कुछ भी उनके रास्ते में आया उसे मार डाला, जला दिया, लूटा और नष्ट कर दिया और इस बर्बरता में लोगों का कोई भी वर्ग बच नहीं सका।यहाँ तक कि कैथोलिक मिशन की ननों और नर्सों को भी या तो मार दिया गया या उनके साथ बेरहमी से दुर्व्यवहार किया गया।जैसे ही ये हमलावर श्रीनगर की ओर बढ़े, महाराजा के अधिकार का अंतिम निशान राजधानी से अचानक गायब हो गया।इसने एक अजीब खालीपन पैदा कर दिया, और निश्चित रूप से पाकिस्तानी सैनिकों और आदिवासियों द्वारा पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया होता, अगर संकट की इस सर्वोच्च घड़ी में, कश्मीर के सभी लोग हमलावर के खिलाफ एक ठोस बाधा की तरह नहीं उठे।उन्होंने उनकी दौड़ को रोक दिया, लेकिन रक्षकों के रूप में उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सके, उनके पास प्रभावी रूप से वापसी करने के लिए पर्याप्त अनुभव प्रशिक्षण नहीं था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें से कुछ ने इन दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में वीरता की महान ऊंचाइयों को छुआ।क्रूस पर चढ़ाए गए एड शेरवानी, अब्दुल अज़ीज़, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, प्रेम पाल, सरदार रंगिल सिंह, पॉशकर नाथ जादू, सोमनाथ बीरा इस्माइल जैसे प्रारंभिक मिलिशिया लड़कों की गाथा से सभी समुदायों के कई अन्य नामित और अनाम नायकों को प्रभावित करने में कौन मदद कर सकता है।लेकिन हमारे पास, मानव सामग्री में समृद्ध होने के कारण, युद्ध के उपकरणों और प्रशिक्षित सैनिकों की कमी थी।जब हमलावर तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, तो हम राज्य को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए केवल एक ही तरीके के बारे में सोच सकते थे-एक दोस्ताना पड़ोसी से मदद मांगना।इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि भारत सरकार से मदद मांगने के लिए दिल्ली

चले गए।लेकिन हमारे राज्य और भारत के बीच किसी भी संवैधानिकता के अभाव ने उनके लिए हमें कोई प्रभावी बनाने के लिए असंभव बना दिया।

आक्रमणकारी से मिलने में सहायता।जैसा कि मैंने पहले कहा था, भारत ने इस आधार पर राज्य के साथ एक स्थिर समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था कि वह इस तरह के समझौते को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि उसे लोगों की मंजूरी नहीं मिल जाती।लेकिन अब, चूंकि जन-प्रतिनिधियों ने स्वयं गठबंधन की मांग की थी, इसलिए भारत सरकार ने इसे स्वीकार करने के लिए तत्परता दिखाई।कानूनी रूप से विलय के दस्तावेज पर राज्य के शासक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे।महाराजा ने ऐसा ही किया।उस विलय को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि "जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाए और उसकी मिट्टी आक्रमणकारी से मुक्त हो जाए, राज्य के विलय के सवाल का निपटारा लोगों के संदर्भ से किया जाना चाहिए।"

144. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को अपने संबोधन के दौरान, शेख अब्दुल्ला ने भारत में शामिल होने के समर्थन में निम्नलिखित कारणों पर प्रकाश डालाः

ए। लोकतंत्र को अपनाना, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर के भारत में शामिल होने पर "सामंतवाद और निरंकुशता के पुनरुद्धार का कोई खतरा नहीं है";

बी। पिछले चार वर्षों में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर की आंतरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं किया था।

ग. भारतीय संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का प्रावधान किया है।

घ. भारतीय संविधान ने धर्म, रंग, जाति और वर्ग के बावजूद नागरिकों की समानता की गारंटी देकर धार्मिक राज्य की अवधारणा को खारिज कर दिया था।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय आंदोलन धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के इन सिद्धांतों की ओर बढ़ा।

च. भारत के साथ जुड़ने के आर्थिक लाभ; और

छ. भारतीय संविधान के तहत भूमि सुधारों को प्राप्त करने की क्षमता।

145. शेख अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में सबसे शक्तिशाली तर्क यह था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य था और

जम्मू और कश्मीर के अधिकांश लोग इस धर्म को मानते थे।इस तर्क को पलटते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहाः

“सबसे शक्तिशाली तर्क जो उनके पक्ष में दिया जा सकता है वह यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है, और हमारे लोगों का एक बड़ा बहुमत मुस्लिम होने के कारण राज्य को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए।मुस्लिम राज्य होने का यह दावा निश्चित रूप से केवल एक छद्म युग है।यह आम आदमी को धोखा देने के लिए एक पर्दा है, ताकि वह स्पष्ट रूप से यह न देख सके कि पाकिस्तान एक सामंती राज्य है जिसमें एक गुट खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए इन तरीकों से प्रयास कर रहा है।इसके अलावा, धर्म के प्रति अपील एक भावनात्मक और प्रश्न के प्रति गलत दृष्टिकोण का गठन करती है।जीवन में भावना का अपना स्थान है, लेकिन अक्सर यह तर्कहीन कार्रवाई की ओर ले जाता है।कुछ लोग तर्क देते हैं, माना जाता है कि इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारा विलय हमारे विनाश या अस्तित्व पर निर्भर करता है।तथ्यों ने इसे गलत साबित कर दिया है; सही सोचने वाला व्यक्ति बताएगा कि पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप में सभी मुसलमानों की जैविक एकता नहीं है।इसके विपरीत, इसने भारतीय मुसलमानों को तितर-बितर कर दिया है, जिनके लाभ के लिए इसे बनाए जाने का दावा किया गया था।एक-दूसरे से कम से कम एक हजार मील की दूरी पर दो पाकिस्तान हैं।हमारे राज्य से सटे पश्चिमी पाकिस्तान की कुल आबादी मुश्किल से 2 करोड़ 50 लाख है, जबकि भारत में रहने वाले मुसलमानों की कुल संख्या 4 करोड़ है।जैसा कि एक मुसलमान दूसरे के समान ही अच्छा है, कश्मीरी मुसलमान अगर इस तरह के विचारों से चिंतित हैं तो उन्हें भारत में रहने वाले 4 करोड़ लोगों को चुनना चाहिए।”

146. 10 जून 1952 को जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की मूल सिद्धांत समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई थी किः

ए। जम्मू और कश्मीर के भावी संविधान का रूप पूरी तरह से लोकतांत्रिक होगा।

बी। वंशानुगत शासन समाप्त हो जाएगा और;ग. राज्य प्रमुख का चुनाव किया जाएगा।

147. 1952 में भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच दिल्ली समझौता हुआ था।समझौते के संदर्भ में, केंद्र सरकार इस बात पर सहमत हुई कि अन्य राज्यों के संबंध में विधानमंडल की अवशिष्ट शक्तियां 89 में संसद में निहित हैं।

जम्मू और कश्मीर के मामले में, जम्मू और कश्मीर संविधान द्वारा लिए गए सुसंगत रुख के कारण राज्य में ही अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं कि "आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में संप्रभुता राज्य में रहती है":

“जम्मू और कश्मीर संविधान सभा द्वारा उठाए गए समान और सुसंगत रुख को देखते हुए कि विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में संप्रभुता राज्य में बनी हुई है, भारत सरकार इस बात पर सहमत हुई कि जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्यों के

संबंध में केंद्र में निहित विधायिका की अवशिष्ट शक्तियां, जम्मू और कश्मीर के मामले में वे राज्य में ही निहित हैं।

148. इस बीच, राष्ट्रपति ने समय-समय पर संवैधानिक आदेश जारी किए, जैसा कि फैसले के अन्य हिस्सों में चर्चा की गई थी।जम्मू-कश्मीर के एकीकरण की प्रक्रिया क्रमिक थी।यह राज्य में प्रचलित विशेष परिस्थितियों के कारण आवश्यक था, जैसा कि इस खंड में चर्चा की गई थी।जम्मू और कश्मीर का संविधान भी एकीकरण की इस क्रमिक प्रक्रिया में एक भूमिका निभाने के लिए था।जैसा कि भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर के संबंधों के ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र की चर्चा से स्पष्ट होता है, संप्रभुता को आंशिक रूप से आई. ओ. ए. के हस्ताक्षर के साथ और पूरी तरह से, नवंबर 1949 में युवराज करण सिंह द्वारा घोषणा जारी करने के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया था।यह विचार करना बाकी है कि क्या भारत का संविधान या जम्मू और कश्मीर का संविधान इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राज्य ने संप्रभुता के एक तत्व को बनाए रखा है।

ग. न तो संवैधानिक व्यवस्था और न ही कोई अन्य कारक इंगित करते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने संप्रभुता का एक तत्व बनाए रखा है।

149. भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 प्रदान करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है।जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके लागू होने में अनुच्छेद 1 की अपरिवर्तनीयता और महत्व को कई प्रावधानों से प्राप्त किया जा सकता हैःए। अनुच्छेद 1 (जैसा कि तब था) में भाग III राज्यों का उल्लेख किया गया था, और जम्मू और कश्मीर को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग III राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था;

बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 (1) (सी) दोहराता है कि अनुच्छेद 1 राज्य पर लागू होगा। जबकि अनुच्छेद 370 में प्रावधान हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य में संशोधन या अपवादों के साथ संविधान के अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 1 में संशोधन या निरसन का कोई प्रावधान नहीं है; और ग।जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 3 घोषित करती है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैः

“भारत संघ के साथ राज्य का संबंध

जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।”

घ. धारा 147 धारा 3 में किसी भी संशोधन को प्रतिबंधित करती है।

ये प्रावधान भी इस तर्क का खंडन करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को अपनी संप्रभुता का समर्पण करने के लिए विलय का समझौता आवश्यक था।संविधान, एक बार अपनाया गया और लागू हुआ,

देश का सर्वोच्च शासी दस्तावेज बन गया।भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर का विलय एक स्पष्ट तथ्य था, जैसा कि इन प्रावधानों से स्पष्ट होता है।

150. 17 नवंबर 1956 को जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के संविधान को मंजूरी दी और अपनाया।संविधान की प्रस्तावना में कहा गया हैः

"हम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग,

इस राज्य के विलय के अनुसरण में गंभीरता से संकल्प लिया

भारत के लिए जो अक्टूबर**, 1947** के छत्तीसवें दिन हुआ था

इसके अलावा भारत संघ के साथ राज्य के मौजूदा संबंधों को उसके अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है।**"**

(जोर दिया गया) प्रस्तावना के तीन पहलू महत्वपूर्ण हैं।

ए। जम्मू और कश्मीर के संविधान को भारत संघ से स्वतंत्र रूप से नहीं अपनाया गया था, बल्कि भारत में राज्य के विलय के अनुसरण में अपनाया गया था।

बी। जम्मू और कश्मीर का संविधान केवल भारत संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए था।91 में युवराज करण सिंह द्वारा जारी घोषणा आई. ओ. ए. द्वारा इस संबंध को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था।

नवंबर 1949 और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, भारत के संविधान द्वारा; और

ग. जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग था जिसे जम्मू और कश्मीर के संविधान में दोहराया गया था।

151. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बहस से यह भी पता चलता है कि संप्रभुता भारत के लोगों (जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग शामिल थे) के पास है, न कि केवल राज्य या उसके लोगों के पासःक. श्री कुशुक बकुला ने कहाः162

"… कि इस प्रकार हमें भारत की एक अभिन्न पार्टी बना दिया गया है, इतना महान

उच्च विचारों और गौरवशाली परंपराओं का देश, जिसके लिए विश्व का राष्ट्र मार्गदर्शन चाहता है और जो वर्तमान समय में विश्व शांति बनाए रखने का एक शक्तिशाली कारक है, हम सभी के लिए असीमित हर्षोल्लास का विषय हो सकता है।

(जोर दिया गया)

ख. श्री कोतवाल चुनी लाल ने कहाः“हम एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस प्रतिज्ञा पर कायम हैं कि कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है।” 164

ग. श्रीमती इशेर देवी मणि ने कहाः

“पहली बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है कि हम सभी को पता होना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भारत को स्वीकार किया है और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हमें इस पर खुश और खुश क्यों नहीं होना चाहिए।” 165

घ. राज्य संविधान सभा के अध्यक्ष जी. एम. सादिक ने कहाः“हम भारत का अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे।(जोरदार तालियाँ)।आप अपने फैसले पर अडिग रहें।आज हम हैं

162 श्री कुशुक बकुला ने बोधि में अपनी टिप्पणी की।संविधान सभा के सचिव ने उनके भाषण का एक अंग्रेजी संस्करण पढ़ा।

163 25 अक्टूबर 1956, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बहस 164 7 नवंबर 1956, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बहस 165 17 नवंबर 1956, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बहस

आज हम अकेले या निहत्थे नहीं हैं, हम भारत और 36 करोड़ भारतीयों के साथ हैं।” 166

यह जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के सदस्यों की इस समझ को दोहराता है कि भारत में विलय पूर्ण था और संप्रभुता को आत्मसमर्पण कर दिया गया था।

152. भारतीय संविधान 167 की प्रस्तावना और जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान की प्रस्तावना के बीच एक उल्लेखनीय अंतर है जिसे ऊपर निकाला गया है।भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, "हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं।" जम्मू और कश्मीर के संविधान में संप्रभुता के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है।जबकि भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में इस बात पर जोर देता है कि भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया है, जम्मू और कश्मीर के संविधान का मूल उद्देश्य जैसा कि प्रस्तावना में निर्धारित किया गया है, संघ के साथ राज्य के संबंधों को आगे बढ़ाना है, हालांकि यह भारत का एक अभिन्न अंग है।जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 2 (ए) में प्रावधान है कि "भारत के संविधान का अर्थ है इस राज्य के संबंध में लागू होने वाला संविधान"। धारा 4 जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र को उन सभी क्षेत्रों से मिलकर बनाती है जो 15 अगस्त 1947 को राज्य के शासक की संप्रभुता या अधिराज्य के अधीन थे।धारा 5 राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति की सीमा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती हैः

“5. राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्ति का विस्तार

राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों को छोड़कर सभी मामलों में फैली हुई है, जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है।"

166 25 जनवरी 1957, जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बहस

167 भारतीय संविधान की प्रस्तावनाः"हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैंःन्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच बढ़ावा देना; व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व।

153. धारा 5 राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति की सीमा को उन मामलों से संबंधित करती है जिन पर संसद को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है।दूसरे शब्दों में, राज्य के संबंध में संसद की विधायी शक्ति के दायरे में आने वाले क्षेत्र को छोड़कर जो अवशिष्ट शक्ति बची है, वह जम्मू और कश्मीर राज्य के विधायी और कार्यकारी क्षेत्र के भीतर होगी।धारा 5 हालांकि यह मानता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में संसद का विधायी क्षेत्र भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसलिए आवश्यक रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान द्वारा नहीं।

154. जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 6 स्थायी निवासियों के लिए प्रावधान करती हैः

"स्थायी निवासी

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है, वह राज्य का स्थायी निवासी होगा, यदि चौदहवें दिन मई, 1954 को।

(क) वह कक्षा I या कक्षा II का राज्य विषय थाःया

(ख) राज्य में कानूनी रूप से अर्जित अचल संपत्ति होने के कारण, वह उस तारीख से कम से कम दस साल पहले से राज्य में सामान्य रूप से निवासी रहा है।

(2) कोई भी व्यक्ति जो मई, 1954 के चौदहवें दिन से पहले प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का राज्य विषय था और जो मार्च, 1947 के पहले दिन के बाद उस क्षेत्र में प्रवास कर गया था, जो अब पाकिस्तान में शामिल है, राज्य में पुनर्वास के लिए परमिट के तहत या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधिकार के तहत या उसके अधिकार के तहत जारी स्थायी वापसी के लिए राज्य में लौटता है, ऐसी वापसी पर राज्य का स्थायी निवासी होगा।

(3) इस धारा में, "प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का राज्य विषय" पद का वही अर्थ होगा जो बीसवीं अप्रैल की राज्य अधिसूचना संख्या आई-एल/84 का है।'1927, सत्ताईस जून, 1932 की राज्य अधिसूचना संख्या 13/एल सहपठित ।"

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थायी निवासियों के पास दोहरी नागरिकता नहीं है-एक जम्मू और कश्मीर राज्य की और दूसरी जम्मू और कश्मीर राज्य की।

भारत संघ।बल्कि, वे केवल एक संप्रभु इकाई, यानी भारत संघ के नागरिक हैं।168

155. जम्मू और कश्मीर संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का प्रावधान है; भाग V में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद वाली कार्यपालिका के लिए; भाग VI में राज्य विधानमंडल के लिए जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल हैं।भाग VI में उच्च न्यायालय और "अधीनस्थ न्यायालयों" के लिए प्रावधान है।भाग VIII में वित्त, संपत्ति और अनुबंधों का प्रावधान है; भाग IX में लोक सेवाओं के लिए; भाग X में चुनावों के लिए और भाग XI में विविध प्रावधानों के लिए; भाग XII में संविधान के संशोधन का प्रावधान है।इनमें से कोई भी प्रावधान यह संकेत नहीं देता है कि राज्य संप्रभु है।

156. धारा 147 जो राज्य के संविधान में संशोधन का प्रावधान करती है, निम्नलिखित शर्तों में हैः

“147. संविधान में संशोधन

इस संविधान का संशोधन केवल विधान सभा में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक को पेश करके शुरू किया जा सकता है और जब विधेयक प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, तो इसे सदर-ए-रियासत को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को ऐसी सहमति दिए जाने पर, संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित होगाः

बशर्ते कि विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान करने वाला विधेयक विधान सभा में पेश किया जा सकता है और उसके द्वारा विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले विधानसभा के सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि इनमें कोई परिवर्तन करने का प्रयास करने वाला कोई विधेयक या संशोधन न होः

((क) यह धारा;

(ख) धारा 3 और 5 के प्रावधान; या

168 एस. बी. आई. बनाम संतोष गुप्ता (2017) 2 एस. सी. सी. 538 95

((ग) राज्य के संबंध में लागू भारत के संविधान के प्रावधान;

विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत या प्रस्तुत किया जाएगा।”157. जम्मू और कश्मीर के संविधान में संशोधन करने की विधानसभा की शक्ति दूसरे परंतुक में प्रदान की गई बाधाओं के अधीन थी जिसपरंतुक में विधानसभा संशोधन नहीं कर सकती थीःए। धारा 147 स्वयं;

बी। धारा 3 और 5 के प्रावधान; और

ग. राज्य के संबंध में लागू भारत के संविधान के प्रावधान।

158. ये प्रावधान सार्थक नहीं हैं।राज्य के संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो विधान सभा को सौंपी गई थी (राज्यपाल की सहमति के अधीन) इस प्रकार तीन प्रमुख योग्यताएं थींःसबसे पहले, यह स्थिति कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और रहेगा, अपरिवर्तनीय थी; दूसरा, राज्य का कार्यकारी और विधायी क्षेत्र जो भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत संसद को सौंपे गए क्षेत्र पर निर्भर था, जिस पर वह जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा अपरिवर्तनीय था; और तीसरा, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू भारत के संविधान के प्रावधान राज्य विधानसभा द्वारा अपरिवर्तनीय थे।राज्य विधानसभा की संशोधन शक्ति पर लगाए गए इन प्रतिबंधों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जम्मू और कश्मीर का भारत संघ का अभिन्न अंग होना स्थायी और अपरिवर्तनीय है।इसके अलावा, भारत संघ के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंधों में किसी भी बदलाव को केवल भारत के संविधान और उस संविधान के ढांचे के भीतर लाना होगा।

159. भारत के संविधान को अपनाते हुए, "हम, जनता" ने भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में गठित किया।जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग था।जम्मू और कश्मीर के संविधान ने भारत के संप्रभु गणराज्य में एक घटक राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर के स्थायित्व को स्वीकार करते हुए उस स्थिति को मान्यता दी।जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संबंधों को "और कम करने" के प्रयास में

भारत संघ के साथ, "आगे" अभिव्यक्ति का उपयोग इस आशय को व्यक्त करता है कि उस संबंध की अवज्ञापूर्ण विशेषताएँ विशेष रूप से राज्य के संविधान में सन्निहित नहीं थीं।राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग होने के नाते, राज्य का कार्यकारी और विधायी क्षेत्र भारत के संविधान से संबंधित है। भारत संघ की क्षेत्रीय अखंडता, जो घटक इकाइयों में से एक, जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में शामिल थी, राज्य के संविधान द्वारा गठित विधायी और कार्यकारी क्षेत्र में अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी।राज्य और संघ के बीच संबंधों की स्पष्ट रूप रेखा राज्य के संविधान के ढांचे से परे है और संघ के संविधान द्वारा शासित होगी।

160. इस प्रकार राज्य के साथ संघ के संबंधों को संशोधित करने की शक्ति पर किसी भी प्रतिबंध का पता भारत के संविधान से लगाया जाना चाहिए न कि जम्मू और कश्मीर के संविधान से।विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में उन विषयों का विस्तार नहीं था जिन पर राज्य धारा 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून बना सकता था।जम्मू और कश्मीर राज्य का विधायी क्षेत्र भारत के संविधान की अवहेलना करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाने के लिए संसद के विधायी क्षेत्र के बाद बचा हुआ था।

161. जम्मू और कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना, राज्य के संविधान की धारा 3,5 और 147, पहली अनुसूची सहपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के साथ-साथ अनुच्छेद 370 किसी भी अनिश्चित शब्दों में इंगित करता है कि अधीनता की एक प्रणाली (जैसा कि संप्रभुता की अवज्ञा से समझा जाता है) मौजूद है जिसके द्वारा राज्य पहले भारतीय संविधान के अधीन है और उसके बाद ही अपने स्वयं के संविधान के अधीन है।भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर राज्य सहित सभी राज्यों का सर्वोच्च शासी दस्तावेज था और है।पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दोनों संविधानों के प्रावधानों की चर्चा इस तथ्य का संकेत है।

162. एस. बी. आई. बनाम संतोष गुप्ता, 169 में इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जम्मू और कश्मीर के संविधान को भारत के संविधान के बराबर का दर्जा प्राप्त हैः

169 (2017) 2 एससीसी 538 97

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 98

“12. … राज्य का अपना अलग संविधान है जिसके द्वारा यह भारत संघ को सौंपे गए मामलों को छोड़कर सभी मामलों में शासित होता है।भारत के संविधान में किए गए संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य पर तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति से, जम्मू और कश्मीर राज्य में ऐसे संशोधन लागू करते हैं।संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से पता चलता है कि राष्ट्रीय महत्व के मामले, जिसमें एक समान नीति वांछनीय है, भारत संघ के पास बने रहते हैं, और स्थानीय चिंता के मामले जम्मू और कश्मीर राज्य के पास रहते हैं।और, भले ही जम्मू और कश्मीर का संविधान राज्य में जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की स्थापना करता है, फिर भी, भारत के संविधान की व्याख्या करने और संविधान का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई को अमान्य करने के लिए न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकार पूरी तरह से मौजूद पाया गया है।जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय से अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है, और कुछ मामूली संशोधनों को हटा दिया जाता है, अनुच्छेद 124 से 147 सभी जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 135 और 139 को हटा दिया जाता है।अनुच्छेद 135 और 139 को हटाने के प्रभाव का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जिसमें अनुच्छेद 135 केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी भारत के नागरिक हैं, और यह कि

कोई दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में कुछ अन्य संघीय संविधानों द्वारा माना जाता है।यह सब हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में भी, भारत के संविधान की अर्ध-संघीय संरचना जारी है, लेकिन उपरोक्त भिन्नताओं के साथ।इसलिए श्री हंसारिया के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि भारत के संविधान और जम्मू-कश्मीर के संविधान को समान दर्जा प्राप्त है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।"

163. संसद सहपठित उन सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है जो सूची II और III में सूचीबद्ध नहीं हैं।

सातवीं अनुसूची की सूची I।हालाँकि, अनुच्छेद 370 (1) (बी) के तहत जारी किसी भी संविधान आदेश द्वारा प्रवेश 97 को जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित नहीं किया गया था।इस प्रकार, अन्य राज्यों के विपरीत, जम्मू और कश्मीर राज्य के पास जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 5 को देखते हुए अवशिष्ट विधायी शक्तियां थीं।इस मोड़ पर, दिल्ली समझौते का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जहां यह निर्णय लिया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य के पास "जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा द्वारा लिए गए सुसंगत रुख" के कारण अवशिष्ट विधायी शक्तियां होंगी क्योंकि आई. ओ. ए. में निर्धारित मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों के संबंध में संप्रभुता राज्य में बनी हुई है।यह जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का संकेत नहीं है।अवशिष्ट विधायी शक्तियों को अवशिष्ट संप्रभुता के बराबर नहीं माना जा सकता है।इसके बजाय यह संघवाद के मूल्य और भारत के संविधान के संघीय आधार को दर्शाता है।न तो संसद और न ही किसी राज्य के पास कानून बनाने की अप्रतिबंधित शक्ति है।प्रत्येक के पास कानून का अपना क्षेत्र है, जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों द्वारा सीमांकित किया गया है।प्रत्येक अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है।राज्यों के पास कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है लेकिन अकेले इसे अलग-अलग राज्यों की संप्रभुता के संकेत के रूप में नहीं लिया जा सकता है।164. यह सच है कि कई टिप्पणीकार संघवाद के इन पहलुओं को 'आंतरिक संप्रभुता' के रूप में संदर्भित करते हैं।' इसे चाहे जो भी नाम दिया जाए, यह स्पष्ट है कि देश के सभी राज्यों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।संविधान उस राज्य के लिए विशिष्ट व्यवस्थाओं का प्रावधान करके किसी विशेष राज्य के लिए विशिष्ट चिंताओं को समायोजित करता है।अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 जे तक अलग-अलग राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं।यह और कुछ नहीं बल्कि असममित संघवाद की एक विशेषता है, 170 जिसका जम्मू और कश्मीर को भी अनुच्छेद 370 के आधार पर लाभ होता है।जम्मू और कश्मीर राज्य के पास 'आंतरिक संप्रभुता' नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग है।असममित संघवाद में, एक विशेष राज्य को कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त हो सकती है जो किसी अन्य राज्य को नहीं है।हालाँकि, अंतर एक डिग्री का बना हुआ है और प्रकार का नहीं है।संघीय

व्यवस्था के तहत अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग लाभ हो सकते हैं लेकिन आम धागा संघवाद है।

170 राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ, (2023) 9 एस. सी. सी. 99

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 100

165. यदि इस स्थिति को स्वीकार किया जाए कि अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू और कश्मीर की संप्रभुता है, तो यह होगा कि अन्य राज्य जिनके पास संघ के साथ विशेष व्यवस्था थी, उनके पास भी संप्रभुता थी।साफ है कि ऐसा नहीं है।जैसा कि इस न्यायालय ने इस फैसले के अन्य खंडों में देखा, जम्मू और कश्मीर में विशेष परिस्थितियों के कारण एक विशेष प्रावधान, यानी अनुच्छेद 370 की आवश्यकता थी।अनुच्छेद 370 असममित संघवाद का एक उदाहरण है।इसलिए, जम्मू और कश्मीर के लोग संप्रभुता का प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं जो अन्य राज्यों के लोगों द्वारा अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने के तरीके से अलग है।अंत में, जम्मू और कश्मीर राज्य के पास 'आंतरिक संप्रभुता' नहीं है जो अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त संप्रभुता से अलग है।

166. प्रेम नाथ कौल (उपरोक्त) में, जम्मू और कश्मीर राज्य के खिलाफ अपीलार्थी के नेतृत्व में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि जम्मू और कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट एबोलिशन एक्ट 2007 "अमान्य, निष्क्रिय और युवराज करण सिंह के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जिन्होंने इसे लागू किया था" ताकि अपीलार्थी अपनी भूमि पर कब्जा बनाए रख सके।मुकदमा खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने अपील में बर्खास्तगी को स्वीकार कर लिया।संविधान पीठ ने पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए दो घटनाक्रमों का उल्लेख विद्वान जो हुए थे।सबसे पहले, महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के बाद कश्मीर के शासक के रूप में पदभार संभाला था, ने जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए कश्मीर में एक सार्वजनिक आंदोलन के जवाब में 1991 का विनियमन 1 (1934) जारी किया।विनियमन की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के संबंध में सभी शक्तियों-विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक को महाराजा में निहित और निहित घोषित किया गया था।धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि जब तक महाराजा अपनी सहमति नहीं दे देते, तब तक प्रजा सभा द्वारा कोई भी उपाय पारित नहीं माना जाएगा।दूसरा, 1939 में महाराजा ने 1996 (1936) के जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम 14 को लागू किया।परिणामस्वरूप, 1991 (1934) के विनियम 1 में संशोधन किया गया।1991 के विनियम 1 की धारा 3 की तरह धारा 5 ने महाराजा की सभी अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता दी और संरक्षित किया।संविधान पीठ ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ, भारतीय राज्यों पर महामहिम का आधिपत्य सभी समझौतों और संधियों के साथ समाप्त हो गया।ब्रिटिश सर्वोच्चता के समाप्त होने के साथ, जम्मू और कश्मीर, अन्य भारतीय राज्यों की तरह, सैद्धांतिक रूप से धारा 7 (1) (बी) के परंतुक के अधीन ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता द्वारा लगाई गई सीमाओं से मुक्त था, जिसमें परंतुक किया गया था कि प्रभावी अधिनियम जारी रहेगा।

परंतुक में उल्लिखित विषयों के संबंध में किसी भी पूर्व समझौते के परंतुक ों को तब तक दिया जाएगा जब तक कि भारतीय राज्यों के शासकों या दूसरी ओर डोमिनियन द्वारा परंतुक ों की निंदा नहीं की जाती है और बाद के समझौतों द्वारा उनका स्थान नहीं ले लिया जाता है।

167. निर्णय के दौरान, संविधान पीठ ने महाराजा द्वारा 25 अक्टूबर 1947 को आई. ओ. ए. के निष्पादन से पहले की घटनाओं, 5 मार्च 1948 की एक उद्घोषणा द्वारा एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार के प्रतिस्थापन, जिसमें एक राष्ट्रीय सभा के आयोजन की परिकल्पना की गई थी जो एक संविधान बनाएगी, 20 जून 1949 को एक उद्घोषणा जारी की गई जिसके द्वारा उन्होंने युवराज करण सिंह को अपने सभी कार्य, चाहे वे विधायी, न्यायिक या कार्यकारी हों, 25 नवंबर 1949 को युवराज करण सिंह द्वारा जारी की गई घोषणा कि भारत की संविधान सभा द्वारा जल्द ही अपनाया जाने वाला भारत का संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, राज्य और भारत संघ के बीच संबंधों को नियंत्रित करेगा और राज्य में उनके द्वारा लागू किया जाएगा।इसके अलावा, संविधान के प्रावधान, घोषणा के अनुसार, राज्य में उस समय लागू अन्य सभी असंगत संवैधानिक प्रावधानों को हटा देंगे और निरस्त कर देंगे।

168. घोषणा के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1950 (सी. ओ. 10) जारी किया गया।विचाराधीन कानून युवराज करण सिंह द्वारा 17 अक्टूबर 1950 को 1934 के राज्य के संविधान की धारा 5 और 20 जून 1949 की महाराजा की घोषणा द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।इसके बाद, 20 अप्रैल 1951 को, युवराज ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन का निर्देश दिया।एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया गया जिसने राज्य के लिए संविधान तैयार किया।संविधान के परिणामस्वरूप, वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया गया और राज्य के प्रमुख के रूप में सदर-ए-रियासत के चुनाव के लिए एक प्रावधान किया गया।13 नवंबर 1952 को, युवराज को राज्य में वंशवादी शासन को समाप्त करने के लिए सदर-ए-रियासत के अधिकारी के रूप में चुना गया था। राज्य के कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि युवराज करण सिंह के पास अधिनियम को लागू करने का कोई अधिकार नहीं था।

169. संविधान पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने से पहले, राज्य पर महाराजा की संप्रभुता ऐसी सीमाओं के अधीन थी जो संवैधानिक रूप से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता और ब्रिटिश सरकार के साथ की गई संधियों और समझौतों द्वारा लगाई गई थीं।हालाँकि, महाराजा राज्य के आंतरिक प्रशासन और शासन के संबंध में "एक पूर्ण सम्राट" थे और सभी कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ निहित थे।न्यायालय ने इस दलील को खारिज

कर दिया कि महाराजा की संप्रभुता आई. ओ. ए. के प्रावधानों द्वारा प्रभावित थी, जिसमें कहा गया थाः

“26 … लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि महाराजा की संप्रभुता को विलय के दस्तावेज के प्रावधानों द्वारा काफी प्रभावित किया गया था, जिस पर उन्होंने 25 अक्टूबर, 1947 को हस्ताक्षर किए थे।यह तर्क स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है।यह सच है कि विलय दस्तावेज के खंड 1 द्वारा महामहिम ने उक्त खंड में उल्लिखित अधिकारियों को अपने राज्य के संबंध में ऐसे कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार स्वीकार किया जो 15 अगस्त, 1947 को उक्त अधिराज्य में लागू भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा या उसके तहत उनमें निहित हो सकते हैं, लेकिन यह उनके राज्य में और उसके ऊपर महामहिम की संप्रभुता के विलय दस्तावेज की अन्य शर्तों के अधीन था।इसलिए हमें इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए कि विलय के दस्तावेज के निष्पादन से किसी भी तरह से राज्य सरकार के संबंध में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जो तब राज्य के शासक में निहित थीं।”

इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सम्राट ने 5 मार्च 1948 की घोषणा द्वारा एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार की स्थापना पर पूर्ण विधायी शक्तियों को खो दिया, यह देखते हुए कि मंत्रिमंडल को अभी भी सम्राट की प्रबल शक्तियों के तहत काम करना थाः

“… महाराजा ने बहुत बुद्धिमानी से सरकार के वास्तविक प्रशासन को एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रभार को सौंपने का फैसला किया; लेकिन मंत्रिमंडल के एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार के रूप में वर्णन ने उक्त मंत्रिमंडल को अभिव्यक्ति के सही संवैधानिक अर्थों में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल नहीं बनाया।मंत्रिमंडल को अभी भी 1996 के संविधान अधिनियम 14 (1939) के तहत काम करना था और उसने जो भी नीतियां अपनाईं, उन्हें महामहिम की प्रबल शक्तियों के तहत काम करना था।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब तक महाराजा ने 20 जून, 1949 को अपनी घोषणा जारी नहीं की,

उसकी सभी विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों के साथ-साथ उसका अधिकार और विशेषाधिकार पहले की तरह उसी में निहित था।यही कारण है कि यह तर्क कि महाराजा हरि सिंह ने प्रजा सभा और लोकप्रिय अंतरिम सरकार के पक्ष में अपनी संप्रभु शक्तियों को सौंप दिया था, जिससे संवैधानिक सम्राट का दर्जा स्वीकार किया जा सके, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।” अनुच्छेद 370 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने कहाः“38. उक्त निर्माण पर जो प्रश्न निर्धारित किया जाना है वह हैःक्या अनुच्छेद 370 (1) के प्रावधान राज्य के शासन के मामले में महाराजा की पूर्ण शक्तियों को लागू करते हैं?वर्तमान अनुच्छेद के लागू होने के प्रभाव को राज्य और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों की विशेष विशेषताओं के संदर्भ में विचार किए गए इसके उद्देश्य और इसकी शर्तों के आलोक में आंका जाना चाहिए।संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से चिंतित थे कि उक्त संबंध राज्य की संविधान सभा द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए; यह वर्तमान अनुच्छेद

द्वारा बनाए गए अस्थायी प्रावधानों का मुख्य आधार और उद्देश्य है; और इसलिए इसके प्रावधानों के प्रभाव को इसके विषय-वस्तु के साथ जोड़ा जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित करना अनुज्ञेय या वैध नहीं होगा कि, निहितार्थ से, यह अनुच्छेद महाराजा की पूर्ण विधायी शक्तियों पर सीमाएं लगाने का प्रयास करता है।इन शक्तियों को राज्य के संविधान अधिनियम द्वारा ही मान्यता दी गई थी और विशेष रूप से प्रदान किया गया था और यह उक्त शक्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी हस्तक्षेप करने के लिए संविधान निर्माताओं के विचार या क्षमता के भीतर नहीं था और न ही हो सकता था।यह याद किया जाएगा कि विलय के दस्तावेज द्वारा इन शक्तियों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है और संरक्षित किया गया है और न ही युवराज करण सिंह द्वारा जारी की गई बाद की घोषणा, जहां तक यह लागू था, भारत के प्रस्तावित संविधान को, और न ही बाद में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया संविधान आदेश, शासक की उक्त विधायी शक्तियों पर कोई सीमाएं लगाने के लिए।

राज्य को किस प्रकार की सरकार अपनानी चाहिए**,** यह एक ऐसा मामला था जिसे राज्य की संविधान सभा द्वारा तय किया जाना था और स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया गया था।जब तक संविधान सभा इस संबंध में अपने निर्णय पर नहीं पहुंची**,** तब तक राज्य और भारत के बीच संवैधानिक संबंध मूल रूप से

विलय का साधन।इसलिए यह **103** के लिए अनुचित होगा।

मान लीजिए कि अनुच्छेद 370 के लागू होने से राज्य के शासन के मामले में महाराजा की पूर्ण शक्तियों को प्रभावित किया जा सकता था, या प्रभावित करने का इरादा था।हमारी राय में, इस लेख के आधार पर अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया) 170।इसलिए संविधान पीठ ने राज्य अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले फैसले को खारिज कर दिया।प्रेम नाथ कौल (उपरोक्त) मामले में न्यायालय को संपदा उन्मूलन अधिनियम की वैधता पर निर्णय लेना था। प्रेम नाथ कौल (ऊपर) में संविधान पीठ के समक्ष सीमित प्रश्न यह था कि क्या सम्राट के पास भारत के संविधान के बाद पूर्ण विधायी शक्तियां थीं, जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, राज्य में अपनाया गया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के संविधान को अपनाने से पहले।निर्णय उस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है जिसे वह तय करता है।उस मामले में यह सवाल नहीं उठा कि क्या जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारत अधिराज्य के साथ एकीकरण पर संप्रभुता बनाए रखी।विचाराधीन कानून को युवराज द्वारा 17 अक्टूबर 1950 को राज्य की संविधान सभा के गठन और जम्मू और कश्मीर के संविधान को अपनाने से पहले जारी किया गया था।जब भारत का संविधान अपनाया गया था, तो संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर स्वतः लागू नहीं हुए थे।अनुच्छेद 370 (1) (सी) के आधार पर, केवल अनुच्छेद 1 और 370 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते थे जब संविधान को अपनाया गया था।भारत के संविधान को अपनाने पर, जम्मू और कश्मीर राज्य ने अन्य सभी राज्यों की तरह सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप अपनाया।हालाँकि, उस संबंध में संवैधानिक

प्रावधानों के अभाव में, राज्य में पहले से ही सरकार का रूप जारी रहा।संविधान के अंगीकार होने पर, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के लिए एक विधान सभा की स्थापना से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधान और जिसके द्वारा शासक को राजप्रमुख के रूप में नामित किया गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुए।चूंकि जम्मू और कश्मीर में सरकार का रूप अभी तक राज्य की सरकार और संविधान सभा द्वारा लागू नहीं किया गया था, इसलिए पहले से मौजूद सरकार का रूप तब तक लागू रहा जब तक कि राज्य के लिए ऐसे आवश्यक प्रावधान नहीं किए जा सके।यह इस अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्घोषणा द्वारा एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद सम्राट एक संवैधानिक सम्राट नहीं बने।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

दिनांक 5 मार्च 1948 क्योंकि मंत्रिमंडल को अभी भी सम्राट की प्रबल शक्तियों के तहत कार्य करना था और केवल जम्मू और कश्मीर के संविधान को अपनाने के साथ ही वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया गया था।

ii.भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत जारी घोषणाओं की संवैधानिक वैधता

171. 19 जून 2018 को, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन से हटने के बाद, महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।अगले दिन, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी से जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया।धारा 92 के तहत जारी की गई घोषणा जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी।जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के विपरीत, घोषणा को छह महीने से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है।इस प्रकार, राज्यपाल शासन 19 दिसंबर 2018 को समाप्त हो गया होगा।राष्ट्रपति ने 19 दिसंबर 2018 को अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी की।इस घोषणा को 28 दिसंबर 2018 को लोकसभा और 3 जनवरी 2019 को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।28 जून 2019 और 1 जुलाई 2019 को लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रपति शासन को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया।

172. घोषणा का कार्यकाल समाप्त होने तक जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत घोषणाओं को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के जारी होने के तुरंत बाद इसे कोई चुनौती नहीं दी गई थी।जब घोषणा लागू थी, राष्ट्रपति ने सी. ओ. 272 और 273 जारी किए, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था।याचिकाकर्ताओं ने सी. ओ. 272 और 273 की वैधता और 2018 में राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणाओं और 2019 में राष्ट्रपति की

घोषणा के विस्तार को चुनौती देते हुए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने को चुनौती दी।

173. भारत के सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि (ए) 2018 में न तो राज्यपाल शासन लागू करने और न ही राष्ट्रपति शासन को समकालीन रूप से चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ता 105 के कारण को समझाने में असमर्थ रहे हैं।

(ख) याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं में घोषणाओं को चुनौती देने के लिए आधार का अनुरोध नहीं किया है और (ग) घोषणाओं को चुनौती देने की शुरुआत अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही की गई थी।यह आग्रह किया गया था कि घोषणाओं को स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी गई थी और उन्हें केवल इसलिए चुनौती दी गई थी क्योंकि विवादित कार्रवाई घोषणाओं के निर्वाह के दौरान की गई थी।

174. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा जारी करने की शक्ति एक असाधारण प्रकृति की है जिसका राज्य की स्वायत्तता और बड़े पैमाने पर संघीय ढांचे पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।इस प्रकार, घोषणाओं को चुनौती देना अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 356 और जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत जारी घोषणाओं को संवैधानिक चुनौती को अस्वीकार करने का एक वैध आधार नहीं हो सकता है।तथापि, हमारी राय है कि घोषणाओं की वैधता को चुनौती निर्णय के योग्य नहीं है क्योंकिः

ए। रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की दलीलों से संकेत मिलता है कि उनकी प्रमुख चुनौती अनुच्छेद 370 को निरस्त करना है और क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसी कार्रवाई की जा सकती थी।171 चुनौती राष्ट्रपति शासन के निर्वाह के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए है न कि स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति शासन के लिए; और

बी। भले ही यह न्यायालय यह मानता है कि घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत जारी नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई भौतिक राहत नहीं दी जा सकती थी कि इसे 31 अक्टूबर 2019 को रद्द कर दिया गया था।हम इस बात से अवगत हैं कि एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व की स्थिति को इस शर्त पर बहाल किया जा सकता है कि घोषणा अमान्य है और न्यायालय के पास उन विशिष्ट कार्रवाइयों को मान्य करने की शक्ति है जो घोषणा के लागू होने के समय की गई थीं।याचिकाकर्ताओं ने उन विशिष्ट कार्रवाइयों पर हमला किया है जो घोषणा के लागू होने पर इस आधार पर की गई थीं कि ये कार्रवाई अभ्यास पर संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती हैं।

171 2019 का डब्ल्यू. पी. (सी) 1068 2018 की घोषणा और इसके विस्तार की वैधता पर जोर देता है लेकिन चुनौती के लिए किसी भी आधार का उल्लेख नहीं करता है।2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) 1099 और 2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) 1165 ने 2018 की घोषणा द्वारा अनुच्छेद 3 के परंतुक के निलंबन को चुनौती दी है, लेकिन 2018 की घोषणा को नहीं।2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) 1165 में एक आधार यह है कि 2018 की घोषणा अमान्य है लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है।

अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा के बाद शक्ति का अधिकार जारी किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के मामले का आधार बनने वाली इन मूल चुनौतियों पर नीचे दी गई धारा में विचार किया जा रहा है।

iii.अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति या संसद द्वारा शक्ति के प्रयोग पर सीमाएं

175. अब हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को संबोधित करते हैं कि विवादित सी. ओ. जारी नहीं किए जा सकते थे और पुनर्गठन अधिनियम तब लागू नहीं किया जा सकता था जब जम्मू-कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 356 लागू था।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्ति का प्रयोग संघ द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत नहीं किया जा सकता है:(क) जब उद्घोषणा की अवधि सीमित हो तो अपरिवर्तनीय निर्णय लें।शक्ति उन कार्यों तक सीमित होनी चाहिए जो दैनिक प्रशासन के उद्देश्यों के लिए आवश्यक आदेशों के साथ राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करते हैं; और (बी) राज्यों के पक्ष में संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अस्थिर करते हैं।

176. दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क है कि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमाओं के अलावा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति या संसद की शक्तियों के प्रयोग पर किसी भी और सीमाओं को पढ़ना, इस न्यायालय द्वारा प्रावधान को फिर से तैयार करने का प्रयास करने के बराबर होगा।

177. जिन मुद्दों पर विचार किया जाना है, वे हैं क्या (ए) अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी होने के बाद संघ द्वारा राज्यों की कार्यकारी और विधायी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमाएं हैं; और (बी) यदि ऐसा है, तो शक्ति के ऐसे प्रयोग की न्यायिक समीक्षा का दायरा।

ए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा

178. अनुच्छेद 355 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है, संघ का कर्तव्य है।"

179. अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है।अनुच्छेद 356 का खंड 1 राष्ट्रपति शासन के आह्वान के लिए मूल सीमा और राष्ट्रपति शासन के आह्वान पर राष्ट्रपति और संसद को सौंपी गई कानूनी शक्तियों दोनों को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 356 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:"356. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान:

(1) यदि राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल से या अन्यथा कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा -

(क) राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल के अलावा राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने लिए ग्रहण करता है;

(ख) घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा;

(ग) राज्य में किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधानों सहित ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जो राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैंः

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण करने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी।

[…]"

180. अनुच्छेद 356 एक ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है जहां राज्य में संवैधानिक तंत्र का टूटना- एक 'विफलता' है जैसा कि अनुच्छेद में कहा गया है।यद्यपि यह वाक्यांश प्रावधान के सीमांत नोट में पाया जाता है न कि इसके पाठ में, इस न्यायालय की संविधान पीठों के निर्णयों में कहा गया है कि अनुच्छेद 356 की व्याख्या सीमांत नोट के संदर्भ में की जानी चाहिए।172 राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी करने के लिए, दो पूर्व शर्तें

172 राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) 3 एससीसी 392 और एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एससीसी 1

पूरा किया जाना चाहिए, जो हैंः(क) राष्ट्रपति को संतुष्टि कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; और (ख) यह संतुष्टि कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, या तो राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बनाई जानी चाहिए।यदि इन दो शर्तों को पूरा किया गया है, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा द्वाराः(क) राज्य सरकार के "सभी या कोई भी" कार्यों और राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य "सभी या कोई भी" शक्तियों को अपने लिए ग्रहण

करता है; (ख) घोषणा करता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद के अधिकार द्वारा या उसके तहत किया जाएगा; और (ग) "आकस्मिक और परिणामी" प्रावधान करता है जो घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए "आवश्यक या वांछनीय" हैं।इसमें राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संविधान के प्रावधान को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने की शक्ति भी शामिल होगी।हालाँकि, राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करने या उच्च न्यायालयों से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान को निलंबित करने से रोक दिया गया है।

181. अनुच्छेद 356 के बाद के खंड घोषणा की अवधि से संबंधित शर्तों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक घोषणा को संसद के सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, और जब तक दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक दो महीने के भीतर काम करना बंद हो जाएगा। 173 हालाँकि, जहाँ राज्य परिषद दो महीने में प्रस्ताव को मंजूरी देती है लेकिन लोक सभा भंग हो जाती है, वहाँ घोषणा उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर काम करना बंद कर देती है जिस दिन लोक सभा पुनर्गठन के बाद बैठती है जब तक कि घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव उससे पहले लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है।174 अनुच्छेद 356 (4) में कहा गया है कि एक अनुमोदित उद्घोषणा का कार्यकाल उद्घोषणा जारी होने की तारीख से छह महीने का होता है (अनुमोदन की तारीख नहीं) जब तक कि उद्घोषणा को जारी रखने की मंजूरी देने वाली एक और उद्घोषणा पारित नहीं की जाती है।इस घोषणा का कार्यकाल भी छह महीने का है।175 इस प्रकार, संसद पहली बार में घोषणा को मंजूरी दे सकती है (जिसका जीवनकाल छह महीने का होता है) और उसके बाद इसकी निरंतरता को भी मंजूरी दे सकती है, जिससे घोषणा का जीवनकाल और छह महीने तक बढ़ जाएगा।लेकिन संसद कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगी।

173 अनुच्छेद 356 (3) 174 अनुच्छेद 354 (4) 175 अनुच्छेद 356 (4)

उद्घोषणा जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक उद्घोषणा को मंजूरी देना जब तक कि (ए) अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से में लागू न हो; और (बी) भारत का चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि यह आवश्यक है कि घोषणा आम चुनाव कराने में बाधाओं के कारण जारी रहे।176 हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में घोषणा पहली बार जारी होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी।177 182.जहां अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा घोषणा करती है कि राज्य के विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएगी, अनुच्छेद 357 परिणामों को स्पष्ट करता है।ऐसी स्थिति में, संसद जिसे "राज्य के विधानमंडल की शक्तियों" से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति को "कानून बनाने" के लिए विधानमंडल की शक्ति प्रदान कर सकती है, और राष्ट्रपति को किसी भी अन्य प्राधिकरण को शक्ति सौंपने के लिए अधिकृत कर सकती है, बशर्ते कि राष्ट्रपति किसी भी शर्त के अधीन हो।संसद या राष्ट्रपति या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है, संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकरणों

को शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने वाले कानून बना सकता है।जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति संसद की मंजूरी मिलने तक संचित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकते हैं।अनुच्छेद 357 (2) में कहा गया है कि संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकृत निकाय द्वारा अधिनियमित कानून, जिसे वह अन्यथा अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होता, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के लिए, उद्घोषणा के समाप्त होने के बाद भी लागू रहेगा।यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि राज्य विधानमंडल या कोई प्राधिकरण कानून में बदलाव, निरसन या संशोधन नहीं करता है।

ख. एस. आर. बोम्मई के बाद अनुच्छेद 356 की व्याख्या

183. इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों में अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के दायरे की व्याख्या की है।केंद्र सरकार की इस अनूठी शक्ति के दायरे की व्याख्या करने की दिशा में इस न्यायालय का दृष्टिकोण, जो तदनुसार राज्यों की स्वायत्तता को कम करता है, सात-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से बहुत बदल गया है।

176 अनुच्छेद 256 (5)

177 अनुच्छेद 356 (4) का पहला परंतुक

राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ मामले में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के लिए 178।

184. राजस्थान राज्य (ऊपर) में तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार थाः1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए 1977 के चुनावों में कांग्रेस शासित नौ राज्यों में लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हार गए थे।जनता गठबंधन के बैनर तले दलों के गठबंधन के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देने पर विचार करने के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।छह राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा) ने इस घोषणा की मांग करने वाले मुकदमों का नेतृत्व किया कि गृह मंत्री का पत्र संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की।इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं और मुकदमों को खारिज करते हुए कहाः

ए। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की कार्रवाई "निवारक या उपचारात्मक" दोनों हो सकती है क्योंकि अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य देता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करे।

बी। अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार सीमित हैं।न्यायालय केवल दुर्भावनापूर्ण आधार पर या यदि कोई बाहरी विचार थे, तो निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है।

ग. राज्यों की स्वतंत्रता केवल तभी रहती है जब राज्य की कार्यपालिका और विधायिका ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं किया हो।यदि उनके पास है, तो संघ ऐसे मामलों पर अपने विचारों को लागू करने में सक्षम है ताकि संविधान को उस तरीके से काम करने में सक्षम बनाया जा सके जो केंद्र सरकार चाहती है।

घ. राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए "राज्यपाल के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं", 183 और "कर सकते हैं"

178 (1977) 3 एस. सी. सी. 392179 (1994) 3 एस. सी. सी. 1

180 मुख्य न्यायाधीश बेग (पैराग्राफ 45) 181 न्यायमूर्ति भगवती (पैराग्राफ 150) 182 मुख्य न्यायाधीश बेग (पैराग्राफ 37) 183 मुख्य न्यायाधीश बेग (पैराग्राफ 66)

राज्यपाल इस तरह की शक्ति का जो भी प्रयोग कर सकता था।" 184 यदि सत्ता के प्रयोग का परिणाम शून्य और अपरिवर्तनीय है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।इसमें किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति शामिल है; और

ङ. संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की पूर्व शर्त नहीं है।भले ही ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, घोषणा की न्यूनतम शेल्फ लाइफ दो महीने है क्योंकि तत्काल स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।185 उन दो महीनों में की गई अपरिवर्तनीय कार्रवाइयों जैसे कि विधानसभा को भंग करना और नए सिरे से चुनाव कराना भले ही घोषणा को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए 186 वास्तव में, राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 356 (1) (बी) में निहित है।187

185.राजस्थान राज्य (ऊपर) में, इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने संसदीय निरीक्षण के बिना केंद्र सरकार को निर्बाध कार्यकारी शक्ति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 356 को व्यापक रूप से पढ़ा।संक्षेप में, केंद्र सरकार (राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करने वाली) एकतरफा रूप से राज्य की सरकार को हटा सकती है और राज्य के निवासियों के संघीय हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों को पूरी तरह से निरस्त करते हुए राज्य की विधानसभा को भंग कर सकती है।यद्यपि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने की शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है, समीक्षा के लिए आधार दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों तक सीमित थे।

186. एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय ने कानून की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया।इस मामले में, इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने घोषणा पर संसदीय नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' की न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

187. एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के दायरे पर व्यापक रूप से विचार किया।कानून के कई प्रश्नों पर,

184 न्यायमूर्ति भगवती (अनुच्छेद 146)

185 मुख्य न्यायाधीश बेग (पैराग्राफ 89); न्यायमूर्ति भगवती (पैराग्राफ 146) 186 न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ (पैराग्राफ 125 और 126)

187 न्यायमूर्ति फजल अली (पैराग्राफ 218)

पीठ राजस्थान राज्य (ऊपर) में तर्क से असहमत थी।अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों के दायरे के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन का एक मुख्य कारण अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का दुरुपयोग था।जब संविधान सभा वर्तमान रूप में अनुच्छेद 356 के मसौदे पर चर्चा कर रही थी, तो डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और यह एक मृत पत्र बना रहेगा।188 हालाँकि, जब तक इस न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई (ऊपर) का फैसला किया, तब तक राष्ट्रपति ने नब्बे से अधिक बार अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग किया था।189 जबकि संविधान सभा के सदस्यों को उम्मीद थी कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा, इतिहास ने संकेत दिया कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का अक्सर दुरुपयोग किया गया है।संविधान सभा की बहसों में, श्री संथानम ने कहा कि यह केवल मजबूत परंपराएं हैं जो अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के दुरुपयोग को रोकेंगी। 190 एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में इस न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति पर सीमाएं लगा दीं और राष्ट्रपति उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया।एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में अनुच्छेद 356 की इस अदालत की व्याख्या ने इसके दुरुपयोग को रोक दिया है, जिससे प्रावधान के तहत शक्ति के प्रयोग पर मजबूत परंपराएं बनी हैं।

188. एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में अनुपात निर्णय पर चर्चा करने के उद्देश्य से, हम न्यायमूर्ति सावंत की राय का उल्लेख करेंगे, जिन्होंने अपने लिए राय लिखी और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, जिनके साथ न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी (अपने और न्यायमूर्ति अग्रवाल के लिए लिखते हुए) एक महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़कर काफी हद तक सहमत थे।न्यायमूर्ति पांडियन ने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की राय से सहमति व्यक्त की।बहुमत की राय का अनुपात नीचे संक्षेप में दिया गया हैः

188 “वास्तव में मैं व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं. कि हमें जो उचित उम्मीद करनी चाहिए वह यह है कि इस तरह के लेखों को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और वे एक मृत पत्र बने रहेंगे।अगर उन्हें लागू किया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति, जो इन सभी शक्तियों से संपन्न हैं, वास्तव में प्रांतों के प्रशासन को निलंबित करने से पहले उचित सावधानी बरतेंगे।मुझे उम्मीद है कि वह जो पहला काम करेंगे वह केवल एक ऐसे प्रांत को चेतावनी देना होगा जिसने गलती की है, कि चीजें उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से वे संविधान में होने वाले थे।” (संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। IX,पी. 177)

189 न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति अहमदी के निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है।190 संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। 9, 3 अगस्त 1949 113

ए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से या 'अन्यथा' वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।

बी। अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।अनुच्छेद 74 (2) केवल न्यायालय को यह पूछताछ करने से रोकता है कि क्या कोई सलाह दी गई थी, लेकिन सलाह का आधार बनने वाली सामग्री की जांच पर रोक नहीं लगाता है।न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का संकेत देने के लिए कोई सामग्री थी।जबकि सामग्री की पर्याप्तता पर अदालतों द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ऐसी सामग्री से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है।एक बार जब याची घोषणा को चुनौती देते हुए प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, तो यह साबित करने का भार केंद्र सरकार पर चला जाता है कि घोषणा प्रासंगिक सामग्री द्वारा समर्थित थी।

ग. अनुच्छेद 356 (3) जो यह आदेश देता है कि उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाए, राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी करने की शक्ति पर एक नियंत्रण है।राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) के तहत 'अपरिवर्तनीय' कार्रवाई करने की शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि दोनों सदन घोषणा को मंजूरी नहीं दे देते।यही कारण है कि राष्ट्रपति तब तक विधान सभा को भंग नहीं कर सकते (जो एक अपरिवर्तनीय कार्रवाई है) जब तक कि संसद के दोनों सदन घोषणा को "कम से कम" मंजूरी नहीं देते;

घ. विधान सभा का विघटन उद्घोषणा जारी करने का "स्वाभाविक परिणाम" नहीं है।

ई. उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव उद्घोषणा और उसके तहत की गई कार्रवाइयों को बचा नहीं सकता है यदि न्यायालय मानता है कि उद्घोषणा अमान्य है।यदि घोषणा अमान्य है, तो न्यायालय के लिए पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए यह खुला रहेगा, जिसमें विधानसभा की बहाली भी शामिल होगी यदि इसे भंग कर दिया गया है; और

च. न्यायालय/विधान सभा/संसद के पास ऐसे कार्यों या कानूनों की समीक्षा, निरसन और संशोधन करने की शक्ति है जो किए गए थे।

जब घोषणा लागू थी।191 न्यायालय उन विशिष्ट कार्यों को मान्य कर सकता है जो विधान सभा को बहाल करने जैसे मान्य किए जाने में सक्षम हैं।192

189. इस न्यायालय के लिए राजस्थान राज्य (ऊपर) और एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में निर्णयों को विस्तार से संबोधित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी करने के लिए

राष्ट्रपति की शक्ति की व्याख्या करने के दृष्टिकोण में बदलाव से यह भी निर्धारित होगा कि घोषणा जारी होने के बाद राष्ट्रपति और संसद की शक्ति पर कोई सीमाएं हैं या नहीं।एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में लिए गए निर्णय से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिससे राजस्थान राज्य (ऊपर) में स्थिति में बदलाव आया हैः

ए। इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य (उपरोक्त) में अपने सात-न्यायाधीशों के फैसले में अनुच्छेद 356 की व्याख्या का विकल्प चुना, जिसका एक केंद्रगामी प्रभाव था, यानी इसकी एक केंद्रीकरण प्रवृत्ति थी जिसके कारण केंद्र के साथ और संघात्मक राज्यों से दूर सत्ता का संचय हुआ।यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा के संकीर्ण दायरे और इस धारणा से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (3) के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा को मंजूरी देने से पहले ही अपरिवर्तनीय कार्रवाई (विधान सभा को भंग करने सहित) कर सकते हैं। हालाँकि, इस न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में नौ न्यायाधीशों के एक बड़े संयोजन में एक ऐसी व्याख्या का विकल्प चुना जिसका एक केंद्रापसारक प्रभाव था, यानी एक ऐसी व्याख्या जो संघात्मक राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाती है।वास्तव में, न्यायमूर्ति सावंत की राय स्पष्ट रूप से नोट करती है कि एक ऐसी व्याख्या जो संवैधानिक ताने-बाने को संरक्षित करती है और नष्ट नहीं करती है, उसे चुना जाना चाहिए।यह इस न्यायालय द्वारा उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करने और इस धारणा से स्पष्ट है कि संसद द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी देने से पहले अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है।एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में अनुच्छेद 356 की व्याख्या संघवाद और विधायी (और कार्यकारी नहीं) सर्वोच्चता के संवैधानिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में थी।एस. आर. में निर्णय

191 न्यायमूर्ति रेड्डी (पैरा 292) 192 न्यायमूर्ति सावंत (पैरा 114)

बोम्मई (ऊपर) ने निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, जबकि राजस्थान राज्य (ऊपर) में निर्णय सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था; और

बी। राजस्थान राज्य (ऊपर) में निर्धारित न्यायिक समीक्षा का मानक कि क्या अनुच्छेद 356 के तहत बाहरी विचारों के कारण शक्ति का प्रयोग किया गया, केवल घोषणा जारी करने के उद्देश्य (या कारणों) पर केंद्रित था।संघ को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि उद्देश्य वास्तव में मौजूद था।एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में घोषणा की न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार करने के निर्णय ने केंद्र सरकार पर शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने की जिम्मेदारी डाल दी।संघ को सामग्री प्रस्तुत करने के माध्यम से यह दिखाने की आवश्यकता थी कि संवैधानिक तंत्र टूट गया था जैसा कि दावा किया गया था।समीक्षा के मानक में यह परिवर्तन सम्मान की संस्कृति से न्याय की संस्कृति में बदलाव का संकेत देता है।इसका कारण यह है कि (क) यह निर्णय लेते समय कि क्या केंद्र सरकार ने अपने कार्यों को उचित ठहराया है, न्यायालय को संघीय ढांचे पर अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के प्रभाव का भी आकलन करना चाहिए।

ग. घोषणा के बाद शक्ति के प्रयोग की वैधता पर एस. आर. बोम्मई

190. एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में बहुमत ने अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक अधिक कठोर मानक तैयार किया।निर्णय का प्राथमिक ध्यान अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा की वैधता की न्यायिक रूप से समीक्षा करने के लिए लागू किए जाने वाले मानक पर है।हालाँकि, इसके अलावा, इस न्यायालय ने एक घोषणा जारी होने के बाद शक्ति के प्रयोग की सीमाओं पर कुछ टिप्पणियां कीं।एस. आर. बोम्मई (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या अनुच्छेद 356 (1) (ए) एक घोषणा जारी होने के बाद संघ द्वारा विधायी और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा रखता है और अधिक विशिष्ट रूप से, क्या राज्य की विधानसभा और राजनीतिक कार्यपालिका का विघटन अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग का एक स्वाभाविक परिणाम है।इस न्यायालय ने इस प्रश्न का निम्नलिखित तरीके से अवलोकन किया:

ए। न्यायमूर्ति सावंत ने कहा कि यह राष्ट्रपति के लिए खुला रहेगा कि वह केवल राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका को निलंबित करें और उन्हें भंग न करें।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह व्याख्या अनुच्छेद 356 (1) (सी) के पठन के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान।

घोषणा की जाएगी।यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति को कुछ कार्यों को संभालने की अनुमति होगी।

उन्हें निलंबित या हटाए बिना सरकार का:

“108. […] इस मुद्दे पर चर्चा की सराहना करने के लिए, यह महसूस करना आवश्यक है कि सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यदि वह अनुच्छेद 356 (1) के उपखंड (ए) के तहत क्रमशः अनुच्छेद 164 (1) और 174 (2) (बी) के तहत राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है, हालांकि यह घोषणा जारी करते समय न तो आवश्यक है और न ही अनिवार्य है।दूसरे शब्दों में, मंत्रालय को हटाना या विधानसभा को भंग करना उद्घोषणा जारी करने का स्वतः परिणाम नहीं है।अनुच्छेद 356 (1) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) के तहत शक्तियों का प्रयोग राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका और विधानमंडल के केवल निलंबन के साथ भी हो सकता है।उपखंड

(ग) अनुच्छेद **356 (1)** इसे स्पष्ट करता है।यह घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक और परिणामी प्रावधानों की बात करता है**,** जिसमें राज्य में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान के पूर्ण या आंशिक संचालन का निलंबन शामिल है।**[...]** कानूनी रूप से**,** यह

अनुच्छेद 356 (1) के तहत, सबसे पहले, केवल राजनीतिक कार्यपालिका या राज्य के किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण और राज्य के विधानमंडल को निलंबित करने और उन्हें हटाने या भंग करने की अनुमति नहीं है।

दूसरा, राष्ट्रपति के लिए यह भी अनुमेय है कि वह केवल राजनीतिक कार्यपालिका या विधानमंडल के अलावा राज्य के किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के कुछ कार्यों को ग्रहण कर सकता है, जबकि उन्हें न तो निलंबित कर सकता है और न ही हटा सकता है।"

(जोर दिया गया) बी।न्यायमूर्ति रेड्डी उपरोक्त मुद्दे का जवाब देते हुए न्यायमूर्ति सावंत की टिप्पणियों से इस हद तक सहमत थे कि विधानसभा का विघटन एक स्वचालित परिणाम नहीं है।विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति को केवल इसलिए राज्य के विधानमंडल को भंग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति है।उनकी राय में, शक्ति का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद ही किया जाना चाहिएः

117

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 118

"288. […] शक्ति के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि विधानसभा के विघटन को या तो अनिवार्य माना जाना चाहिए या जब भी राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जाता है तो निश्चित रूप से आदेश दिया जाना चाहिए।यह राष्ट्रपति के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करने का विषय होना चाहिए कि क्या विधानसभा को भी भंग किया जाना चाहिए या नहीं।यदि वह सोचता है कि इसे इस तरह से भंग कर दिया जाना चाहिए, तो यह उचित, वास्तव में अत्यधिक वांछनीय होगा कि वह इस तरह के असाधारण कदम के कारणों को क्रम में ही बताए।"

तथापि, न्यायमूर्ति रेड्डी ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति के लिए सरकार को बर्खास्त किए बिना सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा क्योंकिःसबसे पहले, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा केवल तभी जारी कर सकते हैं जब राज्य में समग्र रूप से संवैधानिक तंत्र (और एक या दो कार्य नहीं) विफल हो जाता है; और दूसरा, जो एक ही क्षेत्र में काम करने वाली दो सरकारों की अवधारणा को लागू करेगा।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

"293. श्री राम जेठमलानी ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त किए बिना राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को संभाल सकते हैं।उपखंड (1) में "सभी या कोई भी" शब्दों बल दिया गया है।विशेष रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां राज्य सरकार एक या कुछ कार्यों को करने में विफल पाई जाती है, वहां स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के उन कार्यों को ग्रहण किया जा सकता है।स्थिति को सुधारने के बाद, वकील ने कहा, राष्ट्रपति उन कार्यों को राज्य सरकार को वापस दे देंगे और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त करने का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं होगी।विद्वान अधिवक्ता ने मोटर कार का सादृश्य दिया-यदि कार के

एक या कुछ भाग खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, तो किसी को कार को फेंकने की आवश्यकता नहीं है।उस या उन विशेष भागों को बदला या ठीक किया जा सकता है और कार फिर से सामान्य रूप से काम करेगी।उक्त व्याख्या से सहमत होना कठिन पंथ है।अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाए कि "राज्य की सरकार को चलाया नहीं जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार "।"राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता" लेख का शीर्षक भी उसके द्वारा विचार की गई स्थिति की प्रकृति पर प्रकाश डालता है।इसका अर्थ है ऐसी स्थिति जहां राज्य सरकार, न कि सरकार के एक या कुछ कार्यों को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।असमर्थता या

उपर्युक्त अयोग्यता या तो सरकार के एक या अधिक कार्यों के गैर-प्रदर्शन या खराब प्रदर्शन के कारण या सरकार की किसी भी शक्ति, कर्तव्यों और दायित्वों के दुरुपयोग या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हो सकती है।अनुच्छेद **356 (1)** के तहत एक घोषणा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को हटाने पर विचार करती है क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को चलाने में असमर्थ या अयोग्य पाई जाती है।हमारे देश में

राय माना जाता है, तर्क को प्रभाव देना संभव नहीं है

श्री राम जेठमलानी।इस तरह के तर्क को स्वीकार करने से एक ही क्षेत्र में दो सरकारों की अवधारणा की शुरुआत होगी-केंद्र सरकार राज्य सरकार और राज्य सरकार की एक या कुछ शक्तियों का प्रयोग करती है।

बाकी काम करें।इसकी नवीनता के अलावा, ऐसी स्थिति, हमारी राय में, अनुच्छेद 356 के अंतर्निहित उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देती है और न ही यह व्यावहारिक है।"

(जोर दिया गया) 191।न्यायमूर्ति सावंत और न्यायमूर्ति रेड्डी दोनों ने कहा कि जब कोई घोषणा जारी की जाती है, तो राज्य की विधानसभा का विघटन एक स्वचालित परिणाम नहीं है और क्या विधानसभा को निलंबित किया जाना चाहिए या भंग किया जाना चाहिए, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है।हालाँकि, वे इस मुद्दे पर असहमत थे कि क्या सरकार को हटाना अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग का एक आवश्यक परिणाम है।न्यायमूर्ति सावंत ने कहा कि यह एक आवश्यक परिणाम नहीं है।न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि यह एक आवश्यक परिणाम है क्योंकि अन्यथा यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा एक ही क्षेत्र में एक साथ शासन करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।हम न्यायमूर्ति रेड्डी के विचार से सहमत हैं।'राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य' वाक्यांश के अर्थ को इस अर्थ में नहीं बढ़ाया जा सकता है कि केंद्र सरकार कुछ शक्तियों का प्रयोग करती है।

राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की, जबकि शेष शक्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हैं।राज्य सरकार का निलंबन अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग का एक आवश्यक परिणाम है।

192. अनुच्छेद 356 के तहत जारी एक घोषणा दो स्तरों पर संघीय सिद्धांतों को प्रभावित करती है। प्रथम स्तर पर, राज्यों की संघीय प्रकृति कमजोर हो जाती है क्योंकि संघ को राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को संभालने का अधिकार है।घोषणा के संचालन के दौरान, राज्य अपनी स्वायत्तता खो देता है जो एक संघीय राज्य की मुख्य विशेषता है।दूसरे स्तर पर, अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा राष्ट्रपति द्वारा संसद की मंजूरी के बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर जारी की जा सकती है।उद्घोषणा का न्यूनतम कार्यकाल दो महीने का होता है जिसे संसद द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव पर बढ़ाया जाता है।यद्यपि संसद द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू करता है, लेकिन यह संघवाद के सिद्धांत को बहाल नहीं करता है।एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में बहुमत संघीय सिद्धांतों पर घोषणा के प्रभाव के प्रति सचेत था।न्यायमूर्ति रेड्डी की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि केवल वही कदम उठाए जाने चाहिए जो घोषणा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

193. अगला मुद्दा जिसे न्यायालय ने संबोधित किया वह यह था कि क्या राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायसंगत है।एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्थिति को सुधारने के लिए जिन उपायों की आवश्यकता होगी, वे स्थिति की प्रकृति या संवैधानिक तंत्र की विफलता की डिग्री के आधार पर अलग-अलग होंगे।याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यदि राष्ट्रपति अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग उपायों का सहारा नहीं लेते हैं तो यह "शक्ति का असमान और अनुचित प्रयोग" होगा।प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित उद्धरण में सबसे अच्छा रिफिल किया गया हैः

“108. […] एक मजबूत तर्क उठाया गया था कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की परिस्थितियाँ प्रकृति और सीमा में भिन्न हो सकती हैं, और इसलिए स्थितियों को सुधारने के उपाय प्रकार और डिग्री दोनों में भिन्न हो सकते हैं।यह शक्ति का एक असमान और अनुचित प्रयोग होगा यदि सरकार को हटाने या विधानसभा को भंग करने का आदेश तब दिया जाता है जब स्थिति की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 (1) (ए) के तहत राज्य की सरकार या राज्य में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के कुछ कार्यों या शक्तियों की केवल धारणा थी।शक्ति का अत्यधिक उपयोग भी अवैध, तर्कहीन है।

और शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग।इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि आनुपातिकता का सिद्धांत इस संदर्भ में प्रासंगिक है और ऐसी परिस्थितियों में इसे लागू किया जाना चाहिए।”

194. यह मुद्दा कि क्या राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की गई शक्ति की सीमा किसी विशेष स्थिति में न्यायसंगत है, एक ऐसा प्रश्न है जो न्यायमूर्ति सावंत की राय में "बहस योग्य और न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय मानकों से परे रहेगा जब तक कि अत्यधिक शक्ति का प्रयोग इतना स्पष्ट रूप से तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न हो कि न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सके।"अधिक कठोर मानक लागू करने से, उनकी राय में, न्यायालय एक उपाय के तुलनात्मक गुणों को दूसरे पर निर्णय देगा जो इसे 'राजनीतिक-समूह' में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगाः

“108. […] इसलिए राष्ट्रपति के लिए यह संभव है कि वह विचाराधीन स्थिति से निपटने के लिए अनुच्छेद 356 (1) के तहत निहित कुछ आवश्यक शक्तियों का ही उपयोग कर सके।राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता चाहे जो भी हो, उसे सभी स्थितियों का सामना करने के लिए सभी शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।उस हद तक, यह तर्क वास्तव में वैध है।हालाँकि, क्या किसी विशेष स्थिति में उपयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा उचित और न्यायसंगत है, यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहस योग्य और न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय मानकों से परे रहेगा जब तक कि अत्यधिक शक्ति का प्रयोग इतना स्पष्ट रूप से तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न हो कि न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सके।वास्तव में, एक बार जब उद्घोषणा जारी करना वैध माना जाता है, तो उद्घोषणा के तहत उपयोग की जाने वाली शक्ति के प्रकार और डिग्री की जांच एक संकीर्ण दिशा में आती है।इस बात का पूरा खतरा और डर है कि न्यायालय अपने ऊपर दूसरे माप के बजाय एक के तुलनात्मक गुणों का मूल्यांकन करने का कार्य अपने स्वयं के चश्मे से करती है। इस प्रकार न्यायालय अनजाने में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा और नीति-निर्माण पर अतिक्रमण के आरोपों के लिए खुद को अधिक आसानी से प्रस्तुत करेगा।ऐसी परिस्थितियों में "राजनीतिक सघन" आपत्ति अधिक आसानी से बनी रहती है।यद्यपि, इसलिए, अनुच्छेद 356 (1) की भाषा पर, यह अभिनिर्धारित करना वैध है कि राष्ट्रपति केवल उन्हें दी गई कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहार में शक्ति के अत्यधिक उपयोग को प्रदर्शित करना हमेशा आसान नहीं हो सकता है।”

(जोर दिया गया) 195।न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति को कार्रवाई की सलाह और आवश्यकता पर विचार करना चाहिएः

“280. 'हो सकता है' शब्द का उपयोग न केवल एक विवेक को दर्शाता है, बल्कि कार्रवाई की सलाह और आवश्यकता पर विचार करने का दायित्व भी दर्शाता है।इसमें यह विचार करने का दायित्व भी शामिल है कि उपखंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट कई चरणों में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए और किस हद तक?विधान सभा का विघटन-यह मानते हुए कि इसकी अनुमति है-निश्चित रूप से कोई बात नहीं है।इसका सहारा केवल तभी लिया जाना चाहिए जब घोषणा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हो।

289. […] एक बार जब संसद घोषणा पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा देती है, तो घोषणा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम, यानी विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया जा सकता

है।दूसरे शब्दों में, एक बार जब संसद अपनी शक्ति के प्रारंभिक प्रयोग को मंजूरी दे देती है, यानी उनका संतोष कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहां राज्य की सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था, तो राष्ट्रपति आगे बढ़ सकते हैं और घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।अनुमोदन तक, वह केवल विधानसभा को निलंबित एनिमेशन के तहत रख सकते हैं लेकिन इसे भंग नहीं करेंगे।" (जोर दिया गया) 196। न्यायमूर्ति सावंत और न्यायमूर्ति रेड्डी के निर्णयों को समग्र रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है।हालाँकि, उद्घोषणा जारी होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग की वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले मानक पर विद्वान न्यायाधीशों के निर्णयों में कुछ भिन्नताएँ थीं। न्यायमूर्ति सावंत ने इस मानक को लागू किया कि क्या शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था या स्पष्ट रूप से तर्कहीन था।न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि कार्रवाई की सलाह और आवश्यकता को राष्ट्रपति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

घ. भाग 18 की व्याख्या

197. फिवे न्यायाधीशों के संयोजन में बैठने वाली यह पीठ इस मुद्दे पर बहुमत के निर्णय से बाध्य है कि क्या घोषणा जारी होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है।हम एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में निर्णय से उभरने वाले सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अनुच्छेद 356 और समग्र रूप से भाग XVIII का पाठ और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन स्वतंत्र रूप से करना उचित मानते हैं।

I. अनुच्छेद **352** और **356** के तहत राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की तुलना

198. भाग XVIII दो प्रकार की आपात स्थितियों, राष्ट्रीय आपात स्थितियों और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है।अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का आह्वान और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आह्वान संविधान के सामान्य संचालन के अपवादों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां एक तत्काल आंतरिक या बाहरी खतरे से निपटने के लिए, संविधान अस्थायी रूप से राष्ट्रपति और संसद को कुछ शक्तियां देता है जब तक कि खतरा कम नहीं हो जाता और सामान्य संवैधानिक शासन बहाल नहीं हो जाता।इस असाधारण शक्ति का आह्वान और संचालन स्वयं संविधान और इस प्रकार कानून के शासन के अधीन है।राष्ट्रीय आपात स्थितियों के मामले में, अनुच्छेद 353, और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के मामले में, अनुच्छेद 356 (1) स्पष्ट रूप से आपातकाल के कानूनी प्रभावों को निरूपित करता है और उन शक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है जिनका प्रयोग केंद्र सरकार और संसद द्वारा ऐसी आपात स्थितियों के दौरान किया जा सकता है।नतीजतन, राष्ट्रपति और संसद को शक्तियों का प्रत्यायोजन भी भाग XVIII के संवैधानिक पाठ द्वारा शासित होता है। आपातकाल की शक्तियों का प्रावधान करने वाले संविधान

का प्रमुख परिणाम किसी भी अतिरिक्त-कानूनी या अतिरिक्त-संवैधानिक शक्ति की धारणा की अवहेलना और कानून के शासन की सर्वोच्चता की पुनरावृत्ति है।आपातकाल के दौरान भी सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक बाधाओं के अधीन किया जाना चाहिए।इस न्यायालय का कार्य राष्ट्रपति शासन के आह्वान के दौरान संघ की शक्ति पर किसी भी निहित अतिरिक्त-संवैधानिक सीमाओं का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और योजनाओं की व्याख्या करना है कि क्या संविधान राष्ट्रपति शासन के आह्वान के दौरान संघ की शक्ति पर कोई सीमाएं रखता है, और यदि हां, तो वे सीमाएं क्या हैं।

199. अनुच्छेद 352 और 356 के तहत शक्तियों को संघवाद के सिद्धांत पर इन शक्तियों के निहितार्थ के संदर्भ के बिना ठीक से नहीं समझा जा सकता है।राष्ट्रीय आपात स्थिति और राष्ट्रपति शासन लागू करना दोनों ही संघीय सिद्धांत के सीमित संवैधानिक रूप से स्वीकृत अपवादों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आम तौर पर यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकारें और विधानमंडल अपने संचालन के क्षेत्र में सर्वोच्च हैं।अनुच्छेद 352 और 356 में निर्धारित सीमित परिस्थितियों में, संविधान स्वयं संविधान के सामान्य संचालन को बहाल करने के लिए संघ को शक्ति के अस्थायी और सीमित प्रत्यायोजन की आवश्यकता बताता है।

123

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 124

200. अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा जारी करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है या क्षेत्र के किसी भी हिस्से को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है।अनुच्छेद 356 के समान, घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।अनुच्छेद 353 में कहा गया है कि जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यों को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित होगी, और कानून बनाने की संसद की शक्ति राज्य सूची के मामलों तक विस्तारित होगी।इसके अलावा, जब एक राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो संविधान का अनुच्छेद 19,193 और भाग III (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है।194 इस प्रकार, किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे भाग III (अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

201. अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने पर संघ को प्रदत्त कार्यकारी और विधायी शक्ति निम्न कारणों से अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा जारी करने पर प्रदत्त शक्ति की तुलना में संकीर्ण है:

ए। अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने के आधारों की तुलना में अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आधार बहुत गंभीर है।अनुच्छेद 352 में पूरे राष्ट्र या उसके कुछ हिस्सों की सुरक्षा के लिए खतरे शामिल हैं।अनुच्छेद 352 में जमीनी "आंतरिक आक्रामकता" को संविधान

(44 वां संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा "सशस्त्र विद्रोह" के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन इंगित करता है कि एक राष्ट्रीय आपातकाल जिसके व्यापक परिणाम हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन भी शामिल है, केवल गंभीर स्थितियों में घोषित किया जा सकता है।यह एक स्वाभाविक परिणाम है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल से निपटने के लिए संघ को जिस कार्यपालिका और विधायी शक्ति की आवश्यकता होगी, वह अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक शक्ति से अलग होगी।

193 अनुच्छेद 358 194 अनुच्छेद 359

बी। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के आधारों के बीच भी एक पदानुक्रम बनाता है।अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण से खतरे में पड़े क्षेत्र पर आपातकाल घोषित किया जाता है।प्रावधान विशेष रूप से सशस्त्र विद्रोह के आधार को बाहर करता है।सशस्त्र विद्रोह के आधार को अनुच्छेद 358 के दायरे से बाहर रखने से संकेत मिलता है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन केवल तभी आवश्यक है जब राष्ट्रीय आपातकाल को गंभीर आधार पर घोषित किया जाए।यह उस निष्कर्ष का भी समर्थन करता है जो हमने ऊपर किया है कि संघ द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी और विधायी शक्ति का दायरा उस आधार से संबंधित है जिसके लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया जाता है; और

ग. जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य और संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए निर्देश देने तक विस्तारित होगी, भले ही वह इसकी विधायी शक्तियों के दायरे से बाहर हो।195 अनुच्छेद 252 इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।इस प्रावधान में कहा गया है कि जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो संसद को सातवीं अनुसूची की सूची II में उल्लिखित मामलों पर भी भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी।हालाँकि, जब अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी की जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) के उप-खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित शक्तियों को ग्रहण या घोषित कर सकता है।इस प्रकार, जबकि अनुच्छेद 353 में उल्लिखित शक्तियां राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का एक स्वाभाविक परिणाम हैं, अनुच्छेद 356 (1) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित शक्तियां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग से स्वचालित रूप से प्रभावित नहीं होती हैं।बल्कि, राष्ट्रपति को विवेक के प्रयोग पर शक्तियों के प्रयोग का दायरा तय करना चाहिए।

II. अनुच्छेद 356 की व्याख्या

202. अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा कह सकते हैं:

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 126

ए। राज्य सरकार के कार्यों में से "सभी या कोई भी" और राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल के अलावा राज्य में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य शक्तियों में से "सभी या कोई भी" अपने लिए मान लें;

बी। घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा; और

ग. ऐसे आनुषंगिक या परिणामी प्रावधान करें जो प्रतीत होते हैं -

राष्ट्रपति को प्रभाव देने के लिए आवश्यक या वांछनीय होना

घोषणा के उद्देश्य।इसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने की शक्ति शामिल है।

203. अनुच्छेद 356 इंगित करता है किः

ए। अनुच्छेद 356 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शक्तियों को अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी होने पर स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जाता है।राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा में संघ द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का दायरा निर्धारित किया जाना चाहिए।यह अनुच्छेद 356 (1) से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा द्वारा अनुच्छेद 356 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्धारित शक्तियों को ग्रहण या घोषित कर सकता है।

बी। राज्य सरकार का निलंबन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी करने का एक आवश्यक परिणाम है।राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करते समय राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है जो वह एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में रखता है और एक राजनीतिक कार्यकारी के रूप में राज्य सरकार के कार्यों का प्रयोग करता है जिसका प्रयोग वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करेगा।हालांकि, अनुच्छेद 356 (1) (ए) सभी या कोई नहीं सूत्र का विकल्प नहीं चुनता है।"सभी या कोई भी" वाक्यांश से यह संकेत नहीं मिलता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों के एक हिस्से का प्रयोग कर सकती है और राज्य सरकार शेष का प्रयोग कर सकती है क्योंकि राज्य सरकार का निलंबन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा का एक स्वचालित परिणाम है।बल्कि यह इंगित करता है कि संघ द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का दायरा

सरकार को घोषणा जारी करने के लिए परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए;

ग. राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति या तो राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि विधानसभा निलंबित अवस्था में होगी।राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत संसद को राज्य की विधायी शक्तियां प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत शक्ति अनुच्छेद 356 (1) (ए) के तहत शक्ति से स्वतंत्र है।

घ. अनुच्छेद 356 (1) (ग) के आधार पर, राष्ट्रपति के पास ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करने की शक्ति है जो घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हैं, जिसमें राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति भी शामिल है।हालाँकि, राष्ट्रपति न तो उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और न ही उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं।प्रावधान के उद्देश्य को समझने के लिए अनुच्छेद 356 (1) (सी) की तीन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।पहला, खंड (ए) और (बी) के विपरीत जो विशिष्ट सी शक्तियों से संबंधित हैं, खंड (सी) को व्यापक रूप से शब्दबद्ध किया गया है।यह घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए "आकस्मिक और परिणामी प्रावधान" बनाने की शक्ति को समाहित करता है।वाक्यांश "आनुषंगिक और परिणामी" अनुच्छेद 356 (1) (सी) के बाद के भाग को अर्हता प्रदान करता है, अर्थात "घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए"।दूसरा, खंड (ग) में निर्धारित शक्ति किसी निकाय से संबंधित संविधान के एक हिस्से को निलंबित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को समाहित करती है, लेकिन यह उससे सीमित नहीं है। तीसरा, "किसी भी प्राधिकरण" की शक्तियों को निलंबित करने या लेने की राष्ट्रपति की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्तियों तक नहीं फैली है; और

ई. अनुच्छेद 356 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) राष्ट्रपति को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान करते हैं। तथापि, खंड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्ति इतनी व्यापक है कि वह खंड (क) के अधीन कार्य ग्रहण करने की राष्ट्रपति की शक्ति को समाहित करती है और (ख) के अधीन घोषणा करती है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा।

204. अनुच्छेद 356 (1) (सी) में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग 127 को प्रभाव देने के लिए "वांछनीय या आवश्यक" होना चाहिए।

उद्घोषणा के उद्देश्य।अनुच्छेद 356 (1) (सी) में 'आवश्यक' और 'वांछनीय' वाक्यांश वस्तु के साथ संबंध के विभिन्न मानकों को दर्शाते हैं।जबकि 'आवश्यक' उस अर्थ को समाहित करता है जो अपरिहार्य या अपरिहार्य है, इस प्रकार, एक कठोर मानक की शुरुआत करते हुए, वाक्यांश 'वांछनीय' एक व्यापक मानक प्रदान करते हुए संभव या उपयुक्त के अर्थ को समाहित करता है।"आवश्यकता" और "वांछनीयता" दोनों मानकों में समानता यह है कि शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए।इस प्रकार, जो सिद्धांत अनुच्छेद 356 (1) (सी) के माध्यम से चलता है और जो अनुच्छेद 356 (1) (ए) के तहत शक्ति के प्रयोग का भी

मार्गदर्शन करता है, वह यह है कि शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए।

205. सरकारिया आयोग ने चार स्थितियों की पहचान की जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है जिसमें शामिल हैं:(क) किसी भी दल या दलों के गठबंधन की व्यवहार्य बहुमत बनाने में असमर्थता से उत्पन्न राजनीतिक संकट; (ख) जिम्मेदार सरकार को कमजोर करने के लिए राज्य सरकार के प्रभाव के परिणामस्वरूप आंतरिक विध्वंस; (ग) आंतरिक अशांति का जवाब देने में असमर्थता के बाद भौतिक रूप से टूटना; और (घ) संघ का पालन न करना, उदाहरण के लिए युद्ध के दौरान निर्देशों का पालन करने से इनकार करना।यद्यपि उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में उद्देश्य राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना है, लेकिन घोषणा जारी करने का विशिष्ट उद्देश्य अलग-अलग है।पूर्ववर्ती पैराग्राफ में संपादित मानक पहचान को लागू करते समय, इस न्यायालय को उस विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्य के खिलाफ शक्ति के प्रयोग की वैधता पर विचार करना चाहिए जिसके लिए अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी की गई थी।

206. घोषणा के निर्वाह के दौरान किए गए कार्यों का उस अवधि के दौरान शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता के साथ निकट संबंध होना चाहिए, जिस अवधि में घोषणा राज्य में लागू रहती है।अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आवश्यक है।अनुच्छेद में परिकल्पित संवैधानिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य राज्य में संवैधानिक तंत्र के कामकाज को बहाल करना है।घोषणा का कार्यकाल समय के संदर्भ में सीमित है ताकि संघीय संवैधानिक तंत्र को अंततः बहाल किया जा सके।इसलिए, विधायी और कार्यकारी कार्रवाई को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि घोषणा के कार्यकाल के दौरान शासन के आवश्यक कार्यों को पूरा किया जाए।

विधायी और कार्यकारी कार्रवाई का राज्य में संवैधानिक तंत्र के निलंबन के अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य के साथ निकट संबंध होना चाहिए।

207. हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद की गई कार्रवाई ऊपर बताए गए आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, फिर भी समीक्षा का दायरा सीमित होगा।यह सुझाव देना बहुत कठोर दृष्टिकोण होगा कि राष्ट्रपति और संसद की प्रत्येक कार्रवाई घोषणा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होनी चाहिए।जैसा कि न्यायमूर्ति सावंत ने एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में कहा था, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद की गई कार्रवाइयों की जांच करते समय, "इस बात का पूरा जोखिम और डर है कि न्यायालय अपने आप में दूसरे उपाय के बजाय एक के तुलनात्मक गुण का मूल्यांकन करने का कार्य अपने स्तर पर करती है।" 196 राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान, राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रपति और संसद को सैकड़ों, यदि हजारों नहीं, निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन जारी रहे

और नागरिकों के दैनिक जीवन पर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव कम हो।यदि किसी राज्य की ओर से राष्ट्रपति और संसद द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है, तो यह प्रभावी रूप से प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में लाएगा जो राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई कार्रवाई से असहमत था।इस तरह का दृष्टिकोण अनुच्छेद 356 (1) (ए), 356 (1) (बी) और 356 (1) (सी) के स्पष्ट पाठ के विपरीत होगा जो राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान संघ कार्यपालिका और संसद को राज्य का शासन सौंपता है।एक और कारण है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के दौरान की गई कार्रवाइयों पर न्यायिक निरीक्षण का स्तर याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए स्तर जितना सख्त नहीं हो सकता है। राज्य के अंतरिम शासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई अधिकांश कार्रवाइयों को राज्य सरकार द्वारा सत्ता में लौटने पर उलट दिया जा सकता है।राष्ट्रपति द्वारा पारित किसी भी आदेश, नियुक्तियों, लिए गए निर्णयों को बाद में सामान्य स्थिति में लौटने पर राज्य सरकार द्वारा रद्द या उलट दिया जा सकता है।इसी तरह, भले ही संसद को राज्य विधानमंडल की ओर से कानून बनाना हो, ऐसे कानून को बाद में अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के बंद होने पर राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त किया जा सकता है।इस प्रकार, राजनीतिक प्रक्रिया स्वयं को ठीक कर सकती है और लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी भिन्नता को उनके माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है।

196 एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 (3) एस. सी. सी. 1 [108]

राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति और संसद द्वारा लिए गए निर्णयों को सामान्य स्थिति में लौटने पर तय किया जा सकता है।इन कारणों से, हम नहीं मानते कि न्यायालय को अनुच्छेद 356 के अधिरोपण के दौरान राष्ट्रपति द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर अपील में बैठना चाहिए।

208. जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई घोषणा लागू होती है, तो ऐसे असंख्य निर्णय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के उद्देश्य से लिए जाते हैं।राज्य की ओर से संघ कार्यपालिका द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय और कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती है।प्रत्येक निर्णय के लिए खुली चुनौती अराजकता और अनिश्चितता का कारण बनेगी।इससे राज्य में प्रशासन पूरी तरह से ठप हो जाएगा।यह न्यायालय इस प्रश्न में प्रवेश करेगा कि क्या यह शक्ति का वैध प्रयोग केवल तभी था जब याची प्रथम दृष्टया यह मामला बनाता है कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या बाह्य है।याची द्वारा प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने के बाद, संघ की जिम्मेदारी इस बात को सही ठहराने के लिए बदल जाती है कि शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध था।

III. 'अपरिवर्तनीयता' का तर्कःअनुच्छेद **357 (2)** की व्याख्या

और कृष्ण कुमार सिंह

209. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति मौलिक, स्थायी और अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की दिशा में नहीं फैली है, जिसे अंततः पुनर्गठित निर्वाचित विधानसभा और सरकार संवैधानिक रूप से उलटने में असमर्थ होगी।प्रस्तुतिकरण के अनुसार, अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति दैनिक प्रशासन के उद्देश्य के लिए आवश्यक निर्देशों या आदेशों के साथ-साथ पुनर्स्थापनात्मक कार्यों तक सीमित होनी चाहिए।इस बात को पुष्ट करने के लिए, अनुच्छेद 357 (2) का संदर्भ दिया गया था जिसके द्वारा राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई भी कानून (जिसे संसद अन्यथा अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होती) तब तक काम करना बंद नहीं करेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है जो राज्य की विधान सभा है।यह तर्क दिया गया था कि यदि अपरिवर्तनीय परिवर्तन किए जाते हैं तो राज्य की विधानसभा अनुच्छेद 357 (2) के संदर्भ में परिवर्तनों को पूर्ववत या परिवर्तित करने में असमर्थ होगी।210. अनुच्छेद 357 (1) (ए) में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को 'कानून बनाने की शक्ति' प्रदान करने के साथ-साथ इस कानून बनाने की शक्ति को किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपने के लिए सक्षम होगी।संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 से पहले, अनुच्छेद 357 (2) का पाठ

यह कहा गया है कि संसद या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा बनाई गई कोई भी विधि, जिसे अधिनियमित करने की क्षमता प्राधिकरण के पास नहीं होती, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के लिए, अक्षमता की सीमा तक लागू नहीं होगी, जब तक कि उस अवधि से पहले उस राज्य की विधान सभा द्वारा कानून को निरस्त, संशोधित या फिर से अधिनियमित नहीं किया जाता है।इस प्रावधान ने एक वर्ष की समाप्ति से पहले किए गए कार्यों को भी स्पष्ट रूप से बचा लिया। हालांकि, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 के बाद, अनुच्छेद 357 (2) अब यह निर्धारित करता है कि संसद या शक्ति के साथ प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी कानून घोषणा के बंद होने के बाद भी तब तक लागू रहेगी जब तक कि ऐसी कानून को निरस्त, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाता है।जबकि संशोधन से पहले, अक्षमता की सीमा तक कानून स्वचालित रूप से एक अल्प अवधि के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा, संशोधन के बाद कानून के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सक्षम विधायिका द्वारा एक स्पष्ट निरसन की आवश्यकता होती है।211. अनुच्छेद 357 (2) में संशोधन का प्रभाव दो गुना हैःएक, अनुच्छेद 357 (2) एक सक्षम प्रावधान है जहां अक्षमता के बावजूद, कानून तब तक वैध है जब तक कि इसे राज्य विधानमंडल द्वारा परिवर्तित या निरस्त नहीं किया जाता है।संशोधन से पहले, कानून के लागू रहने के लिए चर्चा के बाद राज्य विधानमंडल से एक संबद्ध अधिनियम आवश्यक था।संशोधन के बाद, राज्य विधानमंडल से अनुमोदन के एक संबद्ध अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह कानून को निरस्त करने या संशोधित करने के लिए खुला है।दूसरा, संशोधन से पहले अनुच्छेद 357 (2) में उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किए गए कार्यों को बचाने का प्रावधान था।यह प्रावधान आवश्यक

था क्योंकि बफर अवधि के बाद कानून का संचालन बंद हो जाएगा और इसलिए, कानून के संचालन के दौरान की गई कार्रवाइयों के बारे में संदेह पैदा हो सकता है।संशोधन के बाद बचत खंड को हटा दिया गया है क्योंकि घोषणा की अवधि के दौरान अधिनियमित एक कानून घोषणा के अस्तित्व में नहीं रहने के बाद भी तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता है।निरस्तीकरण कानून ऐसे मामले में कानून के अस्तित्व के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए प्रावधान करेगा।अनुच्छेद 367 (1) संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधानों को भी लागू करता है।

212. अनुच्छेद 357 (2) को पढ़ने से संकेत मिलता है कि "अपरिवर्तनीयता" का सिद्धांत निम्नलिखित कारणों से प्रावधान से प्राप्त नहीं किया जा सकता हैः

ए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य कार्यपालिका के कार्यों को संभालने की शक्ति प्रदान करता है और यह घोषणा करता है कि संसद राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करेगी, राष्ट्रपति और संसद को उन कार्यों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है जिनके लिए वह अन्यथा अक्षम है।अनुच्छेद 357 में कहा गया है कि जिन कानूनों को संसद अन्यथा अधिनियमित करने में असमर्थ है, वे घोषणा के लागू होने के बाद भी मान्य होंगे जब तक कि राज्य विधानमंडल ऐसे कानूनों को निरस्त या संशोधित नहीं करता है।इस प्रकार, जब तक ऐसा कानून या तो निरस्त या संशोधित एक संबद्ध कार्रवाई द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा कानून मान्य होगा।यह प्रावधान केवल पुनर्स्थापित राज्य विधानमंडल को विधायी स्थिति को बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है जैसा कि अधिनियमित क़ानून को निरस्त करके घोषणा से पहले मौजूद था।यह प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा नहीं रखता है।

बी। अनुच्छेद 357 केवल घोषणा के समाप्त होने के बाद कानूनों की वैधता से संबंधित है और केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्यकारी कार्रवाइयों की वैधता से संबंधित नहीं है।भले ही तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत अनुच्छेद 357 (2) के माध्यम से चलता है, इस सिद्धांत को घोषणा के लागू होने पर कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के दायरे को सीमित करने के लिए आयात नहीं किया जा सकता है; और

ग. अनुच्छेद 357 (2) भारतीय संघीय मॉडल के कामकाज को इस प्रावधान के साथ समाहित करता है कि हालांकि संघ और राज्य विधानसभाओं के बीच शक्तियों का विभाजन, जो संघीय संरचना का एक मुख्य घटक है, अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के अस्तित्व के दौरान परिवर्तित होने में सक्षम है, लेकिन संघ इकाइयों के पास घोषणा के अस्तित्व के दौरान संघ द्वारा लाए गए परिवर्तनों को उलटने या संशोधित करने की शक्ति होगी।उस अर्थ में, अनुच्छेद 357 (2) संघीय सिद्धांतों की बहाली को सक्षम बनाता है।

213. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देने के लिए कृष्ण कुमार सिंह (उपरोक्त) पर भी भरोसा किया कि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी होने के बाद अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

कृष्ण कुमार सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या किसी अध्यादेश के कानूनी प्रभाव या परिणाम किसी अध्यादेश के समाप्त होने पर समाप्त हो जाते हैं या

विधान सभा अध्यादेश को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करती है।भूपेंद्र कुमार बोस बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ

उड़ीसा 197 और टी. वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 198

कि अध्यादेश द्वारा सृजित अधिकारों का अध्यादेश के समाप्त होने के बाद भी स्थायी प्रभाव पड़ता है।निर्णय का आधार यह था कि एक अध्यादेश के प्रभाव का मूल्यांकन उसी मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए जो अस्थायी अधिनियमों पर लागू होता है।हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, जैसा कि वे उस समय थे) ने बहुमत के लिए लिखते हुए कहा कि एक अध्यादेश की तुलना एक अस्थायी अधिनियम के साथ करने में एक मौलिक भ्रांति है क्योंकि एक अध्यादेश, हालांकि अनुच्छेद 214 में दिए गए निर्णय को देखते हुए एक कानून माना जाता है, एक कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से लागू होता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई अध्यादेश अस्तित्व में नहीं रहता है, तो अध्यादेश द्वारा बनाए गए अधिकार और अन्य परिणाम भी तीन कारणों से अस्तित्व में नहीं रहते हैंःपहले, संविधान के अन्य प्रावधानों (जैसे कि अनुच्छेद 358 (1) और 359 (1)) के विपरीत अनुच्छेद 233 में कोई बचत खंड नहीं है जो अध्यादेश के लागू होने पर किए गए कार्यों या चीजों को बचाता है; दूसरा, स्थायी अधिकारों का सिद्धांत अध्यादेश जारी करने की शक्ति के लिए कुछ हद तक स्थायित्व का श्रेय देता है जो संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अपमान करता है; और तीसरा, एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कहा कि जब तक अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती है।यह सिद्धांत अध्यादेश बनाने की शक्ति पर भी लागू माना गया था। 214. कृष्ण कुमार सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष एक बाद का मुद्दा राहत के सवाल पर उठा।अर्थात्, न्यायालय क्या राहत दे सकता है जहां पूर्व की यथास्थिति की बहाली संभव नहीं थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राहत पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या अध्यादेश के तहत जो किया गया था उसे पूर्ववत करना स्पष्ट रूप से जनहित के विपरीत होगा।इस न्यायालय ने आगे कहा कि अव्यावहारिकता को एक स्वतंत्र स्थिति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह उन पहलुओं में से एक हो सकता है जिन पर न्यायालय को जनहित का आकलन करते समय विचार करना चाहिए।

215. प्रारंभिक स्तर पर, कृष्ण कुमार सिंह (उपरोक्त) में मुद्दा यह था कि क्या अध्यादेश का अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी अध्यादेश का परिणाम बना रह सकता है या क्या अध्यादेश द्वारा बनाए गए अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

197 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 945 198 (1985) 3 एस. सी. सी. 198 133

अध्यादेश के साथ अस्तित्व में होना।विधानमंडल के पुनर्मिलन से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या जब उक्त अवधि से पहले अध्यादेश को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अध्यादेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 123 और 233) से संबंधित प्रावधानों में एक खंड नहीं है जो किसी अध्यादेश के अस्तित्व में न आने के बाद उसके तहत की गई कार्रवाई को बचाता है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अनुच्छेद 356 को अनुच्छेद 357 (2) के आधार पर अलग-अलग रखा गया है, जिसके तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अधिनियमित कानून केवल घोषणा की समाप्ति पर अस्तित्व में नहीं रहते हैं, और इस प्रकार बचत खंड की कोई आवश्यकता नहीं थी।

216. अंत में, इस न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन करते हुए अनुच्छेद 213 में 'अस्तित्व समाप्त' वाक्यांश की व्यापक रूप से व्याख्या की क्योंकि संकीर्ण व्याख्या से संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को निरस्त कर दिया जाएगा, जहां कार्यकारी कार्रवाई के प्रभाव का किसी भी संसदीय निरीक्षण के बिना स्थायी प्रभाव होगा।स्मरण करने के लिए, एस. आर. बोम्मई (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा को अनुच्छेद 356 (3) के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले "अपरिवर्तनीय" परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं।अन्यथा, कार्यपालिका द्वारा शक्ति के प्रयोग पर संसदीय रोक लगाने के प्रावधान का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।इस संदर्भ में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः“290. […] "अनुमोदन" अभिव्यक्ति का एक आंतरिक अर्थ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।अस्वीकृति या गैर-अनुमोदन का अर्थ है कि संसद के सदन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की कार्रवाई उचित या वारंट नहीं थी और यह अब जारी नहीं रहेगी।ऐसे मामले में, घोषणा समाप्त हो जाती है, यानी दो महीने के अंत में लागू होना बंद हो जाता है-जिसका आवश्यक परिणाम यथास्थिति को पुनर्जीवित करना है।यह कहना कि अस्वीकृति या गैर-अनुमोदन के बावजूद, पूर्व स्थिति पुनर्जीवित नहीं होती है, इसकी सामग्री और अर्थ के अनुमोदन की अवधारणा को लूटना है।इस तरह का दृष्टिकोण खंड (3) निष्क्रिय प्रभाव द्वारा प्रदान किए गए चेक को प्रस्तुत करता है और इसका कोई भी महत्व नहीं है।कार्यपालिका संसद को बताएगीः“मैंने सरकार को बर्खास्त कर दिया है।अब, चाहे आप अनुमोदन करें या अस्वीकार करें, इसका कोई परिणाम नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में सरकार को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।कार्य पूरा हो गया है।बेहतर होगा कि आप इसे स्वीकार करें क्योंकि आपके पास व्यावहारिक रूप से कोई विकल्प नहीं है।” हमें नहीं लगता कि इस तरह का पाठ्यक्रम संसदीय सर्वोच्चता और कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के सिद्धांत के अनुरूप है।

संसदीय सर्वोच्चता का आधार।इसका मतलब वास्तव में संसद पर कार्यपालिका की सर्वोच्चता होगी।"

217. एस. आर. बोम्मई (ऊपर) में यह न्यायालय संसद द्वारा किसी घोषणा को अनुमोदित करने से पहले और अनुमोदन के बाद शक्ति के प्रयोग के बीच अंतर करता है।संसद द्वारा घोषणा की मंजूरी अनुच्छेद 356 के तहत कार्यकारी कार्रवाई को विधायी वैधता प्रदान करती है।संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिए जाने के बाद लोकतांत्रिक अवज्ञा का तर्क विफल हो जाता है।उपरोक्त कारणों से, कृष्ण कुमार सिंह (उपरोक्त) में स्थायी अधिकार सिद्धांत की अस्वीकृति को अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग की सीमाओं पर व्याख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।न तो अनुच्छेद 356 और 357 के पाठ की व्याख्या और न ही कृष्ण कुमार सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग 'अपरिवर्तनीय' परिणाम पैदा करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

218. किसी भी अन्य व्याख्या से न्यायालय परिणामों की वैधता का परीक्षण करेगा, न कि शक्ति के प्रयोग का।अपरिवर्तनीयता के आधार पर सत्ता के प्रयोग को चुनौती देने से रोजमर्रा की प्रशासनिक कार्रवाइयों को चुनौती देने का रास्ता खुलेगा, जिनके खिलाफ हमने ऊपर चेतावनी दी है।इसलिए, हम उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि इसने अपरिवर्तनीय परिणामों को जन्म दिया है।

IV. विधानमंडल के विधायी और संवैधानिक कार्यों के बीच का अंतर

219. अनुच्छेद 356 (1) (ए) में कहा गया है कि राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि "राज्य के विधानमंडल की शक्तियों" का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा।"राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ" वाक्यांश की दो प्रतिस्पर्धी व्याख्याएँ हैं।इसे राज्य विधानमंडल की "सभी" शक्तियों को शामिल करने के लिए विस्तार से पढ़ा जा सकता है या संसद द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली विधायी शक्ति की प्रकृति पर संकीर्ण रूप से सीमाएं लगाई जा सकती हैं।याचिकाकर्ता इसे विधायी और घटक शक्ति, या राज्य विधानमंडल की कानून और गैर-कानून शक्तियों के बीच का अंतर बताते हैं।हालाँकि, इस बात की परवाह किए बिना कि भेद किस तरीके से किया जाता है, मुद्दा यह है कि क्या राज्य के विधानमंडल की सभी शक्तियाँ (यानी कानून बनाने और गैर-कानून बनाने दोनों शक्तियाँ) संसद में निहित हैं जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) (बी) के संदर्भ में घोषणा जारी करते हैं।

220. सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत राज्यों को दी गई विधायी शक्तियों के अलावा, राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गैर-कानूनी शक्तियां भी दी गई हैं कि संवैधानिक स्तर पर उनके मतदाताओं की आवाज का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाए।यह एक मान्यता है कि भले ही संसद में पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा पूरी तरह से राज्य विधानमंडलों द्वारा

चुनी जाती है, लेकिन इस तरह के निकाय का दृष्टिकोण मूल रूप से राष्ट्रीय है।संसद की वास्तविक राजनीति पूरे देश की है।संविधान मानता है कि यह एक जोखिम पैदा करता है कि ऐसे राज्यों के विशेष रूप से प्रभावित होने के बावजूद विशिष्ट राज्यों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 169 के तहत प्रदान की जाती है क्योंकि इस तरह के कानून के राष्ट्रीय परिणाम होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए।हालाँकि, यह एक ऐसी शक्ति भी है जो संबंधित राज्य के भीतर संवैधानिक शासन को सीधे प्रभावित करेगी।इस प्रकार, संसद और राज्यसभा में संबंधित राज्य के सदस्य होने के बावजूद, संविधान राज्य को संघीय प्रतिनिधित्व की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण के लिए कोई भी कानून राज्य की विधानसभा द्वारा पहले दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किए बिना संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के संवैधानिक शासन को राष्ट्रीय विचारों द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है।

221. राज्य के विधानमंडल द्वारा धारण की गई कुछ संवैधानिक (या गैर-कानून बनाने) शक्तियाँ हैं:(क) 199 वें संशोधन का अनुसमर्थन करने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति; (ख) राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव; (ग) राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव; और (ङ) दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है कि संसद को उन राज्यों में कुछ मामलों पर कानून बनाना होगा, अन्यथा उसे 202 पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है।

222. जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, अनुच्छेद 356 (1) (बी) विधायी और संवैधानिक शक्तियों के बीच अंतर नहीं करता है।का खंड (बी)

199 अनुच्छेद 368 (2) 200 का पहला परंतुक अनुच्छेद 54

201 अनुच्छेद 80 (4) 202 अनुच्छेद 252

अनुच्छेद 356 (1) भी अनुच्छेद 356 (1) के खंड (ए) के विपरीत "सभी या किसी भी" शक्तियों के बीच अंतर नहीं करता है।खंड (ख) में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा करेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा।223. अनुच्छेद 357 उस शक्ति का दायरा प्रदान करता है जिसका उपयोग संसद द्वारा अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत की जा रही घोषणा पर किया जा सकता है।अनुच्छेद 357 (1) नीचे दिया गया है:

“357. अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग

(1) जहां अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद के अधिकार द्वारा या उसके तहत किया जाएगा, वह सक्षम होगाः

(क) संसद राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति प्रदान करने के लिए, और राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत करने के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, किसी अन्य प्राधिकारी को इस प्रकार प्रदत्त शक्ति जो उसके द्वारा उस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) संसद के लिए, या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी के लिए जिसमें उपखंड (क) के तहत कानून बनाने की ऐसी शक्ति निहित है, संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने या शक्तियों को प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने के लिए अधिकृत करने वाले कानून बनाने के लिए;

(ग) राष्ट्रपति के लिए यह प्राधिकृत करने के लिए कि जब लोक सभा सत्र व्यय में नहीं है तो राज्य की संचित निधि से संसद द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी लंबित है।"

224. अनुच्छेद 357, जैसा कि सीमांत नोट में इंगित किया गया है, अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी करने पर विधायी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है।प्रावधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत की जा रही घोषणा पर, यह सक्षम होगाः

ए। संसद के लिए राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करना या राष्ट्रपति को किसी अन्य प्राधिकरण को शक्ति सौंपने के लिए अधिकृत करना;

बी। संसद के लिए संघ या अधिकारियों और प्राधिकरणों को शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने वाले कानून बनाना; और

ग. राष्ट्रपति के लिए राज्य की संचित निधि से व्यय को अधिकृत करने के लिए जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा हो और संसद द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी लंबित हो।

225. अनुच्छेद 357 (1) में कहा गया है कि संसद खंडों में निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगी।अनुच्छेद 357 (1) कानून बनाने वाले निकाय को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जो अन्यथा उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं।अनुच्छेद 357 (1) (ए) के आधार पर, संसद राष्ट्रपति को कानून बनाने का कार्य सौंप सकती है और राष्ट्रपति को किसी अन्य प्राधिकरण को शक्ति सौंपने के लिए अधिकृत कर सकती है।यह प्रावधान द्वारा दी गई एक अनूठी शक्ति है जो संसद और कार्यपालिका के बीच कार्यपालिका और विधायी विभाजन के लिए एक अपवाद है।अनुच्छेद 357 (1) (बी) के तहत, संसद (राज्य की विधान सभा के रूप में कार्य करते हुए) संघ को शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने वाले कानून बना सकती है।अनुच्छेद 357 (1) (सी) द्वारा, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 204 में निर्धारित प्रक्रिया से विचलन में व्यय को अधिकृत करने की शक्ति दी गई है,

जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि से व्यय को केवल एक कानून द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।अनुच्छेद 357 (1) में "क्षमता" वाक्यांश का दायरा व्यापक है न कि प्रतिबंधात्मक।

226. अनुच्छेद 357 (1) संवैधानिक दृष्टिकोण से संसद और राष्ट्रपति की क्षमता पर आधारित है, जब अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा के तहत, "राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा"।अनुच्छेद 356 (1) (बी) और अनुच्छेद 357 (1) के प्रारंभिक भाग में "राज्य के विधानमंडल की शक्तियां" अभिव्यक्ति अनुच्छेद 357 (1) (ए) और 357 (1) (बी) में "राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति" की तुलना में सामग्री में व्यापक है।उत्तरार्द्ध राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति है जबकि पूर्व में कानून बनाने की शक्ति शामिल है लेकिन यह सीमित नहीं है।अनुच्छेद 357 (1) का खंड (ए) "कानून बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति" से संबंधित है।खंड (ख) उसी विषय को संदर्भित करता है जब यह "उस अधिकार की बात करता है जिसमें उपखंड (क) के तहत कानून बनाने की ऐसी शक्ति निहित है।"अनुच्छेद 357 प्रारंभिक भाग में "सक्षम" अभिव्यक्ति का उपयोग कुछ कार्यों को इंगित करने के लिए करता है जो अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा से संबंधित हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएगी।खंड 2 यह इंगित करने के लिए "सक्षम" अभिव्यक्ति का भी उपयोग करता है कि

अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के बंद होने के बाद भी लागू रहेगी, भले ही ऐसी विधि उद्घोषणा के अभाव में सक्षम न होती।इसके बाद राज्य विधानमंडल कानून को संशोधित या निरस्त कर सकता है।खंड 1 में "सक्षम" अभिव्यक्ति का उपयोग सशक्तिकरण को दर्शाने के लिए किया जाता है; शक्ति का समर्पण।खंड 2 में, उसी अभिव्यक्ति का उपयोग कानून बनाने की संवैधानिक क्षमता के लिए किया जाता है।

227. अनुच्छेद 356 (1) (बी) इंगित करता है कि एक घोषणा जारी होने पर, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा।अनुच्छेद 357 का प्रावधान है कि जब अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा द्वारा राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जा सकता है।अनुच्छेद 357 के प्रारंभिक भाग का पाठ अनुच्छेद 356 (1) (बी) की भाषा के समान है।हालाँकि, अनुच्छेद 357 का प्रारंभिक भाग अनुच्छेद 356 के खंड 1 की संपूर्णता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 356 (1) (बी) का दायरा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 357 (1) के कैनवास से अधिक व्यापक है।अनुच्छेद 356 (1) (बी) कानून बनाने और गैर-कानून बनाने दोनों शक्तियों को समझता है जब यह "राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 357 (1) का खंड (ए)-और खंड (बी) जो खंड (ए) को संदर्भित करता है-राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति को संदर्भित करता है।यह अनुच्छेद 245 और 246 के

लिए संदर्भित विधायी शक्ति है।अनुच्छेद 357 (1) को अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत शक्ति प्रदान करने के दायरे को सीमित करने के रूप में पढ़ना मुश्किल होगा।अनुच्छेद 357 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुच्छेद 356 (1), संसद, या जैसा भी मामला हो, के तहत एक घोषणा के अनुसार राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति को क्षमता के अभाव से बाधित नहीं किया जाता है जो अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा के अभाव में समान शक्ति के प्रयोग में बाधा डालता।संसद में राज्य विधानमंडल की शक्तियों को निहित करने वाली घोषणा के दौरान संसद या राष्ट्रपति की क्षमता के भीतर क्या हो सकता है, इसका अनुच्छेद 357 में विवरण अनुच्छेद 356 के तहत उपलब्ध शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है।अनुच्छेद 357 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद 356 को दरकिनार करता हो।अनुच्छेद 357 को अनुच्छेद 356 के दायरे से खंड 1 के उपखंड (ए), (बी) और (सी) के अलावा सब कुछ बाहर करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है।अनुच्छेद 357 (1) को अनुच्छेद 356 (1) (बी) पर प्रतिबंध के रूप में व्याख्या करना एक प्रतिबंध में पढ़ना होगा जिसे साधारण शब्दों में 139 कहा जाता है।

संविधान में इसका प्रावधान नहीं है।इसे गलत तरीके से रखने के लिए, एक विपरीत व्याख्या की स्वीकृति के लिए न्यायालय को अनुच्छेद 357 के प्रारंभिक भाग में "सक्षम" अभिव्यक्ति से पहले "केवल" अभिव्यक्ति को पढ़ने की आवश्यकता होगी।यह संविधान के पाठ के न्यायिक पुनर्लेखन के बराबर होगा जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

228. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति चुनाव 203 में कहा कि विधानसभा का विघटन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव कराने से रोकने का आधार नहीं है। इसलिए, जब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो संवैधानिक कार्यों पर रोक नहीं लगाई जाती है।हम इस बात से अवगत हैं कि राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्तियां संघवाद के सिद्धांत के महत्वपूर्ण पहलू हैं।ये प्रावधान राज्यों को देखने और सुनने के लिए और राष्ट्र के लोकतांत्रिक कामकाज में राज्यों को समान रूप से बोलने के लिए एक जगह बनाते हैं।यह न केवल कानून का पत्र है जो संविधान को संघीय बनाता है, बल्कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग भी करता है।संसद को राज्य की विधानसभा में निहित सभी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए "विधायिका की शक्तियों" वाक्यांश की व्याख्या करने से राज्य की शक्ति कम हो जाएगी। हालाँकि, संविधान संघीय शक्ति में इस तरह की कमी को मान्यता देता है जब अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा लागू होती है।जैसा कि हमने ऊपर माना है, अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी होने के बाद शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है।न्यायिक जांच से प्रतिरक्षा राज्य के विधानमंडल की संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग से जुड़ी नहीं है।न्यायालय न्यायिक रूप से शक्ति के प्रयोग की समीक्षा करते हुए यह निर्धारित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उचित संबंध है या नहीं।

ई. घोषणा जारी होने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत की गई कार्रवाइयों का आकलन करने के लिए मानक

229. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, घोषणा जारी होने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई का आकलन करने के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं:

203 (1974) 2 एससीसी 33

ए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग का घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए;

बी। राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल कार्यों की 'अपरिवर्तनीयता' के आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा;ग. शक्ति के प्रयोग को चुनौती देने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया ऐसा करना चाहिए

यह स्थापित करें कि यह एक दुर्भावनापूर्ण या शक्ति का बाहरी अभ्यास है।

प्रथम दृष्टया मामला बनाए जाने के बाद, यह औचित्य साबित करने की जिम्मेदारी संघ पर आ जाती है कि शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध था; और

घ. राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग आम तौर पर न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।

iv.अनुच्छेद 370:एक अस्थायी प्रावधान?

ए। अनुच्छेद 370 का ऐतिहासिक संदर्भ

230. उपरोक्त खंड में, इस न्यायालय ने उस ऐतिहासिक संदर्भ को नोट किया है जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य ने यह पता लगाने के लिए भारत के अधिराज्य में विलय किया था कि क्या राज्य संप्रभुता का एक तत्व रखता है।इस खंड में अनुच्छेद 370 को अपनाने के कारण की पहचान करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर के संबंध में ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख किया गया है।जिस ऐतिहासिक संदर्भ में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया था, उसका संदर्भ इस न्यायालय को यह निर्धारित करने में सहायता करेगा कि क्या यह प्रावधान अस्थायी है या स्थायी प्रकृति का है।

I. जम्मू और कश्मीर का विलय

231. ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया।अधिनियम की धारा 1 (1) के संदर्भ में, 15 अगस्त 1947 से दो स्वतंत्र अधिराज्य-भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जानी थी।धारा 7 (1) (बी) ने निर्धारित किया कि स्वतंत्रता के बाद, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और उन राज्यों के शासकों के पास वापस आ जाएगी। नतीजतन, संप्रभु राज्यों के रूप में, 562 रियासतों के पास स्वतंत्र रहने या अधिनियम द्वारा स्थापित दो उपनिवेशों में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। धारा 8 में कहा गया है कि एक

संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान 141 के अधीन दोनों उपनिवेशों पर लागू होते रहेंगे।

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

शर्तें।भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत के गवर्नर-जनरल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश 1947 जारी किया जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों को भारत में तब तक लागू किया जब तक कि अन्य प्रावधान संविधान सभा द्वारा लागू नहीं किए गए।भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 6 उस आदेश के माध्यम से लागू हुई जो आई. ओ. ए. के निष्पादन के माध्यम से भारत में रियासतों के विलय से संबंधित थी।

232. जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तब जम्मू और कश्मीर ने आई. ओ. ए. को लागू नहीं किया था।जिसके तुरंत बाद 27 सितंबर 1947 को नेहरू द्वारा सरदार पटेल को संबोधित एक पत्र में कहा गया कि उन्हें कश्मीर में खतरनाक और बिगड़ती स्थिति की कई खबरें मिली थीं।नेहरू ने कहा कि सर्दियों की शुरुआत के साथ, कश्मीर शेष भारत से कट जाएगा।नेहरू ने कहा कि "पंजाब में मुस्लिम लीग और एन. डब्ल्यू. एफ. पी. काफी संख्या में कश्मीर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं", आगे कहते हुए किः

“मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रणनीति अब कश्मीर में घुसपैठ करने और आने वाली सर्दियों के कारण कश्मीर के कमोबेश अलग-थलग होते ही कुछ बड़ी कार्रवाई करने की है।”

233. पत्र में कहा गया है कि एक बार जब राज्य भारत में शामिल हो जाता है, तो पाकिस्तान के लिए भारतीय संघ के साथ टकराव में आए बिना आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से उस पर आक्रमण करना मुश्किल हो जाएगा।हालाँकि, यदि विलय में देरी होती, तो पाकिस्तान परिणामों के बहुत डर के बिना आगे बढ़ता "विशेष रूप से जब सर्दी कश्मीर को अलग-थलग करती है"।नेहरू ने अपने पत्र का समापन करते हुए कहाः

“मैं फिर से कहूंगा कि समय व्यवसाय का सार है और चीजों को इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि शेख अब्दुल्ला के सहयोग से कश्मीर का भारतीय संघ में जल्द से जल्द विलय हो सके।”

234. 26 अक्टूबर 1947 को, महाराजा हरि सिंह ने गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को संबोधित करते हुए कहा कि उनके राज्य में "एक गंभीर आपातकाल पैदा हो गया है" जिसके कारण उन्हें सरकार से "तत्काल सहायता का अनुरोध" करना पड़ा।पत्र में कहा गया है कि महाराजा "यह तय करने के लिए समय निकालना चाहते थे कि उन्हें किस अधिराज्य में शामिल होना चाहिए" या

क्या राज्य का "स्वतंत्र रहना" दोनों उपनिवेशों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के सर्वोत्तम हित में होगा।महाराजा ने कहा कि जबकि पाकिस्तान ने उनके अनुरोध का जवाब देते हुए राज्य के साथ एक ठहराव समझौता किया था, भारत अधिराज्य आगे की चर्चा चाहता था जो उनके द्वारा उनके पत्र में स्पष्ट किए गए गंभीर घटनाक्रमों को देखते हुए आयोजित नहीं की जा सकी।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने गतिरोध समझौते के बावजूद जम्मू-कश्मीर को "भोजन, नमक और पेट्रोल जैसी आपूर्ति के निरंतर और बढ़ते गला घोंटने" की अनुमति दी।महाराजा के पत्र में जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे की बात की गई थी, जो श्रीनगर पर कब्जा करने की धमकी दे रहे सादे कपड़ों में सैनिकों की घुसपैठ के कारण हुआ था।पत्र में जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति का एक बयान निम्नलिखित उद्धरणों में दिया गया है:"अफ्रीदियों, सादे कपड़ों में सैनिकों और आधुनिक हथियारों के साथ हताश लोगों को पहले पुंछ में और फिर सियालकोट में और फिर रामकोट की ओर हजारा जिले से सटे सामूहिक क्षेत्र में राज्य में घुसपैठ करने की अनुमति दी गई है।इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य के पास सीमित संख्या में सैनिकों को तितर-बितर करना पड़ा और इस तरह उन्हें एक साथ कई स्थानों पर दुश्मन का सामना करना पड़ा, जिससे जीवन और संपत्ति के विनाश और लूट को रोकना मुश्किल हो गया है।पूरे श्रीनगर को बिजली की आपूर्ति करने वाला मोहरा बिजली घर जल गया है।उन महिलाओं की संख्या जिनका अपहरण और बलात्कार किया गया है और जिससे मेरे दिल से खून बह रहा है।इस प्रकार राज्य पर छोड़ दी गई जंगली ताकतें पूरे राज्य को चलाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मेरी सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही हैं।

उत्तर-वेस्ट फ्रंटियर के दूरदराज के क्षेत्रों से आए बड़े पैमाने पर घुसपैठ करने वाले आदिवासी नियमित रूप से मानसेहरा-मुजफ्फर अराबाद रोड का उपयोग करके मोटर ट्रकों में आते हैं और पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जो संभवतः उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर प्रांत की प्रांतीय सरकार और पाकिस्तान सरकार की जानकारी के बिना नहीं किया जा सकता है।मेरी सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इन हमलावरों को रोकने या उन्हें मेरे राज्य में आने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।पाकिस्तान रेडियो ने एक खबर भी प्रकाशित की कि कश्मीर में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई है।"

143

इन आरई:संविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 144

235. महाराजा ने मदद माँगी और माना कि भारत केवल तभी सहायता दे पाएगा जब जम्मू और कश्मीर राज्य भारत में शामिल हो जाएगा:

"तदनुसार मैंने ऐसा करने का निर्णय लिया है और मैं आपकी सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए विलय पत्र संलग्न करता हूं।दूसरा विकल्प यह है कि मैं अपने राज्य और अपने लोगों को फ्री-बूटर्स पर छोड़ दूं।इस आधार पर कोई भी सभ्य सरकार मौजूद नहीं हो सकती या उसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।जब तक मैं राज्य का शासक हूं और मेरे पास अपने देश की रक्षा करने के लिए जीवन है, तब तक मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा।"

236. विलय के बाद यह उल्लेख किया गया कि यदि जम्मू और कश्मीर राज्य को बचाना है, तो श्रीनगर में तत्काल सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।पत्र में एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें शेख अब्दुल्ला को "इस आपातकाल में" प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कहा गया था।

237. महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर किए।27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर-जनरल द्वारा दस्तावेज़ को स्वीकार कर लिया गया था।महाराजा को 27 अक्टूबर 1947 को भेजे गए अपने पत्र में, गवर्नर-जनरल ने कहा कि "महामहिम द्वारा उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में, मेरी सरकार ने कश्मीर राज्य के भारत अधिराज्य में विलय को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।"गवर्नर जनरल के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनकी सरकार की नीति यह थी कि किसी भी राज्य के मामले में जहां विलय का मुद्दा विवाद का विषय है, "यह मेरी सरकार की इच्छा है" कि विलय के प्रश्न का निर्णय राज्य के लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।" इस प्रकार, पत्र में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के मामले में, राज्य के विलय के सवाल का निपटारा राज्य के लोगों के संदर्भ में किया जाना चाहिएः"[…] मेरी सरकार ने कश्मीर राज्य के भारत अधिराज्य में विलय को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।उनकी इस नीति के अनुरूप कि किसी भी राज्य के मामले में जहां विलय का मुद्दा विवाद का विषय रहा है, विलय के सवाल का फैसला राज्य के लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए, यह मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाए और उसकी मिट्टी आक्रमणकारी से मुक्त हो जाए, राज्य के विलय के सवाल का निपटारा लोगों के हवाले से किया जाए।"

238. श्री मेहर चंद महाजन (बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने 15 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था।"लुकिंग बैक 204" शीर्षक वाले उनके संस्मरणों में एक पूरा अध्याय "कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण" को समर्पित है।मेहर चंद महाजन 23 अक्टूबर 1947 से शुरू हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं।विवरण को उनके अपने शब्दों में निम्नलिखित उद्धरणों में सबसे अच्छी तरह से कैद किया जा सकता हैः

"… इस बीच पाकिस्तानी लॉरी, जीप और अन्य वाहनों का उपयोग करते हुए और पाकिस्तानी हथियारों से लैस सीमा से जनजातीय लोग 23 अक्टूबर को मुजफ्फर अराबाद के रास्ते राज्य में प्रवेश कर गए थे।ये आदिवासी स्वयं पाकिस्तानी नागरिक थे; जैसे-जैसे वे आगे बढ़े, उनके साथ अन्य पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हो गए।रेल का आयोजन पेशावर में राजनीतिक एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी द्वारा पाकिस्तान सरकार की मिलीभगत से किया गया था।पाकिस्तान सरकार द्वारा परिवहन, हथियार, गोला-बारूद और सैन्य अधिकारियों की आपूर्ति की गई थी।हमने उस पुल को उड़ाने की कोशिश की थी जो कश्मीर में आदिवासियों को प्रवेश प्रदान कर सकता था-और प्रदान कर सकता था।लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, राज्य में डायनामाइट की कमी के

कारण यह प्रयास विफल हो गया था।अब वे आगे बढ़ गए।कर्नल नारायण सिंह के नेतृत्व में इस सीमा की रखवाली कर रहे राज्य बलों के मुस्लिम अधिकारी और सैनिक डोमेल में चले गए और डोमेल डाक बंगले में अपने अधिकारी में अपने कमांडर को मारने के बाद हमलावरों में शामिल हो गए।

आगजनी, लूट और हत्या से त्रस्त आदिवासी अब श्रीनगर की ओर बढ़ गए।गढ़ी में डोगरा सेना के प्रमुख ने अपनी छोटी सेना के साथ उनकी प्रगति को रोकने की कोशिश की।उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें पकड़ लिया लेकिन अंततः अत्यधिक श्रेष्ठ बलों के खिलाफ गिर गए।

…

24 अक्टूबर दशहरा दरबार दिवस था जिस दिन हर साल महाराजा सेना से सलामी लेते थे और दरबार आयोजित करते थे।23 वीं रात को महल में चर्चा हुई कि उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए दरबार का आयोजन किया जाना चाहिए या नहीं।महाराजा की राय थी कि दरबार को पर्याप्त राज्य नहीं माना जाना चाहिए।

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

औपचारिक परेड के लिए बल उपलब्ध नहीं थे।श्रीनगर में सेना के पास केवल घुड़सवार सेना की चार कंपनियाँ बची थीं।मैंने अन्यथा सलाह दी, यह राय होने के कारण कि दरबार के रद्द होने से शहर में अनावश्यक रूप से दहशत पैदा हो जाएगी।

…

जैसे ही हम दरबार हॉल से निकले और मिराकदल पुल पर पहुँचे, बिजली गुल हो गई।शहर में अंधेरा छा गया।….मैंने महूरा में पावर हाउस को भी फोन किया जहां एक चौकीदार लाइन पर आया और मुझे बताया कि सेना का एक घायल कप्तान घोड़े पर सवार होकर आया था और कहा, "हमलावर आ गए हैं।भाग जाओ।" उन्होंने कहा कि इससे दहशत फैल गई थी और बिजली घर के अधिकांश लोग वहां से भाग गए थे।

…

24 अक्टूबर को, उप प्रधानमंत्री महाराजा से भारत में विलय का पत्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक व्यक्तिगत पत्र और सरदार पटेल को एक अन्य व्यक्तिगत पत्र लेकर श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिसमें सैनिकों, हथियारों और गोला-बारूद में सैन्य मदद मांगी गई थी।मैंने दोनों को पत्र लिखकर राज्य को पाकिस्तान की अकारण आक्रामकता से बचाने का अनुरोध किया।

…

15 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद मैंने कर्नल बलदेव सिंह पठानी और हमारे सैन्य सलाहकार कर्नल कश्मीर सिंह को पुंछ और कोटली भेजा था ताकि वहां हमारे छोटे सैन्य बल की मदद की जा सके और नागरिकों में विश्वास पैदा किया जा सके।कर्नल बलदेव सिंह कर्नल रहते हुए नागरिकों को बहुत व्यक्तिगत जोखिम में दिल देने के लिए कोटली में रहे।कश्मीर सिंह महाराजा को पुंछ और कोटली में सैन्य स्थिति से अवगत कराने के लिए श्रीनगर लौट आए।ऑफ़िसर कमांडिंग, श्रीनगर बलों, श्रीनगर के राज्यपाल और पुलिस महानिरीक्षक से परामर्श करने के बाद, हमने 25 तारीख की दोपहर में फैसला किया कि हमलावरों को एक छोटी लड़ाई दी जानी चाहिए।यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना था कि हमारे क्षीण बलों में जितना संभव हो उतना कम हताहत हों।श्रीनगर शहर में हमलावरों के आगे बढ़ने की जांच के लिए एक पूरी ताकत से हमला किया जाना था।…

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

जैसे ही हम बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, राज्य मंत्रालय के सचिव श्री वी. पी. मेनन विमान से श्रीनगर पहुँचे।वह मुझसे मिलने के लिए सीधे मेरे आवास पर आए और मुझे बताया कि वह मुझे नई दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं।

…

महामहिम के 2 बजे रवाना होने के बाद सामने से एक अधिकारी आया और मुझे बताया कि डोगरा चीफ ऑफ स्टाफ घायल हो गए हैं और अपने शरीर में छह या सात गोलियों के साथ सड़क पर लेटे हुए हैं।उन्होंने अपने बाकी सैनिकों को एक सुविधाजनक स्थान पर पीछे हटने का आदेश दिया था, लेकिन वह उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे जहाँ वे लेटे थे।घातक रूप से घायल होने के बावजूद, जब तक वह जीवित था, तब तक वह एक फिघ्त देने के लिए दृढ़ था।

अगली सुबह श्री वी. पी. मेनन और मैं दिल्ली के लिए रवाना हुए।हम सुबह लगभग 8 बजे सफदरजंग हवाई अड्डे पर पहुँचे जहाँ एक कार इंतजार कर रही थी।मैं तुरंत यार्ड रोड पर प्रधानमंत्री आवास गया।प्रधानमंत्री और सरदार पटेल दोनों वहाँ थे और उन्हें उत्पन्न हुई स्थिति से अवगत कराया गया था।बारामूला और श्रीनगर शहर की ओर हमलावरों की प्रगति को देखते हुए।मैंने किसी भी शर्त पर तत्काल सैन्य सहायता का अनुरोध किया।मैंने कुछ जोर से कहा कि यह शहर आदिवासियों द्वारा ले लिया गया था, भारत इसे फिर से लेने के लिए पर्याप्त मजबूत था।हालाँकि, इसका पुनः कब्जा उस नुकसान को पूर्ववत नहीं कर सकता था जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता।इसलिए, मैंने तुरंत लेकिन सम्मानपूर्वक तत्काल सैन्य सहायता के लिए अपने अनुरोध को स्वीकार करने पर जोर दिया।प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय सैनिकों को भेजना आसान नहीं था क्योंकि इस तरह के अभियान के लिए काफी तैयारी और व्यवस्था की आवश्यकता होती थी, केवल मेरी मांग पर उचित विचार-विमर्श के बिना सैनिकों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था।हालाँकि, मैं अपने समर्पण पर अडिग था; प्रधानमंत्री भी अपने विचार पर अडिग थे।अंतिम उपाय के रूप में मैंने कहा, "हमें वह

सैन्य बल दें जिसकी हमें आवश्यकता है।राज्यारोहण लें और आप जो भी शक्ति चाहते हैं, वह लोकप्रिय पार्टी को दें।सेना को आज शाम श्रीनगर को बचाने के लिए भागना होगा अन्यथा मैं लाहौर जाऊंगा और श्री जिन्ना के साथ बातचीत करूंगा।"

जब मैंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि तत्काल सैन्य सहायता नहीं दिए जाने की स्थिति में मुझे पाकिस्तान जाने का आदेश दिया गया है तो वह स्वाभाविक रूप से परेशान हो गए और गुस्से में बोले, "महाजन, चले जाओ।" मैं उठा और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था जब सरदार पटेल ने मुझे अपने कान में यह कहते हुए रोक लिया, "बेशक, महाजन, आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं।" बस तब, एक टुकड़ा 147

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 148

एक कागज प्रधानमंत्री के ऊपर से चला गया, उन्होंने उसे पढ़ा और जोर से कहा, "शेख साहब भी यही बात कहते हैं।" ऐसा प्रतीत होता था कि शेख अब्दुल्ला यह सारी बातें उस बैठक कक्ष से सटे एक शयनकक्ष में बैठे हुए सुन रहे थे जहाँ हम थे।उन्होंने अब प्रधानमंत्री से यह कहकर मेरे हाथ मजबूत किए कि सैन्य मदद तुरंत भेजी जानी चाहिए।

…

12.45 p पर।सरदार बलदेव सिंह आए और मुझे बताया कि भारतीय सैनिकों की दो कंपनियां श्रीनगर भेजने का निर्णय लिया गया है।भारत में सभी विमानों की मांग इस उद्देश्य के लिए की गई थी।वह यह भी चाहते थे कि मैं इस बल के कमांडर को राज्य की स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूं।सौभाग्य से मैं अपने साथ एक योजना लाया था जिसमें दिखाया गया था कि हमलावरों और राज्य बलों के बीच संघर्ष कहां हुआ था, हमलावरों की तैनाती और राज्य बलों का वितरण।

…

शाम को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आदिवासियों को खदेड़ने के लिए महाराजा को सैन्य सहायता देने के रक्षा परिषद के फैसले पर विचार किया गया।रात्रिभोज के समय, प्रधानमंत्री ने मुझे एक संदेश भेजा कि श्री वी. पी. मेनन के साथ, मुझे महाराजा को इस निर्णय के बारे में सूचित करने और विलय के बारे में कुछ पूरक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए जम्मू जाना चाहिए।"

239. अध्याय 19, जिसका शीर्षक कश्मीर का भारत में विलय है, में महाजन ने उल्लेख किया है कि 27 अक्टूबर 1947 को उन्हें एक संदेश मिला कि भारतीय सैनिक श्रीनगर में उतरे हैं और "कार्रवाई में चले गए हैं"।205. महाजन ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को वे श्री वी. पी. मेनन (राज्य मंत्रालय में सचिव) के साथ जम्मू चले गए।श्रीनगर में उतरने पर, भारतीय सैनिक आदिवासियों के साथ युद्ध में चले गए थे।महाजन बताती हैं कि उसके बाद क्या हुआः"…कुछ चर्चा के बाद, औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए जिन्हें श्री मेनन नई दिल्ली वापस ले गए, जबकि मैं जम्मू में रहा।यह एक संकीर्ण मुंडन था।दोनों पर कब्जा करने के पाकिस्तान के प्रयास की विफलता के बाद

भीम्बर में महाराजा और मैं, श्री जिन्ना अधीर हो गए थे।उन्होंने अपने ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ को 27 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना की दो ब्रिगेडों को कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, एक रावलपिंडी से और दूसरी सियालकोट से।सियालकोट की सेना को जम्मू की ओर कूच करना था, शहर पर कब्जा करना था और महाराजा को बंदी बनाना था।रावलपिंडी टुकड़ी को श्रीनगर की ओर बढ़ना था और शहर पर कब्जा करना था, यह सब इस बहाने से कि राज्य को उस अराजकता से बचाया जाना चाहिए जो आदिवासियों के छापे ने पैदा की थी।महाराजा समय पर मान गए और भारतीय सेना पहले से ही कश्मीर में होने के कारण, इसका मतलब यह हो सकता था कि पाकिस्तानी सेना को भारत की सेनाओं के खिलाफ खड़ा किया जाए।राजा और दोनों की सेनाओं के प्रति निष्ठा रखने वाले दोनों प्रभुत्व एक संयुक्त रक्षा परिषद के अधीन होने के कारण, इस तरह का कदम, पाक कमांडर-इन-चीफ ने श्री जिन्ना को बताया कि यह अकल्पनीय था।पाकिस्तान के शासक के रूप में राजा अपनी (पाकिस्तानी) सेनाओं को भारत में अपनी सेनाओं के खिलाफ नहीं भेज सकते थे।इसलिए ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ ने आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए।श्री जिन्ना को अपने आदेशों को रद्द करना पड़ा।"

240. महाजन ने अपने संस्मरण में कहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने तीन शर्तों का संकेत दिया था जिन पर महाराजा को सैन्य सहायता दी गई थी।उनके अनुसारः

"… पंडितजी उन शब्दों को संक्षेप में लिखते हैं।पहला यह था कि महामहिम को तीन विषयों के संबंध में भारत में शामिल होना चाहिएःरक्षा, बाहरी एफ एयर और परिवहन।ऐसा वह पहले भी कर चुका था।दूसरा यह था कि राज्य के आंतरिक प्रशासन का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए और मैसूर राज्य के लिए पहले से निर्धारित मॉडल की तर्ज पर एक नया संविधान बनाया जाना चाहिए। तीसरी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को प्रशासन में लिया जाए और प्रधानमंत्री के साथ इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।"

241. महाजन अंततः कहते हैं किः

"…पहले हमले में भारतीय बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अतिरिक्त बलों के आने के बाद उन्होंने हमलावरों को श्रीनगर के पड़ोस से खदेड़ दिया, जहां उन्होंने बारामूला शहर को लूटने और नष्ट करने के बाद घुसपैठ की थी।"

242. वी. पी. मेनन ने अपनी पुस्तक, 149 में भारत संघ में जम्मू और कश्मीर के विलय से पहले की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया है।

“भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी "206. मेनन का विवरण 22 अक्टूबर 1947 से हुई घटनाओं पर प्रकाश डाल रहा है और इसे पूरी तरह से निकालने की आवश्यकता हैः

“कश्मीर पर पूर्ण आक्रमण 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ।मुख्य हमलावरों की टुकड़ी, जिसमें लगभग दो सौ से तीन सौ लॉरी थीं, और जिसमें अनुमानित पांच हजार सीमावर्ती आदिवासी-अफ्रीदी, वजीर, महसुद, स्वाथी और पाकिस्तानी सेना के सैनिक 'छुट्टी पर' थे-जिनका नेतृत्व कुछ नियमित अधिकारी करते थे जो कश्मीर को अच्छी तरह से जानते थे और झेलम घाटी मार्ग के साथ एबटाबाद से आगे बढ़ गए थे।उन्होंने गढ़ी पर कब्जा कर लिया और डोमेल मुजफ्फर अराबाद के द्वार पर पहुंचे।राज्य बटालियन, जिसमें मुजफ्फर अराबाद में तैनात मुसलमान और डोगरा शामिल थे, की कमान Lt.-Colonel नारायण सिंह ने संभाली थी।बटालियन के सभी मुसलमान भाग गए; कमांडिंग ऑफ़िसर और उसके सहायक को गोली मार दी; हमलावरों में शामिल हो गए, और हमलावरों के स्तंभ के अग्रिम-रक्षक के रूप में काम किया।यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह से महाराजा ने पूछा था कि क्या वह अपनी बटालियन के मुस्लिम आधे हिस्से की वफादारी पर भरोसा कर सकते हैं।उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, 'डोगराओं से ज्यादा'।वह कुछ वर्षों से इस बटालियन की कमान संभाल रहे थे।

हमलावरों ने फिर श्रीनगर की ओर जाने वाली सड़क के साथ बारामूला की ओर कूच किया, उनका अगला गंतव्य उरी था। राज्य बलों में सभी मुसलमान भाग गए थे और कई हमलावरों में शामिल हो गए थे।जब राज्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने मुस्लिम कर्मियों के पलायन और हमलावरों के आगे बढ़ने के बारे में सुना, तो उन्होंने लगभग 150 लोगों को इकट्ठा किया और उरी की ओर बढ़े। वहाँ उन्होंने दो दिनों तक हमलावरों को रोका और जवाबी कार्रवाई में उरी पुल को नष्ट कर दिया।इस कार्रवाई में स्वयं ब्रिगेडियर और उसके सभी लोग टुकड़े-टुकड़े हो गए।लेकिन वह और उनके सहयोगी इतिहास में वीर लियोनिडास और उनके 300 लोगों की तरह जीवित रहेंगे जिन्होंने थर्मोपाइले में फारसी आक्रमणकारियों को पकड़ रखा था।यह उचित था कि जब महावीर चक्र सम्मान की स्थापना की गई थी, तो इस वीर सैनिक को पहला पुरस्कार (मरणोपरांत) दिया जाना चाहिए था।

206 ओरिएंट लॉन्गमैन (1961)

हमलावरों ने आगे बढ़ना जारी रखा और 24 अक्टूबर को उन्होंने माहुरा पावर हाउस पर कब्जा कर लिया, जो श्रीनगर को बिजली की आपूर्ति करता था।श्रीनगर में अंधेरा छा गया।हमलावरों ने घोषणा की थी कि वे श्रीनगर मस्जिद में ईद मनाने के लिए 26 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचेंगे।

24 अक्टूबर की शाम को भारत सरकार को महाराजा से मदद के लिए एक हताश अपील मिली। उन्होंने सर्वोच्च कमांडर से हमलावरों की प्रगति और संभावित इरादों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।25 अक्टूबर की सुबह रक्षा समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने

की।इस समिति ने हथियारों और गोला-बारूद के साथ-साथ सैनिकों के सुदृढीकरण के लिए महाराजा के अनुरोध पर विचार किया।लॉर्ड माउंटबेटन ने जोर देकर कहा कि जब तक भारत सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं है, तब तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।यह सहमति हुई कि मुझे घटनास्थल पर स्थिति का अध्ययन करने और भारत सरकार को रिपोर्ट करने के लिए तुरंत श्रीनगर जाना चाहिए।

सेना और वायु सेना के अधिकारियों और दिवंगत डी. एन. काचरू के साथ, मैं बी. ओ. ए. सी. विमान से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ।यह उन विमानों में से एक था जिसे श्रीनगर से ब्रिटिश नागरिकों को निकालने के लिए किराए पर लिया गया था।जब मैं एयरफ़ाई एल्ड पर उतरा, तो मुझे चारों ओर एक कब्रिस्तान की तरह खामोशी से प्रताड़ित किया गया।हर चीज पर आसन्न आपदा का माहौल बना हुआ था।

हवाई अड्डे से हम सीधे राज्य के प्रधानमंत्री के आवास पर गए।हवाई अड्डे से श्रीनगर की ओर जाने वाली सड़क सुनसान थी।सड़क के कुछ कोनों पर मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन के स्वयंसेवकों को लाठियों के साथ देखा जो राहगीरों को चुनौती दे रहे थे; लेकिन राज्य पुलिस उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट थी।मेहर चंद महाजन ने हमें खतरनाक स्थिति से अवगत कराया और भारत सरकार से राज्य के बचाव में आने का अनुरोध किया।महाजन, जो आमतौर पर स्व-अधिकृत होते हैं, अस्थायी रूप से अपनी समता खो चुके प्रतीत होते हैं।हम दोनों उनके निवास से महाराजा के महल की ओर बढ़े। महाराजा घटनाओं के मोड़ और अपनी अकेलेपन की असहायता की भावना से पूरी तरह से परेशान थे।व्यावहारिक रूप से कोई राज्य बल नहीं बचा था और हमलावर लगभग बारामूला के बाहरी इलाके में पहुंच गए थे।इस दर से वे एक-दो दिन में श्रीनगर में होंगे।इसका कोई फायदा नहीं था।

अतीत का उल्लेख करना या अपनी निष्क्रियता के लिए महाराजा को दोषी ठहराना।मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी भी आदिवासियों द्वारा अपने राज्य पर आक्रमण की संभावना के बारे में नहीं सोचा था और न ही अपनी सेना और पुलिस से मुसलमानों के बड़े पैमाने पर पलायन के बारे में सोचा था।उस समय तक, श्रीनगर का मफस्सिल क्षेत्रों के साथ बहुत कम संपर्क था और वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था।एक आशाजनक तथ्य यह था कि ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने बारामूला पहुंचने तक हमलावरों को यथासंभव लंबे समय तक पकड़ने का वादा किया था और हम जानते थे कि यदि आवश्यक हुआ तो वह अंत तक कड़ा मुकाबला करेंगे।

सबसे पहला काम महाराजा और उनके परिवार को श्रीनगर से बाहर निकालना था।इसका कारण स्पष्ट था।हमलावर बारामूला के करीब थे।महाराजा काफी असहाय थे और अगर भारत सरकार ने उनके बचाव में नहीं जाने का फैसला किया, तो श्रीनगर में उनके और उनके परिवार के भाग्य के बारे में कोई संदेह नहीं था।यह भी निश्चित था कि हमलावर महल में सभी मूल्यवान संपत्तियों को लूट लेंगे।इन परिस्थितियों में मैंने उन्हें तुरंत जम्मू जाने और अपने परिवार और अपनी मूल्यवान संपत्ति को अपने साथ ले जाने की सलाह दी।खुद को आश्वस्त करने के बाद कि वह उस रात चले जाएंगे और उन लोगों से सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो इसे देने की स्थिति में थे, मैं सुबह के

शुरुआती घंटों में थोड़ा आराम करने के लिए गेस्ट हाउस गया।जैसे ही मैं सोने जा रहा था, महाजन ने मुझे यह कहने के लिए फोन किया कि ऐसी अफवाहें हैं कि हमलावर श्रीनगर में घुस गए हैं और हमारे लिए शहर में रहना असुरक्षित होगा।मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमलावर श्रीनगर पहुँच सकते थे, लेकिन मुझे महाजन की सलाह माननी पड़ी।महाराजा ने सभी उपलब्ध कारों को ले लिया था और केवल एक पुरानी जीप उपलब्ध थी।इसमें महाजन, मैं और छह या सात विमानों के चालक दल के सदस्य शामिल थे।जब हम एयरफ़ाई एल्ड पहुँचे, तो वह जगह लोगों से भरी हुई थी, जो पिछली शाम जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके सुनसान दिखने के विपरीत थी।

हम 26 अक्टूबर की सुबह श्रीनगर से रवाना हुए और दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद मैं सीधे रक्षा समिति की बैठक में गया।मैंने स्थिति के बारे में अपनी धारणाओं की सूचना दी और कश्मीर को हमलावरों से बचाने की सर्वोच्च आवश्यकता की ओर इशारा किया।लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भारतीय सैनिकों को उस देश में ले जाना अनुचित होगा जो इस समय एक स्वतंत्र देश था, जैसा कि कश्मीर में था।

अभी तक भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल होने का फैसला नहीं किया है।अगर यह सच होता कि महाराजा अब भारत में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, तो जम्मू और कश्मीर भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बन जाता।यह एकमात्र आधार था जिसके आधार पर भारतीय सैनिकों को आक्रमणकारियों द्वारा राज्य को और अधिक लूटने से बचाने के लिए भेजा जा सकता था।उन्होंने आगे यह दृढ़ राय व्यक्त की कि, जनसंख्या की संरचना को देखते हुए, आक्रमणकारियों को राज्य से बाहर निकालने और कानून और व्यवस्था बहाल करने के बाद जनमत संग्रह द्वारा लोगों की इच्छा पर प्रवेश सशर्त होना चाहिए।नेहरू और अन्य मंत्री इस पर तुरंत सहमत हो गए।

रक्षा समिति की बैठक के तुरंत बाद, मैं महाजन के साथ जम्मू चला गया।महल में पहुंचने पर मैंने पाया कि यह पूरी तरह से उथल-पुथल की स्थिति में था और कीमती सामान सारी रात गाड़ी चला रहे थे।मैंने उसे जगाया और उसे बताया कि रक्षा समिति की बैठक में क्या हुआ था।वह तुरंत शामिल होने के लिए तैयार था।इसके बाद उन्होंने राज्य की दयनीय दुर्दशा का वर्णन करते हुए गवर्नर-जनरल को एक पत्र लिखा और सैन्य सहायता के लिए अपने अनुरोध को दोहराया।उन्होंने गवर्नर-जनरल को आगे सूचित किया कि उनका इरादा तुरंत एक अंतरिम सरकार स्थापित करने और शेख अब्दुल्ला को अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन के साथ इस आपातकाल में जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कहने का था।उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि यदि राज्य को बचाना है, तो श्रीनगर में तत्काल सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।उन्होंने विलय की पहल पर भी हस्ताक्षर किए।जैसे ही मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि सोने से पहले उन्होंने अपने ए. डी. सी. को निर्देश दिए थे कि अगर मैं दिल्ली से वापस आता हूं, तो उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि भारत सरकार ने उन्हें बचाने के लिए आने का फैसला किया है और इसलिए उन्हें शांति से सोने दिया जाना चाहिए; लेकिन अगर मैं लौटने में विफल रहा, तो इसका

मतलब यह था कि सब कुछ खो गया था और उस मामले में, उनके ए. डी. सी. को उन्हें नींद में गोली मारनी थी!

विलय के साधन के साथ और।महाराजा का पत्र मैं तुरंत दिल्ली वापस भेज देता हूँ।सरदार हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे थे और हम दोनों सीधे रक्षा समिति की बैठक में गए जो उस शाम के लिए तय की गई थी।एक लंबी चर्चा हुई, जिसके अंत में यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर के विलय को स्वीकार किया जाना चाहिए, इस परंतुक के अधीन कि 153 में एक जनमत संग्रह किया जाएगा।

राज्य जब कानून और।आदेश स्थिति की अनुमति है।यह भी निर्णय लिया गया कि अगले दिन एक पैदल सेना बटालियन को श्रीनगर भेजा जाना चाहिए।इस निर्णय को शेख अब्दुल्ला का पूरा समर्थन प्राप्त था, जो उस समय दिल्ली में थे और जो आदिवासी आक्रमण का विरोध करने के लिए राज्य को तत्काल सहायता भेजने के लिए अखिल जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर से भारत सरकार पर दबाव डाल रहे थे।इस निर्णय के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन और भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के तीन ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ ने ऑपरेशन में शामिल जोखिमों की ओर इशारा किया।लेकिन नेहरू ने जोर देकर कहा कि सैनिकों को भेजने का एकमात्र विकल्प श्रीनगर में नरसंहार की अनुमति देना होगा, जिसके बाद भारत में एक बड़ा सांप्रदायिक नरसंहार होगा।इसके अलावा, श्रीनगर में ब्रिटिश निवासियों की निश्चित रूप से हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि न तो पाकिस्तानी कमांडर-इन-चीफ और न ही सुप्रीम कमांडर उनके जीवन की रक्षा करने की स्थिति में थे।"

243. मेनन उस अभियान का विज्ञापन करते हैं जिसमें भारतीय सैनिकों को श्रीनगर में हवाई मार्ग से ले जाया गया था।उनके खाते में आगे लिखा हैः

"चूंकि सरदार और नेहरू के बीच अलग-अलग राय थी, इसलिए यह मामला स्वाभाविक रूप से गांधी जी के पास भेजा गया था।उस रात मुझे उनके सचिव का फोन आया, जिन्होंने मुझे बताया कि गांधीजी मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं।मैं बिड़ला हाउस गया और देखा कि नेहरू और सरदार गांधी जी के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे।गाँधीजी ने मुझसे पूछा कि नेहरू के लाहौर जाने पर मुझे क्या आपत्ति है।मैंने जवाब दिया कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा था तो मैं पूरी तरह से इस विचार का विरोध कर रहा था और मैंने अपने रुख के कारण बताए।जब चर्चा चल रही थी तो हमने देखा कि नेहरू थके हुए और थके हुए लग रहे थे।यह पाया गया कि वह वास्तव में उच्च तापमान चला रहा था।इसलिए उनके लाहौर जाने का सवाल ही नहीं था।कुछ दिनों बाद लियाकत अली खान ने नेहरू की बीमारी की वास्तविकता पर संदेह व्यक्त किया, लेकिन सच्चाई वैसी ही है जैसा मैंने कहा है।तब यह निर्णय लिया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन को अकेले जाना चाहिए।"

244. 5 मार्च 1948 को, महाराजा हरि सिंह ने "वयस्क मताधिकार पर आधारित पूरी तरह से लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना के लिए एक घोषणा जारी की, जिसमें मेरे राजवंश के एक वंशानुगत शासक को विधायिका के लिए जिम्मेदार एक कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख के रूप में

रखा गया था।"घोषणा के माध्यम से, महाराजा हरि सिंह ने आपातकालीन प्रशासन को एक लोकप्रिय द्वारा प्रतिस्थापित किया

अंतरिम सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना के लिए लंबित है।घोषणा के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में मंत्रिपरिषद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रधानमंत्री के रूप में शामिल होंगे और अन्य मंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा।पैरा 4 में उल्लेख किया गया है किः

“मेरी मंत्रिपरिषद, सामान्य स्थितियों की बहाली पूरी होते ही, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक मतदान क्षेत्र से प्रतिनिधियों की संख्या, जहां तक संभव हो, उस क्षेत्र की आबादी के अनुपात में होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर एक राष्ट्रीय सभा बुलाने के लिए उचित कदम उठाएगी।”

245. घोषणा में कहा गया है कि संविधान अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा और इसमें विवेक, भाषण और सभा की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले उचित प्रावधान होंगे।यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीय सभा, नए संविधान को तैयार करने का काम पूरा करने के बाद, इसे महाराजा की स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रस्तुत करेगी और "निकट भविष्य में, एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक संविधान" के उद्घाटन का अनुमान लगाएगी।

246. जम्मू और कश्मीर के विलय तक की घटनाओं का सारांश नीचे दिया गया हैः

ए। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना की गई थी।अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और उन राज्यों के शासकों के पास वापस आ जाएगी। तब राज्यों के पास पाकिस्तान या भारत के अधिराज्य से स्वतंत्र होने या उसमें शामिल होने का विकल्प था।

बी। जम्मू और कश्मीर राज्य ने 26 अक्टूबर 1947 को एक आई. ओ. ए. निष्पादित करके भारत के डोमिनियन में प्रवेश किया।

ग. यद्यपि जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारत अधिराज्य में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 6 (2) सहपठित आई. ओ. ए. के खंड 7 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखा, जिसे भारत (अनंतिम संविधान) आदेश 1947 के माध्यम से लागू किया गया था।155 के संदर्भ में

आई. ओ. ए. के खंड 7 के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारत और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच सत्ता की व्यवस्था की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखा।खंड विशेष रूप से "भविष्य के किसी भी संविधान के तहत भारत सरकार के साथ समझौता करने" का राज्य का अधिकार सुरक्षित रखता है;

घ. यह आई. ओ. ए. नहीं था, बल्कि जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा इस पर गवर्नर जनरल की प्रतिक्रिया थी, जिसमें दर्ज किया गया था कि चूंकि जम्मू और कश्मीर में विलय का मुद्दा विवाद में था, इसलिए इसका फैसला जनता द्वारा किया जाएगा; और

5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने राज्य के शासन के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक संविधान की स्थापना के लिए एक घोषणा जारी की।

II. भारतीय राज्यों का संवैधानिक एकीकरण

(a) राज्यों के आंतरिक संविधान

247. भारत के संविधान 1948 207 के मसौदे में प्रावधान किया गया था कि भारत एक "राज्यों का संघ" होगा।"राज्य" शब्द में संविधान की पहली अनुसूची में भाग I, भाग II, भाग III शामिल हैं। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्यपालों के प्रांतों के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों को प्रारूप संविधान की पहली अनुसूची के भाग I में रखा गया था।इसमें मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रांत और बरार, असम और उड़ीसा राज्य शामिल थे।संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रों को भाग II में रखा गया था। भाग II में दिल्ली, अजमेर-मेवाड़ा सहित पंथ पिपलोदा और कुर्ग राज्य शामिल थे।भाग III में भारतीय राज्य शामिल थे।जम्मू और कश्मीर राज्य को भाग III में रखा गया था।

248. भारतीय राज्य (मसौदा संविधान के भाग III में शामिल) ने भारत की संविधान सभा में इस आधार पर प्रवेश किया कि वे उपयुक्त साधनों द्वारा भारत संघ में शामिल होंगे और राज्यों की संविधान सभाएं राज्यों के लिए अलग-अलग संविधान बनाएंगी।208

207 भारत के संविधान का मसौदा (मई 1948); "संविधान का मसौदा"

208 भारतीय राज्यों के संबंध में निर्णयों की व्याख्या करते हुए राज्य मंत्रालय का नोट (जुलाई 1949)

राज्यों के संघों के गठन से संबंधित वाचाओं में, प्रत्येक राज्य में स्थानीय संविधान सभाओं की स्थापना के लिए एक प्रावधान किया गया था।209 जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने 5 मार्च 1948 को एक राज्य संविधान की स्थापना के लिए एक घोषणा जारी की जिसमें कहा गया था कि राज्य का संविधान राष्ट्रीय सभा द्वारा तैयार किया जाएगा जिसका गठन राज्य में 'सामान्य स्थिति' की बहाली के बाद किया जाएगा।

249. हालाँकि, जल्द ही यह महसूस किया गया कि यदि बिना किसी मार्गदर्शन के प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, तो राज्यों के संविधान और संघ के संविधान के बीच विसंगतियाँ होंगी।इस विसंगति को हल करने के लिए, संवैधानिक सलाहकार, बी. एन. राउ की अध्यक्षता में एक समिति को राज्यों के लिए संविधान तैयार करने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए एक आदर्श संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था।210 समिति ने कहा कि यदि समिति द्वारा प्रस्तावित संविधान को भारतीय राज्यों में संविधान बनाने वाले निकायों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो संविधान के मसौदे में एक विशेष भाग को भारतीय राज्यों के संविधान में शामिल किया जा सकता है।यह भाग तब यह प्रावधान करेगा कि प्रांतों से संबंधित प्रावधान संविधान की एक अलग अनुसूची में निर्धारित विनिर्दिष्ट परिवर्तनों के अधीन राज्यों पर लागू होंगे।

250. हालाँकि, प्रस्ताव को लागू करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा हुईं।भाग III में कुछ राज्यों (राजस्थान, पी. ई. पी. एस. यू., विंध्य प्रदेश और मध्य भारत) में अभी तक संविधान सभाओं की स्थापना नहीं की गई थी। लेकिन यह जरूरी था कि पूरे भारत के लिए संविधान जनवरी 1950 से लागू हो।मई 1949 में आयोजित एक सम्मेलन में प्रत्येक राज्य में संविधान सभाओं की स्थापना तक प्रतीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया था।इसके बजाय, भारत की संविधान सभा राज्यों की "सहमति और सहमति" से मॉडल राज्य संविधान के अनुरूप सभी राज्यों के लिए संविधान बना सकती है जो पहले बनाया गया था और ये राज्य संविधान स्वयं भारतीय संविधान का एक हिस्सा होंगे।211 सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो संविधानों (संघ और राज्यों के स्तर पर) के सिद्धांत से एक ही संविधान (केवल भारत में) में बदलाव की व्याख्या की।

209 आई. बी. आई. डी.

210 भारतीय राज्यों के लिए एक आदर्श संविधान के मसौदे के लिए समिति की रिपोर्ट (22 मार्च 1949) देखें।

211 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनःएक अध्ययन, पृ. 552 157

संघ का स्तर जो राज्य संविधानों को शामिल करेगा) निम्नलिखित शब्दों में:

“जब राज्यों के विभिन्न संघों की स्थापना करने वाली समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो यह विचार किया गया था कि विभिन्न संघों के संविधान का गठन उनकी संबंधित संविधान सभाओं द्वारा समझौतों और राज्यों के संविधान के ढांचे के भीतर किया जाएगा।

भारत।ये प्रावधान ऐसे समय में किए गए थे जब हम अभी भी इस सिद्धांत की छाया में काम कर रहे थे कि भारत की संविधान सभा द्वारा राज्यों के संबंध में संविधान बनाने वाले प्राधिकरण की धारणा राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन होगी।हालाँकि, जैसे-जैसे राज्य केंद्र के करीब आए, यह महसूस किया गया कि भारतीय संघ के अलग-अलग घटक संघों के लिए अलग संविधान बनाने का विचार शासकों की राजनीति की विरासत थी और लोगों की राजनीति में विविधता की कोई गुंजाइश नहीं थी

संवैधानिक प्रतिरूप।इसलिए, हमने विभिन्न संघों के प्रधानमंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा की और उनकी सहमति से निर्णय लिया कि राज्यों का संविधान भी भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।जिन तीन राज्यों में वर्तमान में ऐसे निकाय काम कर रहे हैं, अर्थात् मैसूर, त्रावणकोर और कोचि संघ और सौराष्ट्र की विधानसभाओं ने जिस तत्परता के साथ इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है, वह राज्यों के लोगों की अतीत की अलगाववादी प्रवृत्तियों से बचने की इच्छा का प्रमाण है।" 212

(जोर दिया गया) 251।भारत की संविधान सभा राज्य और संघ के बीच विधायी क्षमता के विभाजन को निर्धारित करने में असमर्थ थी क्योंकि भारतीय राज्यों ने पहले केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के विषयों पर भारत डोमिनियन के लिए विधायी क्षमता को स्वीकार किया था।भारतीय राज्यों द्वारा केवल इन तीन विशिष्ट विषयों के संबंध में विधायी क्षमता को स्वीकार करने का कारण कैबिनेट मिशन योजना से पता चलता है।कैबिनेट मिशन ने जांच की कि क्या पाकिस्तान का एक अलग और पूरी तरह से स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनाया जा सकता है।इसने पाकिस्तान के एक अलग संप्रभु राज्य के विचार को खारिज कर दिया और

212 संविधान सभा की बहस (खंड 10; 12 अक्टूबर 1949)

एक समझौते ने संविधान के लिए तीन-स्तरीय आधार की सिफारिश की।ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों को शामिल करते हुए भारत का एक संघ होना था।संघ को विदेशी हवाई, रक्षा और संचार से निपटना था।प्रांतों के पास अन्य सभी विषयों और अवशिष्ट शक्तियों पर अधिकार होगा। 213 हालांकि, कर से संबंधित मामलों को छोड़कर, मसौदा संविधान की संघीय और समवर्ती विधायी सूचियों में निर्दिष्ट सभी मामलों पर भारत डोमिनियन को क्षमता स्वीकार करने वाले राज्यों द्वारा नए आई. ओ. ए. किए गए थे।214 सौराष्ट्र के राज प्रमुख ने 22 मई 1948 को एक संशोधित आई. ओ. ए. निष्पादित किया।आई. ओ. ए. की प्रस्तावना में कहा गया है कि एक नए आई. ओ. ए. को निष्पादित किया जा रहा है, जो अगस्त 1947 में निष्पादित आई. ओ. ए. की जगह ले रहा है "उन मामलों के रूप में स्वीकार करता है जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल संयुक्त राज्य के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III में उल्लिखित सभी मामलों को कर से संबंधित मामलों को छोड़कर कानून बना सकता है।" आई. ओ. ए. का खंड 3 इस प्रकार हैः

"मैं अधिनियम की सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III में उल्लिखित सभी मामलों को उन मामलों के रूप में स्वीकार करता हूं जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल संयुक्त राज्य के लिए कानून बना सकता है।

बशर्ते कि उक्त सूचियों या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित कुछ भी डोमिनियन विधानमंडल को संयुक्त राज्य के क्षेत्रों में कोई कर या शुल्क लगाने या उक्त क्षेत्रों में संयुक्त राज्य के

विधानमंडल द्वारा किसी भी शुल्क या कर के अधिरोपण को प्रतिबंधित करने के लिए सशक्त नहीं समझा जाएगा।”

252. इसी तरह के आई. ओ. ए. मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, मत्स्य संघ, संयुक्त राज्य राजस्थान, त्रावणकोर-कोचीन और मैसूर राज्यों द्वारा निष्पादित किए गए थे।हालाँकि, जम्मू और कश्मीर राज्य ने राज्य की संविधान सभा के गठन तक आई. ओ. ए. में सूचीबद्ध मामलों का विस्तार करने में असमर्थता व्यक्त की थी।215 जम्मू और कश्मीर राज्य ने केवल रक्षा, बाहरी संबंध, संचार और सहायक मामलों के विषयों पर डोमिनियन नियंत्रण को स्वीकार किया।जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा निष्पादित आई. ओ. ए. की अनुसूची नीचे दी गई है:

213 शिवा राव, पं. 211.

214 भारतीय राज्यों पर श्वेत पत्र (5 जुलाई 1948) 77 215 शिव राव, पृष्ठ।991 159

“ए. रक्षा

डोमिनियन की नौसेना, सैन्य और वायु सेना और डोमिनियन द्वारा उठाए गए या बनाए गए किसी भी अन्य सशस्त्र बल; कोई भी सशस्त्र बल, जिसमें एक प्रवेश करने वाले राज्य द्वारा उठाए गए या बनाए गए बल शामिल हैं, जो डोमिनियन के किसी भी सशस्त्र बल से जुड़े हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं।नौसेना, सैन्य और वायु सेना कार्य, छावनी क्षेत्रों का प्रशासन।हथियार, फिर से हथियार, गोला-बारूद।

विस्फोटक।

B. बाहरी अफ एयर

बाह्य सम्बन्ध; अन्य देशों के साथ संधियों और समझौतों का कार्यान्वयन; भारत के बाहर महामहिम के प्रभुत्व के कुछ हिस्सों में अपराधियों और अभियुक्त व्यक्तियों के आत्मसमर्पण सहित प्रत्यर्पण।

भारत में प्रवेश, प्रवास और निष्कासन, जिसके संबंध में भारत में उन व्यक्तियों की आवाजाही का विनियमन शामिल है जो भारत में अधिवासित ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं या किसी भी प्रवेश करने वाले राज्य की प्रजा नहीं हैं; भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं।

प्राकृतिककरण।

सी. संचार

डाक और तार, जिसमें टेलीफोन, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य रूप शामिल हैं।

संघीय रेलवे; सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और किराए, स्टेशन और सेवा टर्मिनल शुल्कों के संबंध में लघु रेलवे के अलावा सभी रेलवे का विनियमन और माल और यात्रियों के वाहक के रूप

में रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी; सुरक्षा के संबंध में लघु रेलवे का विनियमन और माल और यात्रियों के वाहक के रूप में ऐसे रेलवे के प्रशासन की जिम्मेदारी।

ज्वारीय जल पर नौवहन और नौवहन सहित समुद्री नौवहन और नौवहन; नौसेना का अधिकार क्षेत्र।

बंदरगाह संगरोध।

प्रमुख बंदरगाह, अर्थात, ऐसे बंदरगाहों की घोषणा और परिसीमन, और उनमें बंदरगाह प्राधिकरणों का गठन और शक्तियाँ।विमान और हवाई नौपरिवहन; हवाई अड्डों का प्रावधान; हवाई यातायात सी और हवाई अड्डों का विनियमन और संगठन।

लाइटहाउस, जिसमें लाइटशिप, बीकन और शिपिंग और विमान की सुरक्षा के लिए अन्य प्रावधान शामिल हैं।

समुद्र या हवाई मार्ग से यात्रियों और वस्तुओं को ले जाना।

किसी भी इकाई से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उस इकाई के बाहर रेलवे क्षेत्र तक विस्तार।

डी. सहायक

डोमिनियन विधानमंडल के लिए चुनाव, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत किए गए किसी भी आदेश के अधीन।

उपरोक्त मामलों में से किसी के संबंध में कानूनों के खिलाफ है।उपरोक्त मामलों में से किसी के उद्देश्यों के लिए पूछताछ और सांख्यिकी।

उपर्युक्त मामलों में से किसी के संबंध में सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, लेकिन विलय करने वाले राज्य के शासक की सहमति के अलावा, इस तरह से नहीं कि उस राज्य में या उसके संबंध में सामान्य रूप से अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों के अलावा किसी अन्य न्यायालय को कोई अधिकारिता या शक्तियां प्रदान की जाएं।”

253. प्रारूप संविधान में एक अलग भाग शामिल किया गया था, जिसे भाग VI-A के रूप में गिना गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भाग III में राज्यों के लिए एक "आंतरिक संविधान" का प्रावधान किया गया था।राज्यों के संविधान की प्रकृति को समझने के लिए भाग VI-A के प्रावधानों का संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है।प्रारूप संविधान 216 के अनुच्छेद 211 ए में निर्धारित किया गया है कि संविधान के भाग VI के प्रावधान भाग III में राज्यों पर लागू होंगे जैसा कि वे भाग I में राज्यों पर लागू होते हैं, बशर्ते कि कुछ निश्चित प्रावधान हों।

216 संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किए जाने से पहले संविधान का अनुच्छेद 238 भाग बी राज्यों के "आंतरिक संविधान" से संबंधित था।अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया था कि भाग बी में राज्यों के लिए भाग VI के प्रावधान प्रावधान में सूचीबद्ध संशोधनों के अधीन थे।

परिवर्धन और चूक।संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैंः(क) "राज्यपाल" शब्द को "राजप्रमुख" वाक्यांश के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा; और (ख) राजप्रमुख के लिए किराए के भुगतान के बिना अपने निवास का उपयोग करने का हकदार होने के प्रावधान और राजप्रमुख को ऐसे भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो राष्ट्रपति सामान्य रूप से या एक विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।संशोधन पेश करते समय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने समझाया कि भाग-1 राज्यों पर लागू होने वाले प्रावधान भाग-3 राज्यों पर लागू होंगे।तथापि, भाग III में राज्यों की विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रावधानों में आवश्यक रूप से संशोधन किया जाएगाः

“जैसा कि देखा जाएगा, इस भाग का अंतर्निहित विचार यह है कि इस संविधान का भाग VI जो राज्यों के संविधान से संबंधित है, अब स्वतः ही अनुच्छेद 211-ए के प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से राज्यों पर लागू होगा। लेकिन यह महसूस किया जाता है कि भाग VI को भारतीय राज्यों पर लागू करने में, जो भाग III में होगा, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए कुछ प्रावधान करना आवश्यक है और इस विशेष संशोधन का उद्देश्य उन विशेष अनुच्छेदों को इंगित करना है जिनमें ये संशोधन भाग III में राज्यों की विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए किए जाने आवश्यक हैं। अन्यथा जहां तक उनके आंतरिक संविधान का संबंध है, भाग III में राज्य भाग 1 में राज्यों के बराबर होंगे।”

254. जम्मू और कश्मीर राज्य की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, मंत्रालय ने सुझाव दिया कि एक "संक्रमणकालीन व्यवस्था" के रूप में एक विशेष प्रावधान किया जाए।मंत्रालय ने मसौदा समिति के विचार के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण का सुझाव दियाः217

क. जम्मू और कश्मीर को अनुसूची I के भाग III राज्यों में रखा जाएगा; और

बी। एक विशेष प्रावधान है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों तक सीमित होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान नहीं करती है कि संविधान के सभी प्रावधान जो भाग III राज्यों पर लागू होते हैं, वे जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे।

ख) भारतीय राज्यों द्वारा संविधान का अनुसमर्थन करने की प्रक्रिया

217 शिवा राव, पृ.991

255. संविधान सभा को संविधान के अनुसमर्थन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्णय लेना था क्योंकि संविधान के मसौदे में राज्यों द्वारा संविधान के अनुसमर्थन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई प्रावधान नहीं था।संविधान सभा को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या भारतीय राज्य आई. ओ. ए. के निष्पादन के कारण बनाए गए संविधान से बाध्य होंगे या क्या संविधान सभा को संविधान के अनुसमर्थन के लिए एक अलग प्रक्रिया तैयार करनी होगी।एक विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि राजप्रमुख या शासक को भारत के पूरे संविधान को स्वीकार करना चाहिए जिसमें राज्य की संविधान सभा या विधानमंडल द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के आधार पर राज्यों का आंतरिक संविधान भी शामिल है, जहां ऐसा निकाय मौजूद है। मैसूर, त्रावणकोर और कोचि संघ और सौराष्ट्र राज्यों की संविधान सभाएँ, जो उस समय काम कर रही थीं, ने राज्यों से संबंधित संविधान के प्रावधानों की जांच करने पर राज्यों की ओर से संविधान को स्वीकार किया।जिन राज्यों में संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, वहां संविधान को शासक या राजप्रमुख की स्वीकृति के आधार पर लागू किया जाना था, और विधानसभाओं या संविधान बनाने वाले निकायों को जब गठन किया जाएगा तो उन्हें संविधान के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करने का अवसर मिलेगा, जहां तक वे राज्यों पर लागू होते हैं।यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के किसी भी प्रस्तावित संशोधन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।218 इस सूत्रीकरण के पीछे का उद्देश्य निम्नानुसार व्यक्त किया गया थाः

“यह सूत्र इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है कि नए संविधान के लागू होने तक कुछ संघों में संविधान बनाने वाले निकायों के अस्तित्व में आने की संभावना नहीं है। प्रस्तावित व्यवस्था का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि पूरा संविधान लागू होते ही सभी राज्यों और संघों में लागू हो जाएगा।

संघों में लोकप्रिय राय के लिए राजनीतिक इशारा जिसमें नहीं

संविधान सभाएँ अभी तक अस्तित्व में नहीं आई हैं, यदि उनकी पहली विधानसभाएँ संविधान के ऐसे प्रावधानों पर अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हैं जिन्हें मौलिक नहीं माना जाता है।” 219

(जोर दिया गया)

218 सफ़ेद कागज।पेज। 110

219 भारतीय राज्यों के संबंध में निर्णयों की व्याख्या करते हुए राज्य मंत्रालय द्वारा टिप्पणी (जुलाई 1949)

256. संविधान सभा के विचार "सिफारिश के रूप को ग्रहण करेंगे और यह केंद्रीय संसद के लिए खुला होगा, जिससे उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए लगभग पांच वर्षों की अवधि के लिए घटक शक्तियों का प्रयोग करने की उम्मीद की जाती है।"220

257. अनुसमर्थन प्रक्रिया के अनुसरण में, सभी राज्यों ने भारत के संविधान को स्वीकार करते हुए एक उद्घोषणा जारी की।25 नवंबर 1949 को, युवराज करण सिंह द्वारा एक घोषणा जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत का संविधान जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, भारत संघ और राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों को नियंत्रित करेगा और संविधान उन संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा जो भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत हैंः

"अब मैं घोषणा और निर्देश देता हूँ -

कि भारत की संविधान सभा द्वारा शीघ्र ही अपनाया जाने वाला भारत का संविधान जहां तक जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, इस राज्य और भारत संघ के बीच संवैधानिक संबंध को नियंत्रित करेगा और इस राज्य में मेरे द्वारा, मेरे उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों द्वारा इसके प्रावधानों की अवधि के अनुसार लागू किया जाएगा।कि उक्त संविधान के प्रावधान, इसके प्रारंभ की तारीख से, इस राज्य में वर्तमान में लागू अन्य सभी असंगत संवैधानिक प्रावधानों को हटा देंगे और निरस्त कर देंगे।"

258. शासक द्वारा की गई घोषणा से यह स्पष्ट होता है कि राज्य ने भारत के संविधान का अनुसमर्थन किया है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है।संविधान अपने प्रारंभ पर उन सभी अन्य संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा जो भारत के संविधान के साथ असंगत थे और राज्य में लागू थे।इस प्रकार, आई. ओ. ए. के खंड 7 द्वारा बनाया गया प्रतिबंध, जिसके द्वारा आई. ओ. ए. को भारत के किसी भी भावी संविधान की स्वीकृति नहीं माना गया था, घोषणा द्वारा हटा लिया गया था।

259. एक एकीकृत संविधान के विकास और संविधान के अनुसमर्थन की प्रक्रिया से पहले की चर्चाओं से संकेत मिलता है कि -

ए। प्रारूप संविधान की पहली अनुसूची के भाग III में उल्लिखित भारतीय राज्यों को अनुसूची के भाग I और भाग II में उल्लिखित राज्यों की तुलना में अलग-अलग रखा गया था क्योंकिः i. राज्यों के लिए आंतरिक संविधान तैयार करने के लिए भाग III में राज्यों द्वारा संविधान सभाओं का गठन किया गया था।संघ के साथ राज्यों के निरंतर एकीकरण पर, यह महसूस किया गया कि "जन राजनीति" में दो संविधानों के लिए कोई जगह नहीं है; और

ii.भाग III में राज्यों पर संघ की विधायी क्षमता रक्षा, बाह्य संबंध और संचार के विषयों तक सीमित थी।बाद में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भाग III के सभी राज्यों ने आई. ओ. ए. के दायरे का विस्तार करके तदनुसार सूची I और सूची III में सभी प्रविष्टियों पर केंद्रीय विधायिका को क्षमता प्रदान की। केंद्र और राज्य के बीच विधायी क्षमता का सीमांकन करने में जम्मू और कश्मीर राज्य

के संबंध में भारत की संविधान सभा की सीमित क्षमता को देखते हुए, भारत के संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाना था; और

बी। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान के अनुसमर्थन की प्रक्रिया का उद्देश्य भाग III में अन्य राज्यों के अनुसमर्थन की प्रक्रिया की तुलना में अलग नहीं था, जहां संविधान को राजप्रमुख की घोषणा द्वारा लागू किया गया था।महाराजा हरि सिंह ने 25 नवंबर 1949 को उद्घोषणा जारी करते हुए घोषणा की कि भारत का संविधान जब अपनाया जाएगा तो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा और भारत के संविधान की स्वीकृति की पुष्टि की।अनुसमर्थन को राज्य की संविधान सभा द्वारा भी संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सका।राज्य की संविधान सभा प्रावधान में संशोधन के लिए सिफारिशें कर सकती है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर (यानी विशेष प्रावधान) से संबंधित है।हालाँकि, संघ ऐसी सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था।

165

III. संविधान सभा में अनुच्छेद 370 पर बहस

260. 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 305 ए का मसौदा तैयार किया। अनुच्छेद 376 ए का मसौदा संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुरूप था।अनुच्छेद का परिचय देते हुए, श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत अधिराज्य में विलय का इतिहास भी सर्वविदित है।उन्होंने कहा कि "तब से, राज्य का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है" और "राज्य में स्थितियां अभी तक सामान्य नहीं हैं"।उन्होंने कहा कि विलय के बाद, राज्य "एक संघीय राज्य की एक इकाई है, जिसका नाम है भारत का अधिराज्य" और 26 नवंबर 1950 को गणराज्य के एकीकरण के बाद, जम्मू और कश्मीर को "भारत के नए गणराज्य की एक इकाई बनना होगा।"अय्यंगार ने कहा कि आई. ओ. ए. "नए संविधान में अतीत की बात होगी।"संघीय गणराज्य के साथ इस तरह से एकीकृत होने वाले राज्यों को गणराज्य की इकाई बनने के उद्देश्यों के लिए विलय के दस्तावेज़ को स्वीकार या निष्पादित नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनका उल्लेख संविधान में ही किया जाएगा।उन्होंने कहा कि "जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों के मामले में, उनके संविधान को भी पूरे भारत के संविधान में शामिल किया गया है।"उन्होंने कहा कि वे सभी अन्य राज्य "इस तरह से खुद को एकीकृत करने और प्रदान किए गए संविधान को स्वीकार करने" के लिए सहमत हुए थे।

261. संविधान सभा के सदस्य मौलाना हसरत मोहानी ने जम्मू और कश्मीर के संबंध में "इस भेदभाव" का कारण पूछा।प्रश्न के उत्तर में, अय्यंगार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य एकीकरण के तरीके के लिए तैयार नहीं था जो अन्य राज्यों के लिए संविधान में प्रदान किया गया थाः

“यह भेदभाव कश्मीर की विशेष स्थितियों के कारण है।वह विशेष राज्य अभी तक इस तरह के एकीकरण के लिए तैयार नहीं है।यहां हर किसी को उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर भी उसी तरह के एकीकरण के लिए तैयार हो जाएगा जैसा कि अन्य राज्यों के मामले में हुआ है।(

जय हो) वर्तमान में उस एकीकरण को प्राप्त करना संभव नहीं है।अब ऐसा क्यों संभव नहीं है, इसके कई कारण हैं।मैं इस बारे में कुछ समय बाद फिर से बताऊंगा।"

262. "कश्मीर की स्थितियों" को "विशेष व्यवहार" की आवश्यकता के रूप में संदर्भित करते हुए, उन्होंने राज्य में उस समय मौजूद स्थितियों की प्रकृति को स्पष्ट किया:

"पहले स्थान पर जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमा के भीतर युद्ध चल रहा है।

इस वर्ष की शुरुआत में युद्धविराम पर सहमति बनी थी और युद्धविराम अभी भी जारी है।लेकिन राज्य की स्थिति अभी भी असामान्य और असामान्य है।वे स्थिर नहीं हुए हैं।इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य के प्रशासन को इन असामान्य परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जब तक कि अन्य राज्यों की तरह सामान्य जीवन बहाल नहीं हो जाता।राज्य का कुछ हिस्सा अभी भी विद्रोहियों और दुश्मनों के हाथों में है।

हम जम्मू-कश्मीर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के साथ उलझे हुए हैं और अब यह कहना संभव नहीं है कि हम इस उलझन से कब मुक्त होंगे।यह तभी हो सकता है जब कश्मीर समस्या का संतोषजनक समाधान हो।"

263. जम्मू और कश्मीर की स्थिति के अलावा, अय्यंगार ने भारत सरकार द्वारा कश्मीर के लोगों के लिए "कुछ मामलों में" की गई प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया, जिसके संदर्भ में "राज्य के लोगों को यह तय करने का अवसर दिया जाएगा कि वे गणतंत्र के साथ रहेंगे या इससे बाहर जाना चाहते हैं"। अय्यंगार ने यह भी कहा कि सरकार जनमत संग्रह के माध्यम से लोगों की इच्छा का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते कि शांतिपूर्ण और सामान्य स्थिति बहाल हो और जनमत संग्रह की निष्पक्षता की गारंटी दी जा सके।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा "एक संविधान सभा के माध्यम से" राज्य के संविधान के साथ-साथ राज्य पर संघ के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करेगी।अय्यंगार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अन्य राज्यों के विपरीत जिन्होंने नए संविधान के भाग 1 में राज्यों के लिए बनाए गए संविधान को स्वीकार किया था; जहां केंद्र के पास सभी संघ और समवर्ती विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी और राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों की एकरूपता स्थापित की गई थी, जम्मू और कश्मीर में प्राप्त स्थिति अलग थी:

"वर्तमान में, विधानमंडल जिसे राज्य में प्रजा सभा के रूप में जाना जाता था, समाप्त हो गया है।जब तक उस राज्य में पूर्ण शांति नहीं आ जाती, तब तक न तो विधानमंडल का गठन किया जा सकता है और न ही संविधान सभा का गठन किया जा सकता है।इसलिए हमें राज्य सरकार से निपटना होगा, जिसका प्रतिनिधित्व 167 की परिषद में किया गया है।

मंत्री, सबसे बड़े राजनीतिक दल की राय को प्रतिबिंबित करते हैं

राज्य।जब तक एक संविधान सभा अस्तित्व में नहीं आती है, केवल एक अंतरिम व्यवस्था संभव है और ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे तुरंत अन्य राज्यों के मामले में मौजूद व्यवस्था के अनुरूप लाया जा सके।"

(जोर दिया गया) 264।गोपालस्वामी अय्यंगार के भाषण के पाठ से उपरोक्त उद्धरण में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई थी कि जब तक राज्य के लिए एक संविधान सभा अस्तित्व में नहीं आई, तब तक एक अंतरिम व्यवस्था संभव थी, जो एक व्यवस्था के विपरीत थी जिसे अन्य राज्यों के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लाया जा सकता था।अतः उन्होंने कहाः

"अब, यदि आप उन दृष्टिकोण बिंदुओं को याद करते हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है, तो यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष है कि, वर्तमान समय में, हम केवल एक अंतरिम प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 306 ए ऐसी प्रणाली स्थापित करने का एक प्रयास है।"

(जोर दिया गया) 265।अनुच्छेद 306 के मसौदे के कुछ खंडों के बारे में विस्तार से बताते हुए अय्यंगार ने कहाः

"इस अनुच्छेद का दूसरा भाग जम्मू और कश्मीर राज्य पर संसद के विधायी प्राधिकरण से संबंधित है।यह मुख्य रूप से विलय के साधन द्वारा नियंत्रित होता है।मोटे तौर पर, यह विधायी शक्ति रक्षा, विदेशी संबंध और संचार के तीन विषयों तक सीमित है, लेकिन वास्तव में इन व्यापक श्रेणियों में कई आइटम शामिल हैं जो विलय के दस्तावेज में सूचीबद्ध हैं।मेरा मानना है कि उनकी संख्या लगभग बीस से बीस-पाँच है।अब, इन वस्तुओं के विवरण में, संख्या में, व्यवस्था में, जैसा कि आपस में है, नए संविधान की सूची I और सूची I में परिवर्तन हुआ है।इसलिए यह आवश्यक है कि विलय के दस्तावेज में उल्लिखित वस्तुओं को नए संविधान की सूची I और Ill में प्रविष्टियों के बदले हुए पदनामों के अनुरूप लाया जाए।इसलिए, अनुच्छेद 305 ए के खंड (1) (बी) में कहा गया है कि नए संविधान की शर्तों के अनुसार वस्तुओं की यह सूची राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से बनाई जानी चाहिए।

खंड (ख) (ii) विलय के दस्तावेज में सूची में संभावित परिवर्धन को संदर्भित करता है, और ये परिवर्धन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की सहमति से किए जा सकते हैं। विचार यह है कि संविधान सभा की बैठक से पहले ही, केंद्र और राज्य दोनों के हित में यह आवश्यक हो सकता है कि कुछ वस्तुओं को जो विलय के दस्तावेज में शामिल नहीं हैं, उन्हें उस दस्तावेज की सूची में उचित रूप से जोड़ा जाए ताकि प्रशासन, विधान और कार्यकारी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके, और जैसा कि यह संविधान सभा की बैठक से पहले हो सकता है, एकमात्र

प्राधिकरण जिससे हम जोड़ के लिए सहमति प्राप्त कर सकते हैं, वह राज्य सरकार है।इसके लिए प्रावधान किया गया है।"

266. उन्होंने लेख के स्पष्टीकरण का भी समर्थन किया।अय्यंगार ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 1 जम्मू और कश्मीर राज्य पर "स्वचालित रूप से लागू होगा" जो भाग III में उल्लिखित राज्यों में से एक था।

267. संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की सहमति प्रदान करने वाले कई खंडों का उल्लेख करते हुए अय्यंगार ने कहाः

"अब, ये विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित हैं जिनका विलय के दस्तावेज में उल्लेख नहीं है, और यह कश्मीर के लोगों और सरकार के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं में से एक है कि संविधान सभा की सहमति के अलावा ऐसा कोई जोड़ नहीं किया जाना चाहिए जिसे राज्य में अपने संविधान को तैयार करने के उद्देश्य से बुलाया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये परिवर्धन राज्य की संविधान सभा के निर्धारण के लिए हैं।

अब आपको याद होगा कि इस अनुच्छेद के कुछ खंडों में हमने राज्य सरकार की सहमति का प्रावधान किया है।राज्य सरकार महसूस करती है कि राज्य और केंद्र के बीच पहले से की गई प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, उन्हें यह सहमति देने के लिए अंतिम प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है, हालांकि वे इसे अंतरिम अवधि में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि वे यह सहमति देते हैं, तो इस खंड में प्रावधान है कि सहमति को संविधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए।

जब इसकी बैठक होती है और संविधान सभा उन मामलों पर जो भी निर्णय चाहे ले सकती है।"

268. अय्यंगार ने अनुच्छेद 306 ए के मसौदे के अंतिम खंड के दायरे को स्पष्ट किया और कहाः

"अंतिम खंड यह संदर्भित करता है कि बाद में क्या हो सकता है।हमने कहा है कि अनुच्छेद 211 ए जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा।लेकिन यह राज्य के संविधान की स्थायी विशेषता नहीं हो सकती है और उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा।अतः यह प्रावधान किया गया है कि जब राज्य की संविधान सभा ने राज्य के लिए संविधान और राज्य पर संघीय अधिकारिता की सीमा दोनों पर बैठक की है और अपना निर्णय लिया है, तो राष्ट्रपति उस संविधान सभा की सिफारिश पर एक आदेश जारी कर सकता है कि यह अनुच्छेद 305 क या तो लागू नहीं होगा, या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन ही लागू होगा जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।लेकिन इस तरह का कोई भी आदेश जारी करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश एक शर्त होगी।यही इस पूरे लेख की व्याख्या करता है।"269. अनुच्छेद के प्रभाव का सारांश देते हुए, अय्यंगार ने कहाः"इस अनुच्छेद का प्रभाव यह है कि जम्मू और कश्मीर राज्य, जो अब भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक हिस्सा बना रहेगा, भारत के भावी संघीय गणराज्य की एक इकाई होगी और संघ विधानमंडल को विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों पर या बाद में राज्य सरकार की सहमति से कानून बनाने का

अधिकार क्षेत्र मिलेगा।और नियत समय में एक संविधान सभा बुलाने के उद्देश्य से कदम उठाए जाने चाहिए जो उन मामलों पर गौर करेगी जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।जब यह विभिन्न मामलों पर किसी निर्णय पर आ जाता है तो यह राष्ट्रपति को एक सिफारिश करेगा जो या तो अनुच्छेद 307 क को निरस्त कर देगा या निर्देश देगा कि यह ऐसे संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा जिनकी संविधान सभा सिफारिश करे।"270. अनुच्छेद 306 ए पर प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।संविधान सभा के समक्ष गोपालस्वामी अय्यंगार का संबोधन कई पहलुओं को उजागर करता है जो अनुच्छेद 305 ए का मसौदा तैयार करने में निर्माताओं के साथ थे। सबसे पहले, पता इंगित करता है

कि आई. ओ. ए. के निष्पादन के बाद, जम्मू और कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया था और राष्ट्र के क्षेत्र का एक हिस्सा और भविष्य के संघीय गणराज्य की एक इकाई बना रहेगा; और दूसरा, संघ में अन्य राज्यों को एकीकृत करने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य अभी तक उस तरह के एकीकरण के लिए तैयार नहीं था।

एकीकरण जिसकी परिकल्पना शेष राज्यों के लिए की गई थी

निम्नलिखित परिस्थितियाँ:ए। राज्य की सीमाओं के भीतर एक युद्ध चल रहा था और जब युद्धविराम पर सहमति बन गई थी, तब स्थितियां असामान्य थीं क्योंकि राज्य का एक हिस्सा अभी भी विद्रोहियों और दुश्मनों के हाथों में था।

बी। डोमिनियन "संयुक्त राष्ट्र के साथ उलझा हुआ था";ग. न तो राज्य की विधायिका और न ही संविधान सभा की स्थापना की जा सकी।

घ. इस कवायद के समापन तक, आई. ओ. ए. के तहत डोमिनियन के दायरे में आने वाले मामलों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श और अन्य मामलों पर सहमति के लिए अनुच्छेद 303 ए का मसौदा तैयार किया गया है; और

ङ. राज्य की संविधान सभा की बैठक के बाद और राज्य के लिए संविधान और राज्य पर संघीय अधिकार क्षेत्र की सीमा पर निर्णय लेने के बाद, राष्ट्रपति, उस संविधान सभा की सिफारिश पर, एक आदेश जारी कर सकता है कि अनुच्छेद 305 क या तो संचालन करना बंद कर देगा या अपवादों और संशोधनों के अधीन कार्य करेगा।

IV. अनुमान

271. जम्मू और कश्मीर के महाराजा द्वारा निष्पादित आई. ओ. ए. में कहा गया है कि (ए) वह भारत डोमिनियन में शामिल हो जाता है; (बी) भारत के गवर्नर जनरल, डोमिनियन विधानमंडल, संघीय न्यायालय और किसी अन्य डोमिनियन प्राधिकरण सहित डोमिनियन के अधिकारी जम्मू और

कश्मीर राज्य के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित ऐसे कार्यों का प्रयोग करेंगे; और (सी) संघ के विधानमंडल की विधायी क्षमता रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और कुछ सहायक मामलों तक सीमित होगी।171.

महाराजा द्वारा आई. ओ. ए. के माध्यम से भारत अधिराज्य में प्रवेश किसी भी शर्त के अधीन नहीं था।परिग्रहण का आवश्यक प्रभाव आई. ओ. ए. में ही निर्धारित किया गया हैःडोमिनियन के अधिकारी, यानी डोमिनियन की कार्यपालिका, विधायिका और अदालतें जम्मू और कश्मीर राज्य पर नियंत्रण का प्रयोग करेंगी।जम्मू और कश्मीर राज्य में डोमिनियन विधानमंडल की विधायी क्षमता की सीमा किसी भी तरह से सम्राट से स्वतंत्र भारत के संघीय संस्थानों को शक्ति के हस्तांतरण को सीमित नहीं करती है।272. आई. ओ. ए. के तहत, डोमिनियन प्राधिकरणों को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा निहित कार्यों का प्रयोग करना था।भारतीय संविधान को अपनाने और 25 नवंबर 1949 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा द्वारा भारतीय संविधान की पुष्टि करते हुए जारी की गई घोषणा पर, जम्मू और कश्मीर में विधायिका सहित डोमिनियन प्राधिकरणों के कार्य पूरी तरह से भारत के संविधान के प्रावधानों द्वारा सीमित थे, न कि आई. ओ. ए., भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा।जम्मू और कश्मीर के महाराजा द्वारा जारी घोषणा भारतीय संविधान की पुष्टि करती है क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर बिना शर्त लागू होती है।संविधान को अपनाने और अनुसमर्थन के साथ औपनिवेशिक और राजतंत्रीय शासन के अवशेष टूट गए।भारत अधिराज्य में शामिल होने पर राज्य के पास कोई अवशिष्ट संप्रभुता नहीं बची थी।

273. 1955 में न्यायमूर्ति विवियन बोस ने संविधान की वकालत की।

विरेन्द्र सिंह बनाम यू. पी. राज्य 221 के मामले में पीठ ने संवैधानिक

स्थिति इस प्रकार हैः

"संप्रभुता के प्रत्येक अवशेष को भारत अधिराज्य और राज्यों द्वारा त्याग दिया गया था और देश के लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था**,** जिन्होंने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए एक नया संविधान बनाया था जिसमें सभी एक नए क्रम में नागरिक थे**,** लेकिन एक बंधन और एक ही निष्ठा के कारणःसंप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य यानी भारत के प्रति समर्पण**,** निष्ठा**,** निष्ठा।एक झटके में

अन्य सभी क्षेत्रीय निष्ठाओं को मिटा दिया गया था और अतीत था

221 (1955) 1 एससीआर 415

[2023] 16 एस सी आर।

जहां स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था, उसके अलावा मिटा दिया गया था; एक समय पर नई व्यवस्था का जन्म एक ही आधार पर सभी के लिए एक ही स्रोत से उत्पन्न होने वाली अपनी नई निष्ठा के साथ हुआ थाःभारत के लोगों की संप्रभु इच्छा, जिसमें कोई वर्ग, कोई जाति, कोई नस्ल, कोई पंथ, कोई भेदभाव, कोई आरक्षण नहीं है।"

(जोर दिया गया)

274. रघुनाथराव गणपतराव (ऊपर) में, न्यायमूर्ति रत्नवेल

पांडियन ने केंद्र सरकार में भारतीय राज्यों के विलय और उस प्रक्रिया के बारे में बताया जिसके माध्यम से उनका एकीकरण किया गया थाः

"31. भारतीय अधिराज्य में भारतीय राज्यों के इस विलय ने राज्यों और सरकार के बीच एक नया जैविक संबंध स्थापित किया, जिसका महत्व राज्यों और भारत अधिराज्य के बीच एक संवैधानिक संबंध या संबंध बनाना था।भारतीय अधिराज्य में भारतीय राज्यों का विलय उन्हें भारत की संवैधानिक संरचना में फिट करने की प्रक्रिया का पहला चरण था।दूसरे चरण में दोहरे एकीकरण की प्रक्रिया शामिल थी, राज्यों को बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में समेकित करना और उनका लोकतंत्रीकरण।यद्यपि भारतीय राज्यों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आग्रह की घुसपैठ को रोकने के लिए राजनीतिक अलगाव की ऊँची दीवारें खड़ी और मजबूत की गई थीं, स्वतंत्रता के आगमन के साथ, राज्यों में स्वतंत्रता के उसी पैमाने को प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय आग्रह जो प्रांतों में लोगों को प्राप्त था, ने गति प्राप्त की और शासकों से लोगों को सत्ता के हस्तांतरण के लिए मजबूत आंदोलन किए।छोटे राज्यों में आत्मनिर्भर और प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तंत्र के खिलाफ काम करने वाले विभिन्न कारकों और उन राज्यों में कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे के कारण, राज्यों का एकीकरण हुआ, हालांकि सभी मामलों में एक समान पैटर्न में नहीं था। सबसे पहले, यह भौगोलिक रूप से उनसे सटे प्रांतों में राज्यों के विलय के बाद हुआ।दूसरा, राज्यों को केंद्रीय रूप से प्रशासित क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया और तीसरा, राज्यों के संघ के रूप में जानी जाने वाली नई व्यवहार्य इकाइयों का निर्माण करने के लिए उनके क्षेत्रों का एकीकरण।"

275. उदाहरण के लिए, संविधान को अपनाने के दौरान प्रारूप संविधान के भाग III में अन्य सभी राज्यों (जो संविधान को अपनाने पर भाग बी राज्य थे) ने कराधान को छोड़कर सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची III में सभी प्रविष्टियों पर डोमिनियन विधानमंडल को अधिकार दिया था।हालाँकि, संविधान (जैसा कि अपनाया गया है) ने कराधान के उद्देश्य से भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया है।कराधान से संबंधित प्रविष्टियाँ संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III दोनों में रखी गई हैं।जब राज्यों के शासकों ने संविधान की पुष्टि करते हुए एक घोषणा जारी की, तो उन्होंने उन सीमाओं को हटा दिया जो उनके आई. ओ. ए. द्वारा संघ की विधायी शक्ति

पर रखी गई थीं। यह केवल भारत का संविधान है न कि आई. ओ. ए. जिसने संघ और संघीय इकाइयों की शक्तियों को सीमित किया।276. सातवें संवैधानिक संशोधन द्वारा, भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया था।सभी क्षेत्रों को "राज्यों" और "केंद्र शासित प्रदेशों" के शीर्ष के तहत समेकित किया गया था।इसके साथ, राज्यपाल के प्रांतों और भारतीय राज्यों के बीच के अंतर की स्वाभाविक मृत्यु हो गई।राज्यपाल के प्रांतों और भारतीय राज्यों के बीच अंतर संविधान में इसलिए किया गया था क्योंकि पहले भारतीय राज्यों के शासकों ने आई. ओ. ए. के माध्यम से संघ को सीमित विधायी क्षमता दी थी, और रियासतों में विशेष परिस्थितियों के कारण।जब भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया था और अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया था, तो यह तर्क कि भाग बी राज्यों के भीतर, जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है क्योंकि महाराजा द्वारा निष्पादित आई. ओ. ए सीमित था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

277. भारत की संविधान सभा जम्मू और कश्मीर राज्य में संघ विधानमंडल की शक्ति को आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों तक सीमित करने के लिए बाध्य नहीं थी। यह वही मार्ग अपना सकता था जो उसने अन्य भाग बी राज्यों के साथ अपनाया था, जहां संघ विधानमंडल की विधायी क्षमता को संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में बढ़ाया गया था।भारत की संविधान सभा ने राज्य में विशेष परिस्थितियों के कारण आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों तक संघ विधानमंडल की शक्ति को सीमित करने का फैसला किया, जिनकी पहचान श्री अयंगर ने अपने भाषण में की थी।जम्मू और कश्मीर भारत के अधिराज्य में शामिल हो गया था।एक बार जब यह स्थिति थी, तो कोई कानूनी स्थिति नहीं थी

अन्य राज्यों के समान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत की संविधान सभा पर बाधा।हालाँकि, संविधान सभा के सदस्यों का मानना था कि यदि राज्य पर संघ की विधायी क्षमता प्राप्त करने से पहले जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सहमति प्राप्त की जाती है तो यह सद्भावना का संदेश भेजेगा।278. इस प्रकार, अनुच्छेद 370 को दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पेश किया गया था।पहला, राज्य की संविधान सभा के गठन तक एक अंतरिम व्यवस्था और आई. ओ. ए. में निर्धारित मामलों के अलावा अन्य मामलों पर संघ की विधायी क्षमता पर निर्णय ले सकती है, और संविधान (संक्रमणकालीन उद्देश्य) की पुष्टि कर सकती है; और दूसरा, राज्य की युद्ध स्थितियों (अस्थायी उद्देश्य) के कारण राज्य में विशेष परिस्थितियों के कारण एक अंतरिम व्यवस्था।

बी। अनुच्छेद 370 में प्रावधानों का दायरा

I. संविधान के भाग **21** में स्थान और अनुच्छेद **370** पर सीमांत टिप्पणी

279. अनुच्छेद 370 संविधान का एक हिस्सा था क्योंकि इसे मूल रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।यह प्रावधान भाग 21 में रखा गया था जिसका शीर्षक था "अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान" जब 1950 में संविधान को अपनाया गया था।अध्याय शीर्षक को संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम 1962 222 द्वारा इसके वर्तमान रूप-"अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

280. अनुच्छेद 370 का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, संविधान को अपनाने में इसके प्रासंगिक स्थान को समझना आवश्यक है जिसे "अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों" के रूप में वर्णित किया गया है; जिसे बाद में "विशेष प्रावधानों" को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

281. अनुच्छेद 369 ने संसद को संविधान के प्रारंभ से पांच साल की अवधि के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के साथ कानून बनाने का अधिकार सौंपा, जैसे कि वे समवर्ती सूची में गिने गए हों।ये मुद्दे थेः

222 संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम 1962 1 दिसंबर 1963 को "तेरहवां संशोधन" लागू हुआ।

ए। खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक, कच्चा कपास, सूती बीज, कागज और सूती और ऊनी वस्त्रों सहित चिन्हित वस्तुओं का राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण; और

ख. उपरोक्त मामलों से संबंधित अपराध और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियों के साथ-साथ शुल्क 223 अधिरोपित करना।

282. अनुच्छेद 371 में भाग बी राज्यों के संबंध में अस्थायी प्रावधानों को निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के लिए (एक अवधि जिसे संसद द्वारा बढ़ाया या छोटा किया जा सकता है), भाग बी राज्य की सरकार सामान्य नियंत्रण में होगी और उसे राष्ट्रपति 224 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

223 369.राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की संसद को अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों, इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्षों की अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी, जैसे कि वे समवर्ती सूची में गिने गए हों, अर्थात्ः

(अ)

(ख)

224 उप.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 22 द्वारा (से. 1-11-1956), मूल अनुच्छेद 371 के लिए। प्रतिस्थापन से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

“371. पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के संबंध में अस्थायी प्रावधान-इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, उसके प्रारंभ से दस साल की अवधि के दौरान, या किसी राज्य के संबंध में संसद द्वारा दी गई ऐसी लंबी या छोटी अवधि के दौरान, पहली अनुसूची के भाग बी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार सामान्य नियंत्रण में होगी और राष्ट्रपति द्वारा

समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे विशेष निर्देशों, यदि कोई हों, का पालन करेगीःबशर्ते कि राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधान आदेश में निर्दिष्ट किसी भी राज्य पर लागू नहीं होंगे।

283. अनुच्छेद 372 225 संविधान के प्रारंभ पर भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानूनों को तब तक जारी रखने का प्रावधान करता है जब तक कि एक सक्षम विधायिका द्वारा परिवर्तित या निरस्त नहीं किया जाता है।राष्ट्रपति को संविधान के अनुरूप ऐसे कानूनों को लाने के लिए निरसन और संशोधन दोनों सहित कानून में अनुकूलन और संशोधन करने का भी अधिकार था।मूल रूप से अनुकूलन और संशोधन करने के लिए यह अवधि दो थी।

225 372.मौजूदा कानूनों के बल में निरंतरता और उनका अनुकूलन।(1) इस संविधान द्वारा अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन के बावजूद, लेकिन इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू सभी कानून किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित किए जाने तक उसमें लागू रहेंगे।

(2) इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी भी कानून के प्रावधानों को लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकता है, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो आवश्यक या समीचीन हो, और यह प्रावधान कर सकता है कि कानून, ऐसी तारीख से, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, इस तरह किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा, और ऐसे किसी भी अनुकूलन या संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(3) खंड (2) में कुछ भी नहीं माना जाएगा -

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी कानून का कोई अनुकूलन या संशोधन करने का अधिकार देना; या

(ख) किसी भी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को उक्त खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुकूलित या संशोधित किसी भी कानून को निरस्त करने या संशोधित करने से रोकना।इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" अभिव्यक्ति के स्पष्टीकरण में इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाई गई और पूर्व में निरसित नहीं की गई कोई विधि शामिल होगी, भले ही वह या उसके कुछ भाग तब बिल्कुल भी या विशेष क्षेत्रों में लागू न हों।भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाई गई विधि, जिसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव और साथ ही प्रभाव था, ऐसे किसी भी अनुकूलन और संशोधनों के अधीन रहते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसी अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव बनी रहेगी।

इस अनुच्छेद में दिए गए स्पष्टीकरण III.-Nothing का अर्थ यह होगा कि यदि यह संविधान लागू नहीं हुआ होता तो किसी भी अस्थायी कानून को उसकी समाप्ति की तारीख या उस तारीख से आगे जारी रखा जाता जिस पर यह समाप्त हो जाता।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 88 के तहत किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित और इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू अध्यादेश, जब तक कि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले वापस नहीं लिया जाता है, अनुच्छेद 382 के खंड (1) के तहत काम करने वाले उस राज्य की विधान सभा के ऐसे प्रारंभ के बाद पहली बैठक से छह सप्ताह की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगा, और इस अनुच्छेद की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उक्त अवधि के बाद भी ऐसा कोई अध्यादेश जारी है।

वर्ष लेकिन संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951 द्वारा तीन वर्ष के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

284. अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध से संबंधित संक्रमणकालीन प्रावधान थे।संविधान के अनुच्छेद 22 का खंड (7) संसद को कानून द्वारा उन परिस्थितियों को निर्धारित करने का अधिकार देता है जिनके तहत किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है और अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है।अनुच्छेद 373 में ऐसे प्रावधान थे जो अनुच्छेद 22 के खंड (7) के तहत संसद द्वारा कोई प्रावधान किए जाने तक या संविधान के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, काम करेंगे।उस अवधि के लिए, यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (7) में संसद के संदर्भ को राष्ट्रपति के संदर्भ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और संसद द्वारा अधिनियमित कानून के संदर्भ को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के संदर्भ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।285. अनुच्छेद 374 में प्रावधान किया गया है कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने संविधान के प्रारंभ से पहले आधिकारिक रूप से कार्य स्थगित कर दिया था, जब तक कि वे अन्यथा संविधान के प्रारंभ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन जाते और संघीय न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

286. अनुच्छेद 375 में कहा गया है कि सभी अदालतें, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के तहत काम करते रहेंगे।अनुच्छेद 376 संविधान के प्रारंभ से पहले उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों को जारी रखने का प्रावधान करता है।इसी तरह, अनुच्छेद 377 और अनुच्छेद 378 में भारत के महालेखा परीक्षक और भारत डोमिनियन के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जारी रखने का प्रावधान किया गया था, जिन्होंने संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कार्यकाल को स्थगित कर दिया था।

287. अनुच्छेद 379 में एक अस्थायी संसद के लिए प्रावधान थे जब तक कि संसद के दोनों सदनों का विधिवत गठन नहीं हो जाता और संविधान के प्रावधानों के तहत पहले सत्र के लिए बैठक के लिए बुलाया नहीं जाता।खंड (1) के संदर्भ में, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत अधिराज्य की संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कार्य करना था और उसे संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त सभी शक्तियां सौंपी गई थीं।

226 “379. अस्थायी संसद और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान

288. अनुच्छेद 380 में प्रावधान किया गया है कि जब तक संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है, तब तक भारत अधिराज्य की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

वहाँ से।– (1) जब तक इस संविधान के प्रावधानों के तहत संसद के दोनों सदनों का विधिवत गठन और बैठक के लिए बुलाया नहीं जाता है, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले भारत अधिराज्य की संविधान सभा के रूप में कार्य करने वाला निकाय अस्थायी संसद होगा और संसद को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत अधिराज्य की संविधान सभा में शामिल हैं -

किसी ऐसे राज्य या अन्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए सदस्य जिनके लिए खंड (2) के तहत प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, और

सदस्यों को उक्त विधानसभा में सभी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए चुना गया।(2) राष्ट्रपति नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकता है -

(क) किसी ऐसे राज्य या अन्य क्षेत्र के खंड (1) के तहत कार्य करने वाली अस्थायी संसद में प्रतिनिधित्व, जिसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत अधिराज्य की संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था, (ख) वह तरीका जिसमें अस्थायी संसद में ऐसे राज्यों या अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा, और

(ग) ऐसे प्रतिनिधियों के पास होने वाली अर्हताएं।

(3) यदि भारत अधिराज्य की संविधान सभा का कोई सदस्य, अक्टूबर, 1949 के छठे दिन या उसके बाद इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय, किसी राज्यपाल के प्रांत के विधानमंडल के सदन का सदस्य या पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट किसी राज्य के अनुरूप किसी भारतीय राज्य का सदस्य या ऐसे किसी राज्य का मंत्री था, तो इस संविधान के प्रारंभ से संविधान सभा में ऐसे सदस्य की सीट, जब तक कि वह पहले उस विधानसभा का सदस्य नहीं रह गया है, खाली हो जाएगी और ऐसी प्रत्येक रिक्ति को आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा।

(4) इसके बावजूद कि भारत अधिराज्य की संविधान सभा में ऐसी कोई रिक्ति जो खंड (3) में उल्लिखित है, उस खंड के तहत नहीं हुई है, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस संविधान के प्रारंभ से पहले कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो रिक्ति को भरने के लिए इस तरह के प्रारंभ से पहले चुना गया है, वह रिक्ति होने के बाद तक उक्त विधानसभा में अपना स्थान लेने का हकदार नहीं होगा।

(5) भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ पर, खंड (1) के तहत कार्य करने वाली अस्थायी संसद का अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष होगा।"

227 निरस्त अनुच्छेद 380 इस प्रकार हैः380. राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान-(i) भारत अधिराज्य की संविधान सभा के रूप में ऐसा व्यक्ति उस ओर से तब तक भारत का राष्ट्रपति होगा जब तक कि अध्याय I179 में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है।

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 180

289. अनुच्छेद 381, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है और तब तक सभी व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से पहले भारत डोमिनियन के लिए मंत्रियों के रूप में पद धारण कर रहे थे, उन्हें उस पद को 228 से जारी रखना था।

290. अनुच्छेद 382 में भाग ए में राज्यों के लिए अस्थायी विधानसभाओं के लिए प्रावधान थे, जिसके संदर्भ में प्रांतों में संविधान से ठीक पहले काम कर रही विधानसभाओं को अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग तब तक करना था जब तक कि संविधान 229 के प्रावधानों के तहत विधिवत गठित विधायिका को पहले सत्र के लिए बैठक के लिए नहीं बुलाया जाता।

भाग 5 में प्रवेश किया है और अपने कार्यकाल में प्रवेश किया है।

(2) भारत अधिराज्य की संविधान सभा द्वारा उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, या निष्कासन या अन्यथा के कारण इस प्रकार चुने गए राष्ट्रपति के कार्यालय में कोई रिक्ति होने की स्थिति में, यह अनुच्छेद 379 के तहत कार्य करने वाली अस्थायी संसद द्वारा उस ओर से चुने गए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, और जब तक कोई व्यक्ति इस तरह से निर्वाचित नहीं होता है, तब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।"

228 निरस्त अनुच्छेद 381 इस प्रकार हैः381. राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद-ऐसे व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति उस ओर से नियुक्त कर सकता है, वे इस संविधान के तहत राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे, और जब तक इस तरह से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले भारत अधिराज्य के लिए मंत्री के रूप में पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर बन जाएंगे, और इस संविधान के तहत राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे। 229 "38 अनुच्छेद 382 का निरसन इस प्रकार हैः

382. पहली अनुसूची के भाग क में राज्यों के लिए अस्थायी विधानमंडलों के बारे में प्रावधान।– (1) जब तक पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों का इस संविधान के प्रावधानों के तहत पहले सत्र के लिए विधिवत गठन या आहूत नहीं किया जाता है, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले कार्य करने वाले संबंधित प्रांत के विधानमंडल के सदन या सदन इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों को दिए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी प्रांत की विधान सभा के पुनर्गठन के लिए आम चुनाव का आदेश दिया गया है, वहां चुनाव ऐसे प्रारंभ के बाद पूरा किया जा सकता है जैसे कि यह संविधान लागू नहीं हुआ था और इस तरह से पुनर्गठित विधानसभा को उस खंड के प्रयोजनों के लिए उस प्रांत की विधान सभा माना जाएगा।(3) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी प्रांत की विधान परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट संबंधित राज्य का, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा, जबकि ऐसी विधानसभा या

291. अनुच्छेद 383 में प्रांतों के राज्यपालों के लिए प्रावधान थे जिनके संदर्भ में वे व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ में संबंधित भाग ए राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि राज्यपाल की नियुक्ति 230 नहीं हो जाती।

292. अनुच्छेद 384 में मंत्रिपरिषद और उन लोगों के बने रहने के प्रावधान हैं जो संविधान को अपनाने के समय काम कर रहे थे।231 भाग बी राज्यों में अस्थायी विधानसभाओं और उन राज्यों में मंत्रिपरिषद को जारी रखने के लिए अनुच्छेद 385-232 और 386-233 में अनुरूप प्रावधान किए गए थे।

परिषद खंड (1) के अधीन कार्य करती है।बशर्ते कि जहां इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी प्रांत की विधान सभा के पुनर्गठन के लिए आम चुनाव का आदेश दिया गया है और इस प्रकार पुनर्गठित विधानसभा की पहली बैठक ऐसे प्रारंभ के बाद आयोजित की जाती है, तो इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे और पुनर्गठित विधानसभा विधानसभा के दो सदस्यों का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करेगी।"

230 निरस्त अनुच्छेद 383 इस प्रकार हैः"383. प्रांतों के राज्यपालों के बारे में प्रावधान-इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले किसी भी प्रांत में राज्यपाल के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर पहली अनुसूची के भाग ए में निर्दिष्ट संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा जब तक कि भाग VI के अध्याय II के प्रावधानों के अनुसार एक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता है और अपने पद पर प्रवेश नहीं कर लेता है।"

231 निरस्त किया गया Art.384 इस प्रकार पढ़िएः"384. राज्यपालों के मंत्रियों की परिषद।- ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल उस ओर से नियुक्त कर सकता है, वे इस संविधान के तहत राज्यपाल की मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे और जब तक इस तरह से नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधित प्रांत के लिए मंत्री के रूप में पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर बन जाएंगे और इस संविधान के तहत राज्य के राज्यपाल की मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे।"

232 निरस्त अनुच्छेद 385 इस प्रकार हैः"385. पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों में अस्थायी विधानमंडलों के बारे में प्रावधान।- जब तक पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों का इस संविधान के प्रावधानों के तहत पहले सत्र के लिए विधिवत गठन या आहूत नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित भारतीय राज्य के विधानमंडल के रूप में इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले कार्य करने वाला निकाय या प्राधिकरण इस संविधान के प्रावधानों द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा।"

233 निरस्त अनुच्छेद 386 इस प्रकार हैः"386. पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद।- प्रथम अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट राज्य के राजप्रमुख जैसे व्यक्ति उस 181 में नियुक्त कर सकते हैं।

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 182

293. अनुच्छेद 387 में राष्ट्रपति के 234 आदेशों के तहत संविधान के प्रारंभ से तीन साल की अवधि के लिए संविधान के तहत चुनाव कराने के उद्देश्यों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 388 में राज्यों की अस्थायी संसद और अस्थायी विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान किया गया है।

294. अनुच्छेद 389 में उन विधेयकों के संबंध में प्रावधान शामिल किए गए थे जो भारत डोमिनियन के विधानमंडल या किसी भी प्रांत या भारतीय राज्य के विधानमंडल में लंबित थे ताकि उन्हें संबंधित विधानमंडल 235 द्वारा लिया जा सके।

295. अनुच्छेद 390 में उस धन के संबंध में प्रावधान हैं जो संविधान के प्रारंभ और 31 मार्च 1950-236 के बीच किए गए खर्च के लिए प्राप्त और जुटाया गया था।

संविधान के तहत ऐसे राजप्रमुख की ओर से मंत्री परिषद के सदस्य बनेंगे और जब तक इस तरह से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधित भारतीय राज्य के लिए मंत्री के रूप में पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर संविधान के तहत ऐसे राजप्रमुख की मंत्री परिषद के सदस्य बन जाएंगे और पद पर बने रहेंगे।"

234 निरस्त अनुच्छेद 387 इस प्रकार हैः“387. कुछ चुनावों के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष प्रावधान।- इस संविधान के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत आयोजित चुनावों के प्रयोजनों के लिए, भारत की या उसके किसी भी हिस्से की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, इस तरह से किया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देशित करें, और ऐसे आदेश द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जा सकते हैं।”

235 निरस्त अनुच्छेद 389 इस प्रकार हैः“389. – डोमिनियन विधानमंडल और प्रांतों और भारतीय राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में प्रावधान।– एक विधेयक जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत अधिराज्य के विधानमंडल में या किसी प्रांत या भारतीय राज्य के विधानमंडल में लंबित था, संविधान के तहत संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों में इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के अधीन रहते हुए, संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल में जारी रखा जा सकता है, जैसे कि भारत अधिराज्य के विधानमंडल में या प्रांत या भारतीय राज्य के विधानमंडल में विधेयक के संदर्भ में ली गई कार्यवाहियां संसद में या संबंधित राज्य के विधानमंडल में ली गई हों।”

236 निरस्त अनुच्छेद 390 इस प्रकार हैः“390. – संविधान के प्रारंभ और 31 मार्च, 1950 के बीच प्राप्त या जुटाया गया धन या किया गया व्यय।- इसके प्रावधान

296. अनुच्छेद 391 में प्रावधान किया गया है कि यदि संविधान के पारित होने और इसके प्रारंभ के बीच राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कोई कार्रवाई की गई थी, जिसके लिए पहली या चौथी अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता थी, तो राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार था।

297. अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को यह निर्देश देते हुए आदेश जारी करने का अधिकार देता है कि संविधान विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में विभिन्न संस्कृतियों को हटाने के उद्देश्य से संशोधन, जोड़ और चूक के माध्यम से इस तरह के अनुकूलन के अधीन होगा।इस शक्ति का प्रयोग संसद की पहली बैठक 238 तक किया जाना था।

भारत की संचित निधि या किसी भी राज्य की संचित निधि से संबंधित संविधान और ऐसी किसी भी निधि से धन का विनियोग भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारंभ और मार्च, 1950 के पैंतीसवें दिन के बीच प्राप्त या जुटाए गए धन या किए गए व्यय के संबंध में लागू नहीं होगा, दोनों दिन सहित, और उस अवधि के दौरान किया गया कोई भी व्यय विधिवत अधिकृत माना जाएगा यदि व्यय भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत डोमिनियन के गवर्नर-जनरल या संबंधित प्रांत के गवर्नर द्वारा प्रमाणित अधिकृत व्यय की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया था या राज्य के राजप्रमुख द्वारा अधिकृत किया गया था।”

237 निरस्त अनुच्छेद 391 इस प्रकार हैः“391. कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति।– (1) यदि इस संविधान के पारित होने और इसके प्रारंभ के बीच किसी भी समय भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई की जाती है, जिसके लिए राष्ट्रपति की राय में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में किसी भी संशोधन की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति, इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन कर सकता है जो इस तरह की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, और ऐसे किसी भी आदेश में ऐसे पूरक आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान हो सकते हैं जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

(2) जब पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची को इस प्रकार संशोधित किया जाता है, तो इस संविधान में उस अनुसूची के किसी भी संदर्भ का अर्थ इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

238 "अनुच्छेद 392।विभिन्न संप्रदायों को हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति।- (1) राष्ट्रपति, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण के संबंध में, किसी भी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि यह संविधान, ऐसी अवधि के दौरान, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे अनुकूलन के अधीन प्रभावी होगा, चाहे वह संशोधन, जोड़ या चूक के रूप में हो, जो वह आवश्यक या समीचीन समझेः

183

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 184

298. जिन प्रावधानों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे अस्थायी या, जैसा भी मामला हो, संक्रमणकालीन थे।इन्हें या तो समय (वर्षों की एक निर्धारित संख्या) के संदर्भ में या किसी घटना की घटना के संदर्भ में (उदाहरण के लिए, विधिवत गठित निर्वाचित विधानमंडल की पहली बैठक) अस्थायी होने के लिए डिज़ाइन किया गया था।ये प्रावधान संक्रमणकालीन थे ताकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत काम कर रहे शासन संस्थानों से विधिवत रूप से गठित संस्थानों को शक्ति के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जा सके जो संविधान के प्रारंभ के बाद पदभार संभालेंगे।

299. सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, संविधान में प्रावधान थे, जैसा कि हमने देखा है, संविधान सभा के लिए संसद के रूप में कार्य करने के लिए जब तक कि संविधान को अपनाने के बाद अपने संविधान पर पहली बार संसद की बैठक नहीं होती।इन अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों में संविधान सभा द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति, केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की निरंतरता और चुनाव होने तक अस्थायी विधानसभाओं की निरंतरता शामिल थी।संविधान के प्रारंभ के बाद अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों को निरस्त करके धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया।1 नवंबर 1956 को लागू हुए संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 ने अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 379 से 391 को निरस्त कर दिया।

300. विशेष प्रावधानों को शामिल करने के लिए भाग 21 के दायरे का विस्तार संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम 1962 के साथ 1 दिसंबर 1963 से प्रभावी हुआ।समय के साथ, भाग 21 में संशोधन किया गया ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में विशेष प्रावधानों को शामिल किया जा सके।1956 में, अनुच्छेद 371 को सातवें संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ताकि आंध्र प्रदेश या पंजाब राज्यों के लिए राज्यों की विधानसभाओं की क्षेत्रीय समितियों के संविधान और कार्यों के संदर्भ में और क्षेत्रीय समितियों के उचित कामकाज को सुरक्षित करने के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकें।पंजाब को अनुच्छेद 371 के दायरे से हटा दिया गया था।

1 नवंबर 1966 को और खंड (1) जैसा कि यह मूल रूप से था, 1 जुलाई 1974 को बत्तीसवें संशोधन द्वारा भी हटा दिया गया था।1956 में राज्यों के पुनर्गठन के साथ, अनुच्छेद 371 को सातवें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था ताकि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल किया जा सके।नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों को शामिल करने के लिए 1 दिसंबर 1963 को संविधान के तेरहवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371-ए को जोड़ा गया था।अनुच्छेद 371-बी को असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए 25 सितंबर 1969 को संविधान के बाईसवें संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।मणिपुर राज्य के लिए अनुच्छेद 371-सी, आंध्र प्रदेश राज्य और बाद में तेलंगाना राज्य के लिए अनुच्छेद 371-डी (पुनर्गठन अधिनियम 2014 के बाद), सिक्किम राज्य के लिए अनुच्छेद 371-एफ, मिजोरम राज्य के लिए अनुच्छेद 371-जी, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए अनुच्छेद 371-एच, गोवा राज्य के लिए अनुच्छेद 371-I और कर्नाटक राज्य के लिए अनुच्छेद 371-जे को क्रमिक रूप से संवैधानिक संशोधनों द्वारा लाया गया थाः

ए। अनुच्छेद 371-सी-मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान-15 फरवरी 1972 से प्रभावी सत्ताईसवां संशोधन;

बी। अनुच्छेद 371-डी-आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान-1 जुलाई 1974 से प्रभावी अधिनियम के साथ बत्तीसवां संशोधन;

ग. अनुच्छेद 371-डी-आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के लिए विशेष प्रावधान-2 जून 2014 से प्रभावी बत्तीसवां संशोधन;

घ. अनुच्छेद 371-एफ-सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान-26 अप्रैल 1975 से प्रभावी छत्तीसवां संशोधन;

ई. अनुच्छेद 371-जी-मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान-50 वां संशोधन 20 फरवरी 1987 से प्रभावी;

च. अनुच्छेद 371-एच-अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान-20 फरवरी 1987 से प्रभावी अधिनियम के साथ पचासवां संशोधन;

छ. अनुच्छेद 371-I-गोवा के लिए विशेष प्रावधान-30 मई 1987 से प्रभावी 56 वां संशोधन; और

ज. अनुच्छेद 371-जे-कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान-1 अक्टूबर 2013 से प्रभावी अधिनियम के साथ 98 वां संशोधन।

185

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 186

301. 1956 में संविधान के सातवें संशोधन से पहले, अनुच्छेद 1 (1) में प्रावधान किया गया था कि भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।अनुच्छेद 1 (2) में निर्धारित किया गया है कि राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के भाग ए, बी और सी में निर्दिष्ट किए गए हैं। अनुच्छेद 1 (3) में मूल रूप से यह प्रावधान किया गया था कि भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) राज्यों के क्षेत्र;

ख. पहली अनुसूची के भाग डी में निर्दिष्ट क्षेत्र और ग. ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है।

302. 1956 में सातवें संशोधन के साथ, अनुच्छेद 1 (2) को यह प्रावधान करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था कि राज्य और क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए होंगे।खंड (3) में संशोधन किया गया ताकि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिस्थापित किया जा सके।नए राज्यों के निर्माण के साथ, उनकी विशेष जरूरतों को समझा गया, जैसा कि हमने देखा है, उन राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों को शामिल करने के साथ।संविधान को अपनाने के समय बनाए गए कुछ अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए संवैधानिक अधिकारियों और विधानसभाओं के तहत सरकार की नई संस्थाएं संविधान को अपनाने के बाद प्रभावी हो गईं। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समझने में, जो भाग 21 में भी शामिल हैं, एक प्रासंगिक विश्लेषण, जैसा कि हमने ऊपर किया है, भाग में शामिल प्रावधानों की प्रकृति पर कुछ प्रकाश डालेगा।

303. अनुच्छेद 370 के सीमांत नोट का शीर्षक "जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान" था।जैसा कि हम पहले ही संविधान के अंगीकरण में देख चुके हैं, भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 370 'अस्थायी' और 'संक्रमणकालीन' प्रावधानों से संबंधित था।न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत 239" में विश्लेषण किया गया है कि क्या किसी सांविधिक प्रावधान के लिए एक सीमांत नोट का उपयोग व्याख्या में सहायता के रूप में किया जा सकता है।संधि के अनुसारः

“यद्यपि राय समान नहीं है, प्राधिकरण का भार इस दृष्टिकोण के पक्ष में है कि किसी धारा के साथ संलग्न सीमांत नोट को समान नहीं माना जा सकता है।

239 14 संस्करण, पृष्ठ 188-189

खंड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।लॉर्ड मैकनाघटेन ने दृढ़ता से कहाः“यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संसद के किसी अधिनियम की धाराओं के सीमांत नोटों को अधिनियम का अर्थ लगाने के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत राय एक गलती से उत्पन्न

हुई, और बहुत पहले विस्फोट हो गई।भारतीय कानून में सीमांत नोटों को संसद के अंग्रेजी अधिनियम में सीमांत नोटों से बड़ा कोई अधिकार देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।240 पतंजलि शास्त्री, जे. ने उपरोक्त मामले को अनुमोदन के साथ संदर्भित करने के बाद कहाः"संसद के एक अधिनियम के रूप में, भारतीय कानून में सीमांत नोटों को क़ानून का अर्थ लगाने के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जा सकता है।" 241 किसी भी दर पर, धारा को सीमांत नोट, 242 द्वारा प्रतिबंधित करने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है और सीमांत नोट निश्चित रूप से धारा के मुख्य भाग के अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता है यदि उसमें प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है।243 "

304. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह हालांकि नोट करते हैं किः

"कुछ भारतीय मामलों से यह भी पता चलता है कि कानून में किसी धारा का अर्थ लगाने के लिए असाधारण मामलों में सीमांत नोटों का संदर्भ स्वीकार्य हो सकता है।"

305. बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 244 में,

मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने सात-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए संविधान के अनुच्छेद 286 की व्याख्या पर विचार किया जो "वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों" से संबंधित संविधान के भाग 21 का एक हिस्सा है।न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 286 को कई अनुच्छेदों के साथ समूहीकृत किया गया है

240 बलराज कुंवर बनाम जगतपाल सिंह, आईएलआर 26 सभी 392,पी. 406:31 आई ए 132:1 सभी एल. जे. 384 (पी. सी.) 241 सी. आई. टी. बनामअहमदभाई उमरभाई एंड कंपनी, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 134 पृ. 141:1950 एससीआर 335; मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम राधाकिशन, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 289, पृष्ठ 295,296: (1979) 2 एस. सी. सी. 468; कलावती बाई बनाम सोयराबाई, ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1581,पी. 1586:(1991) 3 एससीसी 410; गुन्टैया बनाम हम्बम्मा, (2005) 6 एस. सी. सी. 228, पृष्ठ 233,234 (पैरा 11):एआईआर 2005 एससी 4013।लेकिन उत्तम दास चेला सुंदरदास बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, 1996 (4) स्केल 608, पृष्ठ 613,614 देखें।ए. आई. आर 1996 एस. सी. 2133 पी. 2137:(1996) 5 एस. सी. सी. 71 (पैरा 16), जहाँ विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है।लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में न्यायालय 'हेडिंग' के साथ काम कर रही थी न कि 'मार्जिनल नोट' के साथ और कोई वास्तविक राय व्यक्त नहीं की गई थी।

242 सम्राट बनाम सदाशिव, आकाशवाणी 1947 पी. सी. 82, पी. 84:74 आई ए 89:48 क्रि एल. जे. 791।

243 नलिनख्या बैसैक बनाम श्याम सुंदर हद्वार, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 148,पी. 150:1953 एस. सी. आर. 533, वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड बनामनगर निगम, पूना, ए. आई. आर 1959 एस. सी. 586,पृ. 589:1959 पूरक (2) एससीआर 71; नंदिनी सत्पथी बनाम पी. सी. दानी, ए. आई. आर 1978 एस. सी. 1025,पी. 1039:1978 (2) एससीसी 424।

244 (1955) 2 एससीआर 603 187

भाग 21 के अध्याय 1 में "विविध वित्तीय प्रावधान" शीर्षक के तहत। इसके अलावा, इसे भाग 11 अध्याय 1 में जगह नहीं मिली है जो संसद और राज्यों की विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों

के वितरण सहित विधायी संबंधों से संबंधित है।अनुच्छेद 286 के सीमांत नोट का उल्लेख करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने कहाः

“अनुच्छेद 286 का सीमांत नोट "वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के बारे में प्रतिबंध" है जो ब्रिटिश संसद के अधिनियमों में सीमांत नोटों के विपरीत, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान का हिस्सा है, प्रथम दृष्टया अनुच्छेद के अर्थ और उद्देश्य के बारे में कुछ संकेत देता है।”

306. हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीमांत नोट के अलावा, अनुच्छेद 286 की भाषा ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इसका उद्देश्य माल की बिक्री या खरीद या खरीद पर कर लगाने के लिए राज्य की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना था।उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि संविधान सभा द्वारा अपनाए गए दस्तावेज़ का एक हिस्सा होने के नाते संविधान के एक प्रावधान के लिए सीमांत नोट को प्रावधान के अर्थ और उद्देश्य पर कुछ सुराग देने के लिए प्रथम दृष्टया माना गया था।307. समान रूप से, निर्णय का अर्थ यह समझा जा सकता है कि यदि प्रावधान की भाषा अपने आप में स्पष्ट है तो एक सीमांत नोट अपने आप में प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं करेगा।245 यह वास्तव में न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े के अपने लिए बोलने वाले फैसले का उतार-चढ़ाव था।

और केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम में न्यायमूर्ति ए. के. मुखर्जी।

केरल राज्य 246।न्यायमूर्ति हेगड़े ने टिप्पणी कीः“620…स्थिति को दोहराने के लिए, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है।इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं।"संविधान के संशोधन की प्रक्रिया" वाले सीमांत नोट को कोई अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।एक वैधानिक प्रावधान के निर्माण में सीमांत नोट बहुत कम भूमिका निभाता है।इसे बनाने में बहुत कम महत्व होना चाहिए।

245 संविधान के अनुच्छेद 368 के सीमांत नोट, जो "संविधान के संशोधन की प्रक्रिया" था, को चौबीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा 5 नवंबर 1971 से प्रभावी अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित किया गया था ताकि "संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति" पढ़ा जा सके।

246 (1973) 4 एससीसी 225

एक संवैधानिक प्रावधान।अनुच्छेद 368 की भाषा हमारे दिमाग में

स्पष्ट और असंदिग्ध है।इसलिए हमें निर्माण के किसी भी नियम की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में सुनवाई में बहुत बहस हुई थी।चूंकि अनुच्छेद के तहत संशोधन करने की शक्ति जो मूल रूप से थी, केवल निहित थी, इसलिए सीमांत नोट ने संशोधन की प्रक्रिया को सही ढंग से संदर्भित किया।सीमांत नोट में प्रक्रिया का संदर्भ अनुच्छेद में निहित शक्ति के अस्तित्व को नकारात्मक नहीं करता है।”

(जोर दिया गया) 308।अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, जैसा कि वे निरस्त होने से पहले थे, हम निम्नलिखित प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ शुरू करते हैं, अर्थात्:ए। भाग 21 का शीर्षक जिसमें अनुच्छेद 370 को "अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों" से संबंधित किया गया था, मूल रूप से और 1 दिसंबर 1963 से प्रभावी तेरहवें संशोधन द्वारा शीर्षक के संशोधन के बाद, यह "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों" से संबंधित है।

बी। अनुच्छेद 370 के सीमांत नोट में कहा गया है कि अनुच्छेद "जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधानों" से संबंधित है;

ग. संविधान के भाग 21 का शीर्षक (अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान) और सीमांत नोट संविधान का एक हिस्सा थे जैसा कि मूल रूप से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।घ. कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांतों का पालन करते हुए, सीमांत नोट प्रथम दृष्टया प्रावधान को अपनाने के अंतर्निहित उद्देश्य और इरादे पर कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद 370 के स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसका निष्कर्ष इसके सभी प्रावधानों की व्याख्या करके निकाला जाना चाहिए; और

ङ. अनुच्छेद 370 की व्याख्या करते समय, पूरे प्रावधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके भागों को इस तरह से अलग या पूरी तरह से प्रावधान के अर्थ और योजना से अलग नहीं किया जाना चाहिए।

II. अनुच्छेद **370** की व्याख्या

309. अनुच्छेद 370 का खंड (1) एक गैर-अस्थाई प्रावधान के साथ शुरू होता है।खंड (1) में इस वाक्यांश को अपनाने का अंतर्निहित इरादा यह है कि 189

उपखंड (ए) से (डी) में निम्नलिखित का उद्देश्य संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा निर्बाध रूप से संचालित करना है।

310. खंड (1) के उपखंड (ए) में निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे।मूल रूप से अपनाए गए अनुच्छेद 238 को संविधान के भाग VII में रखा गया था जो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित था।अनुच्छेद 238 में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान का भाग VI, जो पहली अनुसूची के भाग ए में राज्यों से संबंधित है, भाग बी राज्यों पर संशोधनों और चूक के अधीन लागू होगा।भाग VI में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यपालिका (अध्याय II), राज्य विधानमंडल (अध्याय III), राज्यपाल की विधायी शक्ति (अध्याय IV), राज्यों में उच्च न्यायालयों (अध्याय V) और अधीनस्थ न्यायालयों (अध्याय VI) के प्रावधान शामिल थे।चूँकि संविधान ने मूल रूप से अपनी पहली अनुसूची में भाग ए और भाग बी राज्यों को अलग से शामिल किया था, भाग VI में भाग ए राज्यों के लिए प्रावधान थे, जबकि अनुच्छेद 238 जो भाग VII में एकमात्र प्रावधान था, यह निर्धारित करता था कि भाग VI भाग बी

राज्यों पर संशोधन और चूक के अधीन लागू होगा।उनमें से यह भी शामिल था कि राज्यपाल शब्द के स्थान पर राजप्रमुख होगा।एक बार जब 1956 में संविधान के सातवें संशोधन द्वारा भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच अंतर को लागू किया गया, तो भाग VII जिसमें अनुच्छेद 238 शामिल था, उसे निरस्त कर दिया गया।तदनुसार, भाग VI के शीर्षक में संशोधन किया गया ताकि भाग ए राज्यों के संदर्भ को हटा दिया जा सके।अनुच्छेद 370 के खंड (1) (ए) का प्रभाव यह था कि हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य संविधान को अपनाने पर एक भाग बी राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 238 के प्रावधान राज्य पर लागू नहीं होते थे।परिणामस्वरूप, भाग VI का जम्मू और कश्मीर राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।1956 में संविधान के सातवें संशोधन के साथ, अनुच्छेद 152 में "जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है" शब्दों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया था।247. अनुच्छेद 152 ने संकेत दिया कि भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच अंतर के उन्मूलन के बाद (जिसके परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर को पहली अनुसूची में एक राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था), भाग VI अभी भी उस पर लागू नहीं होगा।

311. अनुच्छेद 370 के खंड (1) के उपखंड (बी) ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया।इसमें निर्धारित किया गया है

247 अनुच्छेद 152 "इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो," राज्य "अभिव्यक्ति में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है।"

खंड (1) के उपखंड (ख) (i) में कहा गया है कि अधिराज्य विधानमंडल संघ के उन मामलों और सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूचियों पर कानून बना सकता है जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप घोषित किए गए हैं। उपखंड (ख) (ii) में उक्त सूचियों, अर्थात् संघ और समवर्ती सूचियों में "ऐसे अन्य मामले" शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से "आदेश द्वारा निर्दिष्ट" कर सकता है।उपखंड (ख), दूसरे शब्दों में, संघ और समवर्ती सूचियों में शामिल विषयों के बीच राष्ट्रपति द्वारा मामलों के विनिर्देशन से संबंधित है, जिन पर संसद को जम्मू और कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी।उपखंड (ख) (i) राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श के लिए प्रदान किया गया है जबकि उपखंड (ख) (ii) राज्य सरकार की सहमति के लिए प्रदान किया गया है।

312. उपरोक्त दोनों उपखंड संघ और समवर्ती सूचियों के मामलों के संबंध में जम्मू और कश्मीर के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति के दायरे से संबंधित थे।आई. ओ. ए. में निर्धारित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार के साथ एक परामर्श प्रक्रिया की परिकल्पना की गई थी।हालांकि, जहां संघ और समवर्ती सूचियों में निर्दिष्ट किए जाने वाले मामलों को आई. ओ. ए. में ऐसे मामलों के रूप में नहीं समझा गया था जिन पर संसद कानून बना सकती थी, वहां राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी।आई. ओ. ए. ने संसद को चार विषयों-रक्षा, बाह्य संबंध, संचार और सहायक

मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की।उपखंड (ख) (ii) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में संकेत दिया गया है कि अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा 5 मार्च 1948 की महाराजा की घोषणा के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता दी जा रही है।यद्यपि स्पष्टीकरण उपखंड (ख) (ii) के तुरंत नीचे दिखाई देता है, लेकिन "इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए" अभिव्यक्ति के उपयोग से यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण अनुच्छेद 370 की संपूर्णता पर लागू होता है।

313. अनुच्छेद 370 (1) के उपखंड (सी) में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 "उस राज्य के संबंध में लागू होंगे"।परिणामस्वरूप, 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने पर जम्मू और कश्मीर "भारत जो भारत है" का एक अभिन्न अंग बन गया, जो अनुच्छेद 1 (1) के अनुसार "राज्यों का एक संघ होगा"।अनुच्छेद 370 (1) (सी) के प्रावधानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 1 द्वारा शासित था।इस प्रावधान का आवश्यक परिणाम यह है कि यह भारत के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है।इसी तरह,

खंड (1) के उपखंड (सी) से संकेत मिलता है कि अनुच्छेद 370 राज्य के संबंध में लागू होगा।

314. खंड (1) के उपखंड (घ) के संदर्भ में, संविधान के ऐसे "अन्य प्रावधान" जम्मू और कश्मीर राज्य पर ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।उपखंड (घ) के बाद दो प्रावधान थेःपहले परंतुक में यह परंतुक किया गया था कि "उपखंड (ख) के अनुच्छेद (i)" में निर्दिष्ट आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश केवल राज्य सरकार के परामर्श से जारी किया जाएगा और दूसरे परंतुक में यह परंतुक किया गया था कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश केवल राज्य सरकार की सहमति से जारी किया जाएगा।प्रथम परंतुक के तहत राज्य सरकार के साथ परामर्श और दूसरे परंतुक के तहत इसकी सहमति अनिवार्य थी।यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दोनों प्रावधानों में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि "ऐसा कोई आदेश. इसके अलावा जारी नहीं किया जाएगा". परामर्श से या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार की सहमति से।उपखंड (घ), दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति को एक आदेश जारी करने का अधिकार देता है जिसके संदर्भ में संविधान के अन्य प्रावधान (अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा) जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। हालांकि, ऐसे अन्य प्रावधान संशोधनों और अपवादों के अधीन होंगे।जहां प्रावधान आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप हैं जो डोमिनियन विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वहां परामर्श की परिकल्पना की गई थी, जबकि अन्य मामलों के संबंध में राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी।

315. अनुच्छेद 370 के खंड (2) में यह परिकल्पना की गई है कि जहां जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार ने खंड (1) के उपखंड (बी) (ii) के तहत या उपखंड (डी) के दूसरे परंतुक के तहत "राज्य के संविधान को तैयार करने के उद्देश्य से संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले" अपनी सहमति दी थी, वहां उसे ऐसे निर्णय के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा जाएगा जो वह उस पर ले सके।खंड (2), दूसरे शब्दों में, यह मान्यता देता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा बुलाई जा रही थी।यदि राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण की अवहेलना करते हुए या तो (क) संघ में मामलों को निर्दिष्ट करने के संघ के प्रस्ताव या आई. ओ. ए. द्वारा मान्यता प्राप्त मामलों के अलावा अन्य समवर्ती सूचियों के साथ सहमति व्यक्त की थी, जिन पर संसद कानून बना सकती थी; या (ख) संविधान के प्रावधानों को राज्य में संशोधनों के साथ लागू करना और

उपखंड (ख) (i) में निर्दिष्ट आई. ओ. ए. से संबंधित अपवादों के अलावा, इसे अपने निर्णय के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा जाना था।इसलिए, स्पष्ट रूप से, उपखंड (ख) (ii) या उपखंड (घ) के

दूसरे परंतुक के दायरे में आने वाले मामलों पर राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य नहीं थी, बल्कि संविधान सभा के निर्णय द्वारा शासित होगी।

316. अनुच्छेद 370 के खंड (3) ने राष्ट्रपति को एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा करने का अधिकार दिया कि अनुच्छेद स्वयं "लागू नहीं होगा" या केवल "ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा" जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और निर्दिष्ट की गई तारीख से प्रभावी होंगे।तथापि, खंड (3) के परंतुक के लिए "खंड (2) में निर्दिष्ट" राज्य की संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी।परंतुक में निर्दिष्ट किया गया है कि संविधान सभा की सिफारिश "राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले आवश्यक होगी"।खंड (3) में एक गैर-अस्थाई प्रावधान है जो खंड (1) और (2) के सभी पहले के प्रावधानों को ओवरराइड करता है।317. अनुच्छेद 370 से कई प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं, जिन्हें समग्र रूप से पढ़ा जा सकता है।इन विशेषताओं (सीमांत नोट के अलावा, जिसकी पहले चर्चा की गई है) पर इस स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिएः

ए। अनुच्छेद 370 में दो गैर-अस्थाई खंड शामिल किए गए थे।खंड (1) में पहला गैर-स्थायी खंड संविधान की संपूर्णता ("इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद") के संबंध में कार्य करता है। दूसरा गैर-अस्थाई खंड खंड (3) की प्रस्तावना करता है और इसका प्रभाव अनुच्छेद के पहले के प्रावधानों ("इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद") को ओवरराइड करना है।खंड (1) में गैर-अस्थाई प्रावधान का प्रभाव यह है कि उपखंड (ए), (बी), (सी) और (डी) जो निम्नलिखित हैं, संविधान के किसी भी प्रावधान द्वारा बिना किसी बाधा के जम्मू और कश्मीर राज्य को नियंत्रित करेंगे।खंड (3) में गैर-अस्थाई प्रावधान का प्रभाव यह है कि अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति या तो यह घोषणा करके कि यह लागू नहीं होगा या यह निर्दिष्ट करने के लिए कि यह केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ ही लागू होगा, अनुच्छेद में निहित सभी पिछले प्रावधानों को ओवरराइड करता है, जिसमें खंड 1 में गैर-अस्थाई खंड भी शामिल है।इसका स्पष्ट परिणाम यह है कि एक बार जब राष्ट्रपति खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो 193

खंड (1) और (2) में लगाए गए प्रतिबंध राज्य को नियंत्रित करना बंद कर देंगे।

बी। अनुच्छेद 370 का खंड (1) विनिर्दिष्ट हैःi. संविधान का एक विशिष्ट ग प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा (अनुच्छेद 238);

ii.संविधान के दो विशिष्ट ग प्रावधान जो राज्य पर लागू होंगे (अनुच्छेद 1 और स्वयं अनुच्छेद 370);

iii.संघ और सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूचियों में आने वाले मामलों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति पर सीमाएं;

iv.मामलों के एक समूह (जो आई. ओ. ए. से संबंधित हैं) के लिए परामर्श की आवश्यकता और मामलों के अन्य समूह (जो आई. ओ. ए. से संबंधित नहीं हैं) के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता; और 5. उपखंड (बी) (आई) के दायरे में आने वाले मामलों के लिए परामर्श की शर्त और अन्य सभी मामलों के लिए सहमति के साथ अपवादों और संशोधनों के अधीन राज्य में संविधान के अन्य प्रावधानों को लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति।यदि राज्य का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा के आयोजन से पहले राज्य सरकार की सहमति दी गई थी, तो इसे अपने निर्णय के लिए विधानसभा के समक्ष रखा जाना था।

ग. अनुच्छेद 370 भी स्पष्ट रूप से मान्यता देता हैः i. खंड (ख) (i) में "भारत अधिराज्य में राज्य के विलय को नियंत्रित करने वाला विलय दस्तावेज";

ii."राज्य का संविधान तैयार करने के उद्देश्य से" भविष्य में एक संविधान सभा का आयोजन (खंड (2));खंड (3) के परंतुक परंतुक में सिफारिश "खंड (2) में निर्दिष्ट" राज्य की संविधान सभा की होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि यह वह संविधान सभा थी जिसकी सिफारिश खंड (3) के मूल भाग के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक होने की परिकल्पना की गई थी; और

iv.कि राज्य की सरकार जम्मू और कश्मीर के महाराजा होंगे जो महाराजा की 5 मार्च 1948 की घोषणा के तहत "कुछ समय के लिए आधिकारिक रूप से" मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे;

घ. अनुच्छेद 370 में राष्ट्रपति द्वारा कुछ कार्रवाई को अपनाने से पहले राज्य सरकार या राज्य की संविधान सभा की भूमिका के संबंध में चार अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग किया गया है, अर्थात्ः

i. सलाहकार की भूमिका।राज्य सरकार के साथ परामर्श अभिव्यक्ति का उपयोग उपखंड (बी) (आई) और उपखंड (डी) के पहले परंतुक में किया जाता है।

ii.कुछ मामलों पर राज्य सरकार की सहमति (उपखंड (ख) (ii) और खंड (घ) के दूसरे परंतुक में उपयोग की गई अभिव्यक्ति);

iii.राज्य सरकार की सहमति को संविधान सभा के समक्ष रखना, यदि इसे विधानसभा के आयोजन से पहले अपने निर्णय के लिए दिया गया था; और

iv.राज्य का संविधान तैयार करने के उद्देश्य से गठित खंड (3) के परंतुक के तहत राज्य की संविधान सभा की सिफारिश।

318. अलग-अलग वाक्यांशों-परामर्श, सहमति, निर्णय और सिफारिश का उपयोग इंगित करता है कि इनमें से प्रत्येक वाक्यांश का एक अलग अर्थ है।परामर्श राज्य सरकार के दृष्टिकोण की मांग को स्वीकार करता है।सहमति प्रस्ताव या, दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार के समझौते की अनुकूल

स्वीकृति के कार्य को अभिनिर्धारित करती है।एक निर्णय संविधान सभा द्वारा अपने आयोजन से पहले राज्य सरकार द्वारा दी गई सहमति पर किए गए निष्कर्ष को स्वीकार करता है।खंड (3) के परंतुक में की गई सिफारिश अनुच्छेद 370 (3) के तहत अभ्यास से पहले संविधान सभा के राष्ट्रपति को भेजे जाने के विचार को स्वीकार करेगी।

319. अनुच्छेद 370 ने दो अलग-अलग स्थानों पर "अपवाद और संशोधन" अभिव्यक्ति का उपयोग किया हैःखंड (1) के उपखंड (घ) में प्रथम और खंड (3) में द्वितीय।दोनों ही मामलों में, अपवादों और संशोधनों को निर्दिष्ट करने की शक्ति

उपखंड (घ) के मामले में राज्य के संबंध में संविधान के अन्य प्रावधानों को लागू करने के संबंध में और खंड (3) में राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, यदि राष्ट्रपति आदेश देते हैं कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।खंड (1) के उपखंड (घ) के तहत शक्ति का प्रयोग दो परंतुक ों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है जबकि खंड (3) के तहत शक्ति का प्रयोग उस खंड के परंतुक के अधीन है।

III. अनुमान

320. अनुच्छेद 370 में आंतरिक कारण हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान को अपनाने की तारीख में इस प्रावधान को संविधान की स्थायी विशेषता बनाने का इरादा नहीं था।भाग 21 जिसका अनुच्छेद 370 एक भाग है, विशेष रूप से अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है।कुछ मामलों में, भाग 21 में निहित अस्थायी प्रावधानों में उस समय के संदर्भ में प्रतिबंध था जिस पर वे काम करेंगे।इनमें अनुच्छेद 369 (संसद के लिए कानून बनाने के लिए पांच साल की अवधि निर्दिष्ट करना); अनुच्छेद 371 (जैसा कि मूल रूप से संसद को दस साल की अवधि या भाग बी राज्यों को नियंत्रित करने वाली छोटी या लंबी अवधि के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था); अनुच्छेद 372 (3) (राष्ट्रपति को भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों के अनुकूलन और संशोधन करने के लिए तीन साल के संशोधन द्वारा शुरू में और बाद में दो साल की अवधि देना); अनुच्छेद 372 (ए) (1 नवंबर 1957 से पहले एक आदेश द्वारा सातवें संशोधन से पहले लागू किसी भी कानून के अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति); अनुच्छेद 373 (संसद तक निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति) शामिल हैं।अन्य मामलों में, जैसे कि अनुच्छेद 392 के तहत, राष्ट्रपति को विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान में संक्रमण से जुड़े विभिन्न संप्रदायों को हटाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते थे कि संविधान स्वयं इस तरह के अनुकूलन के अधीन लागू होगा, चाहे वह संशोधन, जोड़ या चूक के रूप में हो, जब तक कि संसद की पहली बैठक विधिवत गठित नहीं हो जाती।भाग 21 में संघीय न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की निरंतरता और कार्यवाही के हस्तांतरण (अनुच्छेद 374), अन्य न्यायालयों, अधिकारियों और प्राधिकरणों (अनुच्छेद 375), उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों की निरंतरता (अनुच्छेद 376), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 377), और लोक सेवा आयोगों (अनुच्छेद 378) के प्रावधान भी शामिल थे।इसी तरह,

अनुच्छेद 379 से 386 में एक अस्थायी संसद, संविधान सभा, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद, अस्थायी विधानसभाओं, राज्यपालों और राज्यों में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है।ये सभी प्रावधान, चाहे वे समय के संदर्भ में हों या अन्यथा, अस्थायी थे या, जैसा भी मामला हो, संक्रमणकालीन प्रकृति के थे।321. अनुच्छेद 370 को अन्य अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के बीच एक मामूली नोट के साथ जोड़ा गया था जो इंगित करता है कि इसके प्रावधान अस्थायी थे।अनुच्छेद 370 को ऐसे समय में अपनाया गया था जब जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने एक आई. ओ. ए. को निष्पादित करके भारत में विलय कर लिया था। पाठगत रूप से, अनुच्छेद 370 (1) (सी) ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 1 को संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत राज्य पर पूरी तरह से लागू होना था, जिसका अनुप्रयोग परामर्श की आवश्यकता या, जैसा भी मामला हो, सहमति द्वारा नियंत्रित किया जाना था।

322. 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान को अपनाया गया, जम्मू और कश्मीर राज्य भारत के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग बन गया।अनुच्छेद 1 का अधिदेश यह है कि "भारत जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा"।राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के भाग ए, बी और सी में निर्दिष्ट किए गए हैं।जम्मू और कश्मीर राज्य संविधान को अपनाने की तारीख को भाग बी राज्य था।संविधान के सातवें संशोधन को अपनाने के साथ, जिसने भाग ए, बी और सी राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया, जम्मू और कश्मीर राज्यों के संघ में एक राज्य बन गया।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ा गया संविधान का अनुच्छेद 370 इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि जम्मू और कश्मीर का राष्ट्र के एक हिस्से के रूप में एकीकरण, जो अपने आप में राज्यों का एक संघ था, पूरा हो गया था।अनुच्छेद 370 की कोई भी व्याख्या यह नहीं मान सकती कि जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण अस्थायी था।

अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्तियों के दायरे में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को भंग करने का प्रभाव

323. याचिकाकर्ता 248 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने मुख्य तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 केवल अस्थायी था जब राज्य की संविधान सभा अस्तित्व विद्वान थी, अर्थात,

248 डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 की सं. 1037:मोहम्मद अकबर लोन और अन्र बनामभारत संघ और अन्य।

1951 से 1957 के बीच।संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया।हालाँकि, उत्तरदाताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत यह घोषणा करने की शक्ति कि संविधान सभा के अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी इस तरह के संशोधन

के साथ प्रावधान मौजूद नहीं है या मौजूद रहेगा।उत्तरदाताओं का तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के तहत संविधान सभा के पास केवल ऐसी सिफारिशें करने की शक्ति थी जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी और राष्ट्रपति हमेशा अनुच्छेद 370 (3) के तहत एकतरफा रूप से शक्ति का प्रयोग कर सकते थे।

324. इस प्रकार, जिस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद स्थायी रूप धारण किया या क्या यह अपनी प्रकृति, उद्देश्य और उद्देश्य से अस्थायी था।इस न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय अनुच्छेद 370 को शामिल करने के ऐतिहासिक संदर्भ के विश्लेषण और प्रावधान के पाठ, स्थान और सीमांत नोट पर किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखना चाहिए।हम ऊपर निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि:

ए। अनुच्छेद 370 अपने पाठ, स्थान और सीमांत नोट द्वारा एक 'अस्थायी' प्रावधान है; और

बी। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए तीन विशेष परिस्थितियों के कारण अनुच्छेद 370 के रूप में एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया था, जो यह था कि (ए) जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने कुछ सहायक शक्तियों के साथ तीन सीमित विषयों पर संघ की विधायी क्षमता को स्वीकार किया था; (बी) विधायी क्षमता के दायरे का विस्तार करने और संविधान की पुष्टि करने के लिए भारत के संविधान को अपनाने से पहले राज्य की संविधान सभा नहीं बुलाई गई थी; और (सी) भारत के संविधान के निर्माण के समय जम्मू और कश्मीर में आसन्न युद्ध।

ए। संपत प्रकाश में फैसला

325. संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 249 में,

जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध अधिनियम 1964 के तहत हिरासत के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किए बिना हिरासत जारी रखी गई थी, राज्य ने कार्रवाई करने का इरादा किया था

249 (1969) 2 एससीआर 365

धारा 13 ए के तहत। अनुच्छेद 13 ए के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे संविधान के अनुच्छेद 22 के अधिकार से बाहर थे।हालाँकि, अनुच्छेद 35-सी, जिसे 1954 के सी. ओ. 48 द्वारा अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पेश किया गया था, ने जम्मू और कश्मीर में निवारक निरोध से संबंधित कानून को अयोग्यता के खिलाफ इस आधार पर प्रतिरक्षा प्रदान की थी कि यह पांच वर्षों की अवधि के लिए संविधान के भाग III के तहत किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है।1959 के सी. ओ. 59 और 1964 के सी. ओ. 69 द्वारा पांच वर्षों की

अवधि को बाद में दस और पंद्रह वर्षों तक बढ़ा दिया गया था।1959 और 1964 में किए गए दो संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों से परे थे।

326. उस मामले में याची ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 में अस्थायी प्रावधान हैं जो राज्य की संविधान सभा के अस्तित्व में न आने के बाद प्रभावी नहीं होंगे।श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगार के भाषण पर भरोसा किया गया था जब उन्होंने संविधान सभा में अनुच्छेद 376 ए का मसौदा पेश किया था जो अनुच्छेद 370 के अनुरूप था।26 जनवरी 1956 को राज्य का संविधान लागू होने के बाद से, 1959 और 1964 के दो सी. ओ. को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे अमान्य थे।
327. अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो संविधान सभा में गोपालस्वामी अय्यंगार के भाषण से स्पष्ट थी, को संविधान पीठ के फैसले में संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया थाः

“4…(1) कि जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा के भीतर युद्ध चल रहा था;

(2) कि वर्ष की शुरुआत में युद्धविराम पर सहमति हुई थी और युद्धविराम अभी भी जारी था;

(3) कि राज्य में स्थितियाँ अभी भी असामान्य और असामान्य थीं और स्थिर नहीं हुई थीं;

(4) राज्य का वह हिस्सा अभी भी विद्रोहियों और दुश्मनों के हाथों में था; (5) कि हमारा देश जम्मू-कश्मीर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के साथ उलझा हुआ था और यह कहना संभव नहीं था कि हम इस उलझन से कब मुक्त होंगे;

(6) कि भारत सरकार ने कुछ मामलों में कश्मीर के लोगों के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था, जिसमें प्रतिबद्धताएं शामिल थीं और वचन दिया था कि राज्य के लोगों को एक अवसर दिया जाए

स्वयं यह तय करना कि वे गणराज्य के साथ रहेंगे या उससे बाहर जाना चाहते हैं; और

(7) कि संविधान सभा के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा राज्य के संविधान के साथ-साथ राज्य पर संघ के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करेगी।”

चुनौती को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहाः

“5. हम श्री राममूर्ति द्वारा दिए गए इन दो तर्कों में से किसी से भी प्रभावित नहीं हैं।जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संबंध है, सरकार की ओर से उपस्थित अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात का आग्रह करने के लिए उस पर भरोसा किया कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया था तब जो स्थिति मौजूद थी, वह भौतिक रूप से नहीं बदली थी, और इस अनुच्छेद को पेश करने का उद्देश्य राष्ट्रपति को भारतीय संविधान को लागू करने में अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देना था, जबकि वह स्थिति अपरिवर्तित रही।इस समर्पण में काफी बल है।इन परिस्थितियों में इस अनुच्छेद का विधायी

इतिहास यह अभिनिर्धारित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता कि राज्य की संविधान सभा द्वारा राज्य के लिए संविधान तैयार करने के बाद यह अनुच्छेद निष्क्रिय हो गया।"

संविधान पीठ ने तब कहा कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए "बहुत अधिक मजबूत कारण" हैं कि अनुच्छेद 370 के परंतुक लागू रहे और राज्य की संविधान सभा द्वारा राज्य के लिए संविधान को अपनाने के बाद भी प्रभावी रहे क्योंकि संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 के परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया था और सिफारिश की थी कि परंतुक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।बल्कि संविधान सभा ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 370 को प्रावधान के स्पष्टीकरण में संशोधन के साथ काम करना चाहिएः

"7. हालाँकि, यह मानने के लिए बहुत अधिक मजबूत कारण हैं कि इस अनुच्छेद के प्रावधान लागू रहे और राज्य की संविधान सभा द्वारा राज्य के संविधान को पारित करने के बाद भी प्रभावी रहे। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान वह है जो उस अनुच्छेद के खंड (3) में निहित है जिसमें कहा गया है कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से लागू होगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

सार्वजनिक अधिसूचना, बशर्ते कि खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले आवश्यक होगी।इस खंड में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि यह अनुच्छेद प्रभावी बना रहेगा और केवल तभी प्रभावी नहीं रह सकता है जब राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस आशय के अधिनियम के लिए निर्देश देता है।वास्तव में, राज्य की संविधान सभा द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी, न ही राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश दिया गया था जिसमें घोषणा की गई थी कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की संविधान सभा ने एक सिफारिश की थी कि अनुच्छेद को अनुच्छेद के खंड (1) के स्पष्टीकरण में शामिल किए जाने वाले एक संशोधन के साथ प्रभावी होना चाहिए।अनुच्छेद में इस संशोधन को राष्ट्रपति द्वारा विधि आदेश मंत्रालय सी. ओ. 44 द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 1952 को अधिसूचित किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि 17 नवंबर, 1952 से, लेख को पुराने स्पष्टीकरण के लिए नए स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन के साथ लागू किया जाना था जो उस समय मौजूद था।इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की संविधान सभा यह नहीं चाहती थी कि यह अनुच्छेद बंद हो जाए और वास्तव में, इस अनुच्छेद के निरंतर संचालन के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह सिफारिश की कि यह केवल इस संशोधन के साथ ही लागू होना चाहिए।"

328. संविधान पीठ ने जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में एक संवैधानिक परंतुक द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के परंतुक को भी स्वीकार किया, जिसके तहत अनुच्छेद 368 के अनुसार किए गए संविधान में संशोधन का उस राज्य के संबंध में कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 370

(1) के तहत राष्ट्रपति के परंतुक द्वारा लागू नहीं किया जाता है।इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि "संविधान का अनुच्छेद 370 कभी भी बंद नहीं हुआ है और इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेशों की वैधता को इस आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है।"

329. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि एक बार जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संशोधन और अपवादों के साथ संविधान का कोई भी प्रावधान लागू हो जाने के बाद, अनुच्छेद 370 के तहत शक्ति संविधान में किसी भी संशोधन को शामिल नहीं करेगी जैसा कि लागू होता है।अर्थात्, राज्य पर लागू प्रावधानों में और संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि 201 के तहत शक्ति

जम्मू और कश्मीर में भारत के संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक आदेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) में संशोधन करने की शक्ति शामिल थी।इस उद्देश्य के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया है कि अधिसूचना जारी करने की शक्ति में अधिसूचना में संशोधन करने की शक्ति शामिल हैः

“12. इस अनुच्छेद का विधायी इतिहास भी इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करेगा।यह जम्मू और कश्मीर में मौजूद विशेष स्थिति के कारण था कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा ने निर्णय लिया कि संविधान अनुच्छेद 394 के तहत जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होना चाहिए, जिसके तहत यह शेष भारत में लागू हुआ, और राष्ट्रपति को अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने को प्राथमिकता दी।यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधान को लागू करते समय राज्य में मौजूद स्थिति को ध्यान में रखना होगा और ऐसी स्थितियां समय-समय पर उत्पन्न हो सकती हैं।स्पष्ट रूप से इस बात की संभावना थी कि, किसी विशेष प्रावधान को लागू करते समय, स्थिति लागू किए गए प्रावधान के अपवाद या संशोधन की मांग कर सकती है; लेकिन स्थिति में बाद के परिवर्तन उन संशोधनों या अपवादों को रद्द करने को उचित ठहरा सकते हैं।यह केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 के तहत समय-समय पर आदेश देने की शक्ति प्रदान करके ही लाया जा सकता है और इसलिए, यह शक्ति संविधान की व्याख्या के लिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों को लागू करके उन्हें प्रदान की गई होनी चाहिए।”

संविधान पीठ ने कहा कि 1959 और 1964 के सी. ओ. द्वारा अनुच्छेद 35-सी के तहत पांच साल की अवधि को क्रमशः दस साल और पंद्रह साल तक बढ़ाना "पहले की तरह मौजूद असाधारण स्थिति द्वारा प्रथम दृष्टया न्यायसंगत है"।नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1959 और 1964 के सी. ओ. की वैधता को देखते हुए, अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसका कोई भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 के साथ असंगत था।

330. संपत प्रकाश **(**उपरोक्त**)** मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या जम्मू और कश्मीर का संविधान बनाने के बाद राज्य की संविधान सभा के भंग होने पर अनुच्छेद **370** का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो गया था।इस न्यायालय ने नकारात्मक में अभिनिर्धारित किया

क्योंकि अनुच्छेद 370 को लागू करने के लिए आवश्यक विशेष शर्तें बनी रहीं और राज्य की संविधान सभा ने यह सिफारिश नहीं की थी कि अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए परंतुक का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए।उस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने पर अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया।इस मुद्दे का जवाब अनुच्छेद 370 (3) के संदर्भ में दिया गया था, कि अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति मौजूद है क्योंकि राज्य की संविधान सभा ने 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। हालाँकि, यह मुद्दा कि क्या राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, उस मामले में न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ।इस मुद्दे को इस पीठ द्वारा तय किया जाना चाहिए।

बी। अनुच्छेद 370 के तहत संविधान सभा की सीमित शक्ति

331. याचिकाकर्ताओं का तर्क कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 370 ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया है, इस समझ पर आधारित है कि संवैधानिक निकाय के पास संघ के साथ राज्य के संवैधानिक एकीकरण को बदलने की बेलगाम शक्ति थी।नीचे दिए गए अनुभागों में, हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के पास संवैधानिक इतिहास और प्रावधान की संरचना का उल्लेख करके इतनी अनियंत्रित शक्ति थी।

I. अनुच्छेद 370 (1) और 370 (2) की संरचना

332. अनुच्छेद 370 (1) में संविधान के प्रावधानों को लागू करने और राज्य पर संघ की विधायी क्षमता के दायरे का विस्तार करने दोनों के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी।

333. अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति के तीन घटक थे।सबसे पहले, राष्ट्रपति को यह अधिसूचित करने का अधिकार था कि अनुच्छेद 1,338 और 370 के अलावा कौन से प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।दूसरा, संविधान के प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर उसी तरह लागू करने की आवश्यकता नहीं है जैसे वे बाकी राज्यों पर लागू होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति को प्रावधान में संशोधन और अपवाद निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई थी।तीसरा, ऐसा आदेश राष्ट्रपति द्वारा केवल राज्य सरकार की सहमति या परामर्श के साथ जारी किया जा सकता है,

जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रावधान आई. ओ. ए. के मामलों से संबंधित है या नहीं।यह प्रावधान 203

यह इंगित करता है कि संविधान को अपनाने पर, संविधान के सभी प्रावधान स्वचालित रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हुए थे।राज्य सरकार के पास अपनी सहमति देने की शक्ति थी या अन्यथा जम्मू और कश्मीर राज्य पर अन्य प्रावधानों में से कौन सा लागू होगा।उन अन्य प्रावधानों को भी ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया जा सकता है।

334. अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति के दायरे को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि हम प्रावधान की चौड़ाई की पहचान करें।क्या यह राज्य सरकार के लिए खुला होगा कि वह अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा किसी अन्य प्रावधान को लागू करने के लिए अपनी सहमति न दे?यानी जम्मू-कश्मीर में लागू होने वाले संविधान के अन्य सभी प्रावधानों को हटा दें।क्या राज्य सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य में भाग III के अनुप्रयोग को हटाने या प्रावधानों को इस हद तक 'संशोधित' करने का विकल्प चुन सकती थी कि प्रावधान का मूल खो जाए?क्या अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 32 के लागू होने को हटाने या जम्मू-कश्मीर राज्य पर उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने का संवैधानिक आदेश जारी किया जा सकता था?

335. पुरानलाल लखनपाल प्रथम बनाम भारत के राष्ट्रपति 250 में, राज्य

जम्मू और कश्मीर सरकार ने 4 अक्टूबर 1955 को जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3 के तहत याची को हिरासत में लिया।इसने बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की मांग करने वाली याचिका की स्थापना को जन्म दिया।हिरासत का आदेश "राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से" जारी किया गया था।" निरोध के आदेश ने याची को धारा 8 (1) के परंतुक के संदर्भ में निरोध के आधार से इनकार कर दिया।चुनौती यह थी कि धारा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के साथ असंगत थीं और इसलिए अमान्य थीं।

336. 14 मई 1954 को, राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 370 (1) के तहत कार्य करते हुए, संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 जारी किया, जिसमें संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य में संशोधन के अधीन लागू किया गया।अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (7) में, जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल को संसद के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ताकि

250 1955 (2) एस. सी. आर. 1101; "पुरानलाल लखनपाल प्रथम"

पूर्व निवारक निरोध के लिए कानून बनाने में सक्षम था।इसके अलावा, अनुच्छेद 35 (सी) जोड़ा गया था, जिसका प्रभाव यह था कि जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे संविधान के भाग III के अनुरूप थे, आदेश के प्रारंभ से पांच वर्षों की अवधि के लिए मान्य होंगे। अनुच्छेद 35 (सी) द्वारा जो अपवाद किया गया था, वह राज्य के विधान के जीवन के साथ सह-व्यापक था, जिसका जीवनकाल पांच वर्षों तक सीमित था।इस पृष्ठभूमि में, न्यायमूर्ति बी. पी. सिन्हा (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि जब तक राज्य का कानून लागू है, तब तक संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के प्रावधान, जहां तक वे अधिनियम के साथ असंगत थे, रास्ते से बाहर हैं।" इसलिए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 के प्रावधानों को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे भाग III के साथ असंगत हैं। हालाँकि, याची की ओर से यह आग्रह किया गया था कि अनुच्छेद 35 (सी) जो 1954 के सी. ओ. द्वारा डाला गया था, अनुच्छेद 370 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों से अधिक था।इस तर्क को खारिज करते हुए संविधान पीठ ने कहाः

"8. … यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 (1) (सी) और (डी) राष्ट्रपति को आदेश द्वारा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा) के अपवादों और संशोधनों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करता है, जिसके अधीन संविधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होगा।जहाँ तक जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंध है, खंड (ग) को संविधान के अनुच्छेद 35 में जोड़ा गया है।अधिनियम की धारा 8 संविधान के अनुच्छेद 35 में इस प्रकार जोड़े गए खंड (सी) के प्रावधानों से अधिक या असंगत नहीं है।कि इस प्रकार याची को दिए गए आदेश संविधान के भाग III के ऐसे प्रावधानों के साथ असंगत या उससे अधिक नहीं हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि याची उन आधारों को जानने का हकदार नहीं था जिनके आधार पर उसे आदेश में ही प्रकट किए गए विवरण से परे हिरासत में लिया गया था।"

337. अतः संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

ए। अनुच्छेद 370 (1) ने राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से संशोधन और अपवादों के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दिया;

बी। 1954 का सी. ओ. अनुच्छेद 370 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

ग. उस शक्ति के प्रयोग के अनुसार 1954 के सी. ओ. द्वारा अनुच्छेद 35 (सी) जोड़ा गया था;

घ. धारा 8 के परंतुक परंतुक में निरोध के लिए आधारों का खंडन वैध था; और

ई. 1954 के सी. ओ. द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 35 (सी) के प्रावधानों को देखते हुए, राज्य विधान की धारा 8 को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के साथ असंगत थी।

338. पूरनलाल लखनपाल द्वितीय बनाम भारत के राष्ट्रपति 251

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 (1) के तहत बनाए गए संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 की संवैधानिक वैधता को चुनौती।याची दिल्ली के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत था और उसने देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अधिकार का दावा किया था।जम्मू और कश्मीर राज्य की लोकसभा में छह सीटें थीं।आम तौर पर, अनुच्छेद 81 (1) के तहत, इन सीटों के लिए चुनाव राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा होता। हालाँकि, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, अनुच्छेद 81 (1) को 1954 के सी. ओ. के पैराग्राफ 5 (सी) द्वारा संशोधित किया गया था ताकि यह संकेत दिया जा सके कि लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल की सिफारिश पर की जाएगी।चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए नामांकन द्वारा लोकसभा के लिए सीधे चुनाव के प्रतिस्थापन की थी।

339. न्यायाधीश के. एन. वांचू ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 "जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को मान्यता देता है और यही कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य में संविधान के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति दी गई है, बशर्ते कि ऐसे अपवाद और संशोधन राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।"निवेदन यह था कि अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकते थे ताकि इसके प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके।इस संदर्भ में, इन में निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

251 1962 (1) एस. सी. आर. 688; "पूरनलाल लखनपाल द्वितीय"

दिल्ली कानून अधिनियम 252 में यह आग्रह किया गया है कि संशोधन एक क्रांतिकारी परिवर्तन को शामिल नहीं कर सकता है।संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 81 में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया था; जबकि प्रत्यक्ष चुनाव को राज्य विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, चुनाव का तत्व अभी भी बना हुआ है।लेकिन यह मानते हुए कि सी. ओ. द्वारा किया गया परिवर्तन कट्टरपंथी प्रकृति का था, संविधान पीठ ने दिल्ली कानून अधिनियम (उपरोक्त) में स्थिति को अलग किया जो एक अधीनस्थ प्राधिकरण को प्रत्यायोजन की शक्ति से संबंधित था जो अधीनस्थ कानून बनाता था।अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त संशोधन की शक्ति को अलग करते हुए, न्यायालय ने कहाः

“4… वर्तमान मामले में हमें संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद 370 (1) में उपयोग किए गए "संशोधन" शब्द का अर्थ निकालना होगा।जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 (1) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को मान्यता देना और राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति देकर उस विशेष स्थिति का प्रावधान करना था।

हम पहले ही बता चुके हैं कि अपवाद करने की शक्ति का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति यह प्रावधान कर सकते हैं कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान उस राज्य पर लागू नहीं होगा।

यदि इसलिए राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले संविधान के किसी भी प्रावधान को पूरी तरह से लागू करने की शक्ति दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि जब उन्हें संशोधन करने की शक्ति भी दी जाती है तो उस शक्ति पर उसके व्यापक संभव विस्तार में विचार किया जाना चाहिए।अगर वह ऐसा कर सकता है

संविधान के विशेष प्रावधान को पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करने में, हम यह सोचने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि

संविधान का इरादा यह नहीं था कि उसे जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू होने वाले किसी विशेष प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए।"

(जोर दिया गया) न्यायालय ने कहा कि संविधान के संदर्भ में उसे "अनुच्छेद 370 (1) में उपयोग किए गए शब्द संशोधन के अर्थ को व्यापक प्रभाव देना चाहिए।

252 (1951) एससीआर 747 207

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 208

और उस संदर्भ में, इसमें एक संशोधन शामिल है "और यह कि अभिव्यक्ति संशोधनों को केवल उन लोगों तक सीमित करने का कोई कारण नहीं था जिन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया।

340. पुरानलाल लखनपाल द्वितीय (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 370 (1) में 'संशोधन' करने की शक्ति सीमित नहीं थी।इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य में उनके अनुप्रयोग के प्रावधानों में संशोधन शामिल होंगे, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की शक्ति भी शामिल होगी।यद्यपि संशोधन में प्रावधान में संशोधन या मौलिक रूप से परिवर्तन करने की शक्ति शामिल है, लेकिन शक्ति की कुछ निहित सीमाएँ हैं।जब जम्मू और कश्मीर राज्य भारत के अधिराज्य में शामिल हो गया और महाराजा ने भारतीय संविधान की पुष्टि करने और उसे अपनाने के लिए एक घोषणा जारी की, तो राजतंत्रीय शासन टूट गया और साथ ही संवैधानिक शासन प्रणाली का निर्माण हुआ।जम्मू और कश्मीर राज्य ने संविधान का अनुसमर्थन करके भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित संवैधानिक शासन के मॉडल को स्वीकार किया।भारत में विलय संवैधानिक एकीकरण के बिना भारत के लिए केवल क्षेत्रीय एकीकरण का मामला नहीं हो सकता है। इस प्रकार, भारतीय संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत या विशेषताएं थीं जिन्हें अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संशोधन की शक्ति का प्रयोग करके निरस्त नहीं किया जा सकता था।उदाहरण के लिए, भारत के लिए चुने गए शासन के लोकतांत्रिक रूप से कोई विचलन नहीं हो सकता है।इसी तरह, राज्य संविधान सभा के लिए यह घोषणा करना खुला नहीं था कि जम्मू और कश्मीर राज्य एक स्वतंत्र संप्रभु देश था।जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा भारत के संविधान के तहत शासन के बुनियादी उपदेशों के अनुरूप राज्य में शासन का एक पैटर्न प्रदान कर सकती है।वास्तव में, जम्मू

और कश्मीर में शासन का स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेदों के तहत शासन को प्रतिबिंबित करता है।हालाँकि संविधान का भाग VI जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन राज्य के संविधान के तहत संवैधानिक शासन का स्वरूप भारत के संविधान के तहत संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था।341. अनुच्छेद 370 (1) में राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी न कि राज्य की संविधान सभा की सहमति की।अनुच्छेद 370 (2) में कहा गया है कि यदि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा बुलाए जाने से पहले राज्य सरकार की सहमति दी जाती है, तो सहमति को अपने निर्णय के लिए विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।अनुच्छेद 370 (2) को शामिल करने के संदर्भ में पढ़ा सहपठित ना चाहिए

अनुच्छेद 370 का स्पष्टीकरण।स्पष्टीकरण में कहा गया है कि राज्य सरकार का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो महाराजा की घोषणा दिनांक मार्च 1948 के पांचवें दिन के तहत कुछ समय के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।" जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने 5 मार्च 1948 को जारी एक घोषणा द्वारा शेख अब्दुल्ला को आपातकालीन प्रशासन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया।आपातकालीन प्रशासन के मंत्रिपरिषद को एडल्ट सफ क्रोध के आधार पर नेशनल असेंबली बुलाने का काम सौंपा गया था।घोषणा में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सभा को राज्य का संविधान तैयार करने का काम सौंपा जाएगा।अनुच्छेद 370 (2) का प्रभावी अर्थ था कि संविधान सभा बुलाए जाने से पहले राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला निर्णय आपातकालीन प्रशासन का निर्णय होगा।खंड (2) का उद्देश्य आपातकालीन प्रशासन द्वारा शक्ति के प्रयोग को संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा के अधीन करना था।संपत प्रकाश (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि अनुच्छेद 370 के तहत शक्ति संविधान सभा के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद भी फैली हुई है।

II. अनुच्छेद 370 (3) की संरचना

342. अनुच्छेद 370 (3) ने राष्ट्रपति को दो शक्तियां प्रदान कीं:सबसे पहले, यह घोषणा करने की शक्ति कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है; और दूसरा यह घोषणा करने की शक्ति कि अनुच्छेद 370 अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा।राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के तहत यह घोषणा करने का प्रभाव कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है, यह है कि संविधान के प्रावधान जो पहली अनुसूची में प्रत्येक अन्य राज्य पर लागू होते हैं, वे जम्मू और कश्मीर राज्य पर समान रूप से लागू होंगे।अनुच्छेद 370 (3) को संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया था न कि विघटन के उद्देश्य से।इस शक्ति के प्रयोग का आवश्यक परिणाम यह है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान समाप्त हो जाएगा।खंड (3) के तहत राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की भी शक्ति है।इसमें आई. ओ. ए. और अन्यथा मामलों के बीच अंतर को हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति या जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने की शक्ति शामिल है।

ग. अनुमान

343. अनुच्छेद **370 (3)** के परंतुक में कहा गया है कि "खंड **(2)** में निर्दिष्ट संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

राष्ट्रपति द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी करने से पहले।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकिः

क. अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग करने से पहले सिफारिश आवश्यक है;

बी। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है; और

ग. सिफारिश अनुच्छेद 370 के खंड (2) में निर्दिष्ट संविधान सभा की होनी चाहिए जो "राज्य के संविधान को तैयार करने के उद्देश्य" के लिए बुलाई गई संविधान सभा को संदर्भित करती है।इस प्रकार, उस संविधान सभा की सिफारिश को किसी अन्य निकाय की सिफारिश से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

344. संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सिफारिश नहीं की थी कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए।संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 के अस्तित्व समाप्त होने से पहले इसके स्पष्टीकरण में एक संशोधन की सिफारिश की।राज्य सरकार को राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता था।इस स्पष्टीकरण को यह पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था कि राज्य सरकार का अर्थ वह व्यक्ति होगा जिसे राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी।345. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि संविधान सभा ने यह सिफारिश नहीं की थी कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए यह प्रावधान स्थायी हो गया है।यह तर्क दिया गया था कि संविधान सभा के समाप्त होने के बाद प्रावधान को निरस्त करने की प्रक्रिया का पता अनुच्छेद 370 से नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसका पता केवल संविधान के अनुच्छेद 368 से लगाया जा सकता है।346. हम निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करने से सहमत नहीं हैंःए। जिस ऐतिहासिक संदर्भ में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया था, उसे याद किया जाना चाहिए।भारत के संविधान में भारतीय राज्यों द्वारा संविधान के अनुसमर्थन का प्रावधान नहीं था।राज्य मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक भारतीय राज्य के शासक को संविधान की सिफारिश पर संविधान की पुष्टि करने वाली एक घोषणा जारी करनी चाहिए।

सभा, जहाँ ऐसा निकाय मौजूद था।जिन राज्यों में तब तक संविधान सभा नहीं बुलाई गई थी, वहां राज्य के शासक को संविधान को स्वीकार करते हुए एक उद्घोषणा जारी करनी थी।हालाँकि, जब उन राज्यों में एक संविधान सभा बुलाई गई थी, तो संविधान सभा संविधान में संशोधन के लिए एक सिफारिश कर सकती थी जैसा कि यह राज्य पर लागू होता है और ऐसी सिफारिश पर संघ द्वारा "ईमानदारी से विचार" किया जाएगा।चूंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन तब तक नहीं किया गया था जब भारत का संविधान अपनाया गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक ने केवल अनुसमर्थन प्रक्रिया को शामिल किया जैसा कि राज्य मंत्रालय द्वारा तय किया गया था।संविधान सभा की सिफारिश शब्द

खंड (2) में निर्दिष्ट राष्ट्रपति के समक्ष आवश्यक होगा।

अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में दिखाई देने वाली अधिसूचना को इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी।

बी। अनुच्छेद 370 को दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पेश किया गया थाःआसन्न युद्ध और राज्य में संविधान सभा की अनुपस्थिति को देखते हुए राज्य में विशेष परिस्थितियाँ जब भारत का संविधान अपनाया गया था।यह उद्देश्य न केवल ऐतिहासिक संदर्भ से बल्कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों से भी स्पष्ट है।यदि अनुच्छेद 370 को केवल भारत के संविधान के अनुसमर्थन और विधायी क्षमता के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, तो प्रावधान ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अकेले संविधान सभा को ऐसी शक्ति प्रदान की होगी।बल्कि, यह प्रावधान अनुच्छेद 370 (1) के संदर्भ में राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है।इसी तरह, अनुच्छेद 370 भी जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करता है।यह स्पष्ट रूप से राज्य में विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए शामिल किया गया था।ग. संविधान सभा के बुलाए जाने पर, अनुच्छेद 370 के तहत शक्ति का प्रयोग किया गया।यद्यपि निकाय का अस्तित्व समाप्त हो गया था, केवल एक विशेष परिस्थिति जिसके लिए प्रावधान पेश किया गया था, समाप्त हो गया।हालाँकि, दूसरी परिस्थिति (यानी राज्य में जलवायु के कारण विशेष परिस्थितियाँ) जिसके लिए अनुच्छेद 370 को लागू किया गया था, संविधान 211 के बाद भी बनी रही।

सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया।यह संपत प्रकाश (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले से मान्यता प्राप्त है।

घ. राज्य की संविधान सभा के विघटन से खंड 3 के तहत राष्ट्रपति को निहित मूल शक्ति प्रभावित नहीं होगी।भारत के संविधान के निर्माण के समय, यह स्पष्ट रूप से विचार के दायरे में था कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन राज्य के लिए संविधान बनाने के लिए किया गया था।यह एक स्थायी निकाय होने का इरादा नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट प्रेषण और उद्देश्य वाला निकाय था। इसलिए अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति कुछ ऐसी थी जो राज्य के संविधान का

मसौदा तैयार होने तक जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के गठन और अस्तित्व में रहने के समय संक्रमण की अवधि में काम करेगी।

ई. राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सके क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है।यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3) के तहत एक अधिसूचना जारी करते हुए शक्ति का प्रयोग करते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य पूरी तरह से अन्य राज्यों की तरह भारत के साथ संवैधानिक रूप से एकीकृत हो जाएगा।इसलिए, अनुच्छेद 370 (1) और अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने पर भी अनुच्छेद 370 द्वारा परिकल्पित एकीकरण की प्रणाली को बाधित नहीं करता है।इसका उद्देश्य संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाना था।यह मानते हुए कि संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य के विपरीत एकीकरण को रोक दिया जाएगा; और

च. यदि अनुच्छेद 370 की व्याख्या और संविधान सभा के विघटन पर याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुच्छेद 370 (3) निरर्थक हो जाएगा और प्रावधान अपना अस्थायी चरित्र खो देगा।यह इस धारणा के विपरीत होगा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।347. यह तर्क दिया जा सकता है कि एक व्याख्या जो अनुच्छेद 370 (3) को निरर्थक बनाती है, वह प्रावधान को स्थायी नहीं बनाती है क्योंकि संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी घटक शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

प्रावधान को निरस्त करें।यह तर्क अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के दायरे से चूक जाता है।अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए "संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, परिवर्तन या निरस्त करके" संशोधन कर सकती है।इस प्रकार, संविधान के सभी प्रावधान परिवर्तन योग्य हैं।यह शक्ति केवल बुनियादी संरचना चुनौती के अधीन है।हालांकि, एक प्रावधान केवल इसलिए एक अस्थायी चरित्र प्राप्त नहीं करता है क्योंकि इसे संशोधित किया जा सकता है।एक प्रावधान अस्थायी होता है जब समय के अंतराल या कुछ शर्तों के अभाव के माध्यम से संशोधन शक्ति के प्रयोग के बिना भी प्रावधान अस्तित्व में नहीं रहता है।यह प्रावधान समय सीमा के कारण अस्थायी हो सकता है, यानी प्रावधान में कहा गया है कि किसी विशेष समय अवधि के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा या विशिष्ट परिस्थितियों के अस्तित्व को देखते हुए यह अस्थायी हो सकता है।यदि अनुच्छेद 370 को केवल उसी तरीके से निरस्त किया जा सकता है जैसे अन्य प्रावधान जिन्हें भाग 21 के भीतर नहीं रखा गया है, तो अस्थायी और अन्य प्रावधानों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है।

348. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि परंतुक से स्वतंत्र अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति को पढ़ने से आंतरिक व्याख्यात्मक असंगति पैदा होगी।यह तर्क दिया गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (1) के तहत एकतरफा रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा संविधान के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एकतरफा रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर सकते हैं।यह तर्क दिया गया था कि इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां संविधान के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से अधिक संघीय भागीदारी की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए नहीं।यह तर्क अनुच्छेद 370 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के सार से चूक जाता है।अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति के आधार पर, केंद्र और राज्य राज्य में संघ की विधायी शक्तियों के दायरे और संविधान के प्रावधानों (ऐसे संशोधनों के साथ) पर निर्णय लेते हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य में शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए किया जाता है।

349. इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना चाहिए।राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति जम्मू और कश्मीर राज्य में संघ की विधायी और कार्यकारी शक्ति के दायरे पर निर्भर करती है।212 की धारा 5 के तहत

जम्मू और कश्मीर का संविधान, राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक है जिन पर संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत विधायी क्षमता नहीं है।दूसरे शब्दों में, अवशिष्ट शक्ति उन मामलों को छोड़कर जिनके संबंध में संसद राज्य के संबंध में कानून बना सकती है, जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्ति के दायरे में आती है।350. जम्मू और कश्मीर संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के प्रावधान थे।जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग V में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए राज्यपाल और मंत्रिपरिषद सहित कार्यपालिका के लिए प्रावधान थे।भाग VI में विधान सभा और विधान परिषद सहित राज्य विधानमंडल के लिए प्रावधान थे।भारत के संविधान के भाग IV, V और VI को संविधान आदेशों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया था।जम्मू और कश्मीर का संविधान उन विषयों से संबंधित है जिन्हें भारत के संविधान से हटा दिया गया है क्योंकि यह राज्य पर लागू होता है।ऐसा करने में, जम्मू और कश्मीर का संविधान ऐसे सिद्धांतों और शासन प्रणाली को निर्धारित नहीं करता है जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित से मौलिक रूप से अलग हैं।वास्तव में, एक से अधिक समानताएँ हैं।

351. भाग IV राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 के समान धारा 12 में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत न्यायालयों में अप्रवर्तनीय हैं और वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।भारत के संविधान में अधिकांश निदेशक सिद्धांत, जम्मू और कश्मीर के संविधान में पांचवें स्थान पर हैं।253

352. कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के दायरे के प्रावधान भी भारत के संविधान के प्रावधानों के समान थे।धारा 35 में राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है।धारा 35 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 36,38 और 92 के तहत आने वाले कार्यों को छोड़कर राज्यपाल के सभी कार्यों का प्रयोग उनके द्वारा केवल राज्यपाल की सलाह पर किया जाएगा।

253 सामाजिक व्यवस्था, ग्राम पंचायतों के संगठन, काम करने का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, भौतिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना।

मंत्रिपरिषद।धारा 36 (1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी।धारा 53 (2) राज्यपाल को विधानमंडल का सत्रावसान करने और विधान सभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करती है।राज्य के विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद दोनों शामिल होंगे और राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होंगे।255 353.जम्मू और कश्मीर का संविधान अवशिष्ट स्थान से संबंधित था जो भारत के संविधान के लागू होने के बाद उपलब्ध था।यह न केवल राज्य की विधायी और कार्यकारी क्षमता के लिए सच है, बल्कि उन प्रावधानों के लिए भी सच है जो शासन प्रणाली की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।इस प्रकार, जब जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान के प्रावधान को लागू करने वाले अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत कोई आदेश जारी किया जाता है, तो कार्यकारी और विधायी शक्ति को बढ़ाने या सीमित करने के लिए राज्य के संविधान में संबंधित संशोधन करने पड़ सकते हैं।केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच सहयोग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत न हों जो राज्य पर लागू होते हैं।

354. राज्य में शासन के सुचारू संचालन के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक सहयोगात्मक अभ्यास अनिवार्य था।अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति जिसके द्वारा राष्ट्रपति यह तय करते हैं कि क्या राज्य में विशेष परिस्थितियां अभी भी मौजूद हैं, एक स्वतंत्र जांच है जो अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति से असंबंधित है।जब दोनों प्रावधानों के तहत शक्ति की प्रकृति और ऐसी शक्ति के प्रयोग के परिणाम अलग-अलग होते हैं, तो यह तर्क कि एक प्रावधान की व्याख्या दूसरे में सिद्धांत के विपरीत है, बल खो देता है।

vi.सी. ओ. 272 के लिए चुनौती

355. सीओ 272 को अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जारी किया गया था और अनुच्छेद 370 के खंड (3) में संशोधन करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने सी. ओ. 272 को इस आधार पर अनुच्छेद 370 (1) (डी) के अधिकार से बाहर होने के रूप में चुनौती दी है किः

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 216

ए। यह अनुच्छेद 370 को संशोधित करता है, जो केवल अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग पर ही किया जा सकता है; और

बी। केवल राज्य सरकार अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत राष्ट्रपति को "सहमति" दे सकती है।

356. इन तर्कों पर बारी-बारी से विचार किया जाता है।

ए। अनुच्छेद 370 (1) (डी) के माध्यम से अनुच्छेद 370 का संशोधन

I. जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान का अनुप्रयोग

357. इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले, अनुच्छेद 370 की संरचना और उस तंत्र को समझना आवश्यक है जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया था।358. अनुच्छेद 370 (1) (ए) में कहा गया है कि अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे।अनुच्छेद 238 संविधान के भाग VI के प्रावधानों को पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों पर लागू करने से संबंधित है।अनुच्छेद 238 को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसने देश में घटक इकाइयों के वर्गीकरण को संशोधित किया और भाग ए राज्यों और भाग बी राज्यों के बीच अंतर को दूर कर दिया।अनुच्छेद 370 (1) (बी) जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों को सीमित करता है, जैसा कि प्रावधान के उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किया गया है।

359. अनुच्छेद 370 (1) (सी) में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और "इस अनुच्छेद के" प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे।अनुच्छेद 370 (1) (सी) का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 1 के साथ-साथ "यह अनुच्छेद", जिसका अर्थ है अनुच्छेद 370, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है।न तो अनुच्छेद 370 और न ही संविधान का कोई अन्य प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 1 को लागू करने के लिए संशोधन या संशोधन पर विचार करता है।इसलिए अनुच्छेद 1 किसी भी अपवाद, संशोधन या संशोधन के बिना और किसी भी अपवाद, संशोधन या संशोधन की संभावना के बिना राज्य पर लागू होता है।यह इस सिद्धांत के अनुसार है कि अनुच्छेद 1 भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता पर आधारित है।इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने राजा राम पाल में टिप्पणी की

विनाशकारी इकाइयाँ।" 257 भारत संघ 258 की अविनाशी प्रकृति जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके आवेदन से रेखांकित होती है, जो अन्यथा अनुच्छेद 370 के आधार पर एक विशेष संघीय व्यवस्था के अधीन था।जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है।360. दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 को राज्य में लागू करने में संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।अनुच्छेद 370 के खंड (3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि "यह अनुच्छेद" लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा जो वे निर्दिष्ट कर सकते हैंः"(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से लागू होगा जो वह निर्दिष्ट करेःबशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।"

(जोर दिया गया) 361।राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था।इस परंतुक के परंतुक में परंतुक है कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।खंड (3) में "यह अनुच्छेद" शब्द अनुच्छेद 370 को संदर्भित करता है।इसलिए खंड (3) में जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को लागू करने के तरीके में संशोधन या निरस्त करने का प्रावधान है।

362. अनुच्छेद 370 (1) (डी) में प्रावधान है कि संविधान के "ऐसे अन्य प्रावधान" जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।प्रथम परंतुक में राष्ट्रपति से एक परंतुक जारी करने की आवश्यकता होती है जो राज्य सरकार के परामर्श से अनुच्छेद 370 (1) (बी) (आई) में निर्दिष्ट आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित है।दूसरा।

256 (2007) 3 एससीसी 184

257 पैराग्राफ 27 में लिखा है।

258 राज्यक्षेत्रों को अर्जित करने या सौंपने की राष्ट्र की संप्रभु शक्ति के अधीन, जैसा कि बेरूबारी संघ के मामले (ऊपर) में मान्यता प्राप्त है।

परंतुक राष्ट्रपति से राज्य सरकार की सहमति से आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित परंतुक जारी करने की अपेक्षा करता है।"अन्य प्रावधान" शब्द इंगित करता है कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुच्छेद 370 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (सी) में इंगित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों पर लागू होती है।

363. अनुच्छेद 370 के इस दृष्टिकोण से, जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के लागू होने पर निम्नलिखित स्थिति सामने आती हैःए। अनुच्छेद 238 (इसके निरस्त होने से पहले) राज्य पर लागू नहीं होता था।बी। अनुच्छेद 1 राज्य पर लागू होता है।इसके आवेदन को न तो संशोधित किया जा सकता है और न ही संशोधित किया जा सकता है और न ही इसका संचालन बंद किया जा सकता है।

ग. अनुच्छेद 370 राज्य में लागू हुआ।इसके आवेदन को संशोधित या संशोधित किया जा सकता है या अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके इसका संचालन बंद हो सकता है; और

घ. अनुच्छेद 1,338 (निरस्त किए जाने से पहले) और 370 के अलावा संविधान के प्रावधान किसी भी अपवाद और संशोधन के साथ राष्ट्रपति द्वारा आदेशों के माध्यम से निर्दिष्ट राज्य पर लागू होंगे। इस मामले में अनुच्छेद 370 (1) (डी) द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

364. इस मोड़ पर अनुच्छेद 370 (1) (ए), अनुच्छेद 370 (1) (सी) और अनुच्छेद 370 (1) (डी) के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।अनुच्छेद 370 (1) (ए) में कहा गया है कि अनुच्छेद 238 के प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होंगे।अनुच्छेद 370 (1) (सी) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे।अनुच्छेद 370 (1) (डी) उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसके द्वारा संविधान के किसी भी "अन्य" प्रावधान को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने में संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।"अन्य" अभिव्यक्ति अनुच्छेद 1,338 और 370 को बाहर कर देगी।इसलिए, यदि अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करना है या जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके अनुप्रयोग में संशोधन या संशोधन किया जाना है, तो अनुच्छेद 370 (3) द्वारा विचार की गई प्रक्रिया का सहारा लेना होगा।

365. यह सामान्य कानून है कि किसी कानून के तहत किसी शक्ति का प्रयोग उस कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।में।

जे. एन. गणात्रा बनाम मोरवी नगर पालिका, 259 इस न्यायालय ने की बर्खास्तगी अपास्त करना कर दिया

प्रत्यर्थी नगरपालिका द्वारा एक कर्मचारी इस आधार पर कि वह संबंधित नियम में निर्धारित बर्खास्तगी की प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा है:“4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर पालिका के सामान्य बोर्ड के पास अधिनियम के तहत अपीलार्थी को बर्खास्त करने की शक्ति थी, लेकिन उक्त शक्ति का प्रयोग केवल नियमों के नियम 35 द्वारा इंगित तरीके से किया जा सकता था। मान लीजिए कि बर्खास्तगी की शक्ति का प्रयोग उस तरह से नहीं किया गया है जिस तरह से अधिनियम के तहत किया जाना आवश्यक था। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है।

कि किसी कानून के तहत शक्ति का प्रयोग कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।इसे ध्यान में रखते हुए

उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को दिया गया कि बर्खास्तगी का आदेश अवैध और अमान्य था, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी की बर्खास्तगी अधिनियम के अनुसरण या निष्पादन या इच्छित निष्पादन में किया गया कार्य नहीं था।

(जोर दिया गया) 366।निर्माण के इसी नियम का उपयोग विभिन्न अन्य कानूनों 260 के संदर्भ में किया गया है और यह निस्संदेह संविधान पर लागू होता है।इस नियम में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रावधान को लागू नहीं किया गया होगा यदि इसके द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है।261

II. सी. ओ. 272 का अनुच्छेद 2

367. सी. ओ. 272 अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। सी. ओ. 272 का अनुच्छेद 2 नीचे निकाला गया हैः

"2. समय-समय पर संशोधित संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और संशोधनों के अधीन वे इस प्रकार लागू होंगे, वे इस प्रकार होंगेः-

अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः- "(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है -

259 (1996) 9 एससीसी 495

260 आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम. एच. घासवाला, (2002) 1 एस. सी. सी. 633; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह, 1963 ए. आई. आर. 358

261 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह, 1963 ए. आई. आर. 358 219

(क) इस संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों को संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो उक्त राज्य के संबंध में लागू होते हैं;

(ख) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ, जो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, का अर्थ जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

(ग) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इस संविधान के अनुच्छेद **370** के खंड **(3)** के परंतुक में**,** "खंड **(2)** में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा" पद को "राज्य की विधान सभा" पढ़ा जाएगा।"

(जोर दिया गया) 368।सी. ओ. 272 का पैराग्राफ 2 भारत के पूरे संविधान (समय-समय पर संशोधित) को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करता है।जबकि पैराग्राफ 2 किसी भी अपवाद को निर्दिष्ट नहीं करता है, यह एक संशोधन उल्लेख निर्धारित करता है।यह अनुच्छेद 367 में खंड (4) जोड़ता है।अनुच्छेद 367, सी. ओ. 272 द्वारा निर्दिष्ट संशोधन के बिना, निम्नानुसार पढ़ता हैः

“367. व्याख्या।—(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, तब तक सामान्य खंड अधिनियम, 1897, अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन रहते हुए, इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।

(2) इस संविधान में संसद के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या कानूनों या किसी राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या कानूनों के बारे में किसी भी संदर्भ का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा किए गए अध्यादेश या, यथास्थिति, राज्यपाल द्वारा बनाए गए अध्यादेश के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए "विदेशी राज्य" का अर्थ है भारत के अलावा कोई अन्य राज्यः

बशर्ते कि, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राज्य को ऐसे उद्देश्यों के लिए विदेशी राज्य नहीं घोषित कर सकता है जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं।”

369. सी. ओ. 272 जम्मू और कश्मीर राज्य में नए जोड़े गए खंड (4) के उपखंड (डी) के माध्यम से अनुच्छेद 367 में 'संशोधन' के साथ पूरे संविधान को लागू करता है।इस संशोधन परंतुक में, अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में "खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा" शब्द को "राज्य की विधान सभा" के रूप में पढ़ा जाएगा।” इस संशोधन के संदर्भ में, अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक इस प्रकार होगाः

“बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य की विधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।”370. याचिकाकर्ताओं ने सी. ओ. 272 के पैराग्राफ 2 को इस आधार पर चुनौती दी है कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया संवैधानिक आदेश स्वयं अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं कर सकता है।

III. किसी प्रावधान का सार या प्रभाव उसके रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।

371. संविधान के अन्य समान प्रावधान और इस न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई व्याख्या इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया वैध है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए निर्देशात्मक हैं।संविधान के अनुच्छेद 368 में उस प्रक्रिया का प्रावधान है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 का खंड (2) नीचे दिया गया हैः

“संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति।—

…

(2) इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक को पेश करके ही शुरू किया जा सकता है, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी सहमति देगा और उसके बाद संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित होगाः

221

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 222

बशर्ते कि यदि ऐसा संशोधन-(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73,566 [अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, या

(ख) भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, या भाग 11 का अध्याय 1, या

(ग) सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में, या (घ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या (ङ) इस अनुच्छेद के प्रावधान,

संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उन विधानमंडलों द्वारा पारित उस अधिनियम के प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी, इससे पहले कि ऐसे संशोधन के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाए।

…"

(जोर दिया गया) 372।अनुच्छेद 368 के खंड (2) में प्रावधान है कि संविधान में तब संशोधन किया जा सकता है जब इस उद्देश्य के लिए कोई विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है।हालांकि, एक संशोधन जो कुछ विशिष्ट प्रावधानों में कोई "परिवर्तन" करने का प्रयास करता है, उसे राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अनुसमर्थन करने की आवश्यकता होती है।संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित मामलों की एक लंबी कतार ने यह परीक्षण करते हुए संशोधन के सार या प्रभाव को प्राथमिकता दी है कि क्या अनुच्छेद 368 के परंतुक को आकर्षित किया जाएगा।

373. शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, 262 में यह न्यायालय

यह निर्णय लिया गया कि क्या संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951, जिसके द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 31-ए और 31-बी को जोड़ा गया था, अधिकार से बाहर था।इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दलीलों में से एक यह थी कि संबंधित विधेयक को प्रक्रिया के संदर्भ में अनुसमर्थित किया जाना चाहिए था

262 1951 एस. सी. सी. 966

अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक द्वारा विचार किया गया क्योंकि विवादित अनुच्छेदों ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 132 और 136 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया।इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि विवादित अनुच्छेदों ने अनुच्छेद 226,132 या 136 में कोई बदलाव नहीं किया है:"17. यह देखा जाएगा कि ये अनुच्छेद अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 132 और 136 में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं।..." (जोर दिया गया)

374. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 263 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया

संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम 1964 की वैधता जिसके द्वारा अनुच्छेद 31-ए में संशोधन किया गया था और संविधान की नौवीं अनुसूची में चालीस क़ानून जोड़े गए थे।यहाँ भी एक सवाल यह था कि क्या अनुच्छेद 368 के परंतुक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। इस न्यायालय ने चुनौती को खारिज कर दिया:

"14. ... विवादित अधिनियम के प्रावधानों को बदलना अभिप्रेत नहीं है -

अनुच्छेद 226 और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उस प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से या

कोई भी सराहनीय उपाय।यही कारण है कि हम सोचते हैं कि यह तर्क कि विवादित अधिनियम परंतुक के अंतर्गत आता है, कायम नहीं रखा जा सकता है।यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भाग III के प्रासंगिक अनुच्छेदों में संशोधन करना है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं और इस प्रकार यह अनुच्छेद 368 के मूल भाग के अंतर्गत आता है और इसके खंड (बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है।

परंतुक ।यदि अनुच्छेद 226 पर मौलिक अधिकारों में किए गए संशोधन का प्रभाव प्रत्यक्ष है और आकस्मिक नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण आदेश का है, तो अलग-अलग विचार शायद उत्पन्न हो सकते हैं।लेकिन वर्तमान में

मामले में, उक्त विचारों को मनोरंजन या तौलने का कोई अवसर नहीं है।" (जोर दिया गया) 375। यद्यपि न्यायालय विवादित कानून के उद्देश्य पर निर्भर था, लेकिन उसने इसके प्रभावी अधिनियम पर समान रूप से बल दिया।इसका तर्क इंगित करता है कि प्रभाव एक सराहनीय या सार्थक डिग्री का होना चाहिए।

376. मिसाल की इस रेखा को किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लु**, 264** में समेकित किया गया था**,** जहाँ इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को बुलाया गया था।

263 1964 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 25 264 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 651 223

संविधान की दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए।चुनौती के आधारों में से एक यह था कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 ने संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 के संचालन में बदलाव लाया और संबंधित विधेयक को अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक द्वारा परंतुक प्रक्रिया के अनुपालन में पारित किया जाना चाहिए था।दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 7 नीचे दिया गया हैः

“7. न्यायालयों की अधिकारिता का बार।— इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, इस अनुसूची के तहत किसी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराने से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में किसी भी न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।”

377. अनुच्छेद 136,226 और 227 क्रमशः इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संबंधित हैं।अनुच्छेद 136 भाग 5 के अध्याय 4 में स्थान देता है और अनुच्छेद 226 और 227 भाग 6 के अध्याय 5 में मौजूद हैं। अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक में कहा गया है कि एक संवैधानिक संशोधन जो इन अध्यायों में बदलाव करना चाहता है, उसे राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक से पहले परंतुक किए गए तरीके से अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दसवीं अनुसूची को शामिल करने वाले विधेयक ने अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक को आकर्षित किया क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करता है और इसलिए, इसे राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले निर्धारित संख्या में राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए था।

378. बहुमत ने एम. एन. वेंकटचलैया, जे. के माध्यम से बोलते हुए दसवीं अनुसूची की चुनौती को अस्वीकार कर दिया।तथापि, इसने अभिपरंतुक किया कि अनुच्छेद 7 में अनुच्छेद 136,226 और 227 के अनुप्रयोग को बदलने का प्रभाव है, जिससे अनुच्छेद 368 (2) के लिए परंतुक आकर्षित होता है।इसने पाया कि पैरा 7 दसवीं अनुसूची के अन्य प्रावधानों से अलग करने योग्य था और केवल पैरा 7 को ही निरस्त कर दिया।न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधानों पर पैराग्राफ 7 के प्रभाव पर इस न्यायालय की टिप्पणियां शिक्षाप्रद हैं और नीचे दी गई हैंः

“61. … परंतुक द्वारा परिकल्पित भाग 5 के अध्याय 4 और भाग 6 के अध्याय 5 में परिवर्तन प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है।परिवर्तन या तो "प्रभाव के संदर्भ में या प्रभाव में" हो सकता है। परंतुक को आकर्षित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 और 226 की भाषा को बदलना आवश्यक नहीं है।अगर इसमें

इफ़ेक्ट इन लेखों को अप्रभावी और अप्रयोज्य बना दिया गया है

जहाँ इन अनुच्छेदों को अन्यथा लागू किया जा सकता था या किया जा सकता था, लेकिन पैराग्राफ 7 के लिए, वहाँ 'प्रभावी रूप से' उन परंतुक ों में परिवर्तन है जो परंतुक को आकर्षित करते हैं।...

62. वर्तमान मामले में, हालांकि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 की भाषा में सीधे कोई बदलाव नहीं लाता है, लेकिन प्रभावी अनुच्छेद 7 में दसवीं अनुसूची के तहत आने वाले मामलों के संबंध में उन अनुच्छेदों के संचालन में कटौती की गई है।अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (बी) के अर्थ के भीतर अनुच्छेद 136,226 और 227 में प्रभाव अधिनियम में परिवर्तन हुआ है। पैराग्राफ 7, इसलिए, परंतुक को आकर्षित करता है और अनुसमर्थन आवश्यक था।..."

(जोर दिया गया) 379।इस न्यायालय ने अनुच्छेद 136,226 और 227 को अधिनियम के संदर्भ में या प्रभाव में परिवर्तित किया है या नहीं, इस पर विचार करके अनुच्छेद 7 की वैधता निर्धारित की।" इसने पाया कि हालांकि इन प्रावधानों की भाषा में सीधे संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन पैराग्राफ 7 का प्रभावी अधिनियम इन प्रावधानों के संचालन को बदलना था।यह दृष्टिकोण इंगित करता है कि यह न्यायालय इसके रूप के विपरीत संवैधानिक संशोधन के सार के बारे में अधिक चिंतित था।किहोतो होलोहन (ऊपर) में अल्पमत निर्णय अनुच्छेद 7 की संवैधानिक वैधता पर बहुमत के फैसले से सहमत था, लेकिन पूरी दसवीं अनुसूची की वैधता के सवाल पर अलग-अलग था, जिसमें कहा गया था कि यह पूरी तरह से संवैधानिक रूप से असंवैधानिक था।पैराग्राफ 7 से संबंधित मुद्दे की व्याख्या के लिए इसका दृष्टिकोण बहुमत के समान था।265

380. अंत में, भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह, 266 में यह न्यायालय

उन्होंने संविधान (सत्तानबेवां संशोधन) अधिनियम 2011 के अधिकारों का फैसला किया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ 'सहकारी समितियाँ' शीर्षक वाले अध्याय के तहत भाग IXB की शुरुआत की।' विशेष रूप से, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या भाग IXB आधे द्वारा अनुसमर्थन के अभाव के लिए नहीं था

265 अनुच्छेद 162:"...इस प्रकार, अधिकार को कम किए बिना अकेले उपचार का यह विलोपन, क्योंकि दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के प्रश्न के लिए अधिनियमित सिद्धांतों पर निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप भाग V में अध्याय IV में अनुच्छेद 136 और संविधान के भाग VI में अध्याय V में अनुच्छेद 226 और 227 में परिवर्तन किया जाता है।" (जोर दिया गया)

266 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 474 225

अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के तहत राज्य।प्रत्यावेदन में प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"56. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि संविधान के किसी भी परंतुक में अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक द्वारा बताए गए "परिवर्तन" को विशेष अनुच्छेद या परंतुक की भाषा को जोड़ने, घटाने या संशोधित करने के अर्थ में प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है।उपर्युक्त निर्णयों

में एक 'प्रभावी अधिनियम में परिवर्तन' की बात की गई है, जिसका अर्थ होगा एक ऐसा परिवर्तन जो, हालांकि संविधान के किसी भी प्रावधान की भाषा में नहीं है, फिर भी एक ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी विशेष अनुच्छेद और उसमें निहित सिद्धांत को प्रभावित करेगा।

…

61. यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान से संबंधित मामलों में, रूप हमेशा सार को रास्ता देता है।"381. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि संविधान के किसी प्रावधान में कोई बदलाव किया गया है या नहीं, इसका आकलन करते समय निम्नलिखित पहलू महत्वपूर्ण हैंः

ए। एक परिवर्तन या तो इसके प्रभाव के संदर्भ में या इसके प्रभाव में हो सकता है;

बी। यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन किया गया है, भले ही संबंधित प्रावधान की भाषा को सीधे भाषा को जोड़कर, घटाकर या संशोधित करके संशोधित नहीं किया गया हो।ई. एफ. ई. सी. टी. में परिवर्तन है;

ग. यदि किसी संशोधन का प्रभाव किसी प्रावधान को बदलना है, तो ऐसा प्रभाव महत्वपूर्ण या सराहनीय होना चाहिए; और

घ. परिवर्तन का सार उसके रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।हालाँकि कानून की यह स्थिति अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक से संबंधित है, लेकिन यह अनुच्छेद 370 (3) पर भी समान रूप से लागू होती है।ऐसा इसलिए है क्योंकि इस खंड में चर्चा की गई मिसालें इस बात का पता लगाती हैं कि किस तरह से 'परिवर्तन' को प्रभावित किया जा सकता है और साथ ही इसके मूल में 'परिवर्तन' का क्या अर्थ है।जबकि अनुच्छेद 370 (3) में 'परिवर्तन' के बजाय 'संशोधन' शब्द का उपयोग किया गया है, दोनों शब्द पर्यायवाची हैं।इसके अलावा, दोनों अनुच्छेद, संक्षेप में, संविधान के एक प्रावधान में संशोधन से संबंधित हैं।इसलिए जो मानक बनाए गए हैं

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक 'परिवर्तन' किया गया था, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक 'संशोधन' किया गया था।इसके बाद यह आकलन किया जाता है कि क्या कोई संवैधानिक आदेश अनुच्छेद 370 (3) के तहत 'संशोधन' के बराबर है और इसके परिणामस्वरूप, क्या अनुच्छेद 370 (1) के तहत या अनुच्छेद 370 (3) के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, यह पिछले पैराग्राफ में निर्धारित मानक पर निर्भर करता है।

IV. अनुच्छेद **367** के संशोधन की वैधता

382. कानून के प्रावधान का प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका रूप।दूसरे शब्दों में, यह वास्तव में जो करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह करता प्रतीत होता है, यदि अधिक नहीं।जबकि सी. ओ. 272 के पैराग्राफ 2 द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन पहली बार में

अनुच्छेद 367 का 'संशोधन' या संशोधन प्रतीत हो सकता है, इसका प्रभाव अनुच्छेद 370 में ही संशोधन करना है।पैराग्राफ 2 अनुच्छेद 370 में संशोधन को अनुच्छेद 367 में संशोधन या संशोधन की भाषा में जोड़ता है, लेकिन इसका वास्तविक महत्व अनुच्छेद 370 में संशोधन करना है।

383. सी. ओ. 272 का उद्देश्य अनुच्छेद 367 में खंड 4 जोड़ना है और यह परंतुक करता है कि अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में 'संविधान सभा' अभिव्यक्ति को 'विधान सभा' के रूप में पढ़ा जाएगा।' अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में कहा गया है कि खंड 2 में निर्दिष्ट संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक है।अनुच्छेद 370 का खंड 2 राज्य के संविधान को तैयार करने के उद्देश्य से संविधान सभा को संदर्भित करता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक उस विशिष्ट ग संविधान सभा को सिफारिश करने की शक्ति प्रदान करता है।सी. ओ. 272 भाषा को दो तरीकों से अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में बदल देता है।पहला, यह संविधान सभा से सिफारिश करने वाले निकाय को विधान सभा में बदल देता है और दूसरा, यह उस विशिष्ट सी संविधान सभा से भिन्न एक नई व्यवस्था करता है।384. ये दोनों परिवर्तन तुच्छ नहीं हैं क्योंकि वे एक विशेष प्रकार या प्रकार के निकाय को पूरी तरह से दूसरे प्रकार या प्रकार के साथ प्रतिस्थापित करके परंतुक के आवश्यक चरित्र को संशोधित करते हैं।संविधान सभा और विधान सभा के बीच असंख्य अंतर हैं।एक संविधान सभा को घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संविधान तैयार करने का काम सौंपा गया है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक व्युत्पन्न घटक शक्ति है-'व्युत्पन्न' क्योंकि यह संविधान में उत्पन्न होती है।ऐसा करने की जिम्मेदारी न सौंपे जाने के कारण, विधान सभा को संविधान सभा के बराबर नहीं माना जा सकता है।कानून और अन्य कानून (जो विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं) की तुलना संविधान से नहीं की जा सकती क्योंकि वे 227 में बनाए गए और अधिनियमित किए गए हैं।

विधायी शक्ति का प्रयोग।संविधान एक कठोर नियम या मूल कानून है, जिससे अन्य सभी कानून अपनी वैधता और वैधता प्राप्त करते हैं।वास्तव में, विधान सभा स्वयं संविधान के अनुसार काम करने के लिए गठित और विवश है और उससे बाध्य है।यह एक संविधान सभा के बारे में सच नहीं है, जिसके पास संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र शासन है।जैसा कि विद्वान मार्टिन लॉफलिन लिखते हैं, "घटक शक्ति प्रकृति के किसी कानून के अनुसार काम करने वाले राष्ट्र की अभिव्यक्ति नहीं है; यह एक आधुनिक अवधारणा है जो राजनीतिक आचरण के विकसित उपदेशों को व्यक्त करती है जो संविधान में जीवन की सांस लेते हैं।" 267

385. जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के पास धारा 147 के तहत जम्मू और कश्मीर के संविधान में संशोधन करने की शक्ति होने के बावजूद यह सच है।संविधान बनाने की पूर्ण शक्ति और संविधान में संशोधन करने की शक्ति के बीच के अंतर को इस न्यायालय ने आई. आर.

कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ टी. एन.:268

“54. … पूर्ण कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया संविधान का कोई भी प्रावधान अधिकार से बाहर नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान के बाहर ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके द्वारा संविधान के प्रावधान की वैधता पर निर्णय लिया जा सके।संशोधन की शक्ति को संविधान बनाने की ऐसी शक्ति के बराबर नहीं ठहराया जा सकता है।संशोधन की शक्ति संविधान के भीतर होनी चाहिए न कि इसके बाहर।”

386. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 269 में इस न्यायालय ने

घटक शक्ति का अर्थः“48. जब घटक शक्ति शक्तियों का प्रयोग करती है तो घटक शक्ति में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां शामिल होती हैं।संविधान के माध्यम से सभी शक्तियां विभिन्न विभागों या प्रमुखों को घटक शक्ति से प्राप्त होती हैं।घटक प्राधिकारी के हाथों में शक्तियों का कोई सीमांकन नहीं है।यह तभी होता है जब घटक प्राधिकरण अधिकारियों की अवहेलना करता है या उन क्षेत्रों का सीमांकन करता है जिन पर शक्ति के पृथक्करण पर चर्चा की जाती है।घटक शक्ति के सिद्धांत से स्वतंत्र है

267 मार्टिन लॉफलिन, माइकल डब्ल्यू. डाउडल और माइकल ए. में 'घटक शक्ति पर'।

विल्किंसन (संस्करण) उदारवाद से परे संविधानवाद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस,

2017

268 (2007) 2 एस. सी. सी. 1 269 1975 पूरक एस. सी. सी. 1

शक्तियों का पृथक्करण।घटक शक्ति संप्रभु है।यह वह शक्ति है जो अंगों का निर्माण करती है और शक्तियों का वितरण करती है।

49. घटक शक्ति सुई जेनरिस है।यह विधायी शक्ति से अलग है।असीमित कानून बनाने की शक्ति की स्थिति कानूनी संप्रभुता की कसौटी है।घटक शक्ति संप्रभु है क्योंकि संविधान का स्वामित्व घटक शक्ति से है।”

387. एक संविधान, जो मूल कानून है, तैयार करने में संविधान सभाएं शासन के तरीके और तंत्र, लोगों के अधिकारों, राज्य शक्ति पर प्रतिबंधों, विभिन्न संस्थानों के कामकाज के दायरे, राज्य की कार्रवाई की वैधता के लिए मापदंड और अन्य मामलों पर विचार-विमर्श और निर्धारण करती हैं, जो सभी राष्ट्र या घटक इकाई (यानी राज्य) के लिए इसकी दृष्टि और मिशन के केंद्र में जाते हैं।एक संविधान सभा वह नींव रखती है जिस पर आने वाले युगों के लिए सरकार का निर्माण किया जाएगा। इसके विपरीत, विधान सभा कानूनों, नियमों और विनियमों से संबंधित है जिनके द्वारा यह वास्तविक समय में समाज में विकास का जवाब देती है।यह राज्य के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से

संबंधित है, जो एक संविधान सभा द्वारा जिम्मेदार चिंताओं के सापेक्ष अल्पकालिक चिंताएं हैं।इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका भी समान नहीं है।

388. संविधान का अनुच्छेद 366 संविधान में उपयोग किए गए वाक्यांशों की अवहेलना करता है।ये परिभाषाएँ तब तक लागू होंगी जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो।संविधान के अनुच्छेद 367 (1) में कहा गया है कि जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, तब तक सामान्य खंड अधिनियम 1897 अनुच्छेद 372 के तहत किए गए किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन होगा जो संविधान की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत डोमिनियन के विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।अनुच्छेद 372 (2) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कानून लाने के लिए संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू किसी भी कानून के अनुकूलन और संशोधन करने का आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।अनुच्छेद 367 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल या संसद के किसी अधिनियम के संदर्भ का "अर्थ" इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसमें अनुच्छेद 223 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल और अनुच्छेद 123 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा किए गए अध्यादेश का संदर्भ शामिल है।अनुच्छेद 367 का खंड 2 केवल अनुच्छेद 123 और 233 में कानून की स्थिति को दोहराता है कि एक अध्यादेश का बल और प्रभाव अधिनियम 229 के समान होगा।

विधानमंडल द्वारा पारित।अनुच्छेद 367 के खंड 3 में कहा गया है कि संविधान के उद्देश्य के लिए "विदेशी राज्य" का अर्थ भारत के अलावा कोई भी राज्य है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 366 और 367 दोनों "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो" वाक्यांश से शुरू होते हैं।इस वाक्यांश को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 366 और सामान्य खंड अधिनियम में प्रदान की गई सामान्य परिभाषाओं को संवैधानिक प्रावधान को अनुचित नहीं बनाना चाहिए या प्रावधान के उद्देश्य को ही नहीं बदलना चाहिए।यह स्वयं संकेत है कि न तो व्याख्या खंड और न ही परिभाषा खंड का उपयोग संविधान के किसी भी प्रावधान को पर्याप्त रूप से बदलने के लिए किया जा सकता है।

389. यह एक साधारण कानून है कि विधायी निकायों पर किसी 'व्याख्या' खंड में किसी शब्द या शब्द की अवहेलना करने पर कोई रोक नहीं है, जो कि कुल मिलाकर 270 है, जैसे कि इस शब्द को बढ़ाया या संकुचित किया जाता है या अन्यथा इसे अधिक सार्थक बनाने या क़ानून के उद्देश्य को कम करने के लिए एक कृत्रिम प्रक्षेपण दिया जाता है।271 एक संविधान सभा और एक विधान सभा के बीच मौलिक अंतर अनुच्छेद 367 के संशोधन को अनुच्छेद 370 (3) का एक संशोधन बनाता है, जिसका एक प्रभाव है जो सराहनीय और ठोस है।अनुच्छेद 370 के परंतुक के आवश्यक चरित्र को बदलने के लिए अंतर एक परिमाण का है।जबकि 'व्याख्या' खंड का उपयोग किसी विशेष शब्द को अस्वीकार करने या अर्थ देने के लिए किया जा सकता है, इसे इसके संशोधन के लिए निर्धारित

विशिष्ट सी प्रक्रिया को दरकिनार करके किसी प्रावधान में संशोधन करने के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है।यह संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया होने के उद्देश्य को विफल कर देगा।

390. परिवेष्टित तरीके से संशोधनों की अनुमति देने का परिणाम विनाशकारी होगा।संविधान के कई प्रावधान उन संशोधनों के लिए अतिसंवेदनशील होंगे जो अनुच्छेद 368 या अन्य प्रावधानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बचते हैं।उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 243 डी, 243 टी, 330 और 332 क्रमशः पंचायतों, नगर पालिकाओं, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।इनमें से प्रत्येक प्रावधान आरक्षण निर्धारित करते समय "होगा" शब्द का उपयोग करता है।यह प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति का संकेत है।अनुच्छेद 341 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें इन उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति माना जाएगा।

270 किशन लाल बनाम राजस्थान राज्य, 1990 पूरक एस. सी. सी. 742; फिरोज एन. दोतीवाला बनाम पी. एम. वाधवानी, (2003) 1 एस. सी. सी. 433

271 सीआईटी बनाम सुंदरम स्पिनिंग मिल्स, (2000) 1 एससीसी 466

संविधान से।सैद्धांतिक रूप से, क्या एक सार्वजनिक अधिसूचना पर विचार किया जा सकता है जो सभी जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके भीतर के कुछ हिस्सों या समूहों को अनुसूचित जातियों की सूची से हटा देती है?इसका परिणाम यह होगा कि संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जाति नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अनुच्छेद 243 डी, 243 टी, 330 और 332 के जनादेश को समाप्त कर दिया जाएगा।इसलिए, उस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करके संशोधन नहीं किए जा सकते हैं।

391. माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

भारत संघ 272 इस व्याख्या का समर्थन करता है।संविधान के अनुच्छेद 291 में कहा गया है कि जहां संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी भारतीय राज्य के शासक द्वारा की गई किसी वाचा या समझौते के तहत, भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा राज्य के किसी भी शासक को कर मुक्त राशि के भुगतान की गारंटी या आश्वासन दिया गया है, तो ऐसी राशि होगीः

क. संचित निधि पर प्रभारित और उससे भुगतान किया गया; और ख. आय पर सभी करों से मुक्त होगा।

392. अनुच्छेद 366 (21) जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था और सातवें संशोधन द्वारा इसे हटाने से पहले 'राजप्रमुख' अभिव्यक्ति की अवज्ञा थीः“(21) ''राजप्रमुख' का अर्थ है -

(क) हैदराबाद राज्य के संबंध में, वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए हैदराबाद के निजाम के रूप में मान्यता दी गई है; (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के संबंध में, वह व्यक्ति जिसे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में मान्यता दी गई है; और

(ग) पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट किसी अन्य राज्य के संबंध में, वह व्यक्ति जिसे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में मान्यता दी गई है, और उक्त राज्यों में से किसी के संबंध में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के संबंध में राजप्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता दी गई है।

272 (1971) 1 एस. सी. सी. 85 331

393. 1956 में राज्यों के पुनर्गठन और भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्यों में राज्यों के वर्गीकरण को हटाने के साथ, यह परिभाषा अप्रचलित हो गई और इसे हटा दिया गया।अनुच्छेद 366 के खंड (22) में किसी भारतीय राज्य के संबंध में 'शासक' शब्द का अर्थ राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति है जिसके द्वारा अनुच्छेद 291 (1) में निर्दिष्ट वाचा या समझौता किया गया था और जिसे कुछ समय के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई थी।यह अवज्ञा किसी भी व्यक्ति को दी जाती थी जिसे राष्ट्रपति द्वारा शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाती थी।394. 1971 में अनुच्छेद 362 के निरस्त होने से पहले, 273 में यह प्रावधान किया गया था कि कानून बनाने या अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते समय, संसद और संघ और राज्यों को किसी भारतीय राज्य के शासक के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के संबंध में अनुच्छेद 291 के खंड (1) के तहत किसी वाचा के तहत दी गई गारंटी या आश्वासन का उचित सम्मान करना होगा।प्रिवी पर्स और भारतीय राज्यों के शासकों के विशेषाधिकार 6 सितंबर 1970 तक जारी रहे। प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए चौबीसवां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। जबकि लोकसभा ने विधेयक को दो तिहाई बहुमत के साथ पारित कर दिया, राज्यसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका।जब प्रिवी पर्स को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पारित होने में विफल रहा, तो राष्ट्रपति ने 6 सितंबर 1970 को भारतीय राज्यों के सभी शासकों की मान्यता वापस लेने का आदेश जारी किया।इसने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं को जन्म दिया।395. मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए भारत संघ की इस दलील को खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 363 में निहित बाधाओं को देखते हुए याचिकाएं विफल होनी चाहिए।ऐसा इसलिए था क्योंकि याचिकाओं में पूर्ववर्ती शासकों द्वारा किए गए समझौतों और समझौतों से संबंधित संविधान के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई थी।अनुच्छेद 291 के प्रावधानों का निर्माण करते हुए, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 291 का तत्काल और प्रमुख उद्देश्य प्रिवी पर्स का भुगतान सुनिश्चित करना, उनसे समेकित निधि के तहत शुल्क लेना और उन्हें आय पर करों से मुक्त करना था।जिसे लागू करने की मांग की गई थी, वह उन उपकरणों या समझौतों की वाचा नहीं थी

जो डोमिनियन द्वारा शासकों के साथ किए गए थे, बल्कि अनुच्छेद 291 का जनादेश था।राष्ट्रपति के आदेशों को अधिकार से बाहर माना जाता था।जे. सी. शाह, जे. ने अभिनिर्धारित किया कि प्रावधानों के अनुसार

273 संविधान (छत्तीसवाँ) संशोधन अधिनियम, 1971

अनुच्छेद 366 (22), 291 और 362 में अधिनियमित, शासकों के विशेषाधिकारों को संवैधानिक योजना का एक अभिन्न अंग बनाया गया था, जिसके द्वारा ऐतिहासिक कारणों से नागरिकों के एक वर्ग को विशेष विशेषाधिकार दिए गए थे।विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित विद्वान कि इन विशेषाधिकारों को केवल अनुच्छेद 366 (22) के तहत मान्यता वापस लेने की शक्ति का प्रयोग करके मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जा सकता है।अनुच्छेद 291 को प्रिवी पर्स का भुगतान करने के लिए संघ के दायित्व को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े ने कहा कि अनुच्छेद 291,362 और 366 (22) को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करने के विधेयक के विफल होने के बाद अनुच्छेद 366 (22) के तहत शक्ति का उपयोग संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित विद्वान कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 366 (22) के तहत शक्ति का सहारा लेकर संविधान के प्रावधानों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है।

396. रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत संघ 274 में संविधान पीठ का निर्णय 26 वें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से उत्पन्न हुआ।275 संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया और एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 363 ए, जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप शासकों को दी गई मान्यता से वंचित किया गया, प्रिवी पर्स के उन्मूलन की घोषणा की गई, और प्रिवी पर्स के संबंध में अधिकारों और दायित्वों को समाप्त कर दिया गया।

397. माधव राव सिंधिया (उपरोक्त) में पहले के फैसले को स्वीकार करते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि प्रिवी पर्स का भुगतान करने की बाध्यता संविधान से उत्पन्न होती है, न कि उन समझौतों और समझौतों में जो पूर्ववर्ती शासकों द्वारा निष्पादित किए गए थे।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के तहत दी गई गारंटी और आश्वासन उनके परिग्रहण से संबंधित दस्तावेजों से स्वतंत्र थे। इसलिए, अनुच्छेद 291 और 362 के लागू होने के बाद, समझौतों और समझौतों का कोई अस्तित्व नहीं था और न ही उनसे कोई बाध्यता उत्पन्न हुई थी।इस तर्क को खारिज करते हुए कि प्रिवी पर्स संवैधानिक संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है ताकि मूल संरचना का एक हिस्सा हो, न्यायालय ने माना कि प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों और अधिकारों का स्थायी प्रतिधारण संप्रभु और गणराज्य सरकार के साथ असंगत होगा।" संविधान

274 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 191

275 संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1971 233

पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रिवी पर्स का अनुदान भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा संप्रभुता के समर्पण के लिए विचार था।एल. एम. शर्मा, जे. ने कहाः

“97. एक गंभीर तर्क दिया गया है कि प्रिवी पर्स भारतीय राज्यों के शासकों के लिए अपने क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता और अधिकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक न्यायसंगत लाभ था और एकीकरण के लिए यह कदम एक सकारात्मक आशाजनक नोट पर शुरू हुआ लेकिन यह जल्द ही पैंतरेबाज़ी के खेल में बदल गया, संभवतः एक भ्रामक योजना या कार्रवाई के रूप में।गंभीर प्रतिज्ञाओं को तोड़ने और प्रतिज्ञा के उल्लंघन के आधार पर यह तर्क अधिक जांच के दायरे में नहीं आ सकता है।यह कहना कि स्वैच्छिक विलय के बिना, भारत यानी भारत मूल रूप से उस भारत से अलग होता जो विलय से पहले अस्तित्व में आया था, यह बहुत कम अकल्पनीय है. एकीकरण अन्यथा भी प्राप्त किया जा सकता था।इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि न तो शासकों के प्रति उनकी घृणा के कारण और न ही किसी विदेशी घृणा के कारण, भारत सरकार ने एकीकरण के विचार को स्वीकार किया, बल्कि लोगों की इच्छा के कारण।यह राज्यों के लोग थे जिन्होंने मूल रूप से भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”398. न्यायालय ने कहा कि "एकजुट भारत में शामिल होने के प्रति राजकुमारों का रवैया प्रतिरोध, अनिच्छा और उच्च सौदेबाजी का था और यह राज्यों के लोग थे जिन्होंने उन्हें नए संयुक्त भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया।” दूसरे शब्दों में, राज्य "स्वतंत्र थे लेकिन अंदर और बाहर दोनों ओर से तनाव और तनाव के कारण स्थिर नहीं थे।” एकीकरण और लोकतंत्रीकरण (या संघीकरण, जैसा कि सरदार पटेल ने इसे कहा था) की प्रक्रिया के माध्यम से, कई ताकतों-राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक, और राज्यों के भीतर लोकतांत्रिक आंदोलन ने एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी।अनुच्छेद 291 और 362 को हटाने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं हुआ।एस. मोहन, जे. ने कहा कि हालांकि माधव राव सिंधिया (उपरोक्त) में, अनुच्छेद 291 और 366 (22) को "संविधान का अभिन्न अंग" माना गया था, जे. सी. शाह, जे. के फैसले में यह बयान स्वयं उन अनुच्छेदों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं बनाता है।मोहन, जे. ने अभिनिर्धारित कियाः

“198. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की एकता और अखंडता बुनियादी आधार होगी।

केशवानंद भारती मामले में निर्धारित संरचना [केशवानंद]

भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225] लेकिन यह बहुत दूर की बात है।

यह कहने का दावा कि इन अनुच्छेदों में गारंटी और आश्वासन देश के एकीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया में चले गए हैं।इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह लोगों की इच्छा

और समान नागरिकों के रूप में स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र हवा में सांस लेने का आग्रह था जो इन रियासतों के विलय के बारे में लाया।इसलिए, यह तर्क कि अनुच्छेद 291 और 362 ने भारत की जैविक एकता को सुगम बनाया, अस्वीकार्य है।"

399. (माधव राव सिंधिया (ऊपर) में 11-न्यायाधीशों की पीठ और रघुनाथराव गणपतराव (ऊपर) में संविधान पीठ के) दो निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, उन सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक हैंः

ए। पूर्ववर्ती भारतीय राज्यों के शासकों के लिए प्रिवी पर्स की गारंटी, जिन्होंने संघ में प्रवेश किया था या संघ के साथ विलय किया था, संविधान के पाठ (अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 366 (22)) से उत्पन्न हुई थी, न कि भारत डोमिनियन के साथ शासकों द्वारा किए गए संविधान को अपनाने से पहले के समझौतों से;बी। जब तक अनुच्छेद 291 बना रहा, तब तक शासकों की मान्यता रद्द करने के कार्यकारी अधिनियम द्वारा प्रिवी पर्स को निरस्त नहीं किया जा सका।

ग. एक बार जब संविधान में स्वयं संशोधन किया गया ताकि पूर्ववर्ती शासकों की प्रिवी पर्स प्राप्त करने की पात्रता और प्रिवी पर्स का भुगतान करने के लिए संघ के संबंधित दायित्व को समाप्त किया जा सके, तो अनुच्छेद 291 में सन्निहित अधिकार और दायित्व दोनों समाप्त हो गए।

घ. प्रिवी पर्स के भुगतान को भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों द्वारा संप्रभुता के आत्मसमर्पण के लिए एक-दूसरे के बदले या विचार के रूप में नहीं माना जा सकता था।भारत संघ में एकीकरण एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसे इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और भूगोल के साथ-साथ शासकों द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी तनावों और सबसे बढ़कर भारत संघ में हो रहे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने आकार दिया था।

ङ. अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 366 (22) संविधान की बुनियादी विशेषताओं का हिस्सा नहीं थे। माधव राव जीवाजी राव 235 में जे. सी. शाह, जे.

सिंधिया (ऊपर) ने माना कि ये अनुच्छेद संविधान का एक "अभिन्न अंग" थे।बुनियादी संरचना सिद्धांत के आधार पर परीक्षण किया गया

जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 276 में विकसित हुआ था।

यह निर्णय माधव राव सिंधिया (ऊपर) के बाद होने के कारण, संविधान पीठ ने रघुनाथराव गणपतराव (ऊपर) में निर्णय दिया कि उन टिप्पणियों को अनुच्छेद 291 और 366 (22) को बुनियादी विशेषताओं का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

च. एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 और 366 (22) को निरस्त करना उस राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था जो पूर्ववर्ती रियासतों के भारत संघ में एकीकरण के साथ शुरू हुई थी और निरसन का अंतिम कार्य उस राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था जिसे पूर्ववर्ती भारतीय

शासकों को दिए गए विशेषाधिकारों को समाप्त करके पर्याप्त समानता लाने के लिए बनाया गया था; और

छ. माधव राव सिंधिया (ऊपर) में निर्णय में कहा गया कि अनुच्छेद 291 के तहत गारंटी को भारतीय राज्यों के पूर्ववर्ती शासकों की मान्यता रद्द करने के केवल एक कार्यकारी अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है, रघुनाथराव गणपतराव (ऊपर) में बाद के निर्णय ने एक बार संवैधानिक संशोधन द्वारा समर्थित होने के बाद निरसन के अधिनियम को बरकरार रखा, जिसने प्रिवी पर्स के भुगतान के प्रावधानों को हटा दिया।

400. इन दोनों मामलों में निर्णयों की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि माधव राव सिंधिया (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 366 (22) के तहत शक्ति का उपयोग अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए संपार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।कानून की इस स्थिति को रघुनाथराव गणपतराव (ऊपर) ने कमजोर नहीं किया था।वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 370 (1) (सी) जिसे अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के सहपठित पढ़ा जाता है, एक प्रक्रिया प्रदान करता है जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को संशोधित किया जा सकता है।अनुच्छेद 370 (1) (डी) और 367 का उपयोग अनुच्छेद 370 को संशोधित करने या समाप्त करने के लिए एक संपार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

V. अनुच्छेद **367** को संशोधित करने वाले पिछले संवैधानिक आदेश

401. भारत संघ ने तर्क दिया कि सी. ओ. 272 अनुच्छेद 367 के माध्यम से अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए जारी किया गया पहला संवैधानिक आदेश नहीं था।यह.

276 (1973) 4 एससीसी 225

उन्होंने कहा कि इस तंत्र का अतीत में लगातार पालन किया गया है।निम्नलिखित संवैधानिक आदेश समय-समय पर जारी किए गए थे, जो अनुच्छेद 370 को संशोधित या परिवर्तित करते प्रतीत होते हैं:

ए। 1952 में जारी संवैधानिक आदेश 44,277;बी। 1954 में जारी संवैधानिक आदेश 48,278;ग. 1958 में जारी संवैधानिक आदेश 56,279 और घ.1965 में जारी संवैधानिक आदेश 74,280।

402. जिस तरह से इन संवैधानिक आदेशों ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की मांग की, वह सी. ओ. 272 के पैराग्राफ 2 की वैधता के बारे में इस अदालत की जांच के अनुरूप है।उन पर बारी-बारी से विचार किया जाता है।

403. सी. ओ. 44 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।प्रासंगिक भाग इस प्रकार है

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति,

जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा,

यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उक्त अनुच्छेद 370 17 नवंबर, 1952 से इस संशोधन के साथ लागू होगा कि इसके खंड (1) में "स्पष्टीकरण" के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्:-

“ स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार का अर्थ है उस व्यक्ति को जिसे राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो उस समय राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है।” (जोर दिया गया) 404।सी. ओ. 44 ने खंड (1) के उपखंड (बी) में स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करके अनुच्छेद 370 के अनुप्रयोग को संशोधित किया।विशेष रूप से, CO 44 था

277 “CO 44 '278 "CO 48' 279" CO 56 '280 "CO 74"

जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर जारी किया गया।उस समय संविधान सभा काम कर रही थी।इसे केवल 1957 में भंग कर दिया गया था और तब तक, अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक द्वारा विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता था (और किया जा सकता था)। इसलिए सी. ओ. 44 का संशोधन मान्य था और सी. ओ. 272 के पैराग्राफ 2 के साथ तुलनीय नहीं था। 405।राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सी. ओ. 48 जारी किया।इस संवैधानिक आदेश ने जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ संशोधनों के साथ भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया।संशोधनों में से एक को अनुच्छेद 367 में एक प्रावधान जोड़कर प्रभावी बनाने की मांग की गई थीः

“(14) भाग XIX।

…

(घ) अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:“(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है -

(क) इस संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों को संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो उक्त राज्य के संबंध में लागू होते हैं;

(ख) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें सदर-ए-रियासत के संदर्भ शामिल हैं जो उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं।

(ग) उच्च न्यायालय के संदर्भों में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के संदर्भ शामिल होंगे;

(घ) उक्त राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें उक्त राज्य की संविधान सभा के संदर्भ शामिल हैं।

(ङ) उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के संदर्भों का अर्थ उन व्यक्तियों के रूप में किया जाएगा, जिन्हें संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पहले राज्य में लागू कानूनों के तहत राज्य के विषयों के रूप में मान्यता दी गई थी या जिन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यता दी गई है; और

(च) राजप्रमुख के संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भों के रूप में माना जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा उस समय के लिए किसी भी व्यक्ति के संदर्भों को शामिल किया जाएगा जो सदर-ए-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है।"

406. सी. ओ. 48 और सी. ओ. 272 द्वारा उपयोग किया जाने वाला मार्ग समान है क्योंकि दोनों संवैधानिक आदेश जम्मू और कश्मीर राज्य में अपने आवेदन में अनुच्छेद 367 को संशोधित करते हैं।समानताएँ वहीं समाप्त हो जाती हैं।सी. ओ. 48 ने अनुच्छेद 367 में खंड (4) को जोड़ने के आधार पर जो परिवर्तन किए हैं, वे अनुच्छेद 370 के 'संशोधन' के बराबर नहीं हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवर्तन स्पष्टीकरणों की प्रकृति में हैंः

क. सी. ओ. 48 ने संविधान के बड़े हिस्सों को राज्य में लागू किया।हालांकि, काफी हिस्सा अप्रयोज्य बना रहा।इसलिए उपखंड (ए) ने लागू होने की सीमा को स्पष्ट किया और यह प्रावधान करके भ्रम को दूर किया कि संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों को संविधान के संदर्भों के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि यह राज्य पर लागू होता है;

ख. उपखंड (ख) ने केवल वही दोहराया जो सी. ओ. 44 द्वारा पहले ही हासिल किया जा चुका था, जो अनुच्छेद 370 (3) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता था।कानून पर इसका कोई प्रभाव नहीं था जैसा कि तब था।

ग. उपखंड (घ), जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य के विधानमंडल के संदर्भों को राज्य की संविधान सभा को शामिल करने के रूप में माना जाना था, इस तथ्य के कारण आवश्यक था कि बाद वाला राज्य के लिए एक विधानमंडल के रूप में कार्य करता था और कई कानूनों को अधिनियमित करता था।उनमें से कुछ इस प्रकार थेः

अधिनियम का नाम	अधिनियम सं।	वर्ष

अचल संपत्ति आवश्यकता आदेश (वैधता) अधिनियम, 2009	वी.	संवत, 2009
सब्जी बीज अधिनियम, 2009	बारहवीं	संवत, 2009

239

इन आरई:संविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 240

धूम्रपान निषेध (सिनेमा और थिएटर हॉल) अधिनियम, 2009	अठारवाँ	संवत, 2009
भूमि उपयोग अधिनियम, 2010	IV	संवत, 2010
शत्रु (प्रस्ताव की पुष्टि) अध्यादेश (निरसन) अधिनियम, 2011	III	संवत, 2011
आनंद विवाह अधिनियम, 2011	IX	संवत, 2011
नगर क्षेत्र अधिनियम, 2011	XVII	संवत, 2011
कहचरई अधिनियम, 2011	अठारवाँ	संवत, 2011
भूमि हस्तांतरण (वैध) अधिनियम, 2011	XXVI	संवत, 2011
ग्राम पंचायत (धारात का शुल्क) वैधीकरण अधिनियम, 2011	XXVII	संवत, 2011
अफीम धूम्रपान अधिनियम, 2011	XXXVII	संवत, 2011
प्राकृतिक आपदा विनाश क्षेत्र सुधार अधिनियम, 2011	XXXVIII	संवत, 2011

फार्मेसी अधिनियम, 2011	एलआईआईआई	संवत, 2011
पंजीकरण (प्रस्ताव हस्तांतरण का संशोधन और वैधता) अधिनियम, 1955	VI	1955
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955	IV	1955
विधान सभा (अध्यक्ष वेतन) अधिनियम, 1956	IV	1956
मंत्री और राज्य मंत्री वेतन अधिनियम, 1956	VI	1956

प्रतिभागी		
आदतन अंतहीन (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956	XI	1956
पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1956	बारहवीं	1956

लोक सेवक (संदेह निवारण और अधिकारों की घोषणा) अधिनियम, 1956	XIV	1956
सरकारी कर्मचारी (निरोध में आयोजित) अधिनियम, 1956	XV	1956
कार्य पंजीकरण (वैधता) अधिनियम, 1956	XXI	1956
उपसभापति और उपसभापति वेतन अधिनियम, 1956	XXIV	1956
सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1956	XXIV	1956
चौकीदारी अधिनियम, 1956	XXXVII	1956
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	XXXVIII	1956
नर्स, मिडवाइफ और स्वास्थ्य आगंतुक पंजीकरण अधिनियम, 1956	एक्सएलआई	1956
ईसाई विवाह और तलाक अधिनियम, 1957	III	1957
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957	IV	1957
उप मंत्री वेतन और	VI	1957

भत्ता अधिनियम, 1957		
हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक-जहाज अधिनियम, 1957	VII	1957

407. कोई भी प्रावधान जो राज्य की विधान सभा को संदर्भित करता है, इसलिए उस संविधान सभा पर लागू होगा जो 1957 में इसके विघटन तक पूर्व के स्थान पर थी।जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को विधान सभा के रूप में माना जाता रहा और इसे सक्षम करने वाले प्रावधान को बाद में संविधान सभा के अस्तित्व के समाप्त होने के बाद 26 फरवरी 1958 को सी. ओ. 56 द्वारा हटा दिया गया था; और

घ. उपखंड (ग) और (ङ) ने भी कुछ शब्दों को उनकी मूल प्रकृति को संशोधित किए बिना दिए जाने वाले अर्थ को केवल स्पष्ट किया।

241

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 242

408. इसलिए, सी. ओ. 48 द्वारा अनुच्छेद 367 में किए गए संशोधन स्पष्टीकरण की प्रकृति के थे।वे अनुच्छेद 370 के संदर्भ में या प्रभावी रूप से, एक महत्वपूर्ण या सराहनीय सीमा तक संशोधन के बराबर नहीं थे।

409. भारत संघ ने सुझाव दिया कि उपखंड (डी) का सम्मिलन इस तथ्य का संकेत था कि 'विधान सभा' और 'संविधान सभा' शब्दों का पर्यायवाची रूप से उपयोग किया गया था।इसने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ में दोनों अंग समान थे।इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उपखंड (घ) को उस समय मौजूद परिस्थितियों को मान्यता देने के लिए जोड़ा गया था, अर्थात्, संविधान सभा ने विधान सभा के गठन से पहले राज्य के लिए कुछ कानून बनाए थे।यह इंगित नहीं करता है कि दोनों अंग एक दूसरे के बराबर थे।भले ही संविधान सभा ने कुछ समय के लिए विधानमंडल के कार्यों का निर्वहन किया हो, लेकिन इसकी भूमिका यहीं समाप्त नहीं हुई। संविधान तैयार करने का कार्य कानून बनाने के कार्य से अलग है।इस निर्णय के पूर्ववर्ती खंडों में दोनों निकायों के बीच अन्य अंतरों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

410. सी. ओ. 56 ने सी. ओ. 48 को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शब्दों में "राज्यपाल" शब्द के साथ "राजप्रमुख" शब्द को प्रतिस्थापित करके संशोधित कियाः

“(ख) खंड (ग) को हटा दिया जाएगा और खंड (घ) को खंड (ग) के रूप में फिर से लिखा जाएगा;

(ग) अनुच्छेद 367 के नए खंड (4) में खंड (ग) में, जैसा कि इस प्रकार पुनर्लिखित किया गया है,-(i) उपखंड (घ) को हटा दिया जाएगा, और उपखंड (ङ) और (च) को क्रमशः उपखंड (घ) और (ङ) के रूप में पुनर्लिखित किया जाएगा।

((ख) उपखंड (ङ) में "राजप्रमुख" शब्द के स्थान पर "राज्यपाल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

411. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 ने 'राजप्रमुख' की स्थिति को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 'राज्यपाल' को पेश किया।ऊपर निकाले गए सी. ओ. 56 का हिस्सा, सी. ओ. 48 की तरह, उस समय मौजूद हवा की स्थिति को पहचानने के लिए पेश किया गया एक स्पष्टीकरणात्मक प्रावधान था।सी. ओ. 48 और सी. ओ. 56 दोनों ने उस समय मौजूद कानून को बदलने या संशोधित करने का प्रयास नहीं किया।बल्कि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाने के बाद भी कानून उसी तरीके से लागू होता रहेगा।इन्हें सबसे सटीक रूप से संविधान में परिणामी संशोधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसे मौजूदा स्थिति के अनुरूप लाते हैं।

412. सी. ओ. 74 ने अनुच्छेद 367 के खंड (4) के निम्नलिखित उपखंडों को प्रतिस्थापित करके दूसरी बार सी. ओ. 48 के पैराग्राफ 2 को संशोधित किया, जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता हैः

“((i) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्ः-

“((क) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ, जो उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है जो उस समय पद पर है, को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(ख) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैंः

…

((ख) उपखंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

(ई) राज्यपाल के संदर्भों में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल होंगेः

…” ”

413. इन प्रतिस्थापित खंडों के एक सादे पठन से यह स्पष्ट होता है कि सी. ओ. 74 का प्रभाव यह स्पष्ट करना था कि सदर-ए-रियासत के संदर्भों को राज्य के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर निवारक निरोध अधिनियम 1964 के तहत निवारक निरोध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका।जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 13 ए के तहत एक आदेश पारित किया कि याची को हिरासत के आधार का खुलासा करना जनहित के खिलाफ था।याचिका के समर्थन में जिन आधारों का आग्रह किया गया था, उनमें से एक यह था कि संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा निवारक पहचान अधिनियम में संशोधन किए गए थे।

281 (1972) 1 एससीसी 536 243

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 244

राज्य अमान्य था क्योंकि इसे सदर-ए-रियासत द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी।मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि सी. ओ. 44 को राष्ट्रपति द्वारा 16 नवंबर 1952 को जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 के तहत जारी किया गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 के उद्देश्यों के लिए एक स्पष्टीकरण पेश किया गया था।स्पष्टीकरण में कहा गया है कि राज्य सरकार का अर्थ है राज्य के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति।

414. अनुच्छेद 367 में खंड (4) जोड़ा गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि संविधान के उद्देश्य के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू होता है, राज्य सरकार के संदर्भों को उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने वाले सदर-ए-रियासत के संदर्भों को शामिल करने के रूप में माना जाएगा।इसके बाद 24 नवंबर 1965 को राष्ट्रपति ने राज्य सरकार की सहमति से सी. ओ. 74 जारी किया।इस संवैधानिक आदेश के तहत, राज्य को अपने आवेदन में अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया था ताकि यह प्रदान किया जा सके कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने वाले सदर-ए-रियासत के संदर्भों को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य कर रहे हैं।याची ने राज्यपाल द्वारा सदर-ए-रियासत के प्रतिस्थापन को इस आधार पर चुनौती दी कि यह अधिकार से बाहर है।चुनौती को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि एक विशेष समय पर राज्य सरकार क्या है, यह जम्मू-कश्मीर के संविधान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।स्पष्टीकरण ने संवैधानिक स्थिति को मान्यता देने के अलावा और कुछ नहीं किया क्योंकि यह उस तारीख को मौजूद थीः

“24. …हम उस स्थिति से चिंतित हैं जहां स्पष्टीकरण काम करना बंद कर दिया।इसका संचालन बंद हो गया था क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर में कोई सदर-ए-रियासत नहीं है।यदि स्पष्टीकरण में निहित अवज्ञा "राज्य सरकार" शब्दों पर लागू नहीं हो सकती है तो अनुच्छेद 367 (4) में दिया गया अर्थ, जैसा कि संशोधित किया गया है, उसे देना होगा।यदि यह अर्थ दिया जाता है, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल अनुच्छेद 370 में निर्धारित सहमति देने और जम्मू-कश्मीर संविधान द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों को करने में सक्षम हैं।”

415. इस न्यायालय ने माना कि राज्यपाल सदर-ए-रियासत का उत्तराधिकारी था और बाद वाला केवल राज्य के प्रमुख को दिया गया नाम था।यह पूरी तरह से उन कारणों को समाहित करता है जिनके लिए सी. ओ. 74 का अनुच्छेद 367 का संशोधन स्पष्टीकरणात्मक था।इसके अलावा, सी. ओ. 74 ने अनुच्छेद 370 को संदर्भ में या प्रभावी रूप से, एक महत्वपूर्ण या सराहनीय सीमा तक संशोधित नहीं किया।वास्तव में, दम्नू (ऊपर) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सी. ओ. 74 अनुच्छेद 370 (1) में "पिछले दरवाजे से" किए गए संशोधन के बराबर नहीं हैः

“28. श्री गर्ग ने हमारा ध्यान अनुच्छेद 367 (4) के खंड (एए) और (बी) की ओर आकर्षित किया, जैसा कि सीओ 74 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह पिछले दरवाजे से अनुच्छेद 370 (1) का संशोधन था और राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (1) के तहत इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, जबकि उन्होंने अनुच्छेद 370 (3) के तहत इन शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा नहीं किया था।लेकिन, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, स्पष्टीकरण अस्पष्ट हो गया था और संविधान के अन्य भागों में सदर-ए-रियासत के संदर्भ भी अस्पष्ट हो गए थे।दो विकल्प थे; पहला, या तो अदालतों को "राज्य की सरकार" शब्दों की व्याख्या करने के लिए छोड़ना और इसे इसका कानूनी अर्थ देना, या दूसरा, एक अवज्ञा खंड में कानूनी अर्थ देना।जो किया गया है वह यह है कि खंड (एए) और (बी) को जोड़कर एक अवज्ञा प्रदान की जाती है जो अदालतों ने किसी भी स्थिति में दी होगी।इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि पिछले दरवाजे से अनुच्छेद 370 (1) में कोई संशोधन किया गया है।

29. अगर हमने इसे अनुच्छेद 370 (1) में संशोधन के रूप में माना होता, तो हमें इस बात पर विचार करना पड़ता कि संशोधनकारी शक्तियों का वैध रूप से प्रयोग किया गया था या नहीं, लेकिन जैसा कि हमने कहा है, हम इस प्रश्न से चिंतित नहीं हैं।”

416. इसलिए, सी. ओ. 74 द्वारा किए गए परिवर्तन भी स्पष्ट और परिणामी प्रकृति के थे।उनके पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने का प्रभाव नहीं था। 417.कन्वेंशन निश्चित रूप से एक संवैधानिक आदेश सहित कानून के एक विवादित प्रावधान की कानूनी वैधता के रूप में इस न्यायालय के निर्णय के रास्ते में नहीं खड़ा है।हालाँकि, इस मामले में, चार संवैधानिक आदेशों में से तीन जो अतीत में जारी किए गए हैं और जो अनुच्छेद 367 को संशोधित करते हैं, वे अनुच्छेद 370 के संदर्भ में या प्रभावी रूप से, इस तरह से संशोधन के बराबर नहीं हैं जो सराहनीय या सार्थक नहीं है।ये हैं सीओ 48, सीओ 56 और सीओ 74।भारत संघ का यह तर्क कि ये संवैधानिक आदेश सीओ 272 की वैधता का संकेत हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।सीओ 44,245

जिसे अपनी भाषा में संशोधन करके अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के वैध प्रयोग में जारी किया गया था और इसलिए यह भारत संघ की सहायता के लिए नहीं आता है।

बी। अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करके जम्मू और कश्मीर में पूरे संविधान को लागू करना।

418. अनुच्छेद 370 (1) (सी) जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 1 और 370 के प्रावधानों को लागू करता है।अनुच्छेद 370 (1) (डी) राष्ट्रपति को "अपवादों और संशोधनों" के अधीन संविधान के "अन्य" प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सी. ओ. 272 जारी किया जिसके द्वारा संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू किए गए थे।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) केवल एक टुकड़ों में भोजन के दृष्टिकोण पर विचार करता है, जो कि संविधान के विशिष्ट सी प्रावधानों का अनुप्रयोग है और समग्र रूप से संविधान का अनुप्रयोग नहीं है।उनका तर्क है कि पूरे संविधान को केवल अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करके एक घोषणा जारी करके लागू किया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

419. हम याचिकाकर्ताओं के तर्क से सहमत नहीं हैं।अनुच्छेद 370 (1) (डी) में कहा गया है कि "ऐसे अन्य प्रावधान" लागू होंगे।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का उपयोग एक प्रावधान, एक से अधिक प्रावधान, संविधान के पूरे हिस्से या संविधान के सभी प्रावधानों (यानी पूरे संविधान) को लागू करने के लिए किया जा सकता है।यह प्रावधान संविधान के एक या सभी प्रावधानों के बीच अंतर नहीं करता है।बुद्धि का उपयोग न करने का दावा केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान आदेश जम्मू और कश्मीर में संविधान के सभी प्रावधानों को एक बार में लागू करता है।420. संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रभाव अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के समान है, जिसमें घोषणा की गई है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्योंकि जब अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो संविधान के सभी प्रावधान स्वचालित रूप से जम्मू और कश्मीर पर लागू होते हैं।हालाँकि, एक महत्वपूर्ण अंतर है। संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग प्रतिवर्ती और परिवर्तनीय है।अर्थात्, राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर में लागू होने वाले संविधान के कुछ प्रावधानों को हटाने या संशोधित करने के लिए एक और आदेश जारी कर सकते हैं।संपत प्रकाश (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति में धारा 21 के संदर्भ में आदेश को संशोधित या संशोधित करने की शक्ति शामिल है।

सामान्य खंड अधिनियम 1897।इस प्रकार, राज्य को संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने वाले अनुच्छेद 370 (1) (डी) को जारी करने वाले आदेश में संशोधन, निरसन या संशोधन किया जा सकता है।हालाँकि, अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग अपरिवर्तनीय है।एक बार जारी होने के बाद, राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो जाता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करके संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए, पूरे संविधान को लागू करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन विशेष प्रावधान को निरस्त नहीं किया जा रहा है। बाद के खंड में, हमने जम्मू और कश्मीर में संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए संवैधानिक आदेशों को स्पष्ट किया है ताकि इस बात को सामने लाया जा सके कि सीओ 273 एकीकरण की प्रक्रिया की पराकाष्ठा है।ये अवलोकन CO 272 जारी करने के लिए शक्ति के प्रयोग पर समान रूप से लागू होते हैं।

ग. अनुच्छेद 370 (1) (घ) के दूसरे परंतुक के तहत केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करना।

421. अनुच्छेद 370 (1) (डी) में कहा गया है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं कि अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा संविधान के कौन से प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे। अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि यदि परंतुक आई. ओ. ए. के मामलों से संबंधित नहीं है, तो राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से आदेश जारी करना चाहिए।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सी. ओ. 272 जारी किया जिसके द्वारा भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू किए गए थे।सी. ओ. का कहना है कि राष्ट्रपति ने "जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से" सी. ओ. जारी किया।अनुच्छेद 370 में राज्य सरकार वाक्यांश को सी. ओ. 1965 में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राज्यपाल के रूप में परिभाषित किया गया था।हालाँकि, यह राष्ट्रपति की सहमति थी क्योंकि राज्यपाल ने तब तक राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया था और 2018 की घोषणा द्वारा राष्ट्रपति ने "उक्त राज्य की सरकार के सभी कार्यों और संविधान के तहत उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों" को अपने हाथ में ले लिया था।याचिकाकर्ताओं ने सी. ओ. 272 को इस आधार पर चुनौती दी है कि केंद्र सरकार (राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य) सी. ओ. 272 जारी करने के लिए सहमति नहीं दे सकती थी।

422. घोषणा लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग की वैधता का परीक्षण करने के लिए ऊपर तैयार किए गए मानक को लागू करते हुए, याची 247

पहले यह साबित करना होगा कि सत्ता का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था।423. बिना किसी संशोधन या अपवाद के संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रभाव यह है कि समग्र रूप से संविधान जम्मू और कश्मीर पर अन्य राज्यों की तरह ही लागू होता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 ने पहली अनुसूची में जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों के बीच जो अंतर लाना चाहा था, वह अस्तित्व में नहीं रहेगा।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अनुच्छेद 370 (1) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने वाले आदेश में यह घोषणा करने का समान

प्रभाव है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

424. संविधान को अपनाने के समय अनुच्छेद 370 के स्पष्टीकरण में कहा गया था कि प्रावधान के उद्देश्यों के लिए राज्य के महाराजा राज्य की सरकार होंगे।राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 के स्पष्टीकरण में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सी. ओ. 44 जारी किया।अनुच्छेद 370 के संशोधित स्पष्टीकरण में राज्य सरकार का अर्थ सदर-ए-रियासत था।राष्ट्रपति ने तब अनुच्छेद 370 (1) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सी. ओ. 1965 जारी किया, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर में इसके अनुप्रयोग में अनुच्छेद 367 (व्याख्या प्रावधान) में संशोधन किया गया था।अनुच्छेद 367 में एक प्रावधान जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 370 के स्पष्टीकरण में सदर-ए-रियासत के संदर्भ का अर्थ राज्यपाल होगा।दमनू (ऊपर) में याचिकाकर्ताओं ने सी. ओ. को इस आधार पर चुनौती दी कि उसने अनुच्छेद 370 (3) के बजाय अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 में संशोधन किया।यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 370 को केवल अनुच्छेद 370 (3) के माध्यम से एक नई संविधान सभा का गठन करके या अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। 425।इस न्यायालय ने याची के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि स्पष्टीकरण केवल संवैधानिक स्थिति को मान्यता देता है क्योंकि यह राज्य में मौजूद है।इस न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल, सदर-ए-रियासत की तरह, राज्य का प्रमुख होता है और हालांकि राज्यपाल का चुनाव सदर-ए-रियासत की तरह नहीं किया जाता है, लेकिन वह राज्य सरकार की सहायता और सलाह के तहत शक्ति का प्रयोग करता है।इसलिए, "प्रतिनिधि सरकार का मौलिक चरित्र" नहीं बदला है।

426. दमनू (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का मौलिक चरित्र अनुच्छेद 370 (1) (डी) और 370 (1) (बी) के प्रावधानों को रेखांकित करता है, जिसके द्वारा संविधान के प्रावधानों को लागू करने से पहले राज्य सरकार की सहमति और परामर्श की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रपति राज्य में संघ की विधायी शक्तियों का विस्तार करने या जम्मू और कश्मीर में भारत के संविधान के प्रावधानों को लागू करने का आदेश जारी करते हैं।जैसा कि इस फैसले की पूर्ववर्ती धारा में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 370 (1) (बी) और 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल केंद्र और राज्य के बीच सहयोग से किया जा सकता है।शर्त जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है (संघीय इकाइयों और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच सहयोग) वह खो जाएगा यदि राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करते समय अपनी सहमति प्राप्त कर लेते हैं।

427. हालाँकि, वर्तमान मामले में, राष्ट्रपति द्वारा सी. ओ. 272 जारी करने के लिए राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार की सहमति लेना अमान्य नहीं है क्योंकिः

ए। अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति के प्रयोग के माध्यम से राज्य में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रभाव अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग के समान है जो यह अधिसूचित करता है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, सिवाय इस तथ्य के कि पहले वाले को उलट दिया जा सकता है जबकि बाद वाले को नहीं;

बी। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 (3) के तहत एकतरफा रूप से यह अधिसूचित करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

ग. दोनों इकाइयों के बीच परामर्श और सहयोग केवल तभी आवश्यक होगा जब भारतीय संविधान के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए राज्य के संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, परामर्श और सहयोग की आवश्यकताओं का उद्देश्य राज्य में शासन के सुचारू संचालन के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।घ. अनुच्छेद 370 (1) (घ) के प्रावधानों में अंतर्निहित परामर्श और सहयोग का सिद्धांत लागू नहीं होगा जहां प्रावधान का प्रभाव अनुच्छेद 370 (3) के समान है।चूंकि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति के प्रयोग के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रभाव अनुच्छेद 370 (3) के तहत अधिसूचना जारी करने के समान है कि अनुच्छेद 249

370 अस्तित्व में नहीं है, परामर्श और सहयोग के सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है;

ई. राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए सी. ओ. 272 जारी किया।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत राज्य सरकार की सहमति को पहले स्थान पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी; और

च. शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब शक्ति का प्रयोग धोखा देने के इरादे से किया जाता है।धोखे को केवल तभी साबित किया जा सकता है जब प्राधिकरण या निकाय के लिए अनुपलब्ध शक्ति का प्रयोग किया जाता है या यदि उपलब्ध शक्ति का अनुचित तरीके से प्रयोग किया जाता है।चूंकि राज्य में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति (राज्य सरकार की ओर से) भारत संघ की सहमति प्राप्त कर रहे हैं।

दुख की बात है।

428. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, जम्मू और कश्मीर में संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं थी।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सी. ओ.

272 जारी करने की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है।इस प्रकार, सी. ओ. 272 इस हद तक वैध है कि यह भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू करता है।

vii.सीओ 273 के लिए चुनौती

429. राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और संसद की सिफारिश पर घोषणा की कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।इस प्रावधान को एक खंड के साथ प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि समय-समय पर संशोधित संविधान के सभी प्रावधान, बिना किसी संशोधन या अपवाद के, भारत के संविधान या जम्मू और कश्मीर या किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।हमने निर्णय के पूर्ववर्ती खंड में कहा है कि राज्य की संविधान सभा को राज्य की विधान सभा के साथ सी. ओ. 272 द्वारा प्रतिस्थापित करना अमान्य है।भारत संघ ने एक वैकल्पिक तर्क दिया कि अनुच्छेद के तहत शक्ति

370(3) 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के बाद यह परंतुक से स्वतंत्र है।यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के प्रतिस्थापन की अयोग्यता सी. ओ. 273 के परंतुक के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी। 430।हमने इस निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में यह अभिनिर्धारित किया है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 (3) के तहत एकतरफा अधिसूचना जारी करने की शक्ति है जिसमें घोषणा की गई है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या यह इस तरह के संशोधनों के साथ मौजूद होगा और संविधान सभा का विघटन अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा धारण की गई शक्ति के दायरे को प्रभावित नहीं करता है।अगला मुद्दा जो इस न्यायालय के विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या सी. ओ. 273 जारी करने में अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग उचित था।राष्ट्रपति यह तय करते हुए कि क्या अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करता है कि क्या अनुच्छेद 370 के रूप में एक विशेष समाधान की आवश्यकता वाली विशेष परिस्थितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।यह एक नीतिगत निर्णय है जो पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में आता है।न्यायालय राष्ट्रपति के निर्णय की समीक्षा में नहीं बैठ सकता है कि क्या अनुच्छेद 370 के तहत व्यवस्था करने वाली विशेष परिस्थितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।हालाँकि, निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।यह एक स्थापित कानून है कि कार्यकारी शक्ति के प्रयोग को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह दुर्भावनापूर्ण है।

431. याचिकाकर्ताओं ने उन प्रश्नों का उल्लेख किया है जो अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के बाद संसद में पूछे गए थे कि क्या सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया था। 282 केंद्र सरकार ने संसद में उठाए गए प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।यह अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण, तर्कहीन और मन के उपयोग के बिना था।432. इस

स्तर पर, संविधान के प्रावधानों को लागू करने वाले अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए संवैधानिक आदेशों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

282 श्री प्रभात झा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर 26.6.2019 पर दिया गया; श्री संजय सेठी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर 10.7.2019 पर दिया गया; श्री जय प्रकाश द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर 23.7.2019 251 पर दिया गया।

433. 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1950 283 जारी किया।पैराग्राफ 2 से सीओ 10 में कहा गया है कि संसद जम्मू और कश्मीर के लिए सीओ की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून बना सकती है जो आईओए में निर्दिष्ट मामलों से मेल खाते हैं। पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा, दूसरी अनुसूची के प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर ऐसे संशोधनों और अपवादों के अधीन लागू होंगे जो विनिर्दिष्ट रूप से संशोधित किए गए हैं।सातवीं अनुसूची की सूची I में जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती थी, वे थे प्रविष्टि 1-6,9-22,25-31,41,72-77,80,93-96।अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किए गए संवैधानिक प्रावधान थेः

• भाग 5 [संघ],

• भाग 11 [संघ और राज्यों के बीच संबंध],• भाग बारहवाँ [वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे],• भाग XV [चुनाव],

• भाग XVI [कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान],• भाग XVII [आधिकारिक भाषा]

• भाग XIX [विविध],

• भाग XX [संविधान का संशोधन],

• भाग 21 [अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान],• भाग XXII [संक्षिप्त शीर्षक, शुरुआत, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन],

• पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और आठवीं अनुसूची।

434. 14 मई 1954 को राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 1954 284 जारी किया, जिसमें समय-समय पर संशोधित सी. ओ. 10 का स्थान लिया गया।अनुच्छेद 2 में संविधान के उन प्रावधानों को निर्धारित किया गया है जो

283 “सीओ 10 '284' सीओ 48 '

अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के अलावा जम्मू और कश्मीर राज्य में अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा।संविधान के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित परंतुक पेश किया गया थाः

“बशर्ते कि जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या उस राज्य के नाम या सीमा को बदलने का प्रावधान करने वाला कोई भी विधेयक उस राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा।”

435. सी. ओ. 48 ने अनुच्छेद 35 में संशोधन किया और निम्नलिखित शब्दों में संविधान में एक नए अनुच्छेद के रूप में अनुच्छेद 35 ए को पेश कियाः

“अनुच्छेद 35 में

संविधान के प्रारंभ के संदर्भों को इस आदेश के प्रारंभ के संदर्भों के रूप में माना जाएगा;

खंड (ए) (आई) में, "अनुच्छेद 16 का खंड (3), अनुच्छेद 32 का खंड (3)" शब्दों, उपबंधों और कोष्ठकों को हटा दिया जाएगा; और

खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः- “(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल द्वारा संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पहले या बाद में किए गए निवारक निरोध के संबंध में कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है, लेकिन ऐसी कोई भी कानून, ऐसी विसंगति की सीमा तक, उक्त आदेश के प्रारंभ से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगी, सिवाय उन चीजों के जो उसकी समाप्ति से पहले की गई या छोड़ी गई थीं।

अनुच्छेद 35 के बाद, निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः- “35 ए. स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों के संबंध में कानूनों की रक्षा-इस संविधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जम्मू और कश्मीर राज्य में कोई मौजूदा कानून लागू नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई कानून अधिनियमित नहीं किया गया है -

उन व्यक्तियों के वर्गों की अवहेलना करना जो जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे; या

ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार प्रदान करना और 253

विशेषाधिकार या अन्य व्यक्तियों पर राज्य सरकार के तहत रोजगार के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाना;

राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण; राज्य में निपटान; या

छात्रवृत्ति का अधिकार और सहायता के ऐसे अन्य रूप जो राज्य सरकार प्रदान करे।

यह इस आधार पर शून्य होगा कि यह इस भाग के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदान किए गए किसी भी अधिकार के साथ असंगत है या उसे छीनता है या कम करता है।"

सी. ओ. 48 ने निम्नलिखित शब्दों में संविधान के अनुच्छेद 367 में खंड (4) भी जोड़ाः

"(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है -

इस संविधान या उसके प्रावधान के संदर्भों को संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो उक्त राज्य के संबंध में लागू होते हैं।

न्यायालयउन्यायालयकन्यायालयन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयान्यायालयजन्यायालयन्यायालययन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयरन्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयदन्यायालयरन्यायालयन्यायालयभन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयइन्यायालयसन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयंन्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयरन्यायालयि
न्यायालयषन्यायालयदन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयलन्यायालयान्यायालयहन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयान्यायालयलन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयदन्यायालयरन्यायालय-न्यायालयएन्यायालय-
न्यायालयरन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालयसन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयदन्यायालयरन्यायालयन्यायालयभन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालयमन्यायालयान्यायालयनन्यायालयान्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालयएन्यायालयगन्यायालयान्यायालय।न्यायालय

उच्च न्यायालय के संदर्भों में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के संदर्भ शामिल होंगे।

उक्त राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें उक्त राज्य की संविधान सभा के संदर्भ शामिल हैं।

उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के संदर्भों का अर्थ उन व्यक्तियों के रूप में किया जाएगा, जिन्हें संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पहले राज्य में लागू कानूनों के तहत राज्य के विषयों के रूप में मान्यता दी गई थी या जिन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यता दी गई है; और राजप्रमुख के

संदर्भों का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए राज्य की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भों के रूप में किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर और सदर-ए-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होने के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति के संदर्भों को शामिल करना।"

436. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति को जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में निम्नलिखित परंतुक को शामिल करके संशोधित किया गया थाः

"बशर्ते कि ऐसा कोई भी संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अनुच्छेद 370 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू नहीं किया जाता है।"

437. सी. ओ. 48 ने संविधान के कुछ हिस्सों को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया, लेकिन अपवादों और संशोधनों के साथ।ये भाग थेः• भाग I

[संघ और उसका क्षेत्र**],**

• II.

[नागरिकता**],**

• III

[मौलिक अधिकार**],**

• वी.

[संघ**],**

• XI

[संघ और संघ के बीच संबंध

राज्य**],**

• बारहवीं

[वित्त**,** संपत्ति**,** अनुबंध और मुकदमे**],**

• XIII

[भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार**,** वाणिज्य और संपर्क**],**

• XIV

[संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ**],**

• XV

[चुनाव**],**

• XVI

[कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान**],**

• XVII

[आधिकारिक भाषा**],**

• अठारवाँ

[आपातकालीन प्रावधान**],**

• XIX

[विविध**],**

• XX

[संविधान का संशोधन**], 255**

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 256

• XXI

[अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान**],**

• XXII

[संक्षिप्त शीर्षक**,** शुरुआत**,**

हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन**],**

• पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची।

सी. ओ. 48 की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं थींः

ए। अनुच्छेद 7 के तहत स्थायी निवासियों के लिए एक अलग प्रावधान की शुरुआत;

बी। अनुच्छेद 15 (4) से अनुसूचित जनजातियों के संदर्भों को हटाना;

ग. कुछ संशोधनों के साथ अनुच्छेद 19,22,31,31 ए और 32 का अनुप्रयोग।सी. ओ. 48 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में खंड (7) को निम्नलिखित शब्दों में जोड़ा गया थाः

“(7) खंड (2), (3), (4) और (5) में आने वाले "उचित प्रतिबंध" शब्दों का अर्थ ऐसे प्रतिबंधों के रूप में किया जाएगा जो उपयुक्त विधानमंडल उचित समझता है।”438. सी. ओ. ने यह भी निर्दिष्ट किया कि सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III को हटा दिया जाएगा।सूची I के संबंध में, कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया (प्रविष्टियाँ 3,43,81,53,72 और 76) और हटा दिया गया (प्रविष्टियाँ 44,50,52,55,60,67,69,78,79 और 97)।सूची I की प्रविष्टि 97, जो संसद को सूची II या सूची III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है, जिसमें उन सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित कोई भी कर शामिल नहीं है, को हटा दिया गया था।

439. 16 जनवरी 1958 को राष्ट्रपति ने सी. ओ. 55 जारी किया ताकि अंतर-राज्यीय वाणिज्य के कराधान से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार किया जा सके।सी. ओ. 55 ने अनुच्छेद 269 और 286 के अनुप्रयोग को संशोधित किया और सातवीं अनुसूची में एक नई प्रविष्टि डाली।440. 26 फरवरी 1958 को, 15 फरवरी 1958 को लागू भारत का संविधान अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया गया था।संविधान के निम्नलिखित प्रावधान उपयुक्त संशोधनों के साथ जम्मू और कश्मीर पर भी लागू किए गए थेः

• अनुच्छेद 149,150 और 151 लागू किए गए थे [सीएजी, खातों के रूप और लेखा परीक्षा से संबंधित]

• अनुच्छेद 266 [समेकित निधियाँ],• अनुच्छेद 267 (2) [आकस्मिकता निधि],

• अनुच्छेद 273 [जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान],• अनुच्छेद 282 [राजस्व से अनुदान],

• अनुच्छेद 283 [आकस्मिक निधि से निकासी के लिए बनाया जाने वाला कानून],• अनुच्छेद 284 [लोक सेवकों और अदालतों के साथ जमा की अभिरक्षा],• अनुच्छेद 298 [व्यापार करने की शक्ति],

• अनुच्छेद 299 [राज्यपाल के नाम पर राज्य की संविदात्मक शक्तियाँ]• अनुच्छेद 300 (वाद और कार्यवाही) जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था।

• राज्य के तहत सेवाओं से संबंधित भाग XIV को उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू किया गया था।

• सातवीं अनुसूची की संघ सूची को निम्नानुसार संशोधित किया गया थाः“((i) प्रविष्टि 3 के लिए, प्रविष्टि '3।छावनी के प्रशासन को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

((ख) प्रविष्टि 8,9 और 34, प्रविष्टि 43 में 'सहित व्यापारिक निगम' शब्द, प्रविष्टि 44,50,52,55 और 60, प्रविष्टि 67 में 'और अभिलेख' शब्द, प्रविष्टि 69,78 और 79, प्रविष्टि 81 में 'अंतर-राज्यीय प्रवास' शब्द और प्रविष्टि 97 को हटा दिया जाएगा; और

(iii) प्रविष्टि 72 में, राज्यों के संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य का संदर्भ शामिल नहीं है।"441. सी. ओ. 56 को अनुच्छेद 367 के खंड 4 (डी) में हटा दिया गया है, जिसमें संविधान सभा के संदर्भ शामिल हैं।इस खंड को 1954 में जोड़ा गया था और जम्मू और कश्मीर संविधान को अपनाने के बाद इस खंड को हटा दिया गया था।9 फरवरी 1959 को, सी. ओ. 57, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था, ने संघ सूची की प्रविष्टि 69 (अफीम की खेती, निर्माण और निर्यात के लिए बिक्री) के प्रावधानों को संसद के लिए अपने विधायी क्षेत्र में उपलब्ध कराया।

257

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 258

442. 23 अप्रैल 1959 को, सी. ओ. 59 के परिणामस्वरूप, 1954 के सी. ओ. द्वारा बनाए गए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 35 (सी) के अपवादों और संशोधनों को एफ. आई. वी. से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया।20 जनवरी 1960 को, संविधान के भाग VI ("राज्यों") को उपयुक्त संशोधनों (अनुच्छेद 153-217,219,221,223 और 237 को छोड़कर) के साथ लागू किया गया था।सरदार-ए-रियासत की सिफारिश पर न्यायाधीशों के स्थानांतरण को सक्षम बनाने के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था।संविधान के अनुच्छेद 229 में एक नया खंड पेश किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य में या उससे स्थानांतरण सदर-ए-रियासत के परामर्श के बाद किया जाएगा।

443. 22 जून 1960 को, सातवीं अनुसूची (वजन और माप के मानकों की स्थापना) में संघ सूची की प्रविष्टि 50 संसद को उपलब्ध कराई गई थी।2 मई 1961 को, सी. ओ. 62 के परिणामस्वरूप, प्रविष्टि 50 ("उद्योग, जिनका संघ द्वारा नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया है") को जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद के विधायी क्षेत्र के भीतर लाया गया था।

444. 26 सितंबर 1963 को सी. ओ. 66 जारी किया गया था।संविधान का अनुच्छेद 246, जो मूल रूप से 1954 के सी. ओ. 48 के आधार पर एक खंड के साथ लागू होता था, इस संशोधन के साथ लागू किया गया था कि संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची में उन प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी जो जम्मू और कश्मीर पर लागू थीं।अनुच्छेद 254 को भी लागू किया गया था ताकि संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में राज्य के विधान के प्रतिकूल होने की स्थिति में संसदीय विधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की जा सके।सातवीं अनुसूची को निम्नलिखित शर्तों में कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया थाः

"(क) संघ सूची में -

(i) प्रविष्टि 3 के लिए, प्रविष्टि "3। छावनी के प्रशासन को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

((ii) प्रविष्टि 8,9 और 34, प्रविष्टि 43 में "व्यापारिक निगम" शब्द, प्रविष्टि 55 और 60, प्रविष्टि 67 में "और अभिलेख" शब्द, प्रविष्टि 78 और 79, प्रविष्टि 81 में "अंतर-राज्यीय प्रवास" शब्द और प्रविष्टि 97 को हटा दिया जाएगा।

((ग) प्रविष्टि 44 में, "लेकिन विश्वविद्यालयों को शामिल नहीं करते हुए" शब्दों के बाद, "जहां तक ऐसे निगम कानूनी और चिकित्सा व्यवसायों से संबंधित हैं" शब्द जोड़े जाएंगे और

((iv) प्रविष्टि 72 में, राज्यों के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ को छोड़कर नहीं हैं।

(ख) राज्य सूची को हटा दिया जाएगा।"

समवर्ती सूची को पहली बार निम्नलिखित रूप में लागू किया गया थाः

"(ग) समवर्ती सूची में -

(i) प्रविष्टि 26 के लिए, प्रविष्टि "26 कानूनी और चिकित्सा व्यवसाय।" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

((ii) प्रविष्टियाँ 1 से 25 (दोनों समावेशी) और प्रविष्टियाँ 27 से 44 (दोनों समावेशी) को हटा दिया जाएगा; और

(iii) प्रविष्टि 45 में, "सूची II या सूची III" शब्दों और शब्दों के स्थान पर "यह सूची" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

445. 6 मार्च 1964 को, सी. ओ. 69 जारी करके, सी. ओ. 48 और 59 द्वारा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 35 (सी) में किए गए अपवादों और संशोधनों को 10 से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। समवर्ती सूची में पहले निम्नलिखित प्रभाव वाले अधिनियम में परिवर्तन किए गए थेः

"(ग) समवर्ती सूची में।

(क) प्रविष्टि 1 के लिए, वह निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात्ः"1. आपराधिक विधि (सूची I में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में विधियों के विरुद्ध विधियों को छोड़कर और नागरिक शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बलों के उपयोग को छोड़कर) जहां तक ऐसी आपराधिक विधि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विधियों के विरुद्ध विधियों से संबंधित है।और सोने का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और मूल्य नियंत्रण।":

(ii) प्रविष्टि 24 में, शब्दों और प्रसूति लाभ के बाद, "केवल शीत-खनन उद्योग में नियोजित श्रम के संबंध में बार" शब्द जोड़े जाएंगे।

(iii) टॉर प्रविष्टि 26, प्रविष्टि "26। कानूनी और चिकित्सा व्यवसायों को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

((iv) प्रविष्टि 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि होगी, अर्थात्ः

259

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 260

“33. व्यापार और वाणिज्य, और उत्पादन।किसी भी उद्योग के उत्पादों की आपूर्ति और वितरण, जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग का नियंत्रण संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित किया जाता है, जनहित में समीचीन होगा, जहां तक कि ऐसा उद्योग सोने से संबंधित है, और उसी प्रकार की वस्तुओं का आयात किया जाता है जैसे कि ऐसे उत्पाद।”; (v) प्रविष्टि 34 के लिए, प्रविष्टि "34। सोने का मूल्य नियंत्रण।” प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(vi) प्रविष्टियाँ 2 से 23 (दोनों सम्मिलित)।प्रविष्टि 25, प्रविष्टियाँ 27 से 32 (दोनों सहित) और प्रविष्टियाँ 35 से 44 (दोनों सहित) को हटा दिया जाएगा; और (vii) प्रविष्टि 45 में, "सूची I या सूची III" शब्दों और प्रमाणों के लिए, "इस सूची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।”

446. 2 अक्टूबर 1964 को सी. ओ. 70 के परिणामस्वरूप संघ सूची और समवर्ती सूची में और प्रविष्टियां लागू की गईं।संघ सूची में, प्रविष्टि 55 (खदानों और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का विनियमन) और प्रविष्टि 60 (प्रदर्शनी के लिए सिनेमाटोग्राफ शुल्क की मंजूरी) को लागू किया गया था।समवर्ती सूची में, प्रविष्टि 1 को प्रतिस्थापित किया गया था ताकि पढ़ा जा सकेः

“आपराधिक कानून (सूची I में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ प्रावधानों को छोड़कर और नागरिक शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बलों के उपयोग को छोड़कर) जहां तक ऐसी आपराधिक कानून इस सूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ प्रावधानों से संबंधित है "प्रविष्टि 30 को" जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित जन्म और मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों "के रूप में पढ़ने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।प्रविष्टियाँ 25 (शिक्षा), 39 (समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय) समवर्ती सूची में उपलब्ध हो गईं।

447. 21 नवंबर 1964 को सी. ओ. 71 द्वारा 1954 के सी. ओ. 48 में संशोधन किया गया था। परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 356 को संशोधित रूप में लागू किया गया था ताकि संविधान के संदर्भों में जम्मू और कश्मीर का संविधान शामिल हो।

448. 10 अप्रैल 1965 को, विधानसभा ने जम्मू और कश्मीर के संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम 1965 को पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप "सदर-ए-रियासत" और "प्रधानमंत्री" शब्द का प्रयोग किया गया।

राज्य के संविधान में मंत्री के स्थान पर "राज्यपाल" और "मुख्यमंत्री" शब्द रखे जाने थे।

449. 17 मई 1965 को सी. ओ. 72 द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रयोज्यता में और बदलाव किए गए।नतीजतन, संघ सूची में अतिरिक्त प्रविष्टियाँः प्रविष्टि 43, (बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगमों सहित व्यापारिक निगमों का समावेश, विनियमन और समापन, लेकिन सहकारी समितियों सहित नहीं) और प्रविष्टि 78 (उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन; उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्ति) संघ सूची में संसद के लिए उपलब्ध हो गए।समवर्ती सूची में प्रविष्टियाँ 33,285 और 34,286 बिना किसी संशोधन के संसद के विधायी क्षेत्र के भीतर उपलब्ध हो गईं।प्रविष्टियाँ 4,287,11,288 और 35,289 लागू की गईं।

450. 24 नवंबर 1966 को सी. ओ. 74 जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 20 जून 1964 को लागू संविधान को अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया गया था।संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुप्रयोग को संशोधित किया गया था ताकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करते समय राज्यपाल के साथ परामर्श का प्रावधान किया जा सके।सी. ओ. 74 ने सी. ओ. 48 के अनुप्रयोग को संशोधित किया, जहाँ तक अनुच्छेद 367 (4) का संबंध था ताकि निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया जा सकेः

“(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है -

285 33.व्यापार और वाणिज्य, और उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, -

(क) किसी भी उद्योग के उत्पाद जहां संघ द्वारा ऐसे उद्योग के नियंत्रण को संसद द्वारा कानून द्वारा जनहित में समीचीन घोषित किया जाता है, और ऐसे उत्पादों के समान ही आयातित वस्तुएं;

(ख) खाद्य तेलहन और तेलों सहित खाद्य पदार्थ;

(ग) पशुओं का चारा, जिसमें तेल केक और अन्य सांद्र पदार्थ शामिल हैं;

(घ) कच्चा कपास, चाहे वह जालीदार हो या बिना जालीदार, और कपास के बीज; और (ङ) कच्चा जूट।

286 मूल्य नियंत्रण।

287 कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में निर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध के अधीन व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाना।

288 प्रशासक-जनरल और आधिकारिक न्यासी।

289 उन सिद्धांतों सहित यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहन जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है।

(क) इस संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों को संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो उक्त राज्य के संबंध में लागू होते हैं;

((क) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए जम्मू और कश्मीर की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ, जो कुछ समय के लिए आधिकारिक रूप से राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, का अर्थ जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में किया जाएगा; (ख) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का अर्थ यह किया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं।

बशर्ते कि 10 अप्रैल, 1955 से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में, ऐसे संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले सदर-ए-रियासत के संदर्भ शामिल हैं; (ग) उच्च न्यायालय के संदर्भों में जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के संदर्भ शामिल होंगे;

(घ) उक्त राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें उक्त राज्य की संविधान सभा के संदर्भ शामिल हैं।

(घ) उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के संदर्भों का अर्थ उन व्यक्तियों के रूप में किया जाएगा, जिन्हें संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पहले राज्य में लागू कानूनों के तहत राज्य के विषयों के रूप में मान्यता दी गई थी या जिन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यता दी गई है; और

(ई) राजप्रमुख राज्यपाल के संदर्भों में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल होंगेः

बशर्ते कि 10 अप्रैल, 1555 से पहले की किसी भी अवधि के संबंध में, ऐसे संदर्भों का अर्थ राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में और राष्ट्रपति द्वारा सदर-ए-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होने के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।”

संघ सूची में, प्रविष्टि 44,290 संसद को उपलब्ध कराई गई थी।समवर्ती सूची में प्रविष्टियाँ 24,291 और 26,292 लागू की गई थीं।

29 जून 1966 को, सी. ओ. 75 जारी किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सीटों के परिसीमन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 81 को लागू करने का प्रावधान किया गया था।अनुच्छेद 81 के प्रावधानों को निम्नलिखित खंड को शामिल करके संशोधित किया गया थाः

“अनुच्छेद 81 में खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्ः-

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए -

लोक सभा में राज्य को छह सीटें आवंटित की जाएंगी; राज्य को परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत गठित परिसीमन आयोग द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार एकल-सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जो आयोग को उचित लगे।

निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ तक संभव हो, भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करने में भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा।

जिन निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य विभाजित है, उनमें पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र शामिल नहीं होगा; और

जब तक मौजूदा लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता, तब तक उस सदन में राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल की सिफारिश पर की जाएगी।" 13 फरवरी 1967 को, सी. ओ. 76 के जारी होने के परिणामस्वरूप 19 वें संशोधन के बाद लागू संविधान को उपयुक्त अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया गया था।5 मई 1967 को इस संबंध में कुछ आकस्मिक परिवर्तन किए गए थे।

290 निगमों का निगमन, विनियमन और समापन, चाहे वे व्यापार कर रहे हों या नहीं, जिसका उद्देश्य किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन जिसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।

291 श्रम कल्याण जिसमें कार्य की शर्तें, भविष्य निधि, नियोक्ता का दायित्व, श्रमिकों का मुआवजा, अयोग्यता और वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं।292 कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय।

सातवीं अनुसूची की प्रयोज्यता के लिए जिसके संदर्भ में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19-293 लागू की गई थी।11 अगस्त 1967 को, सी. ओ. 79 जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 21 वें संशोधन के बाद लागू संविधान को उपयुक्त अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया गया था।

451. 26 दिसंबर 1967 को समवर्ती सूची की प्रविष्टियां 16,294 और 18,295 सी. ओ. 80 द्वारा लागू की गईं और 9 फरवरी 1968 को संघ सूची की प्रविष्टि 72 को 1954 के सी. ओ. 48 से इसके आवेदन में संशोधित किया गया।17 फरवरी 1969 को, सी. ओ. 85 ने संविधान के अनुच्छेद 248 के प्रावधानों को एक प्रतिस्थापित रूप में लागू किया, जिससे संसद को निम्नलिखित क्षेत्र में कानून बनाने की विशेष शक्ति मिलीः

"248. विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ।- संसद के पास भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या बाधित करने या भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से को संघ से अलग करने या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने की दिशा में निर्देशित गतिविधियों की रोकथाम के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है।"

इसलिए उपरोक्त सी. ओ. ने संसद को भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित क्षेत्र में कानून बनाने के लिए अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कीं।"

452. 31 मार्च 1969 को, सी. ओ. 86 ने सी. ओ. 48 और 59 द्वारा अनुच्छेद 19 और 35 सी में किए गए अपवादों और संशोधनों को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया।24 अगस्त 1971 को, सीओ 89 के परिणामस्वरूप, संविधान में 21 वां संशोधन और 23 वें संशोधन की धारा 5 लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 3 को हटा दिया गया था और भाग VI को उपयुक्त संशोधन 296 के साथ लागू किया गया था।8 नवंबर 1971 को, सीओ 90 के परिणामस्वरूप समवर्ती सूची और प्रविष्टि 43 297 में एक मामूली बदलाव किया गया था।उस पर

293 अफीम के संबंध में सूची I की प्रविष्टि 59 के प्रावधानों के अधीन मादक पदार्थ और जहर।

294 पागलपन और मानसिक अवज्ञा, जिसमें पागलों और मानसिक अवज्ञाओं के स्वागत या उपचार के लिए स्थान शामिल हैं।

295 खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट।

296 अनुच्छेद 153-217,219,221,223,224,224A, 225,227-237 को हटा दिया गया था।

297 करों और अन्य सार्वजनिक मांगों के संबंध में दावों की राज्य में वसूली, जिसमें भूमि-राजस्व की बकाया राशि और उस राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाली बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य राशि शामिल है।

29 नवंबर 1971 में संविधान में 24 वां संशोधन सी. ओ. 91 द्वारा लागू किया गया था।

453. 24 फरवरी 1972 को, सीओ 92 के परिणामस्वरूप, संघ सूची की प्रविष्टि 60 298 लागू की गई थी।6 मई 1972 को, सी. ओ. 93 के जारी होने पर, संविधान के अनुच्छेद 248 का दायरा बढ़ाया गया था ताकि संसद को विशेष रूप से समुद्र या हवाई यात्रा, अंतर्देशीय हवाई यात्रा, डाक वस्तुओं, जिसमें मनी ऑर्डर, फोनोग्राम और तार 299 शामिल हैं, पर कर लगाने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाया जा सके।परिणामस्वरूप प्रविष्टि 97, संघ सूची में अवशिष्ट प्रविष्टि को संशोधित प्रारूप 300 में लागू किया गया था।

454. 1972 में जारी सी. ओ. 94 के परिणामस्वरूप, 26 वें संशोधन तक संविधान में संशोधन लागू किए गए।कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 290 लागू किया गया था।समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2 (आपराधिक कानून), प्रविष्टि 12 (साक्ष्य) और प्रविष्टि 13 (सिविल प्रक्रिया) के आवेदन में कुछ बदलाव किए गए थे।

455. 10 अगस्त 1972 को कार्बन डाइऑक्साइड 95 के परिणामस्वरूप, संघ सूची 301 की प्रविष्टि 67 को बिना किसी संशोधन के लागू किया गया था जबकि प्रविष्टि 36 (कारखाने), 40

298 प्रदर्शनी के लिए सिनेमाटोग्राफ को मंजूरी।299 सी. ओ. 93 द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 248 निम्नानुसार हैः

248. विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ-संसद को निम्नलिखित के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य शक्ति है -

(क) भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या उसे बाधित करने या भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से या भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से को संघ से हटाने या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने की दिशा में निर्देशित गतिविधियों की रोकथाम; और

(ख) इन पर कर -

(i) समुद्र या हवाई मार्ग से विदेश यात्रा;

((ii) अंतर्देशीय हवाई यात्रा।

(iii) धन आदेश, फोनोग्राम और तार सहित डाक लेख।

300 भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करने, सवाल करने या बाधित करने या भारत के क्षेत्र के किसी हिस्से को संघ से अलग करने या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान का अपमान करने की दिशा में निर्देशित गतिविधियों की रोकथाम और यह संविधान समुद्र या हवाई मार्ग से विदेशी यात्रा, या अंतर्देशीय हवाई यात्रा और धन आदेश, फोनोग्राम और तार सहित डाक वस्तुओं पर कर लगाता है।

301 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख, और पुरातात्विक स्थल और अवशेष, (संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत घोषित) राष्ट्रीय महत्व के हैं।

(संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत घोषित किए गए पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के अलावा 42 (संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण) को संशोधन के साथ लागू किया गया था।

456. 1 मई 1974 को सीओ 97 के परिणामस्वरूप, सी. ओ. 48 और 59 द्वारा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 35 सी में किए गए अपवादों और संशोधनों को बीस से बढ़ाकर पच्चीस वर्ष कर दिया गया। 26 जून 1974 को सी. ओ. 98 के परिणामस्वरूप, 26 वां संशोधन और 30 वें और 31 वें संवैधानिक संशोधनों की धारा 2 लागू की गई।परिसीमन के संबंध में प्रावधानों को अद्यतन किया गया।

457. 1954 के सी. ओ. 48 द्वारा अपने आवेदन में आपातकाल की घोषणा से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों को 29 जून 1975 को सी. ओ. 100 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि पूर्व कार्योत्तर अनुरोध या सहमति का प्रावधान किया जा सके।सी. ओ. 101 द्वारा, जो 23 जुलाई 1975 को जारी किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुप्रयोग को जम्मू और कश्मीर के संविधान में सेवा की शर्तों और राज्यपाल के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति और भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण के संबंध में राज्य विधानसभा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधित किया गया था।सी. ओ. 103, जो 2 मार्च 1976 को जारी किया गया था और सी. ओ. 104, जो 25 मई 1976 को जारी किया गया था, द्वारा संविधान के 26 वें, 30 वें, 31 वें, 33 वें और 38 वें संशोधनों को निर्दिष्ट संस्करण के रूप में लागू करने के लिए प्रावधान किए गए थे।

458. 12 अक्टूबर 1976 को सीओ 105 के जारी होने पर, 26 वें, 30 वें, 31 वें, 33 वें, 38 वें और 39 वें संशोधनों को लागू किया गया था।

302 सी. ओ. 101 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 का खंड 4 निम्नानुसार हैः(4) जम्मू और कश्मीर राज्य के विधानमंडल द्वारा जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी भी प्रावधान में या उसके प्रभाव में कोई बदलाव करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है -

(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य, कर्तव्य, परिलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार या उन्मुक्ति; या

(ख) भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण, बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में शामिल करने की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद की संरचना जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 138,139,140 और 50 में निर्दिष्ट मामले हैं।

जब तक ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने के बाद उसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

निर्दिष्ट संस्करण के रूप में हद तक परिकल्पित।31 दिसंबर 1976 को सी. ओ. 106 द्वारा नौवीं अनुसूची में संशोधन किया गया था।31 दिसंबर 1977 को सी. ओ. 108 के परिणामस्वरूप, 25 वें संशोधन की धारा 2 और 40 वें संशोधन को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया गया था।

459. 4 जून 1985 को सी. ओ. 122 के परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होने वाले संविधान के अनुच्छेद 248 को संसद को आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कानून बनाने का अधिकार देकर संशोधित किया गया था और राज्य पर लागू होने वाली संघ सूची में संशोधन किया गया था ताकि संसद को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सके। संघ सूची की प्रविष्टि 97 में भी इसी तरह के बदलाव किए गए थे।समवर्ती सूची की प्रविष्टियाँ 2 (आपराधिक कानून) और 12 (साक्ष्य) को संशोधनों के साथ लागू किया गया था।

460. 4 दिसंबर 1985 को, सी. ओ. 124 जारी किया गया था जिसके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 339 और 342 को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया गया था ताकि राष्ट्रपति को राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक आयोग नियुक्त करने और अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने की अनुमति मिल सके।

461. राज्यपाल शासन के प्रचलन के दौरान, अनुच्छेद 249 के संशोधित अनुप्रयोग का प्रावधान करने के लिए 30 जुलाई 1986 को सीओ 129 जारी किया गया था।संशोधन के संदर्भ में, यह परिकल्पना की गई थी कि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करके संसद को "प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है जो एक ऐसा मामला है जो संघ सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध नहीं है"।नतीजतन, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी जो अन्यथा राज्य विधानमंडल की एकमात्र क्षमता के तहत होता।

462. दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को 20 जनवरी 1989 को सी. ओ. 136 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित किया गया था।मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करने

वाले 61 वें संवैधानिक संशोधन को 25 जुलाई 1989 को सी. ओ. 141 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित किया गया था।

463. 6 जुलाई 2017 को, सी. ओ. 269 ने जम्मू और कश्मीर राज्य के कर प्रशासन को वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के साथ सुसंगत बनाया जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में प्रचलित था। परिणामस्वरूप, 267 की प्रविष्टि 82

संघ सूची 303 को संशोधनों के साथ लागू किया गया था।सी. ओ. 269, जम्मू और कश्मीर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश 2017 और एकीकृत और वस्तु और सेवा कर 304 (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार) अध्यादेश 2017 के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर में सी. जी. एस. टी. 305, एस. जी. एस. टी. 306 और आई. जी. एस. टी. 307 व्यवस्था लागू हुई।

464. 1950 में अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जारी पहले संविधान आदेश के बाद से, राष्ट्रपति ने चालीस से अधिक बार संविधान आदेश जारी करने की शक्ति का उपयोग किया है।जैसा कि भारत का संविधान सी. ओ. 272 जारी होने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता था, संविधान के निम्नलिखित भाग या प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थेः

ए। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित भाग IV;बी। राज्यों की कार्यकारी शक्ति, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 153 से लेकरग. जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति और उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद 214 से 217,219,221,223 से 225;

आई. अनुसूची 1 के भाग बी में राज्यों से संबंधित भाग VII;ii. केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग VIII;

iii.भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है; और iv.पाँचवीं और छठी अनुसूची।

465. संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने और संशोधन के साथ प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए कई संवैधानिक आदेशों से संकेत मिलता है कि पिछले सत्तर वर्षों के दौरान, केंद्र और राज्य ने एक सहयोगी अभ्यास के माध्यम से राज्य को संवैधानिक रूप से संघ के साथ एकीकृत किया है।यह ऐसा मामला नहीं है जहां संविधान के केवल अनुच्छेद 1 और 370 को लागू किया गया था।

303 कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर।

304 आईजीएसटी

305 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर-307 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

307 एकीकृत और वस्तु एवं सेवा कर

जम्मू और कश्मीर राज्य और अचानक सत्तर वर्षों के बाद पूरे संविधान को लागू किया जा रहा था। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया जारी थी।अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की पराकाष्ठा है।इस प्रकार, हमें यह विश्वास नहीं है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था।

viii.जम्मू और कश्मीर के संविधान की स्थिति

466. सी. ओ. एस. 272 और 273 को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के संविधान की स्थिति और प्रयोज्यता को निर्धारित करना आवश्यक है।जम्मू और कश्मीर राज्य के पास संप्रभुता है या नहीं, इस पर निर्णय के खंड में, इस न्यायालय ने भारत के संविधान और जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधानों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जम्मू और कश्मीर राज्य पहले वाले के अधीन है।

467. सी. ओ. 272 के पैराग्राफ 2 में निर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान के प्रावधान (समय-समय पर संशोधित) जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे।निर्णय के पूर्ववर्ती खंडों में, इस न्यायालय ने सी. ओ. 272 के पैराग्राफ 2 के उस हिस्से को रद्द कर दिया है जो अनुच्छेद 367 में संशोधन को निर्दिष्ट करके अनुच्छेद 370 में संशोधन करना चाहता है।हालाँकि, यह माना गया कि भारत के पूरे संविधान का राज्य पर लागू होना शक्ति का एक वैध प्रयोग है।सी. ओ. 272 जारी होने के एक दिन बाद सी. ओ. 273 जारी किया गया था।इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड निम्नलिखित को छोड़कर लागू नहीं होंगेः

“370. इस संविधान के सभी प्रावधान**,** जैसा कि समय**-**समय पर संशोधित किया जाता है**,** बिना किसी संशोधन या अपवाद के**,** जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।

अनुच्छेद **152** या अनुच्छेद **308** या किसी अन्य अनुच्छेद में निहित इसके विपरीत

इस संविधान का या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का

जम्मू और कश्मीर या कोई कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग जो भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखता है, या कोई अन्य साधन, संधि या समझौता जैसा कि अनुच्छेद 363 या अन्यथा के तहत परिकल्पित है।”

(जोर दिया गया) 468।जबकि अनुच्छेद 370 के संशोधित संस्करण ने प्रदान किया कि सभी 269

भारत के संविधान के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, सी. ओ. 272 पहले ही इसे पूरा कर चुका था।नए प्रावधान ने सी. ओ. 272 को दोहराया और स्पष्ट किया कि संविधान कुछ प्रावधानों के बावजूद लागू होगा जो अन्यथा सुझाए गए होंगे।इस न्यायालय ने सी. ओ. 273 की वैधता को बरकरार रखा है।विशेष रूप से, अनुच्छेद 370 (जैसा कि अब है) में प्रावधान है कि भारत का संविधान राज्य पर लागू होगाः ए। बिना किसी संशोधन और अपवाद के;

बी। अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या भारतीय संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद में निहित किसी भी विपरीत चीज़ के बावजूद;

ग. जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी विपरीत चीज़ के बावजूद; और

घ. किसी भी कानून, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या भारत के क्षेत्र में कानून के बल वाले उपयोग, या किसी अन्य साधन, संधि या समझौते में निहित किसी भी विपरीत चीज़ के बावजूद, जैसा कि अनुच्छेद 363 या अन्यथा के तहत परिकल्पित है।

यह शर्त कि भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर के संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद राज्य पर लागू होगा, सार्थक नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि यह भारत का संविधान है जो राज्य में शासन के हर पहलू के संबंध में सर्वोच्च शासी दस्तावेज है।469. भारत का संविधान संवैधानिक शासन के लिए एक पूर्ण संहिता है।यह संघ और राज्यों के स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की स्थापना और दायरे का प्रावधान करता है।यह मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन करता है। यह वित्त और संपत्ति के पहलुओं को नियंत्रित करता है और लोक सेवा आयोगों के लिए प्रावधान करता है।देश और सभी राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं।जम्मू और कश्मीर राज्य में पूरे संविधान के लागू होने पर, जम्मू और कश्मीर भी उसी तरीके से शासित होने के लिए उत्तरदायी है।

470. जम्मू और कश्मीर का संविधान, हालांकि भारत के संविधान के अधीन है, शासन के इनमें से कई पहलुओं के लिए प्रदान किया गया है।यह अनुच्छेद 370 के कारण आवश्यक हो गया था जिसके संदर्भ में इसे कुछ हिस्सों में लागू करना था और

धीरे-धीरे राज्य में।भारत के संविधान के कुछ हिस्सों को लागू न करने से जो खामियां बची हैं, उन्हें राज्य के संविधान द्वारा दूर किया गया था।अनुच्छेद 370 के निरस्त होने (जैसा कि यह सी. ओ. 272 और सी. ओ. 273 जारी करने से पहले था) और राज्य में भारत के संविधान की संपूर्णता के लागू होने के बाद, राज्य का संविधान किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है या किसी भी कार्य को

पूरा नहीं करता है।इसलिए, भारत के संविधान को पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने का अंतर्निहित लेकिन आवश्यक परिणाम यह है कि राज्य का संविधान निष्क्रिय है।

ix.471 मूल आधारों पर पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती।संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू किया।इस अधिनियम को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।पुनर्गठन अधिनियम के भाग 2 में जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया है-308 विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर।309 पूर्व के क्षेत्रों में कारगिल और लेह शामिल हैं जबकि उत्तर के क्षेत्रों में कारगिल और लेह के अलावा अन्य क्षेत्र शामिल हैं। 310 पुनर्गठन अधिनियम की धारा 103 राष्ट्रपति को कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का आदेश जारी करने का अधिकार देती है।इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (विभिन्न संस्कृतियों को हटाना) दूसरा आदेश 2019 जारी किया जिसमें कहा गया है कि लेह जिले के क्षेत्र में गिलगित, गिलगित वज़ारत, चिलास, आदिवासी क्षेत्र और कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर 'लेह और लद्दाख' शामिल हैं।” 311

472. पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को याचिकाकर्ताओं की चुनौती निम्नलिखित आधारों पर हैः

ए। पुनर्गठन अधिनियम अनुच्छेद 3 में पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना अधिनियमित किया गया था; और

बी। अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के चरित्र को पूरी तरह से समाप्त करने का अधिकार नहीं देता है।

308 धारा 3, पुनर्गठन अधिनियम

309 धारा 4, पुनर्गठन अधिनियम 310 धारा 3,4 पुनर्गठन अधिनियम

311 धारा 2, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (विभिन्न संप्रदायों को हटाना) दूसरा आदेश 2019 271

जवाब में, भारत संघ ने तर्क दिया कि यह न्यायालय अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति के प्रयोग की वांछनीयता की जांच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण नहीं है क्योंकि प्रशासनिक और अन्य विचारों का संसद के निर्णय पर असर पड़ता है।भारत संघ ने यह भी प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता पैदा करने वाली सामग्री या परिस्थितियों की पर्याप्तता न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।अंत में, इसने प्रस्तुत किया कि संसद के पास एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की शक्ति है।

473. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों के लिए इस न्यायालय से (ए) अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्तियों के दायरे पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है; और (बी) क्या अनुच्छेद 3 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया गया था।नीचे दिए गए अनुभागों में हमने कुछ पहलुओं पर प्रकाश

डाला है जिन्हें अनुच्छेद 3 के तहत शक्तियों के दायरे का निर्धारण करते समय न्यायालयों पर विचार करना चाहिए।

ए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक इतिहास और अनुच्छेद 3 के अस्तित्व का कारण

474. जब संविधान को अपनाया गया था, तो देश में घटक राजनीतिक इकाइयों में विभिन्न प्रकार के राज्य शामिल थे (भले ही अलग-अलग संरचनाओं, शक्तियों और केंद्र सरकार के साथ संबंधों के साथ), न कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, जैसा कि अब हम उन्हें समझते हैं।उस समय भारत में संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्य शामिल थे।भाग ए राज्यों में पूर्व राज्यपालों के प्रांत (स्वतंत्रता से पहले) और कुछ रियासतें शामिल थीं।पूर्ववर्ती निर्वाचित विधायी निकायों के साथ-साथ एक राज्यपाल द्वारा शासित थे।भाग बी राज्यों में बड़े पैमाने पर पूर्व रियासतें शामिल थीं और निर्वाचित विधायी निकायों और राजप्रमुख द्वारा शासित थीं। भाग सी राज्य पहले मुख्य आयुक्तों के प्रांत 312 (और कुछ रियासतें) थे जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होते थे।इसके अतिरिक्त, अकेले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पहली अनुसूची के भाग डी में स्थान मिला।केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल इस क्षेत्र के प्रशासन की देखरेख करता था।

475. स्पष्ट रूप से, स्वतंत्रता के समय देश में घटक इकाइयों के संवैधानिक वर्गीकरण ने उनके वर्गीकरण को प्रतिबिंबित किया

312 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत

औपनिवेशिक शक्ति।यह एक स्थायी विशेषता होने का इरादा नहीं था।तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 3 का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना था जो स्थानीय जनता की जरूरतों के अनुकूल थी और जो औपनिवेशिक सरकार की समीचीनता के बजाय प्रशासनिक, सांस्कृतिक, भाषाई, वित्तीय और अन्य प्रासंगिक विचारों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित थी।313 संविधान सभा इस बात से भी अवगत थी कि कुछ रियासतों को अभी तक देश में एकीकृत नहीं किया गया है और समाज के कुछ वर्ग भाषा के आधार पर राज्यों के संगठन की मांग करते हैं। इसलिए अनुच्छेद 3 ने संसद को नवगठित देश की घटक इकाइयों को पुनर्गठित करने का अधिकार दिया।

476. राज्यों के संगठन के लिए शाही आधार के प्रति सचेत और भाषाई आधार पर राज्यों के संगठन की बढ़ती मांग को देखते हुए, केंद्र सरकार ने जनमत का आकलन करने और घटक राजनीतिक इकाइयों को तर्कसंगत बनाने के तरीके का आकलन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग 314 को नियुक्त किया।आयोग का गठन निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया थाः

"...समस्या की स्थितियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौजूदा स्थिति और उस पर सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कारकों के प्रभाव की जांच करें।वे इस तरह के पुनर्गठन से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।सरकार उम्मीद करती है कि आयोग, पहली बार में, विवरण में नहीं जाएगा, बल्कि उन व्यापक सिद्धांतों के संबंध में सिफारिशें करेगा जो इस समस्या के समाधान को नियंत्रित करना चाहिए और यदि वे चुनते हैं, तो किस व्यापक रेखा पर विशेष राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और सरकार के विचार के लिए अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।" 315

477. आयोग ने सभी राज्यों की जनता के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।यह पाया गया कि

313 के. टी. शाह का भाषण, संविधान सभा की बहस, खंड 7,17 नवंबर 1948 देखें-"हम सभी जानते हैं कि मौजूदा इकाइयाँ जो इस संघ को बनाती हैं, वे अपने आप में समान नहीं हैं, वे तर्कसंगत नहीं हैं, देश या यहां तक कि क्षेत्रों के विकास के लिए खुशी से निर्मित नहीं हैं।यह आवश्यक है, और इसे जल्द ही किसी न किसी रूप में लागू करना होगा, कि इन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाए।इसका मतलब यह होगा कि उनकी सीमाओं, शायद उनके नाम और उनके क्षेत्रों को ऊपर या नीचे की ओर बदला जा सकता है।

314 "आयोग "

315 गृह मंत्रालय का 29 दिसंबर 1953 का प्रस्ताव, 273

उस समय राज्यों का सीमांकन लगभग पूरी तरह से औपनिवेशिक हितों पर आधारित थाः

"इसलिए, प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्रों के सीमांकन के पीछे एक सचेत या जानबूझकर योजना थी, यह शाही हितों या विदेशी सरकार की आवश्यकताओं पर आधारित थी, न कि लोगों की वास्तविक जरूरतों, इच्छाओं या आत्मीयताओं पर।" 316

478. राज्यों के सीमांकन के अपने विश्लेषण के आधार पर आयोग ने पाया कि उन राज्यों के बीच अंतर जो उस समय मौजूद थे, बनाए नहीं रखा जा सकता था।आयोग ने सिफारिश की कि -

ए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो सभी प्रासंगिक कारकों (और न केवल भाषा या संस्कृति) के लिए जिम्मेदार हो।

बी। भाग ए राज्य और भाग बी राज्य समान दर्जे के होंगे।

ग. भाग ग राज्यों का निकटवर्ती राज्यों के साथ विलय किया जाए या केंद्र सरकार द्वारा अस्थायी नियंत्रण के साथ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में बनाए रखा जाए; और

घ. कुल मिलाकर, देश की घटक इकाइयों में 'राज्य' और 'क्षेत्र' शामिल होने चाहिए, जिसमें बाद वाला केंद्र द्वारा प्रशासित होना चाहिए।317

479. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 ने पहली अनुसूची में संशोधन किया और देश में घटक इकाइयों के वर्गीकरण में संशोधन किया, जो मुख्य रूप से आयोग द्वारा की गई सिफारिशों

के अनुसार था।इसने राज्यों के बीच के अंतर को हटा दिया।वर्तमान में, प्रशासनिक या संघीय इकाइयों में केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।संविधान में इस संशोधन के अनुसरण में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया था।इसने क्षेत्रीय परिवर्तनों और नए राज्यों के गठन के साथ-साथ इन परिवर्तनों से जुड़े या आकस्मिक अन्य मामलों के लिए प्रावधान किया।

बी। अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति की रूपरेखा

316 पैराग्राफ 20, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955

317 सारांश और निष्कर्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955

480. उन सिद्धांतों का प्रचार करना आवश्यक है जो सामान्य रूप से संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद 3 को सक्रिय करते हैं और संविधान सभा राज्य पर बहस करती है।

I. संघवाद**,** प्रतिनिधि लोकतंत्र और राज्यों का महत्व

481. लोकतंत्र और संघवाद संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं।'संघीय' शब्द का उपयोग केंद्र या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को इंगित करने के लिए किया जाता है।यद्यपि संवैधानिक संरचना में कुछ 'एकात्मक' विशेषताएँ मौजूद हैं जिनके संदर्भ में केंद्र सरकार के पास कुछ स्थितियों में प्रबल शक्तियाँ हैं, संविधान द्वारा परिकल्पित सरकारों के रूप में संघीय तत्वों का अस्तित्व राजनीति की आधारशिला है।इस व्यवस्था को अर्ध-संघीय, असममित संघवाद या सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया है।इस न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित संघवाद की प्रकृति की व्यापक चर्चा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।फैसलों

इस न्यायालय ने बोम्मई (उपर्युक्त), कुलदिप नायर बनाम भारत संघ, 318 राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम भारत संघ, 319 और स्वराज अभियान (5) बनाम संघ में

भारत 320 में संविधान में सन्निहित संघवाद के सिद्धांतों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।

482. राज्य न तो केंद्र सरकार से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और न ही वे संविधान की संरचना के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं।संविधान के भाग 5 में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार की संरचना, कार्यों और शक्तियों का प्रावधान है।भाग VI अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों की संरचना, कार्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है।संविधान सभा की बहसों से पता चलता है कि हमारे संविधान की संघीय प्रकृति को इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता था।डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहाः

“… प्रस्तावित संविधान के तहत दोहरी राजनीति में केंद्र में संघ और परिधि में राज्य शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक को संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र में क्रमशः संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी।… भारतीय संविधान

संविधान के मसौदे में प्रस्तावित राज्य संघ नहीं है और न ही

राज्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ या केंद्र सरकार की एजेंसियाँ हैं।" **321**

(इस शिकायत के जवाब में कि संविधान बहुत मजबूत केंद्र का पक्षधर है, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने बिना किसी अनिश्चितता के कहा कि राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं थेः

"इस आधार पर एक गंभीर शिकायत की जाती है कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो रहा है और राज्यों को नगरपालिकाओं तक सीमित कर दिया गया है।यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण न केवल एक अतिशयोक्ति है, बल्कि इस गलतफहमी पर भी आधारित है कि संविधान वास्तव में क्या करने का प्रयास करता है।जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सवाल है, तो उस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह आधारित है।संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही विभाजित किया जाता है।

संविधान यही करता है।हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं हैं।केंद्र और राज्य समान हैं

इस मामले में।यह देखना मुश्किल है कि इस तरह के संविधान को केंद्रीकरण कैसे कहा जा सकता है।"

(जोर दिया गया) 483।संघ और संघीय राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी क्षमता का विभाजन और संघीय राज्यों को उनके अपने क्षेत्र में प्रदान की गई स्वतंत्रता प्रतिनिधि लोकतंत्र को आगे बढ़ाती है।मतदाता राज्य विधानमंडल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।राज्य सरकार (मंत्रिपरिषद के माध्यम से) विधान सभा के प्रति जवाबदेह है, जो बदले में नागरिकों के प्रति जवाबदेह है।इस तरह, राज्यों का अस्तित्व नागरिकों को शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर लोकतंत्र में जीवन भर देता है।लोकतंत्र की इस अवधारणा को अनुच्छेद 1 (1) द्वारा पुष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया हैः

321 संविधान सभा की बहस, खंड 7,4 नवंबर 1948

"1. संघ का नाम और क्षेत्र।–

(1) भारत, अर्थात भारत, राज्यों का एक संघ होगा।…" 322

अनुच्छेद 1 (1) इंगित करता है कि राज्य देश की संवैधानिक संरचना के लिए आवश्यक और अपरिहार्य हैं।राज्यों के अस्तित्व के बिना संघ का अस्तित्व नहीं हो सकता है।

484. राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ, 323 क संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने संघीय संरचना में राज्यों के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित कियाः

"131. सरकार के संघीय रूप में निहित राज्यों के हित सरकार के लोकतांत्रिक रूप में अधिक महत्व प्राप्त करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में यह बिल्कुल आवश्यक है कि लोगों की इच्छा को प्रभावी बनाया जाए।किसी विशेष राज्य/क्षेत्र के लोगों को संघ के शासन के अधीन करना, वह भी उन मामलों के संबंध में जिन्हें राज्य स्तर पर सबसे अच्छा विधान बनाया जा सकता है, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।"

इसलिए लोकतंत्र और संघवाद की संवैधानिक परियोजना के लिए राज्यों का अस्तित्व आवश्यक है।फिर, संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों की परिकल्पना क्यों की गई है?वे किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं?निम्नलिखित खंड इन प्रश्नों पर विचार करता है।

II. केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का कारण

485. संविधान में राज्यों की केंद्रीयता और शासन की संरचना की परिकल्पना के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश (जो केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित हैं) संवैधानिक योजना के भीतर मौजूद हैं।प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा 324 (और कुछ में इसके अलावा 325 विधान परिषदें हैं) होती हैं, जिसमें एक राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।326 इसके विपरीत, केवल कुछ केंद्र शासित प्रदेश

322 अनुच्छेद 1 (1), भारत का संविधान 323 (2018) 8 एससीसी 501

324 अनुच्छेद 168 325 आई. बी. आई.

326 अनुच्छेद 153 और 163,277

एक विधान सभा हो।327 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है, जो इस हद तक कार्य करता है जितना वह समझता है।328 राष्ट्रपति के पास कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की भी शक्ति है।329 इन घटक इकाइयों के बीच कई अन्य अंतर हैं।संक्षेप में, राज्य अपनी सरकारों द्वारा शासित होते हैं और सीधे नागरिकों के प्रति जवाबदेह होते हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं।इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्यों का केंद्र के साथ जो संबंध है, वह केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उनके संबंधों से अलग है।आम तौर पर, केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त है।

यह तब भी सच है जब पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो।हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों का कोई समरूप वर्ग नहीं है।उनमें से प्रत्येक के पास स्वायत्तता के अलग-अलग स्तर हैं।

486. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 का आधार बनाया जिसके द्वारा भारत की घटक इकाइयों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठित किया गया था।इसलिए यह रिपोर्ट दो श्रेणियों की घटक इकाइयों के निर्माण के कारणों और विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के कारणों को समझने के प्रयास में एक आधिकारिक स्रोत है।

487. रिपोर्ट में घटक इकाइयों की दो श्रेणियों-राज्यों और क्षेत्रों के निर्माण की सिफारिश की गई थी। राज्य "प्राथमिक घटक इकाइयाँ" होंगी और "लगभग पूरे देश को शामिल करेंगी" जबकि क्षेत्र केंद्रीय रूप से प्रशासित होंगे।330 रिपोर्ट ने संकेत दिया कि राज्यों को एक समान दर्जा प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक था कि उनमें से प्रत्येक एक "व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई" के रूप में जीवित रहने में सक्षम हो, जिसके पास खुद को बनाए रखने के लिए वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी संसाधन हों।331 इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को अपने लोगों को विभिन्न कार्यों को करने के लिए शिक्षित और सुसज्जित करने के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने में सक्षम होना चाहिए।

327 अनुच्छेद 239 ए, भारत का संविधान।दिल्ली एक सुई जेनरिस इकाई है जिसमें एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री भी है; अनुच्छेद 239 एए देखें।

328 अनुच्छेद 239

329 अनुच्छेद 240

330 अनुच्छेद 285, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 331 अनुच्छेद 238, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955

करने के लिए।332 इसने केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों (या, जैसा कि हम उन्हें अब जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों) के निर्माण की सिफारिश की, यदि "रणनीतिक, सुरक्षा या अन्य सम्मोहक कारणों" के लिए, एक छोटे से क्षेत्र को पड़ोसी राज्य के साथ एकीकृत करना व्यावहारिक नहीं था।333

488. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अधिकांश भाग सी राज्यों का अन्य बातों के साथ-साथ आस-पास के राज्यों में विलय हो जाए क्योंकिः

ए। विधानसभाओं वाले छह भाग सी राज्यों में से केवल कुर्ग केंद्र की सहायता के बिना खुद को प्रशासित करने की स्थिति में था और अन्य राज्य केंद्र से वित्तीय सहायता पर अत्यधिक निर्भर थे। बी। भाग सी राज्यों में प्रशासनिक सेवाएं अपर्याप्त थीं और उनमें विसंगतियां थीं; और

ग. भाग ग राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बने रहे।334

इसके अलावा, तीन भाग सी राज्यों-हिमाचल प्रदेश, कच्छ और त्रिपुरा के लिए-इसने सिफारिश की कि केंद्र सरकार को विकास की गति बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए पर्यवेक्षी शक्ति बनाए रखनी चाहिए।335

489. आयोग ने सिफारिश की कि तीन घटक इकाइयों या क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के रूप में बनाए रखा जाएः

“1. दिल्ली।—दिल्ली को इस तरह के केंद्रीय प्रशासित राज्य के रूप में गठित किया जाना चाहिए।

क्षेत्र; पर्याप्त शक्तियों के साथ एक नगर निगम बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। (पैराग्राफ 580 से 594)।

2. मणिपुर।—मणिपुर के लिए एक केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र होना चाहिए

समय रहते हैं।असम में इस राज्य का अंतिम विलय बना रहना चाहिए।

देखने में।**(**पैराग्राफ **723** से **732)**।

3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।—अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यथास्थिति बनी रहना चाहिए।(अनुच्छेद 753)।” 336

(जोर दिया गया)

332 आई. बी. आई.

333 अनुच्छेद 237, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 334 अनुच्छेद 246 से 268, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 335 अनुच्छेद 270,271 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 336 सारांश और निष्कर्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955 279

490. इन अनुच्छेदों में देखी गई जानकारी से निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित करने की आवश्यकता हैः

ए। आयोग ने सिफारिश की कि घटक इकाइयाँ जो वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी संसाधनों के साथ "व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ" थीं, उन्हें राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।राज्यों को प्राथमिक घटक इकाइयाँ होनी थीं और

स्वायत्तता;

बी। आयोग ने सिफारिश की कि कुछ भाग सी राज्य जो व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं थीं, उनका आसपास के राज्यों में विलय हो जाए।इस तरह के विलय के परिणामस्वरूप उस इकाई के लिए संघवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताओं का प्रतिधारण या विकास हुआ जिसे अवशोषित कर लिया गया था क्योंकि जिस राज्य में उस इकाई को अवशोषित किया गया था,

उसमें ये विशेषताएं थीं।महत्वपूर्ण रूप से, इसका उस क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रभाव पड़ा जिसे अवशोषित कर लिया गया था;

ग. जहां आयोग ने सिफारिश की कि कुछ घटक इकाइयों को केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जाए, वहां उसने बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों के साथ अंततः विलय या राज्य जैसी विशेषताओं को प्रदान करके स्वायत्तता के विकास की परिकल्पना की।इसने दिल्ली के लिए पर्याप्त शक्तियों के साथ एक नगर निगम के निर्माण की सिफारिश की।इसने मणिपुर के असम राज्य में विलय की परिकल्पना की।जहाँ तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संबंध है, इसमें कहा गया है कि उनके न्यायिक रूप से भारत का हिस्सा बनने से पहले कुछ समय बीत सकता है और जिस स्तर पर उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस स्तर पर केंद्र सरकार के विवेक को बाधित करना वांछनीय नहीं था; 337 और

घ. आयोग ने सिफारिश की कि कुछ क्षेत्र अस्थायी केंद्रीय पर्यवेक्षण के तहत रहें और परिकल्पना की कि वे भी पूरी तरह से स्वायत्त (या तो किसी पड़ोसी राज्य के साथ विलय करके या अन्यथा) बन जाएंगे।

491. इसलिए, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण तब किया गया था जब कुछ क्षेत्र "व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ" नहीं थे और उनके पास आवश्यक संसाधन नहीं थे

337 पैराग्राफ 753, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1955

खुद को बनाए रखने के लिए।इसके अलावा, रणनीतिक, सुरक्षा या अन्य बाध्यकारी कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय में भूमिका निभा सकते हैं।शुरू में उन्हें किस श्रेणी में रखा गया था, इसके बावजूद आयोग की सिफारिशें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि अधिकांश केंद्र शासित प्रदेश या अन्य केंद्र द्वारा पर्यवेक्षित क्षेत्र इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे।

व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ बनना और स्वायत्तता प्राप्त करना।ऐसा प्रतीत होता है।

कि आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था-संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को लागू किया।आयोग का यह विचार कि अधिकांश केंद्र शासित प्रदेश व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ बनने और स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में यात्रा कर रहे थे, इसकी रिपोर्ट के बाद के दशकों में उनकी यात्रा से स्पष्ट होता है।

III. केंद्र शासित प्रदेशों की यात्राः1956 2023 तक

492. विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की संवैधानिक स्थिति की यात्रा की जांच करना उपयोगी है।हम इस ऐतिहासिक यात्रा की प्रस्तावना इस प्रस्तावना के साथ करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का कोई

समान वर्ग नहीं है क्योंकि संविधान में संघ के साथ उनमें से प्रत्येक के एक अद्वितीय संबंध की परिकल्पना की गई है।

493. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 ने छह केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कियाःदिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह।338 दिल्ली ने 1991 में 69 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने के साथ एक विशिष्ट, सुई जेनरिस का दर्जा प्राप्त किया और यह अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान नहीं है।339 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के अधिनियमन के साथ हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था।पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के अधिनियमन पर मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बन गए।इस क़ानून ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों की भी स्थापना की, जिन्हें 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया था। 340 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी भी केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, जैसा कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह हैं, जिनका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था।341

338 धारा 2, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 339 राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम भारत संघ, (2023) 9 एस. सी. सी. 1

340 मिजोरम राज्य अधिनियम 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986

341 लक्कादीव, मिनीकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1973 281

494. गोवा, दमन और दीव को 1962-342 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहली अनुसूची में जोड़ा गया था, जैसा कि पुडुचेरी (जिसे पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था) था।343 1966 में चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था।344 कुछ दशकों के बाद, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अधिनियमन के साथ गोवा राज्य का गठन किया गया था।दमन और दीव एकल केंद्र शासित प्रदेश बने रहे।अंततः इसका दादरा और नगर हवेली में विलय कर दिया गया।345 495.देश के इतिहास में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया और दिल्ली ने अपने सुई जेनरिस दर्जे के साथ महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त की।चूंकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र (राष्ट्रीय राजधानी के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए दिल्ली को छोड़कर) व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ बन गईं, इसलिए उन्हें राज्यों के रूप में संवैधानिक संरचना में जगह मिली।हालाँकि, अन्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बने रहे क्योंकि उन्हें व्यवहार्य प्रशासनिक इकाइयाँ या अन्य रणनीतिक या सुरक्षा-आधारित कारणों से नहीं माना जाता था।ये केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्रों की तुलना में छोटे हैं जिन्हें अंततः राज्य का दर्जा मिला था।

496. इस चर्चा की प्रासंगिकता हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, सी. जे. आई.) की टिप्पणियों से राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ में स्पष्ट होती है।

“303. … संविधान के शब्दों का अर्थ केवल इस बात की ओर इशारा करके नहीं लगाया जा सकता है कि भाषा का एक शब्दकोश क्या बताएगा।जबकि इसकी भाषा इसके शब्दों की सामग्री के लिए प्रासंगिक है, संविधान के पाठ को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।संवैधानिक इतिहास उन घटनाओं का प्रतीक है जो संविधान को अपनाने से पहले की हैं।संवैधानिक इतिहास जटिल सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करते हुए पिछले अड़सठ वर्षों में संविधान के विकास में हमारे अनुभवों को भी शामिल करता है।एक संवैधानिक पाठ में शब्द उन प्रावधानों के साथ जुड़े होते हैं जिनमें वे दिखाई देते हैं। यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रावधान दस्तावेज़ के अन्य खंडों से जुड़ा हुआ है।केवल तभी जब

342 संविधान (बारहवाँ संशोधन) अधिनियम 1962 343 संविधान (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम 1962 344 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966

345 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम 2019 346 (2018) 8 एस. सी. सी. 501

उन्हें संवैधानिक मूल्यों के व्यापक कैनवास में रखा गया है ताकि पाठ की सच्ची समझ सामने आ सके।

IV. अनुच्छेद **3** का दायरा

497. संविधान के अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि संसद नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है:

“2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।– संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर संघ में प्रवेश कर सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जो वह सोचती है।”

अनुच्छेद 3, जैसा कि अब है, 347 नीचे निकाला गया है:

“3. नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।— संसद कानून द्वारा -

(क) किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या द्वारा एक नया राज्य बनाना

दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करना या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के किसी हिस्से में एकीकृत करना।

((ख) किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाएँ; मैं किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम करूँगा।

(घ) किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना; (ङ) किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करनाः

बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जाएगा और जब तक कि, जहां विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को संदर्भित करता है, राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस अवधि के भीतर भेजा गया है जो संदर्भ में निर्दिष्ट किया जा सकता है या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसे राष्ट्रपति अनुमति दे और इस तरह निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो गई है।स्पष्टीकरण I-इस अनुच्छेद में, खंड (ए) से (ई) तक, "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, लेकिन परंतुक में, "राज्य" में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है।

347 अनुच्छेद 3 को कई बार संशोधित किया गया था।इस परंतुक को 1955 में प्रतिस्थापित किया गया था।स्पष्टीकरण I और II को 1966 में जोड़ा गया था।

स्पष्टीकरण 2.-खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है।" 348

(जोर दिया गया) 498।अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने ऐसे कानून बनाए हैं जो समय-समय पर देश की घटक इकाइयों का पुनर्गठन करते हैं।इसने कर्नाटक (पहले मैसूर), तमिलनाडु (पहले मद्रास), उत्तराखंड (पहले उत्तरांचल) और ओडिशा (पहले उड़ीसा) के नाम बदल दिए हैं।349 पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था।350 नागालैंड राज्य को असम राज्य से अलग किया गया था।351 मेघालय राज्य की स्थापना 352 में की गई थी जो पहले असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य था।353 हरियाणा राज्य को पंजाब राज्य से अलग किया गया था।354 छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। 355 सिक्किम को 1975 में भारत संघ में शामिल किया गया था और उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।356 उत्तराखंड (पूर्व में उत्तरांचल) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। 357 इसी तरह, झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया था।358 हाल ही में, तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था।359

499. इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि संसद ने भारत में नए राज्यों को स्वीकार किया और उनकी स्थापना की।इस प्रक्रिया में, बॉम्बे राज्य जैसे कुछ राज्य "समाप्त" (बोलने के लिए) प्रतीत होते हैं। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि

348 अनुच्छेद 3, भारत का संविधान

349 मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1973, मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1973, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006, उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011।

350 बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 351 नागालैंड राज्य अधिनियम 1962

352 पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 353 असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 354 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966

355 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000

356 संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1975 357 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000

358 बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000

359 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014

राज्यों के नामों में परिवर्तन इसी तरह पुराने राज्य को "समाप्त" कर देता है।हालांकि, किसी राज्य को समाप्त करने और एक राज्य के रूप में एक घटक इकाई के चरित्र को समाप्त करने के बीच अंतर का बहुत बड़ा परिणाम होता है।एक विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है क्योंकि यह दो (या अधिक) नए राज्य बनाने के लिए विभाजित है।इसी तरह, एक विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है क्योंकि यह एक राज्य (या एक से अधिक राज्य) और एक केंद्र शासित प्रदेश (या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश) बनाने के लिए विभाजित है।दोनों ही मामलों में, क्षेत्र (या क्षेत्र के कम से कम कुछ हिस्से) के परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह एक राज्य के रूप में अपने चरित्र को नहीं खोता है, जिसमें परिचर संवैधानिक निहितार्थ हैं।यह कहा जा सकता है कि एक घटक इकाई राज्य के रूप में अपना चरित्र तभी खोती है जब उसे पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया जाता है, जिसका कोई भी हिस्सा राज्य का दर्जा बरकरार नहीं रखता है।सीमाओं या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक राज्य के रूप में इसके चरित्र में परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ऐसा चरित्र इसके नाम या सीमाओं से नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ इसके संबंधों से उत्पन्न होता है-जो स्वायत्तता की विशेषता है।जैसा कि पिछले खंड में चर्चा की गई थी, संविधान राज्यों को विधायी और कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं।राज्यों की ये विशेषताएँ आमतौर पर तब नहीं खोती हैं जब उनकी सीमाएँ, आकार या नाम बदल दिए जाते हैं।500. भारतीय संविधान के तहत राज्यों का अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है।शासन के विभिन्न अंग जैसे कि राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग सभी संविधान के अंग हैं। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में उल्लेख किया:

“जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सवाल है, तो उस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह आधारित है।मूल सिद्धांत

संघवाद यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा विभाजित किया जाता है।संविधान

यही करता है।हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं हैं।इस मामले में केंद्र और राज्य समान हैं।" **360**

(जोर दिया गया) 501।डॉ. अम्बेडकर ने राज्यों की शासन करने की शक्ति पर प्रकाश डाला

360 कुलदिप नायर बनाम भारत संघ 2006 (7) एससीसी 1 [52] 285

यह संविधान से निकला है न कि संसद से।राज्यों की शक्तियों की इस समझ के सटीक महत्व को संदर्भ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता हैः

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ में निर्णय।361 वह मामला

पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक पनबिजली संयंत्र से बिजली के बंटवारे पर एक अंतर-राज्यीय विवाद।हिमाचल प्रदेश राज्य ने तर्क दिया कि वह बिजली परियोजना की 'मातृ-राज्य' के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली का हकदार है।पंजाब राज्य ने इस तर्क को यह तर्क देते हुए पलटने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश का 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली का दावा इस धारणा पर आधारित था कि हिमाचल प्रदेश का भूमि और पानी पर कुछ पहले से अधिकार था, जिसे राज्यों के क्षेत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था, और संभावित रूप से राज्यों का अस्तित्व, अनुच्छेद 3 के तहत संसदीय कानून के कारण था।यदि संसद हिमाचल के क्षेत्र को एकतरफा रूप से बदल सकती है, तो हिमाचल अपनी भूमि और जल पर पहले से मौजूद किसी भी अधिकार का दावा कैसे कर सकता है?इस तर्क को खारिज करते हुए हिमाचल राज्य की खंड पीठ ने कहाः"93. हमारा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत, संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके या किसी भी क्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से में एकजुट करके, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करके, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करके एक नया राज्य बनाने की शक्ति है।

किसी भी राज्य का नाम**,** लेकिन अनुच्छेद **3** के तहत**,** संसद संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **II** में उल्लिखित मामलों के संबंध में राज्य कार्यपालिका या राज्य विधानमंडल की शक्तियों को नहीं छीन सकती है।"

(जोर दिया गया) 502।जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा को समझाया, संघ और राज्यों के बीच कार्यकारी और विधायी प्राधिकरण का विभाजन, एक संघीय संविधान की पहचान, संवैधानिक पाठ में निहित है।इसके परिणामस्वरूप, संघ संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को एक संवैधानिक संशोधन के अभाव में नहीं बदल सकता है, जिसके लिए एक द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी

अधिकांश राज्य।362 हिमाचल प्रदेश (ऊपर) राज्य में, प्रभाग

पीठ इस तर्क के एक महत्वपूर्ण परिणाम पर प्रकाश डालती है।यदि संसद संघ और सभी राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बदल नहीं सकती है, तो संवैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति में

361 2011 (13) एससीसी 344।

362 भारत का संविधान (1950), अनुच्छेद 368 (2)।

संशोधन, क्या यह अनुच्छेद 3 के तहत अपने क्षेत्र (और इसलिए अस्तित्व) को समाप्त करके संघ और एक राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को तार्किक रूप से बदल सकता है?डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है।

503. सॉलिसिटर जनरल (भारत संघ के लिए) ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका दर्जा अस्थायी है।सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दर्जा प्रभावित नहीं होगा।सॉलिसिटर जनरल द्वारा जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की दलील को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक नहीं हैं कि क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के तहत अनुमत है।केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति बरकरार है क्योंकि स्पष्टीकरण I के सहपठित पढ़ा गया अनुच्छेद 3 (ए) किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है।यह न्यायालय क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं के प्रति सचेत है। विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनाव, जो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र की सर्वोपरि विशेषताओं में से एक है, को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता।हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।

504. यह सवाल खुला छोड़ दिया गया है कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित करके राज्य के दर्जे के चरित्र को समाप्त कर सकती है।एक उपयुक्त मामले में, इस न्यायालय को अनुच्छेद 3 के तहत शक्तियों के दायरे को ऊपर बताए गए परिणामों, संघात्मक इकाइयों के निर्माण के लिए ऐतिहासिक संदर्भ और संघवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर इसके प्रभाव के आलोक में समझना चाहिए।x. प्रक्रियात्मक आधार पर पुनर्गठन अधिनियम के लिए चुनौती

क. अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग।

505. 19 दिसंबर 2018 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली थी और रिपोर्ट और प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति को संतोष है कि 287 में एक स्थिति उत्पन्न हुई है।

जिसे राज्य की सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है जो जम्मू और कश्मीर राज्य और जम्मू और कश्मीर के संविधान पर लागू होते हैं।अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, अन्य बातों के साथः

क. राज्य सरकार के सभी कार्यों और जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया;(ख) घोषणा की कि विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार द्वारा या उसके अधीन किया जाएगा; और

ग. अनुच्छेद 3 के पहले और दूसरे परंतुक को निलंबित कर दिया।

506. वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 3 के परंतुक को 19 दिसंबर 2018 की घोषणा द्वारा निलंबित कर दिया गया था और संसद के अधिनियम ने पुनर्गठन अधिनियम के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए थे। भारत संघ ने तर्क दिया है कि चूंकि अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार गैर-बाध्यकारी हैं, इसलिए ऐसा कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पुनर्गठन अधिनियम अमान्य हो सकता है, भले ही परंतुक का सख्ती से पालन न किया गया हो।507. अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक में कहा गया है कि जहां विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम से संबंधित है, वहां राष्ट्रपति को अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल को विधेयक भेजना चाहिए।राष्ट्रपति ने पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा को उनके विचारों के लिए भेजा क्योंकि संसद ने अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर राज्य की "विधानमंडल की शक्तियों" का प्रयोग किया। 5 अगस्त 2019 को, लोकसभा और राज्यसभा ने पुनर्गठन विधेयक में प्रस्ताव की स्वीकृति के पक्ष में विचार व्यक्त किया।प्रस्ताव इस प्रकार हैः

“कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को अपने विचारों के लिए इस सदन को भेजा है क्योंकि यह सदन 19 दिसंबर, 2018 की भारत के राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल की शक्तियों के साथ निहित है।यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को स्वीकार करने के लिए विचार व्यक्त करने का संकल्प करता है।”

508. विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित करने में अपनाई गई प्रक्रिया वैध है।कि, हो सकता है

संसद ने अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति को देखते हुए अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत आवश्यक राज्य विधानमंडल के विचारों के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित किया है।

509. अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी होने के बाद शक्ति के प्रयोग का परीक्षण करने के लिए ऊपर निर्धारित मानक को लागू करते हुए, याचिकाकर्ताओं को पहले यह साबित करना होगा कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था।हमने इस निर्णय के पूर्ववर्ती खंड में यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत संसद की शक्तियों का दायरा केवल राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों तक ही सीमित नहीं हो सकता है।इस प्रकार, शक्ति के प्रयोग को केवल इसलिए दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह एक गैर-कानून बनाने की शक्ति है या यह एक महत्वपूर्ण संघीय सिद्धांत को आगे बढ़ाता है।510. बाबूलाल पराटे बनाम बॉम्बे राज्य 363 के मामले में इस न्यायालय की उप-न्यायाधीश पीठ के निर्णय का उल्लेख किया जाना चाहिए।यह अभिपरंतुक किया गया कि अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।उस मामले में, राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 को लोकसभा में पेश किया गया था।इस विधेयक में तीन अलग-अलग राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश बॉम्बे, मराठवाड़ा और विदर्भ सहित महाराष्ट्र राज्य और सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात राज्य के गठन का प्रस्ताव था।इस विधेयक को एक संयुक्त चयन समिति को भेजा गया था।संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार, विधेयक का एक संशोधित संस्करण दोनों सदनों में पेश किया गया था।संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया।राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार, बॉम्बे राज्य के रूप में जाना जाने वाला एक नया भाग ए राज्य बनाया गया था।अपीलार्थी ने अनुच्छेद 226 के तहत इस आधार पर कार्यवाही शुरू की कि बॉम्बे राज्य के विधानमंडल के पास पहले प्रस्तावित तीन अलग-अलग इकाइयों के बजाय एक समग्र राज्य के गठन पर अपने विचार व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य विधानमंडल के विचार केवल सिफारिश करने वाले हैं और यह आवश्यक नहीं है कि किसी विधेयक में संशोधन के प्रत्येक अवसर पर संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार सुरक्षित रखे जाएंः

“5. […] न ही परंतुक में ऐसा कुछ है जो यह इंगित करता है कि संसद को राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करना चाहिए या उन पर कार्य करना चाहिए।वास्तव में, दो राज्य विधानमंडल पूरी तरह से अलग-अलग विचार व्यक्त कर सकते हैं।[…] तर्कों के दौरान यह इंगित किया गया था कि यदि दूसरे परंतुक के लिए नए संदर्भ और प्रत्येक संशोधन के लिए एक नए विधेयक की आवश्यकता होती है, तो इसके परिणामस्वरूप एक

363 आकाशवाणी 1960 एससी 51 289

अनन्त प्रक्रिया, क्योंकि विधेयक में निहित मूल प्रस्ताव के किसी भी और प्रत्येक संशोधन के लिए एक नए विधेयक और राज्य विधानमंडल को एक नए संदर्भ की आवश्यकता होगी।यदि इस तरह के निर्माण को परंतुक पर रखा जाता है तो अन्य मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं; उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले में जहां दो या तीन राज्य शामिल थे, अलग-अलग राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए जा सकते हैं।यदि संसद एक विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करती है और दूसरे के नहीं, तो विधेयक में निहित मूल प्रस्ताव में किसी भी संशोधन के कारण एक नए संदर्भ की आवश्यकता होगी।"

511. यदि राज्य विधानमंडल के विचार संसद के लिए बाध्यकारी होते (जो मामला नहीं है), तो इस बात पर बहस की गुंजाइश होती कि क्या संसद अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की विधानसभा के विचारों के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित कर सकती थी। हालाँकि, राज्य के विधानमंडल के विचार अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक परंतुक में संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत राज्य के विधानमंडल के विचार शुरू में अनुशंसित हैं।इस प्रकार, अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग वैध है और दुर्भावनापूर्ण नहीं है।

बी। जम्मू और कश्मीर पर लागू अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक का निलंबन

512. याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक के निलंबन को चुनौती दी है जिसे 1954 के सी. ओ. 48 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में अपने आवेदन में अनुच्छेद 3 में डाला गया था।दूसरे परंतुक द्वारा (जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है) जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या राज्य के नाम या सीमा को बदलने का परंतुक करने वाला विधेयक राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।

513. एक बार जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि सीओ 272 वैध है, तो भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं।जम्मू और कश्मीर में लागू होने वाले संविधान के प्रावधानों के अपवाद और संशोधन का अस्तित्व समाप्त हो गया।सी. ओ. 272 राष्ट्रपति द्वारा 5 अगस्त 2019 को जारी किया गया था।उसी दिन, पुनर्गठन विधेयक को अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत उनके विचार प्राप्त करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा को भेजा गया और राज्यसभा ने पुनर्गठन अधिनियम को पारित कर दिया। अगले दिन लोकसभा ने पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस प्रकार, जब पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था, यानी 5 अगस्त 2019, दूसरा परंतुक था

अनुच्छेद 3 जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 272 के कारण अस्तित्व में नहीं रहा।इस प्रकार, यह मुद्दा कि क्या अनुच्छेद 3 के दूसरे परंतुक को अनुच्छेद

356 (1) (सी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबित किया जा सकता था, अब जीवित नहीं है।

एफ *।निष्कर्ष

514. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:ए। आई. ओ. ए. के निष्पादन और 25 नवंबर 1949 की घोषणा के जारी होने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है, जिसके द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था।जम्मू और कश्मीर राज्य के पास 'आंतरिक संप्रभुता' नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग है।अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की विशेषता थी न कि संप्रभुता की। बी। याचिकाकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त किए जाने तक जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणाओं को जारी करने को चुनौती नहीं दी।घोषणाओं को चुनौती निर्णय के योग्य नहीं है क्योंकि प्रमुख चुनौती उन कार्यों के लिए है जो घोषणा जारी होने के बाद की गई थीं।

ग. अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है।राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए।शक्ति के प्रयोग को चुनौती देने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि यह एक दुर्भावनापूर्ण या शक्ति का बाहरी प्रयोग है।एक बार प्रथम दृष्टया मामला बने जाने के बाद, इस तरह की शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने की जिम्मेदारी संघ पर डाल दी जाती है।घ. अनुच्छेद 356 (1) (ख) के तहत राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करने की संसद की शक्ति को कानून बनाने की शक्ति तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, जिससे राज्य के विधानमंडल की गैर-कानून बनाने की शक्ति को हटा दिया जाता है।इस तरह की व्याख्या अनुच्छेद के पाठ के विपरीत प्रावधान में एक सीमा में पढ़ने के बराबर होगी;

ङ. अनुच्छेद 370 को शामिल करने और अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में रखने के ऐतिहासिक संदर्भ से यह प्राप्त किया जा सकता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है।

* एड। ध्यान दें:भाग एफ।

च. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने पर अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति समाप्त नहीं हुई।जब संविधान सभा को भंग कर दिया गया, तो केवल अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक में मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने संविधान सभा को अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया।इसने अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा धारण की गई शक्ति को प्रभावित नहीं किया।

छ. अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता है।यदि अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करना है या जम्मू और कश्मीर राज्य में इसके

अनुप्रयोग में संशोधन या संशोधन किया जाना है तो अनुच्छेद 370 (3) द्वारा विचार की गई प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए था।सी. ओ. 272 का पैराग्राफ 2, जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 367 के माध्यम से संशोधित किया गया था, अनुच्छेद 370 (1) (डी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से संशोधित करता है।संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए एक व्याख्या खंड का उपयोग नहीं किया जा सकता है।ज. अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सी. ओ. 272 जारी करने की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर में संविधान के सभी परंतुक ों को लागू करते समय अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से काम करने वाली केंद्र सरकार की सहमति हासिल करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस तरह की शक्ति के प्रयोग का प्रभाव अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग के समान है, जिसके लिए राज्य सरकार के साथ सहमति या सहयोग की आवश्यकता नहीं थी।

i. जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने वाले अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी सीओ 272 का पैराग्राफ 2 वैध है।इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल इसलिए नहीं है क्योंकि सभी प्रावधानों को एक साथ भोजन के दृष्टिकोण का पालन किए बिना लागू किया गया था।

जे. राष्ट्रपति के पास एक अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी जिसमें घोषणा की गई थी कि अनुच्छेद 370 (3) की सिफारिश के बिना काम करना बंद हो जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 16 एस सी आर।

संविधान सभा।राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की क्रमिक प्रक्रिया जारी थी।अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा एकीकरण की प्रक्रिया की पराकाष्ठा है और इस तरह यह शक्ति का एक वैध प्रयोग है।इस प्रकार, सी. ओ. 273 वैध है;

के. भारत का संविधान संवैधानिक शासन के लिए एक पूर्ण संहिता है।सी. ओ. 273 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान निष्क्रिय हो गया है और इसे निरर्थक घोषित कर दिया गया है।

l. अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत राज्य के विधानमंडल के विचार अनुशंसनीय हैं।इस प्रकार, घोषणा के तहत अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग वैध था न कि दुर्भावनापूर्ण।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छोड़कर)।बयान को ध्यान में रखते हुए हम यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक नहीं हैं कि क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के तहत अनुमत है।हालाँकि, हम स्पष्टीकरण I सहपठित अनुच्छेद 3 (ए) को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बनाने के निर्णय की वैधता को बरकरार रखते हैं, जो किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है; और

एन. हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे।राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।

515. रिट याचिका और विशेष अनुमति याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

516. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

293

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370

संजय किशन कौल, जे।

सूचकांक *	
कश्मीर (कासमीरा)	8
प्रस्तावना	16
विलय का साधन और संविधान सभा की बहसें	18
जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा	28

और अनुच्छेद 370	
1989-1990 आगेः एक और मुश्किल समय	39
हालिया घटनाक्रम	41
चुनौती	44
1. संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संबंध। ए. विवादित कार्यकारी कार्रवाइयों से पहले केंद्र और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों का विकास बी. अनुच्छेद 370 ने भारत के संविधान में स्थायित्व ग्रहण कर	45 45 48 52

लिया था सी. संविधान के अनुच्छेद 370 (3) का प्रभाव	
2. विवादित कार्यकारी आदेश राज्य और संघ के बीच संबंधों को बदलने के लिए सक्षम नहीं हैं: ए. सी. ओ. 272 अवैध है और बी. सी. ओ. 273 अवैध है और सी. ओ. 272 और सी. ओ. 273 जारी करते समय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का	55 56 58 59

अनुचित प्रयोग अवैध है।	
3. राज्य की स्थिति को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का भी बड़ा सवालिया निशान है। ए. संविधान का अनुच्छेद 3 किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बी में विभाजित करने की शक्ति की गारंटी नहीं देता है। अनुच्छेद 3 के परंतुक का निलंबन अवैध था।	60 60 62

* एड। ध्यान देंःपृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

उत्तरदाताओं का संवैधानिक बचाव	64

1. विवादित कार्यकारी कार्रवाइयों से पहले संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों की प्रकृति।

A. जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ संप्रभुता की कोई झलक नहीं रही**,** क्योंकि इसका एकीकरण पूरा हो गया था

बी**.** अनुच्छेद **370,** दोनों उस भाग से जिसमें यह आता है **(**शीर्षक**)** के साथ**-**साथ संक्रमणकालीन प्रावधान का अध्ययन

ग**.** अनुच्छेद **370 (3)-**यह कैसे काम करता है**?**राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद **370 (3)** का परंतुक निरर्थक हो गया।

कोई नहीं 295

2. क्या संबंध को विवादित कार्यकारी आदेशों द्वारा बदला जा सकता है। ए. सी. ओ. 272 अंतर-अधिकार बी. सी. ओ. 273 अंतर-अधिकार सी. अनुच्छेद 356 के तहत सी. ओ. 272 और सी. ओ. 273 जारी करते समय शक्ति का अनुमेय प्रयोग है।	72 72 74 74
3. क्या किसी	75 75 77

राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन की अनुमति थी? ए. अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति परंतुक करता है बी. अनुच्छेद 3 के परंतुक का निलंबन अनुमेय था	
संवैधानिक दुविधा का समाधान	78
1. विवादित कार्रवाइयों से पहले संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंध। ए. आई. ओ. ए. के बाद आंतरिक संप्रभुता की अवधारणा बी. एक अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान का अनुच्छेद 370 सी. अनुच्छेद 370 (3) का प्रभाव	79 79 81 90

2 राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 (3)। ए. अनुच्छेद 370 (3) जारी है बी. राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर संविधान सभा	91 91 92

की सिफारिश के बिना उपखंड (3) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।	
3. सी. ओ. 272 जारी करना। A. अनुच्छेद 367 सहपठित अनुच्छेद 370 (1) (d) के तहत शक्ति का अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया B. राज्य में भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति आवश्यक नहीं थी।	95 95 100
4. क्या सी. ओ. 272 और 273 जारी करते समय अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग अनुमत था। ए. अनुच्छेद 356 को विधानसभा के भंग होने के बाद लागू किया जा सकता है बी. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की अनुमति देता है सी. राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा के बाद विधायी और गैर-विधायी दोनों शक्तियां सुरक्षित हैं।	102 102 103 104
5. अनुच्छेद 3 के तहत शक्तियों का विस्तार और	108 108 110

पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिकता। ए. अनुच्छेद 3 बी के तहत किसी राज्य को बदलने या समाप्त करने का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक का निलंबन राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुमत था।	
निष्कर्ष	111
एपिलॉग	114

कश्मीर (कासमीरा)

1. किंवदंती है कि सदियों पहले कश्मीर घाटी 'सतीसर' नामक एक विशाल पहाड़ी झील थी और ऋषि कश्यप ने इस झील से पानी निकालकर कश्मीर घाटी का निर्माण किया था।1

2. कश्मीर के आर्य सारस्वत ब्राह्मणों के सबसे पुराने ग्रंथ नीलमत पुराण के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कश्मीर में बसने वालों का पहला समूह नागा थे-सर्प उपासक और जीववादी।आर्यों का एक समूह, जो मूल रूप से शक्तिशाली वैदिक नदी सरस्वती के तट पर बस गया था, सरस्वती नदी के सूख जाने पर घाटी में चला गया।यह लगभग 5,000 साल पहले की बात है।2 घाटी के लोगों की उत्पत्ति के विभिन्न संस्करण हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वे इज़राइल की खोई हुई जनजातियों में से एक के वंशज थे।3 इस घाटी में सीखने के स्थान के रूप में विरासत और संस्कृति है।शिक्षा के सबसे सम्मानित स्थानों में से एक शारदा पीठ है, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र में है, जहाँ शिक्षा लैंगिक रूप से तटस्थ थी और उत्कृष्टता पर आधारित थी।4

3. कहा जाता है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र पर आक्रमण किया था।इसके बाद, 206 ईसा पूर्व से, कश्मीर रेशम मार्ग का हिस्सा था, जो चीन को दक्षिणी यूरोप से जोड़ता था।5 एक ऐसी भूमि जिसने विभिन्न धर्मों को देखा है, यह घाटी ईसा मसीह को मार्ग देने और बौद्ध धर्म को जड़ देने का इतिहास रखती है, जहाँ से यह तिब्बत, चीन और मध्य एशिया में फैल गया।6 4.बहुत बाद की अवधि में, थॉमस मूर (18 वीं शताब्दी ईस्वी) ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'लल्ला रूक' (1817) 7 में इन शब्दों के साथ कश्मीर को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया:

1 कल्हण और नीलमतपुराण की राजतरंगिणी (राजाओं की नदी) के अनुसार, माना जाता है कि इसकी रचना चंद्र देव ने की थी।

2 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)16.

3 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)16.

4 ए. आर. नाज़की, एस. एस. तोशखानी एंड के. वारिक्वू में 'इन सर्च ऑफ रूट्स' (संस्करण),

कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत (पेंटागन प्रेस 2009) 145.

5 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 1-2।

6 3 पर आई. बी. आई.

7 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर, 297

“कश्मीरी की घाटी के बारे में किसने नहीं सुना है, इसके गुलाब के साथ पृथ्वी ने अब तक के सबसे चमकीले, इसके मंदिर, और गुफाएं, और फव्वारे उतने साफ हैं

प्रेम-प्रकाशित आँखों के रूप में जो उनकी लहर पर लटकी हुई थीं?”

5. हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित, हुंजा और नगर शामिल थे।यह पुराने मध्य एशियाई व्यापार मार्ग पर स्थित है, और कश्मीर घाटी, प्राचीन काल से, भारत के मैदानी इलाकों और मध्य एशिया के ऊंचे इलाकों के बीच यात्रा करने वाले काफिलों के लिए ठहराव का स्थान रही है।8 पहाड़ घाटी को सुरक्षा प्रदान करते हैं और कल्हण कश्मीर को सैनिकों के बल द्वारा अजेय बताते हैं।9 चीनी यात्री (ह्युएन त्सांग और ओउ-कांग), इस प्रकार, पहाड़ी दर्रों के माध्यम से आने की विभिन्न संस्कृति का उल्लेख करते हैं।10 घाटी के दक्षिण में वह क्षेत्र है जिसे अब जम्मू के नाम से जाना जाता है, जो डोगरा और कई अन्य जातियों और संप्रदायों, हिंदू और मुसलमान दोनों का घर है।इस क्षेत्र में कश्मीर घाटी के लोग भी बसने के लिए आए हैं।इस क्षेत्र की एक अन्य दिलचस्प जनजाति गुर्जर जनजाति है जो स्थानीय क्षेत्र के मौसम के आधार पर अपने झुंडों को जम्मू से कश्मीर ले जाते हुए अर्ध-घुमंतू जीवन व्यतीत करती है।6. घाटी के अधिकांश लोग इस्लाम को मानते थे, जिसने कश्मीरी पंडितों और सिख आबादी की उपस्थिति के अलावा 14 वीं शताब्दी के दौरान घाटी में अपना आगमन शुरू किया था। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय मुस्लिम आबादी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।11 राज्य की स्वतंत्रता से पहले के युग में, अन्य रियासतों के समान ऐतिहासिक सीमाएँ नहीं थीं, लेकिन इन अलग-अलग क्षेत्रों को केवल 19 वीं शताब्दी में एक ही राज्य के तहत लाया गया था।यूनिफायर्स

8 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1994) 1-2।

9 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1994)10.

10 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)10.

11 वाल्टर आर. लॉरेंस, द वैली ऑफ कश्मीर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1895) 284,296,300,302.

जम्मू के डोगरा राजपूतों का एक कबीला था, जिन्होंने 1830 के दशक में लद्दाख पर विजय प्राप्त की और 1840 के दशक में अंग्रेजों से कश्मीर की घाटी का अधिग्रहण किया और सदी के अंत तक गिलगित क्षेत्र में चले गए।12

7. कश्मीर के लोगों की पहनावा शैली, सामाजिक रीति-रिवाजों और समारोहों में दो अलग-अलग धर्मों के अनुयायियों के बीच कई समानताएं हैं।दोनों समुदायों के पवित्र मंदिर एक साथ स्थित हैं और अक्सर इन मंदिरों में मेले भी एक ही तारीख को आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक समुदाय दूसरे के उत्सव में भाग लेता है।13

8. राज्य की दोहरी राजधानियाँ थीं-श्रीनगर और जम्मू, जिसमें 'दरबार' छह (6) महीने की अवधि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, जिससे उन्हें राजनीतिक पवित्रता मिलती थी।श्रीनगर, घाटी में, वितस्ता के तट पर स्थित है, और इसका इतिहास अशोक के समय का है, जिन्हें अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान इसकी स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है।इसकी कई नहरों और डल झील को देखते हुए, इसे 'पूर्व का वेनिस' कहा जाता है।14

9. मूल रूप से, कश्मीर की आबादी ब्राह्मण बताई जाती है, लेकिन

निषाद, खशा, दराद, भूत, भिक्षु जैसे अन्य संप्रदायों के साथ,

दामर, तंत्र आदि भी प्रचलित हैं।15 यह 14 वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन से पहले था, जब ज़ोजी-ला दर्रा कश्मीर पर सफल आक्रमणों के लिए एक मार्ग के रूप में काम करता था।14 वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्क दुल्का और भाउता रिंकाना के आक्रमण देखे गए।लगभग दो शताब्दियों के बाद, मिर्जा हैदर दुघलत ने अपनी छोटी मुगल सेना के साथ 1533 ईस्वी में कश्मीर में अपने प्रवेश का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। 16 हालाँकि, अंतःक्रिया इन आक्रमणों तक ही सीमित नहीं थी।कश्मीर के इस उतार-चढ़ाव वाले इतिहास में, ऐसे समय भी रहे हैं जब लोग रोमन, यूनानी और फारसी सभ्यताओं के संपर्क में आए, जिसके परिणामस्वरूप

12 रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतः दुनिया के सबसे बड़े का इतिहास

लोकतंत्र (पिकाडोर 2008) 60; वी. पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स (ओरिएंट लॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड) भी देखें। 1956)391.

13 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासः प्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)21.

14 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासः प्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)7.

15 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासः प्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)16.

16 दुर्गाप्रसाद (संस्करण), द राजतरंगिणी ऑफ कल्हण, खंड। 2 (1894) 408।

संस्कृतियों के सुखद मिश्रण में जो दूसरों के विचारों और मान्यताओं के प्रति सहिष्णु और सहानुभूतिपूर्ण थीं।17 यह नागा पूजा, ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और इस्लाम के विभिन्न रूपों की उपस्थिति में प्रतिबिंबित होता है।हिंदू और इस्लामी धार्मिक विचारों के संश्लेषण ने लल्लेश्वरी और शेख नूर-उद-दीन में अपने सबसे बड़े विजेता पाए, जिन्हें आज भी हिंदू और मुसलमान समान रूप से पूजते हैं।18 शेख नूर-उद-दीन वली, जिन्हें मूल रूप से नंद ऋषि के नाम से जाना जाता था, ने सहिष्णुता और समावेशिता, कश्मीरियत का उपदेश दिया और उसका पालन किया।19 ब्राह्मणों को कश्मीरी पंडित कहा जाता था और कहा जाता है।20 कश्मीरी पंडितों को वैदिक युग से कश्मीर के निवासी माना जाता है, जो कश्मीर के समाज, संस्कृति परिवेश, सभ्यता, रीति-रिवाजों, परंपराओं, मिथकों और वास्तविकताओं का हिस्सा हैं।वे अपने इतिहास का पता 11,000 से अधिक साल पहले लगाते हैं, जिसकी शुरुआत घाटी की प्रारंभिक उत्पत्ति से होती है।21 धार्मिक उत्पीड़न ने उन्हें कई मौकों पर मैदानों के लिए सामूहिक रूप से घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया, 22 लेकिन बाद के शांतिपूर्ण शासनकाल में, सुल्तान ज़ैन-उल-आबिदीन की तरह, वे अपनी मूल मातृभूमि में लौट आए।23

10. जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक इकाई की ओर फिर से मुड़ते हुए, जैसा कि तब जाना जाता था, और सुल्तान राजवंश के तुलनात्मक रूप से हाल के इतिहास ने खुद को स्थापित किया और 1586 तक अपना शासन जारी रखा, जब अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण किया और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया।अगले, लगभग 200 वर्षों तक, यह मुगल सम्राटों का ग्रीष्मकालीन निवास बना रहा।25 के रूप में

17 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासः प्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)16.

18 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)17.

19 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 3.

20 मोनियर-विलियम्स, मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस (तीसरा संस्करण।, ट्रूबनर एंड कंपनी।

1879)151.

21 ए. आर. नाज़की, एस. एस. तोशखानी एंड के. वारिक्वू में 'इन सर्च ऑफ रूट्स' (संस्करण),

कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत (पेंटागन प्रेस 2009) 2.

22 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 3.

23 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःप्राचीन कश्मीर,

खण्ड. 1 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)17.

24 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 3.

25 वी. पी. मेनन, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (ओरिएंट लॉन्गमैन)

सम्राट जहांगीर ने घाटी का वर्णन किया-"गर फ़ीरदौस, बार-रुई ज़मीन अस्त,

हमेन अस्तो, हमेन अस्तो, हमेन अस्त "(अगर पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है, तो यह

यह है, यह है, यह है)।26 1752 में, कश्मीर पठानों की शक्तिशाली पकड़ में चला गया, लेकिन 1819 में, इसे महान सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने जीत लिया और यह 1846 तक सिख प्रशासित राजवंश के अधीन रहा। 27 इस बीच, 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जम्मू पर राजपूत वंश के डोगरा प्रमुख रंजीत देव का शासन था। उनके उत्तराधिकार के बारे में झगड़े ने सिखों को जम्मू और उसके पड़ोसी पहाड़ी मार्गों को निर्भरता में बदलने का अवसर दिया।28 जम्मू पर विजय प्राप्त करने के बाद, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सैनिकों में से एक, गुलाब सिंह, जो रणजीत देव के परपोते भतीजों में से एक थे, को 1822 में जम्मू के जागीरदार शासक के रूप में स्थापित किया। 29 जम्मू की रियासत गुलाब सिंह को 1823 में 'राजा' की वंशानुगत उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, सिख युद्धों के बाद और पहले सिख युद्ध (1846) के बाद, गुलाब सिंह अंग्रेजों और लाहौर दरबार के बीच मध्यस्थ के रूप में प्रकट हुए।30 राजनीतिक लाभ ने गुलाब सिंह को, इस प्रकार, जम्मू और कश्मीर का स्वतंत्र शासक बना दिया, जिसमें अमृतसर में संधि पर हस्ताक्षर किए गए।यह वह संधि है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में जम्मू और कश्मीर के इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है।

11. अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, महाराजा गुलाब सिंह ने महाराजा रणबीर सिंह के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया, जिनके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने पदभार संभाला।महाराजा (सर) हरि सिंह 1925 में जम्मू और कश्मीर के शासक बने और उनके स्थानांतरण के समय शासक थे।

प्राइवेट लिमिटेड 1956)390.

26 अनीता मेधेकर और फारूक हक, अलेक्जेंड्रू-मिर्सी नेडेलिया में 'कश्मीर को भारत और पाकिस्तान द्वारा शांति पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना'

& मारिलेना-ओना नेडेलिया, सामाजिक परिवर्तन के लिए विपणन शांति और

वैश्विक समृद्धि (आई. जी. आई. वैश्विक 2019) 34.

27 वी. पी. मेनन, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (ओरिएंट लॉन्गमैन)

प्राइवेट लिमिटेड 1956) 390-391।

28 वी. पी. मेनन, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (ओरिएंट लॉन्गमैन)

प्राइवेट लिमिटेड 1956) 390-391।

29 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 3.

30 वी. पी. मेनन, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (ओरिएंट लॉन्गमैन)

प्राइवेट लिमिटेड 1956) 390-391।

1947 में सत्ता। 31 महाराजा हरि सिंह के कार्यकाल में घाटी में मुस्लिम आबादी का विरोध बढ़ता गया, जो प्रशासन में अधिक से अधिक अधिकार चाहते थे।इसने शेख अब्दुल्ला में एक स्थानीय लोकप्रिय नेता का उदय देखा, जिसे 'कश्मीर के शेर' के रूप में जाना जाता है।1932 में, 'अखिल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम सम्मेलन' का गठन किया गया था, जिसे छह (6) साल बाद, सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व के साथ 'राष्ट्रीय सम्मेलन' में बदल दिया गया था।32

12. शासकों और शासित लोगों के बीच एक अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ एक बातचीत में, महाराजा द्वारा बनाए गए सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों पर संप्रभुता और सर्वोच्चता के साथ जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 की घोषणा देखी गई, जबकि प्रजा सभा को पूरे जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।34 अधिनियम के तहत कार्यकारी कार्य एक परिषद के पास निहित थे जिसमें प्रधानमंत्री और ऐसे अन्य मंत्री शामिल थे जिन्हें महाराजा द्वारा नियुक्त किया गया था।35 अधिनियम में एक उच्च न्यायालय (जो वास्तव में 1928 में स्थापित किया जा चुका था) की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया था, 36 जो दस हजार या उससे अधिक मूल्य के किसी भी मूल दीवानी मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ एक अभिलेख न्यायालय होना था, और दीवानी, आपराधिक और राजस्व अपील भी।37

31 वी. पी. मेनन, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (ओरिएंट लॉन्गमैन)

प्राइवेट लिमिटेड 1956)392.

32 रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतः दुनिया के सबसे बड़े का इतिहास

लोकतंत्र (पिकाडोर 2008) 60.

33 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 24.

34 जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 की धारा 5 और 23।यह भी देखें

न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद, जम्मू और कश्मीर का संविधानः इसका विकास

& टिप्पणियाँ (3 वां संस्करण।, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा. लिमिटेड 1998) 41,44। 35 जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 की धारा 7।न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद, जम्मू और कश्मीर का संविधान भी देखें।इसका विकास और टिप्पणियां (तीसरा संस्करण।, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा. लिमिटेड 1998)42.

36 न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद, जम्मू और कश्मीर का संविधानः इसका विकास

& टिप्पणियाँ (3 वां संस्करण।, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा. लिमिटेड 1998) 50. 37 जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 की धारा 56।न्याय भी देखें

ए. एस. आनंद, जम्मू और कश्मीर का संविधानः इसका विकास और

टिप्पणियाँ (3 वां संस्करण।, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा. लिमिटेड 1998)51.

प्रस्तावना

13. द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता आंदोलन ने स्वतंत्रता को अपरिहार्य बना दिया।आई. डी. 1 की मंत्रिमंडलीय मिशन योजना में एक ऐसे भारत संघ की परिकल्पना की गई थी जिसमें संघ की रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर जिम्मेदारी होगी और राज्यों को अन्य सभी विषयों पर अधिकार क्षेत्र बनाए रखना होगा जो संघ को नहीं सौंपे गए हैं।38 भारत की संविधान सभा ने 22.1.1947 पर सर्वसम्मति से सभा के उद्देश्य और गंभीर संकल्प की घोषणा करने वाले उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया।

भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना।" द प्रिंसली

जो राज्य भारत संघ में शामिल हुए थे, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के साथ स्वायत्त इकाइयों का दर्जा प्राप्त करना और बनाए रखना था, सिवाय उन शक्तियों और कार्यों के जो संघ को निहित या सौंपे गए थे।14. आई. डी. 1 पर, माउंटबेटन योजना ने भारतीय राज्यों के किसी न किसी प्रभुत्व (यानी भारत या पाकिस्तान) में विलय के साथ भारत के विभाजन की परिकल्पना की थी।एक स्वतंत्र भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए 15.8.1947 की समय सीमा निर्धारित की गई थी।39

जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जिसमें मुख्य रूप से मुसलमान आबादी थी, जिस पर एक हिंदू राजा का शासन था।40 यह वी. पी. मेनन की सहायता से सरदार पटेल की राजनीतिक कुशलता थी, जिसने 500 से अधिक स्वायत्त और कभी-कभी प्राचीन सरदारों को भारत की 14 नई प्रशासनिक इकाइयों में विघटित होते देखा, जो ज्ञान, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत द्वारा लाई गई एक अद्भुत उपलब्धि थी।41 लेकिन जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद एक चुनौती साबित हुए, क्योंकि 15.8.1947 तक, इन तीनों में से कोई भी भारत में शामिल नहीं हुआ था।42 कश्मीर एक विचित्र स्थिति थी।अन्य दो के विपरीत, यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था।तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखने का सपना देखा था।

38 कैबिनेट मिशन योजना, 1946 का बिंदु 15।

39 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 49.

40 वी. पी. मेनन, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी (ओरिएंट लॉन्गमैन)

प्राइवेट लिमिटेड 1956)394.

41 रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतःदुनिया के सबसे बड़े का इतिहास

लोकतंत्र (पिकाडोर 2008) 44.

42 बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947-2000 (पेंगुइन बुक्स 2007) 92.

या तो भारतीय या पाकिस्तानी प्रभुत्व।43 उन्होंने दोनों देशों के साथ एक ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया जो सीमाओं के पार लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देगा।पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत इंतजार कर रहा था और देख रहा था।44 यह घाटी के स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व के दो-राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में नहीं होने और घाटी के पाकिस्तान में शामिल होने की पूर्वनिर्धारित अनिवार्यता की पृष्ठभूमि में था।आखिरकार, इसने भारत में शामिल होने और असममित संघीय मॉडल के भीतर स्वायत्तता पर बातचीत करने का एक जानबूझकर और सचेत निर्णय लिया।नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वैचारिक समरूपता इस मार्ग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक थी।45

15. पाकिस्तान इंतजार करने को तैयार नहीं था।22.10.1947 को, सर्दियों की शुरुआत के साथ, पाकिस्तानी सेना के अनौपचारिक नेतृत्व में कई पठान आदिवासियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया और तेजी से श्रीनगर की ओर धकेल दिया।महाराजा की सेना आक्रमणकारी सेनाओं के लिए कोई मुकाबला साबित नहीं हुई।महाराजा के पास सैन्य सहायता के लिए भारत से अपील करने के अलावा बहुत कम विकल्प बचे थे, लेकिन भारत सच्चे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भावना से औपचारिक विलय की प्रतीक्षा कर रहा था।अंत में, आई. डी. 1 पर, महाराजा भारत में शामिल हो

गए और श्री शेख अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में स्थापित करने पर सहमत हो गए। 46 लॉर्ड माउंटबेटन ने परिग्रहण को इस चेतावनी के साथ स्वीकार किया कि परिग्रहण की पुष्टि करने के लिए एक जनमत संग्रह होगा।47 इस प्रकार, भारतीय सैनिक आगे बढ़े और दिन बचा लिया।नेहरू के संबोधित शब्द

अपनी बहन को इसे अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, "श्रीनगर एक धुएँ का खंडहर हो सकता है। हम समय रहते वहाँ पहुँच गए।" 48

43 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 46.

44 रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतःदुनिया के सबसे बड़े का इतिहास

डेमोक्रेसी (पिकाडोर 2008) 63.

45 रेखा चौधरी, 'कश्मीर इन द इंडियन प्रोजेक्ट ऑफ नेशनलिज्म' नायला अली में

खान (संस्करण), द पार्चमेंट ऑफ कश्मीरःइतिहास, समाज और राजनीति (पालग्रेव)

मैकमिलन 2012)154.

46 बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947-2000 (पेंगुइन बुक्स 1999) 93-94।

47 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 80.

48 रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतःदुनिया के सबसे बड़े का इतिहास

लोकतंत्र (पिकाडोर 2008) 69.

विलय का साधन और संविधान सभा की बहसें

16. विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या विलय का मूल साधन (जिसे इसके बाद "आई. ओ. ए". के रूप में संदर्भित किया गया है) 500 रियासत राज्यों के लिए अलग था।इसका जवाब नकारात्मक होगा। अगला सवाल-क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आई. ओ. ए. किसी भी तरह से अलग था। जवाब फिर से नकारात्मक है।जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आई. ओ. ए. निम्नानुसार हैः

"जम्मू और कश्मीर राज्य के विलय का दस्तावेज

जहाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में यह प्रावधान है कि अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से भारत के नाम से जाना जाने वाला एक स्वतंत्र अधिराज्य स्थापित किया जाएगा और भारत सरकार अधिनियम, 1935, ऐसी चूक, परिवर्धन, अनुकूलन और संशोधन के साथ, जैसा कि गवर्नर-जनरल आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं, भारत अधिराज्य पर लागू होगा।

और क्योंकि भारत सरकार अधिनियम, 1935, जैसा कि गवर्नर-जनरल द्वारा इस प्रकार अनुकूलित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि एक भारतीय राज्य अपने शासक द्वारा निष्पादित विलय के दस्तावेज द्वारा भारत डोमिनियन में प्रवेश कर सकता हैः

अब वहाँ

मैं श्रीमान इंदर महिंदर राजराजेश्वर महाराजाधिराज श्री हरि सिंहजी, जम्मू और कश्मीर राज्य के शासक नरेश ताथा टिब्बेट आदि देशधीपट्टी, मेरे उक्त राज्य में और उस पर मेरी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा मेरे विलय के दस्तावेज को निष्पादित करता हूं और

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत डोमिनियन को इस आशय से स्वीकार करता हूँ कि भारत के गवर्नर-जनरल, डोमिनियन विधानमंडल, संघीय न्यायालय और डोमिनियन के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य डोमिनियन प्राधिकरण, इसके आधार पर मेरे विलय के दस्तावेज, लेकिन हमेशा इसकी शर्तों के अधीन, और केवल डोमिनियन के उद्देश्यों के लिए, जम्मू और कश्मीर राज्य (इसके बाद "इस राज्य" के रूप में संदर्भित) के संबंध में ऐसे कार्यों का प्रयोग करेगा जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा या उसके तहत उनमें निहित हो सकते हैं, जो 15 अगस्त, 1947 को भारत डोमिनियन में लागू था (जो अधिनियम इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

2. मैं एतद्द्वारा यह सुनिश्चित करने का दायित्व मानता हूं कि इस राज्य के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को उचित प्रभाव दिया जाए, जहां तक वे मेरे विलय के दस्तावेज के आधार पर लागू होते हैं।

3. मैं यहाँ की अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों को उन मामलों के रूप में स्वीकार करता हूँ जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल इस राज्य के लिए कानून बना सकता है।

4. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत अधिराज्य को इस आश्वासन पर स्वीकार करता हूँ कि यदि गवर्नर जनरल और इस राज्य के शासक के बीच एक समझौता किया जाता है जिसके द्वारा इस राज्य में प्रशासन के संबंध में डोमिनियन विधानमंडल की किसी भी कानून के किसी भी कार्य का प्रयोग इस राज्य के शासक द्वारा किया जाएगा, तो ऐसा कोई भी समझौता इस लिखत का हिस्सा माना जाएगा और इसका अर्थ लगाया जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।

5. मेरे विलय के दस्तावेज की शर्तों में अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के किसी भी संशोधन द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस संशोधन को मेरे द्वारा इस दस्तावेज के पूरक दस्तावेज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

6. इस लिखत में कुछ भी डोमिनियन विधानमंडल को किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को अधिकृत करने वाला कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं देगा, लेकिन मैं

एतद्द्वारा यह वचन देता हूं कि यदि डोमिनियन किसी डोमिनियन कानून के प्रयोजनों के लिए, जो इस राज्य में लागू होता है, किसी भी भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक समझता है, तो मैं उनके अनुरोध पर उनके खर्च पर भूमि का अधिग्रहण करूंगा या यदि भूमि मेरी है, तो इसे उन्हें ऐसी शर्तों पर हस्तांतरित करूंगा जिन पर सहमति हो सकती है, या समझौते की चूक में, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

7. इस लिखत की कोई भी बात मुझे किसी भी तरह से भारत के किसी भी भावी संविधान की स्वीकृति के लिए या ऐसे किसी भावी संविधान के तहत भारत सरकार के साथ व्यवस्था करने के लिए मेरे विवेक को बाधित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं मानी जाएगी।

8. इस लिखत में कुछ भी इस राज्य में और उस पर मेरी संप्रभुता के जारी रहने का, या इस लिखत द्वारा या उसके तहत प्रदान की गई किसी भी शक्ति, अधिकार और अधिकारों के प्रयोग के अलावा, इस राज्य के शासक के रूप में अब मुझे प्राप्त है या इस राज्य में वर्तमान में लागू किसी भी कानून की वैधता का संबंध नहीं है।

9. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस राज्य की ओर से इस दस्तावेज़ को निष्पादित करता हूँ और इस दस्तावेज़ में मेरे या राज्य के शासक के लिए किसी भी संदर्भ का अर्थ मेरे उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के संदर्भ के रूप में लगाया जाना चाहिए।

अक्टूबर के इस 26 वें दिन उन्नीस सौ सैंतालीस को मेरे हाथ में दिया गया।

एसडी/-

जम्मू और कश्मीर राज्य के हरि सिंह महाराजाधिराज।मैं एतद्द्वारा विलय के इस दस्तावेज को स्वीकार करता हूं।

अक्टूबर के इस सत्ताईसवें दिन की तारीख, उन्नीस सौ सैंतालीस।

एसडी/-

बर्मा का माउंटबेटन,

भारत के गवर्नर-जनरल।

अनुसूची

टी टी टी

टी टी टी

7. लाइटहाउस, जिसमें लाइटशिप, बीकन और शिपिंग और विमान की सुरक्षा के लिए अन्य प्रावधान शामिल हैं।

8. समुद्र या हवाई मार्ग से यात्रियों और वस्तुओं को ले जाना।

9. किसी भी इकाई से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उस इकाई के बाहर रेलवे क्षेत्र तक विस्तार।

डी. सहायक

I. डोमिनियन विधानमंडल के लिए चुनाव, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी आदेश के अधीन।

2. उपरोक्त मामलों में से किसी के संबंध में कानूनों के खिलाफ है।3. उपर्युक्त मामलों में से किसी के उद्देश्यों के लिए पूछताछ और सांख्यिकी।

4. उपर्युक्त मामलों में से किसी के संबंध में सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, लेकिन अधिनिर्णय करने वाले राज्य के शासक की सहमति के अलावा, इस तरह से नहीं कि उस राज्य में या उसके संबंध में सामान्य रूप से अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों के अलावा किसी अन्य न्यायालय को कोई अधिकारिता या शक्तियां प्रदान की जाएं।"

17. हम अगले ही दिन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा महाराजा हरि सिंह को किए गए संचार का उल्लेख कर सकते हैं, अर्थात 27.10.1947, जो नीचे लिखा है:

"मेरे प्यारे महाराज साहब,

महामहिम का 26 अक्टूबर का पत्र श्री वी. पी. मेनन ने मुझे सौंपा है।महामहिम द्वारा उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में, मेरी सरकार ने कश्मीर राज्य के भारत अधिराज्य में विलय को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।उनकी इस नीति के अनुरूप कि किसी भी राज्य के मामले में जहां विलय का मुद्दा विवाद का विषय रहा है, विलय के सवाल का फैसला राज्य के लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए, यह मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाए और उसकी भूमि आक्रमणकारी से मुक्त हो जाए, राज्य के विलय के सवाल का निपटारा लोगों के हवाले से किया जाए।इस बीच, सैन्य सहायता के लिए महामहिम की अपील के जवाब में, अपने क्षेत्र की रक्षा करने और अपने लोगों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी सेनाओं की मदद करने के लिए भारतीय सेना के सैनिकों को कश्मीर भेजने के लिए आज कार्रवाई की गई है।

मेरी सरकार और मुझे संतोष है कि महामहिम ने शेख अब्दुल्ला को आपके प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

309

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 310

आपकी ईमानदारी से,

एसडी/-

बर्मा का माउंटबेटन "

18. अब भारतीय संविधान के पहले मसौदे की तैयारी की ओर मुड़ते हैं, जिसे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति की ओर से इसके अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 21.2.1948 पर सौंपा था।49 उस संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 370 का कोई समतुल्य नहीं था।इस अवधि के दौरान, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में पेश किया जा रहा था।50 अनुच्छेद 306-ए (अनुच्छेद 370 के समतुल्य) को संविधान सभा की बहस के दौरान शामिल किया गया था और इसे 17.10.1949 पर पेश किया गया था।अनुच्छेद 305-ए का मसौदा गोपालस्वामी अयंगर द्वारा शेख अब्दुल्ला के साथ घनिष्ठ परामर्श में तैयार किया गया था, जिसकी सामग्री केंद्र और जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच मई से अक्टूबर, 1949 तक हुई बातचीत का परिणाम थी। 51 संविधान सभा की बहसों में जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति का उल्लेख श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा किया गया है।जो कहा गया वह यह था कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक संविधान सभा के अस्तित्व में आने तक अनुच्छेद 303-ए के माध्यम से एक अंतरिम प्रणाली स्थापित की जानी थी।अनुच्छेद 306-ए निम्नानुसार हैः

“306-उ. (1) इस संविधान में कुछ भी निहित नहीं है।(क) इस संविधान के अनुच्छेद 211 क के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे।

((ख) राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति इन तक सीमित होगी -

49 ‘भारत के संविधान का मसौदा, 1948 '(संविधान सभा की बहस)// डब्ल्यू. डब्ल्यू.भारत का संविधान। शुद्ध/ऐतिहासिक _ संविधान/प्रारूप _ संविधान _ भारत _ _ 1948 _ 21% 20 फरवरी% 201948>।

50 ए. जी. नूरानी, द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012, वॉल्यूम। 2 (तुलिका बुक्स 2013)

77-80.

51 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का एक संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत 2014) 50-78।इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 98 भी देखें।

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची के वे मामले जो राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं कि वे भारत अधिराज्य में राज्य के विलय को नियंत्रित करने वाले विलय पत्र में निर्दिष्ट मामलों के अनुरूप हैं, वे ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में अधिराज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है और

((ख) उक्त सूचियों में ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं;

स्पष्टीकरण -- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे संघ द्वारा कुछ समय के लिए जम्मू और कश्मीर के महाराजा के रूप में मान्यता दी जा रही है, जो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है, कुछ समय के लिए आधिकारिक तौर पर, महाराजा की उद्घोषणा के तहत, दिनांक 5 मार्च, 1948।

(ग) इस संविधान के अनुच्छेद 1 के प्रावधान राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के अन्य प्रावधानों में से ऐसे और ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए राज्य के संबंध में लागू होंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेः

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश जो राज्य के विलय के दस्तावेज में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित हो, राज्य सरकार के परामर्श के अलावा जारी नहीं किया जाएगाः

परंतुक कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित हो, उस सरकार की सहमति के अलावा जारी नहीं किया जाएगा।

(2) यदि उपखंड (ख) (ii) में या खंड (1) के उपखंड (घ) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट राज्य सरकार की सहमति संविधान सभा के समक्ष राज्य का संविधान तैयार करने के उद्देश्य से बुलाई जाती है, तो उसे ऐसे निर्णय के लिए ऐसी सभा के समक्ष रखा जाएगा जो वह उस पर ले।(3) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती खंडों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद प्रभावी नहीं रहेगा या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ और ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो वह निर्दिष्ट करेः

311

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 312

बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।”19. जम्मू और कश्मीर राज्य पर संसद का विधायी अधिकार, जिसका उल्लेख उस अनुच्छेद के दूसरे भाग में किया गया है (अनुच्छेद 305 -ए), को मुख्य रूप से आई. ओ. ए. द्वारा शासित कहा गया था। यह आगे कहा गया कि चूंकि जम्मू और कश्मीर पहली अनुसूची के भाग III में उल्लिखित राज्यों में से एक था (उस समय भारत के राज्यों और क्षेत्रों का विवरण), अनुच्छेद 1 स्वचालित रूप से लागू होना था।श्री अय्यंगार ने कहा कि संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू और

कश्मीर पर ऐसे अपवाद और संशोधनों के साथ लागू होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा उस अधिनियम के लिए आदेश जारी करने पर तय किए जा सकते हैं।आई. ओ. ए. में उल्लिखित मामलों के संबंध में, इस तरह के आदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी।अन्य मामलों के लिए सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी।

श्री अयंगर ने तब खंड (2) की ओर रुख करते हुए कहा कि यह विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है जिनका आई. ओ. ए. में उल्लेख नहीं है और ऐसे मामलों के संबंध में कोई भी जोड़ संविधान सभा की सहमति से किया जाएगा जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान बनाने के उद्देश्यों के लिए बुलाया जा सकता है।अनुच्छेद 211 ए (भारत के संविधान का अनुच्छेद 238,1.11.1956 पर निरस्त) जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होना था, लेकिन इसे राज्य के संविधान की स्थायी विशेषता नहीं कहा गया था।इसलिए, जब राज्य की संविधान सभा बैठक करेगी और अपने संविधान पर अपनी संघीय अधिकारिता की सीमा के बारे में निर्णय लेगी, तो राष्ट्रपति, संविधान सभा की सिफारिश पर, एक आदेश जारी कर सकता है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 306-ए लागू नहीं होगा, या केवल ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।अनुच्छेद 306-ए (इसके समावेश पर डॉ. अम्बेडकर सहित) को लागू करने पर निस्संदेह असहमत विचार थे।लेकिन, तथ्य यह है कि, अंततः, इसे अनुच्छेद 370 के रूप में संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया था, और संविधान को इस देश के लोगों द्वारा उस प्रावधान के साथ अपनाया गया था।

जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान सभा और अनुच्छेद **370**

20. आई. डी. 1 पर, महाराजा हरि सिंह, जो अनुपस्थिति की 'अस्थायी' छुट्टी ले रहे थे, ने एक घोषणा जारी की जिसमें युवराज करण सिंह को राज्य और सरकार के संबंध में अपनी सभी शक्तियां और कार्य सौंपे गए।

जम्मू और कश्मीर।52 25.11.1949 पर, युवराज करण सिंह ने रीजेंट के रूप में, भारत के नए संविधान को स्वीकार करते हुए एक घोषणा जारी की।53 युवराज करण सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना का निर्देश देते हुए 1.5.1951 पर एक घोषणा जारी की गई थी।54 अगस्त, 1951 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए थे।जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र प्रभावी विपक्षी समूह, प्रजा परिषद ने इन चुनावों का बहिष्कार किया।यह बहिष्कार संविधान सभा के चुनाव के लिए सभी 27 प्रजा परिषद सदस्यों की उम्मीदवारी की अस्वीकृति के कारण हुआ। परिणामस्वरूप, 75 सदस्यों में से 72 को संविधान सभा के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन के टिकट पर निर्विरोध चुना गया।55

21. इस बीच, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ परामर्श के बाद, राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में आवेदन) आदेश, 1950 (इसके बाद "सी. ओ. 10" के रूप में संदर्भित) दिनांक 26.1.1950 जारी किया, जिसमें उन विषयों की एक अनुसूची की पहचान की गई जो आई. ओ. ए. के अनुरूप थे और जिनके बारे में, अकेले संसद के पास अनुच्छेद 370 (1) (बी) (आई) के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति थी।इसके अलावा, सी. ओ. 10 ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के साथ, केवल वही संवैधानिक प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे जो निर्दिष्ट किए गए अपवादों और संशोधनों के अधीन, उक्त सी. ओ. की दूसरी अनुसूची में पहचाने गए हैं।

22. 10.6.1952 पर, जम्मू और कश्मीर के संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांतों को विकसित करने के लिए मूल सिद्धांत समिति द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे 7.11.1951 पर नियुक्त किया गया था।56 इस रिपोर्ट में संस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी

52 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का एक संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत 2014) 48,49.

53 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का एक संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत 2014) 78.

54 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:ए कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडिया 2014)

55 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 100.

56 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का संवैधानिक इतिहास 313

वंशानुगत शासन, और राज्य के एक निर्वाचित प्रमुख का प्रावधान, जिसे अंततः जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।57 भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर, संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत घोषणा जारी की (जिसे इसके बाद "सी. ओ. 44" के रूप में संदर्भित किया गया है) एक स्पष्टीकरण शामिल करने के लिए कि 'राज्य सरकार' वाक्यांश का अर्थ जम्मू और कश्मीर का 'सदर-ए-रियासत' है, जो कुछ समय के लिए राज्य के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।युवराज करण सिंह पहले निर्वाचित सदर-ए-रियासत बने।58

23. भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच जुलाई 1952 में दिल्ली समझौता किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अन्य राज्यों के संबंध में संसद में निहित विधायिका की अवशिष्ट शक्तियां जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए राज्य में ही निहित होंगी।शेख अब्दुल्ला द्वारा

1952 में इस आशय का एक बयान दिया गया था कि भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य का विलय वास्तव में और कानून में पूर्ण था, लेकिन आई. ओ. ए. में उल्लिखित विषयों की सीमा तक, अन्य सभी विषयों के संबंध में राज्य की स्वायत्तता को संरक्षित किया जाना था।60 अन्य राज्यों के विपरीत, अवशिष्ट शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर राज्य में ही निहित हैं।61

24. इस अवधि में दिल्ली समझौते के प्रावधानों का विरोध हुआ, जो अन्य बातों के साथ-साथ मौलिक कानूनों के संबंध में भारत के संविधान की प्रयोज्यता पर लगाई गई सीमाओं और प्रतिबंधों से संबंधित था।

(ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इंडिया 2014) 111-113।

57 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का एक संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत) 117-120,217-223।

58 ए. जी. नूरानी, द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012, वॉल्यूम। 2 (तुलिका बुक्स 2013)

401.

59 रामचंद्र गुहा, गाँधी के बाद भारतःदुनिया के सबसे बड़े का इतिहास

लोकतंत्र (पिकाडोर 2008) 248।

60 इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा, कश्मीर की अनकही कहानी, (ब्लूम्सबरी इंडिया 2019) 102-103।

61 भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच जुलाई 1952 में हुए दिल्ली समझौते के अनुसार; रामचंद्र गुहा, गांधी के बाद भारत भी देखें।दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास (पिकाडोर 2008) 248।

अधिकार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता।जम्मू क्षेत्र में यह विरोध तीव्र था और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रजा परिषद के तत्वावधान में तत्कालीन भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के राष्ट्रवादी आह्वान से इसे बल मिला।62

25. शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू और कश्मीर सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक संबंध दुर्भाग्य से इस हद तक बिगड़ गए कि यह माना जा रहा था कि शेख अब्दुल्ला राज्य को अलग करने की ओर झुक रहे थे और जुलाई 1953 के मध्य तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की कि कश्मीर को स्वतंत्र होना चाहिए।परिणामस्वरूप शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री के रूप में बर्खास्त कर दिया गया और तुरंत बख्शी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में एक नई सरकार स्थापित की गई, जिसमें शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया।63 उन्हें अप्रैल, 1964 में ही रिहा किया गया था। 64 राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू और कश्मीर में आवेदन) आदेश, 1954 (इसके बाद "सी. ओ. 48" के रूप में

संदर्भित) जारी किया, जो सी. ओ. 10 को हटा देता है।इस आदेश के पैराग्राफ 2 में संविधान के प्रावधानों को निर्धारित किया गया है, जो अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा, जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, जो अपवादों और संशोधनों के अधीन होंगे।प्रस्तुत किए गए उल्लेखनीय विशिष्टताओं में से एक, जो वर्तमान मामले के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 का दूसरा परंतुक था, जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, जो निम्नानुसार हैः

"बशर्ते कि जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या

62 रेखा चौधरी, 'कश्मीर इन द इंडियन प्रोजेक्ट ऑफ नेशनलिज्म' नायला अली में

खान (संस्करण), द पार्चमेंट ऑफ कश्मीरःइतिहास, समाज और राजनीति (पालग्रेव)

मैकमिलन 2012) 171-172।बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और

आदित्य मुखर्जी, भारत स्वतंत्रता के बाद 1947-2000 (पेंगुइन बुक्स)

2007)418.

63 ए. जी. नूरानी, कश्मीर विवादः1947-2012 , खण्ड. 1 (तुलिका बुक्स 2013)

44.

64 बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947-2000 (पेंगुइन बुक्स 2007) 418-419।

उस राज्य की सीमा उस राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश की जाएगी।"

26. जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के संविधान को 17.11.1956 पर मंजूरी दी और अपनाया, और उक्त संविधान 26.1.1957 पर लागू हुआ।इस संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में,

"हम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग, 26 अक्टूबर, 1947 को भारत में इस राज्य के विलय के अनुसरण में, भारत संघ के साथ राज्य के मौजूदा संबंधों को उसके अभिन्न अंग के रूप में और अधिक अवहेलना करने और अपने लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए, गंभीरता से संकल्प लेते हैं।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता।

स्थिति और अवसर की समानता; और हम सभी के बीच बढ़ावा देना।

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व;

नवंबर, 1956 के इस सत्रहवें दिन हमारे संविधान सभा में, इस संविधान को स्वीकार करें और खुद को दें।

27. जम्मू और कश्मीर संविधान की कुछ प्रासंगिक धाराएँ, जिन पर चर्चा की आवश्यकता होगी, नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही हैंः

"भाग I

प्रारम्भिक

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2।परिभाषाएँ।-(1) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो -

(क) "भारत का संविधान" से इस राज्य के संबंध में लागू होने वाला भारत का संविधान अभिप्रेत है;

XXXXXXXXXXXXXXX "

"भाग II

राज्य

(3) भारत संघ के साथ राज्य का संबंध।- राज्य की

जम्मू और कश्मीर भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।

(4) राज्य का क्षेत्र।- राज्य के क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन राज्य के शासक की संप्रभुता या अधिराज्य के अधीन थे।

(5) राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति का विस्तार।- द.

राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति उन सभी मामलों को छोड़कर सभी मामलों में फैली हुई है, जिनके संबंध में संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है।..... .....

मंत्रालयों की परिषद

35. राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।

(1) सदर-ए-रियासत को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी।

(2) धारा 36,38 और 92 के तहत आने वाले कार्यों को छोड़कर सदर-ए-रियासत के सभी कार्यों का प्रयोग उसके द्वारा केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा।

(3) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा सदर-ए-रियासत को कोई और क्या सलाह दी गई थी, किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी।..... .....

53. विधानमंडल का सत्र**,** सत्रावसान और विघटन।

(1) सदर-ए-रियासत समय-समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाएगी जैसा वह समझता है, लेकिन एक सत्र में अपनी अंतिम बैठक और अगले सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(2) सदर-ए-रियासत समय-समय पर-317

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 318

(क) सदनों का सत्रावसान या दोनों में से कोई एक सदन (ख) विधानसभा को भंग कर देता है।

....

संवैधानिक मशीनरी का टूटना

92. में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान

राज्य।- (1) यदि किसी भी समय राज्यपाल को संतुष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राज्यपाल घोषणा द्वारा -

(क) राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्य में किसी के द्वारा या प्राधिकरण द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने लिए ग्रहण करे;

(ख) राज्य में किसी से या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधानों सहित ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जो राज्यपाल को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैंः

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात राज्यपाल को उच्च न्यायालय में निहित या प्रयोग करने योग्य किसी भी शक्ति को अपने पास लेने या उच्च न्यायालय से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी।

(2) ऐसी किसी भी घोषणा को बाद की घोषणा द्वारा निरस्त या बदला जा सकता है।

(3) ऐसी कोई भी उद्घोषणा चाहे वह उप-धारा (2) के तहत भिन्न हो या नहीं, सिवाय इसके कि जहां यह पिछली उद्घोषणा को निरस्त करने वाली उद्घोषणा है, उस तारीख से छह महीने की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगी जिस दिन इसे पहली बार जारी किया गया था।

(4) यदि राज्यपाल इस धारा के तहत एक उद्घोषणा द्वारा कानून बनाने के लिए विधानमंडल की किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण करता है, तो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा बनाई गई कोई भी विधि, उसकी शर्तों के अधीन रहते हुए, उस तारीख से दो साल बीतने तक प्रभावी बनी रहेगी, जिस दिन घोषणा प्रभावी नहीं होती है, जब तक कि जल्द से जल्द

विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निरसित या पुनः अधिनियमित, और विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या विधियों के लिए इस संविधान में किसी भी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें ऐसी विधि का संदर्भ भी शामिल है।

(5) उप-धारा (1) के तहत कोई घोषणा भारत के राष्ट्रपति की सहमति के अलावा जारी नहीं की जाएगी।

(6) इस धारा के तहत प्रत्येक उद्घोषणा, सिवाय इसके कि यह पिछली उद्घोषणा को निरस्त करने वाली उद्घोषणा है, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जल्द से जल्द रखी जाएगी।"

" भाग बारहवाँ

संविधान में संशोधन

147. संविधान में संशोधन।**-** इसमें एक संशोधन

संविधान की शुरुआत केवल विधान सभा में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक को पेश करके की जा सकती है और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है, तो इसे राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक को ऐसी सहमति दिए जाने पर, संविधान विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित होगाः

बशर्ते कि विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान करने वाला विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है और उसके द्वारा विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले विधानसभा के सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता हैःबशर्ते कि इसमें कोई परिवर्तन करने का प्रयास करने वाला कोई विधेयक या संशोधन -

((क) यह धारा; या

(ख) धारा 3 और 5 के प्रावधान; या

(ग) राज्य के संबंध में भारत के संविधान के प्रावधान, जो लागू हों,

विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश या पेश किया जाएगा।”28. संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) तीसरा संशोधन आदेश, 1964 (इसके बाद "सी. ओ. 71" के रूप में संदर्भित) दिनांक 21.11.1964 ने भारत के संविधान में संशोधन किया, जैसा कि 319 राज्य पर लागू होता है।

जम्मू और कश्मीर, और अनुच्छेद 356 को राज्य पर लागू किया, इस संशोधन के साथ कि 'संविधान' अभिव्यक्ति में 'जम्मू और कश्मीर का संविधान' शामिल है।जम्मू और कश्मीर का संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1965, राज्य के संविधान में 'सदर-ए-रियासत' और 'प्रधानमंत्री' की जगह क्रमशः 'राज्यपाल' और 'मुख्यमंत्री' के साथ पारित किया गया था।साथ ही, संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 (जिसे इसके बाद "सी. ओ. 74" के रूप में संदर्भित किया गया है) भारत के राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 370 (1) के तहत जारी किया गया था।इसने अन्य बातों के साथ-साथ सदर-ए-रियासत के नाम परिवर्तन को राज्यपाल में बदलने के लिए अनुच्छेद 367 (बी) को प्रतिस्थापित करने के लिए सी. ओ. 48 में संशोधन किया।

29. राजनीतिक वार्ताओं और घटनाक्रमों में भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच कश्मीर समझौता, 1975 हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों के बीच संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (कश्मीर समझौते के खंड (1) के अनुसार) द्वारा शासित होंगे।समझौते के खंड (2) ने दोहराया कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास ही रहेंगी।इसके साथ, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शेख अब्दुल्ला का पुनर्वास और पुनः स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री सैयद मीर कासिम ने पद छोड़ दिया।65 यह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से था, जिसके पास जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा में बहुमत था, इस समझ पर कि जल्द ही नए चुनाव होंगे।66

30. हालाँकि, 1975 के आपातकाल के लागू होने के साथ राजनीतिक स्थिरता लंबे समय तक नहीं रही।जब कांग्रेस पार्टी 1977 के लोकसभा चुनाव हार गई, तो जम्मू और कश्मीर से समर्थन वापस ले लिया गया।इसके कारण मार्च 1977 में शेख अब्दुल्ला की सरकार गिर गई और राज्यपाल शासन लगा दिया गया।67 हालाँकि, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 1977 के राज्य चुनावों में सत्ता में वापस आई।68

65 डेविड ई. लॉकवुड, 'कश्मीरःशेख अब्दुल्ला की बहाली '(1975) 31 (6) द वर्ल्ड टुडे, 250//डब्ल्यू. डब्ल्यू.जेस्टोर।ओआरजी/स्थिर/40394860?सेक् = 1>।66 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत) 16-17।

67 ए. जी. नूरानी, अनुच्छेद 370:जम्मू और कश्मीर का एक संवैधानिक इतिहास (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, भारत) 17.

68 सुरिंदर मोहन, 'जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र 1947-2008' 2012 16 (3)

1989-1990 आगेःएक और मुश्किल समय

31. भगवान और प्रकृति कश्मीर घाटी के प्रति बहुत दयालु रहे हैं।दुर्भाग्य से, मानव प्रजाति इतनी विचारशील नहीं रही है।1980 के दशक में कुछ परेशान करने वाले समय 1987 के चुनावों में समाप्त हुए, जिसमें आरोप और जवाबी आरोप देखे गए।69 सीमा पार से कट्टरपंथ का विकास हुआ।1971 में बांग्लादेश के निर्माण को भुलाया नहीं गया था।बेरोजगार और हताश युवाओं को मिलिशिया के रूप में प्रशिक्षित किया गया और अराजकता पैदा करने के लिए उन्हें कश्मीर वापस भेज दिया गया। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव था, जो किसी भी धर्म की परवाह किए बिना शांति और सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे।कश्मीरी शैववाद और इस्लामी सूफी एस. एम. पर इस तरह की उग्रवादी प्रवृत्तियों ने कब्जा कर लिया था।इससे पहले, सर वाल्टर लॉरेंस ने कश्मीर में व्यक्तियों के खिलाफ अपराध की अनुपस्थिति के बारे में जो लिखा था, वह अच्छा था।70 कश्मीरी पंडित समुदाय का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा हो गया, जिससे कश्मीर के सांस्कृतिक लोकाचार में बदलाव आया।इस मुद्दे पर तीन दशकों के बावजूद बहुत कम बदलाव आया है।यह सीमा पार से सक्रिय समर्थन के साथ भारत के क्षेत्र में एक छद्म युद्ध था।

32. आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, या तो सीमा पार से, या स्वदेशी, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों को लाया गया था।तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण, और बाद में हिरासत में लिए गए आतंकवादियों के बदले में उसकी रिहाई, 71 ने अंतिम मैच को रोशन किया, जिसने इतना अभूतपूर्व प्रदर्शन किया कि इसने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया।सार यह है कि आज की 35 वर्ष या उससे कम आयु की पीढ़ी ने विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक परिवेश को नहीं देखा है, जो कश्मीर में समाज का आधार थे।

वर्ल्ड अफ एयर, 104 <HTTPS://डब्ल्यू. डब्ल्यू.जेस्टोर।ओआरजी/स्थिर/48504940>।

69 ए. जी. नूरानी, द कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012, वॉल्यूम। 2 (तुलिका बुक्स 2013)

543.

70 पी. एन. के. बमजई, कश्मीर की संस्कृति और राजनीतिक इतिहासःआधुनिक कश्मीर,

खण्ड. 3 (एम. डी. पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1994)852.

71 'पांच दिनों के बाद, कश्मीरी आतंकवादियों ने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी 'इंडिया टुडे' (31 दिसंबर, 1989) को रिहा कर दिया।//डब्ल्यू. डब्ल्यू.इंडिया टुडे।में/पत्रिका/विशेष-रिपोर्ट/कहानी/1989-1231-कश्मीरी-आतंकवादी-रिहा करते हैं-रुबिया-संघ की बेटी-गृह-मंत्री-मुफ्ती-मोहम्मद-सईद-816863-1999-11-30>।

33. 1996 में हुए चुनावों में लोकतंत्र की पुनः स्थापना की मांग की गई थी। 72 इसके बाद कश्मीर की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए लगातार प्रयास किए गए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने कहा कि राज्य की स्वायत्तता के लिए "आकाश ही सीमा है" और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने "आकाश ही सीमा है" का नारा दिया।

इंसानियत, जम्हूरियत, कश्मीरियत (यानी, इंसानियतःमानवतावाद; जम्हूरियत

लोकतंत्र; कश्मीरियतःकश्मीर की समावेशी संस्कृति, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मित्रता के साथ)।

हालिया घटनाक्रम

34. याचिकाओं के इस समूह के लिए ट्रिगर अगस्त 2019 में संसद द्वारा किए गए अधिनियम हैं।हम यहां यह भी जोड़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी (इसके बाद "भाजपा" के रूप में संदर्भित) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (इसके बाद "पीडीपी" के रूप में संदर्भित) की गठबंधन सरकार के गिरने के कारण, जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया गया था, क्योंकि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था और इस प्रकार, राज्य सरकार की सभी शक्तियां और कार्य राज्यपाल को प्रदान किए गए थे।आई. डी. 1 पर राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 53 (2) (बी) के तहत राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया।यह छह महीने की अवधि के अंत में, 19.12.2018 पर राज्यपाल शासन की घोषणा की समाप्ति से ठीक पहले था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 19.12.2018 पर जारी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला एक प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था।इस घोषणा [जीएसआर 1223 (ई)] के अनुसार, राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के सभी कार्यों के साथ-साथ राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को भी ग्रहण किया।राज्य के विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना था।इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के पहले और दूसरे प्रावधान, जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, जहां तक वे राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल को भेजे जाने से संबंधित हैं, निलंबित कर दिए गए।इसके अलावा, उसी तारीख को जारी जी. एस. आर. 1224 (ई) के माध्यम से, जी. एस. आर. 1223 (ई) के तहत राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की गई शक्तियों को भी राज्यपाल द्वारा प्रयोग करने योग्य माना गया था।

72 सुरिंदर मोहन, 'जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र 1947-2008' 2012 16 (3) वर्ल्ड अफ एयर, 112-113 <Https://डब्ल्यू. डब्ल्यू.जेस्टोर।ओआरजी/स्थिर/48504940>।

राज्य।राष्ट्रपति शासन को फिर छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया, डब्ल्यू. ई. एफ. 3.7.2019, क्योंकि इस बीच राज्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे।

35. जम्मू और कश्मीर राज्य ने 2.8.2019 पर एक सुरक्षा परामर्श जारी किया, जिसमें सभी अमरनाथ यात्रियों को अपनी यात्रा को बीच में ही रोकने और आतंकवादी खतरों की कुछ खुफिया सूचनाओं को देखते हुए लौटने की सलाह दी गई।

36. इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से (राज्यपाल के माध्यम से, उस समय राज्यपाल में निहित राज्य सरकार की शक्तियों के रूप में) भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के तहत 'संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' (इसके बाद "सी. ओ. 272" के रूप में संदर्भित) शीर्षक से विवादित आदेश जारी किया।उस प्रक्रिया में भारत के संविधान में अनुच्छेद 367 (4) जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 367 (4) (डी) प्रभावी रूप से भारत के संविधान के उपखंड (3) अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया था, 'राज्य की संविधान सभा' अभिव्यक्ति को 'राज्य की विधानसभा' से बदल दिया गया था।यह 11 बजे हुआः00 ए. एम. लगभग।

37. 11 बजेः15 ए. एम., दो वैधानिक प्रस्ताव, अर्थात्।, खंड (1) को छोड़कर अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को समाप्त करने के संबंध में एक सांविधिक प्रस्ताव और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के संबंध में एक सांविधिक प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया था।पुनर्गठन विधेयक में मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया है-एक जम्मू और कश्मीर का और दूसरा लद्दाख का, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्र कारगिल और लेह जिले शामिल हैं।उक्त विधेयक में आगे स्पष्ट किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक विधानसभा होनी थी।5 बजेः30 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के संबंध में सांविधिक प्रस्ताव को लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिनांक 1 की राष्ट्रपति घोषणा के अनुसार, संसद अपनी अनुपस्थिति में राज्य विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग कर रही थी।38. इसके तुरंत बाद, अनुच्छेद 370 के सभी खंडों को समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव, खंड (1) और जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के संबंध में सांविधिक प्रस्ताव को छोड़कर, राज्यसभा द्वारा और अगले दिन लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।हमें सूचित किया जाता है कि 323

ये प्रस्ताव, वास्तव में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किए गए थे।

39. 6.8.2019 पर, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत एक घोषणा जारी की (जिसे इसके बाद "C. O. 273" के रूप में संदर्भित किया गया है), जैसा कि C. O. 272 द्वारा संशोधित किया गया है, यह घोषणा करते हुए कि अनुच्छेद 370 W. E. F. 6.8.2019 को लागू करना बंद कर देगा।यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि प्रभावी रूप से, इस प्रयास ने संवैधानिक संशोधन के मार्ग का उपयोग करके औपचारिक रूप से इसे समाप्त किए बिना अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया।

40. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर, प्रत्यर्थी ने गृह मंत्रालय के माध्यम से, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के लिए, एस. ओ. 2889 (ई) वाली अधिसूचना जारी की।

41. इसके परिणामस्वरूप याचिकाओं का जत्था आया है।

42. दूसरा विकास यह रहा है कि उपरोक्त के अनुसरण में, 31.10.2019 पर, दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था और राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया गया था।

चुनौती

43. वर्तमान मामले में कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं।मौखिक दलीलों का नेतृत्व मोहम्मद की ओर से वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने विद्वान ।अकबर लोन और हसनैन मसूदी।अन्य बातों के साथ-साथ, ये राज्य के निम्नलिखित कार्यों को चुनौती देते हैंः

i. जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का पैरा (सी) (ii) जीएसआर 1223 (ई) दिनांक 19.12.2018 के माध्यम से, और इसे 3.7.2019 से प्रभावी होने के साथ आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

ii.प्रत्यर्थी सं. 2 राज्य द्वारा दी गई सहमति, जो भारत के राष्ट्रपति को भारत का संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू), आदेश 2019, संख्या सी. ओ. 272 दिनांक 5.8.2019 जारी करने में सक्षम बनाती है।

iii.भारत का संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए आवेदन), आदेश 2019 संख्या CO No.272 दिनांक 5.8.2019।

iv.संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत घोषणा संख्या सी. ओ. No.273 दिनांक 6.8.2019 है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम No.34) जिसे 9.8.2019 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।

44. मौखिक प्रस्तुतियाँ विस्तृत थीं, जो विशाल दस्तावेजों, रिपोर्टों, विचारों, ग्रंथों और इस तरह के पर निर्भर थीं।वकीलों ने प्रस्तुतियों को आपस में विभाजित करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी प्रकृति के कारण, प्रस्तुतियों में काफी अंतर था।इस प्रकार, प्रत्येक वकील की प्रस्तुतियों को दर्ज करने के लिए बहुत अधिक दोहराव की आवश्यकता होगी, यही कारण है कि प्रस्तुतियों को परामर्श-वार के बजाय प्रस्तुतियों के अलग-अलग शीर्षों के तहत निपटाना समीचीन माना गया है।यह

अतिरिक्त रूप से निर्णय को स्पष्ट बनाने में मदद करेगा और दोनों पक्षों के बीच विवाद के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।इस प्रकार, चर्चा।

1. संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संबंध।

ए**.** विवादित कार्यकारी कार्रवाइयों से पहले संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों का विकासः

भारतीय राज्य में शामिल होने से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत को दिए गए आश्वासनों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा भारत के संविधान में उभरने वाली परिणामी संवैधानिक गारंटी पर बहुत बल दिया गया था।इस प्रकार, विवादित कार्यकारी कार्रवाई पर लगाए गए आश्वासनों और उसके अनुसरण में विकसित संवैधानिक योजना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।हम वकील द्वारा इस ओर से आग्रह किए गए विभिन्न पहलुओं का सारांश दे सकते हैं।

आई. अनुच्छेद 370 (1) को सुई जेनरिस कहा गया है क्योंकि यह एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू हुआ था।जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 238 से बाहर रखा गया था, जो संसद की कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता है और राज्य में विलय के समय कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी।संघीय संबंधों की प्रकृति पर एक अंतिम निर्णय तब स्पष्ट हो गया जब इसे निर्धारित करने के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचा अस्तित्व में लाया गया, जिस पर तब 325 द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

अन्य लोगों के बीच संविधान सभा।यह निर्णय अद्वितीय था क्योंकि इसे भारतीय संघ में विलय करने वाले अन्य राज्यों से अलग व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया था।हम संविधान सभा के महत्व पर थोड़ा मतभेद देख सकते हैं क्योंकि श्री जफर शाह के अनुसार, केवल संविधान सभा को ही संबंध निर्धारित करना था, जबकि श्री कपिल सिब्बल के अनुसार, विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार अन्य पहलू भी हो सकते हैं, हालांकि दी गई परिस्थितियों में जो सामान्य नहीं होंगे।ii. अनुच्छेद 370 का पाठ केंद्र और राज्य सरकार के बीच "सहयोग के स्तर" को दर्शाता है।प्रयास विलय को सुविधाजनक बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर के विचारों को समायोजित करना था।इस प्रकार, विलय की योजना परामर्श, सहमति और सिफारिश के आधार पर आगे बढ़ी, जिसमें अंतिम सबसे संकीर्ण और सबसे असाधारण थी।

iii.17 अक्टूबर 1949 को आयोजित संविधान सभा की बहस में श्री गोपालस्वामी अय्यंगार के बयानों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व और संरचना उस समय राज्य में प्रचलित विशिष्ट परिस्थितियों के कारण आवश्यक थी।आखिरकार अनुच्छेद 370 का क्या होगा और क्या इसे निरस्त किया जा सकता है, यह केवल जम्मू और कश्मीर संविधान सभा पर छोड़ दिया गया था, जिसने बदले में लोगों की

इच्छा को प्रतिबिंबित किया।श्री सिब्बल, श्री जफर शाह और श्री दुष्यंत दवे की प्रस्तुतियों का यह सामान्य विषय था।

iv.अनुच्छेद 370 द्वैपाक्षिकता की भावना से प्रेरित है।राष्ट्रपति के आदेशों, विशेष रूप से सी. ओ. 48 ने विधान सभा और संसद के बीच व्यापक कानून बनाने की शक्तियों का प्रावधान किया।जम्मू और कश्मीर पर इसके लागू होने में अनुच्छेद 246 को कम कर दिया गया था, जबकि दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 ने विधानसभा की शक्ति को उन सभी मामलों तक बढ़ा दिया, सिवाय उन मामलों के जहां संसद की शक्ति थी।इस प्रकार, श्री गोपाल सुब्रमण्यम का तर्क था कि संसद और राज्य विधानसभा ने अनुच्छेद 370 के माध्यम से बात की, जो शासी संबंधों का आधार था।

बनामवरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने तर्क दिया कि संघीय ढांचे से संबंधित संविधान में अलग-अलग प्रावधान हैं और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का अस्तित्व भारत के "बहु-सममित" संघीय ढांचे का एक पहलू है।इस प्रकार, संविधान अद्वितीय ऐतिहासिक आकस्मिकताओं से निपटने के लिए विभिन्न संघीय इकाइयों को अलग-अलग स्तर की स्वायत्तता प्रदान करता है।उस पर भरोसा करने की कोशिश की

इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए कि इस न्यायालय ने ऐसी आकस्मिकताओं को संवैधानिक संबंधों की कानूनी व्याख्या के लिए प्रासंगिक सहायक के रूप में अनुकूल रूप से माना था।

B. अनुच्छेद **370** ने भारत के संविधान में स्थायित्व ग्रहण कर लिया थाः

आई. उस समय जम्मू और कश्मीर संविधान की संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के माध्यम से राज्य के दर्जे के मार्ग की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लेने से पहले कई वर्षों तक संबंधों पर बहस की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य और संघ के बीच परिकल्पित इस विशेष संबंध ने एक स्थायी दर्जा प्राप्त किया।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 को स्थायी रूप से लागू किया गया था, जो केवल अपनी विधायी शक्ति में परिवर्तन और संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुप्रयोग के अधीन हो सकता था।संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 74 में की गई टिप्पणियों को श्री सिब्बल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए संदर्भित किया गया था, जिसे राज्य की संविधान सभा की सिफारिश से और मजबूत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद को अनुच्छेद के स्पष्टीकरण खंड (1) में शामिल करने के लिए एक संशोधन के साथ लागू किया जाना चाहिए, जिसे सी. ओ. 44 दिनांक 15.11.1952 द्वारा अधिसूचित किया गया था।इस न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष यह था कि राज्य की संविधान सभा नहीं चाहती थी कि यह

अनुच्छेद बंद हो जाए।वास्तव में, यह सिफारिश करके इस अनुच्छेद के निरंतर संचालन के लिए सहमत हो गया कि इसे केवल इस संशोधन के साथ ही संचालित माना जाना चाहिए।

73 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 324 74 1969 (2) एस. सी. आर. 365 327

ii.संविधान के भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 370 शामिल है, का शीर्षक है

"अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" के रूप में।" सम्मान के साथ।

'अस्थायी' अभिव्यक्ति को कैसे समझा जाए, श्री कपिल सिब्बल, श्री गोपाल शंकरनारायण द्वारा प्रस्तुतियों का एक सामान्य विषय प्रस्तुत किया गया था।"अस्थायी" वाक्यांश का उपयोग अनुच्छेद 370 की प्रकृति से सीमित अर्थों में कहा गया था, यानी इसके जारी रहने पर अंतिम निर्णय जम्मू और कश्मीर संविधान सभा द्वारा लिया जाना था।हालाँकि, एक बार विधानसभा भंग हो जाने के बाद, इस बात की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी रह सकता है, भले ही इस वाक्यांश को संविधान से हटा नहीं दिया गया हो।एक अर्थ में यह आग्रह किया गया था कि राज्य की संविधान सभा द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद 'अस्थायी' वाक्यांश निष्फल हो गया।

iii.राज्य की संविधान सभा की व्यापक और स्पष्ट भूमिका थी।चूँकि कोई अन्य निकाय राज्य संविधान सभा की भूमिका नहीं निभा सकता था, न ही विधान सभा कर सकती थी।श्री सिब्बल के अनुसार, घटक शक्ति को विधायी शक्ति से अलग होने का आग्रह किया गया था।

iv.याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया था कि प्रावधान के लिए सीमांत शीर्षक प्रावधानों की सामग्री को निर्धारित नहीं कर सकता है।इस पर जोर देने के लिए संविधान सभा से डॉ. अम्बेडकर के भाषण और

उद्धृत किया गया।

5. सी. ओ. 48 को जम्मू और कश्मीर संविधान सभा और भारत सरकार दोनों द्वारा एक द्विपक्षीय प्रयास और विश्वास का संकेत होने का आग्रह किया गया था कि यह प्रावधान जारी रहना चाहिए। जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की मसौदा समिति की रिपोर्ट को राज्य में संसद के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट रूप से अवहेलना करने के लिए सी. ओ. 48 के रूप में शब्दशः अपनाया गया था।

vi.विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश द्विवेदी द्वारा एक विशिष्ट रूप से भिन्न दृष्टिकोण का आग्रह विद्वान गया था, जो किसी अन्य वकील के लिए सामान्य नहीं था।उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया।अनुच्छेद 370 (2)

75 (1973) 4 एससीसी 225

संविधान ने संविधान सभा को अनुच्छेद 370 (1) के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेशों को जारी रखने पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार दिया और इस प्रकार, विधानसभा के अस्तित्व में नहीं रहने के बाद कोई नया आदेश नहीं दिया जा सका।इस प्रकार, उन्होंने आग्रह किया कि समय-समय पर जारी किए गए सभी सी. ओ. संवैधानिक जनादेश के बिना थे और संपत प्रकाश 76 मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण नहीं था।फिर भी, दोनों संविधान एक साथ और स्थायी रूप से काम करते रहेंगे।

हम इस मामले के प्रारंभिक दौर से ध्यान दे सकते हैं कि कुछ वकीलों द्वारा एक प्रयास किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस मामले पर पांच न्यायाधीशों से बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाए।एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की याचिका को इस फैसले से अस्वीकार कर दिया गया था

डॉ. शाह फैसल और ओआरएस न्यायालय.भारत संघ और ए. एन. आर 77.

हमारे सामने तर्क एक तरह से केवल उस समय जो आग्रह किया गया था उसकी पुनरावृत्ति थी और इसलिए उस निर्णय के पैरा 42 से 45 में दर्ज कारणों के लिए विशिष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि यह राय दी गई थी कि प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 78 और संपत प्रकाश 79 मामले में निर्णय का कोई टकराव नहीं था।

vii.अनुच्छेद 370 को केवल अनुच्छेद 368 के माध्यम से निरस्त किया जा सकता था, यह मानते हुए कि श्री दुष्यंत दवे और श्री एस. नाफडे के अनुसार जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद संविधान का 370 (3) बचा रहा।हम ध्यान दे सकते हैं कि बदले में कुछ वकीलों ने इस पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार प्रस्तुतियों के इस तरह के पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी।यह उनकी समझ थी कि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370 (3) का कागज पर एक अवशेष अस्तित्व था, और इसके व्यावहारिक अर्थों में, यह जीवित नहीं रहा क्योंकि अनुच्छेद 378 वह मार्ग नहीं है जिसके माध्यम से कथित रूप से आक्रामक कार्रवाई की गई थी।श्री सिब्बल का विचार था कि यह वर्तमान कार्यवाही में एक अकादमिक अभ्यास होगा।

76 ऊपर

77 (2020) 4 एससीसी 1

78 1969 सप्लीमेंट (2) एससीआर 270 79 ऊपर 329

ग. संविधान के अनुच्छेद **370 (3)** का प्रभावः

आई. अनुच्छेद 370 (3) वास्तव में एक आधार है जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें टिकी हुई हैं।यह याचिकाकर्ता का निवेदन है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तब तक किया जा सकता है जब तक कि राज्य की संविधान सभा जब्त नहीं हो जाती।एक बार जब राज्य संविधान सभा की सिफारिशें की गईं और उक्त विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति समाप्त हो गई।भारत की संविधान सभा की बहस में श्री गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा प्रेम नाथ कौल 80 मामले में निकाले गए बयान पर इस उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया था।

ii.याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 (3) का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के संदर्भ में शुरुआत में उपयोग किए गए वाक्यांश "इसके बावजूद" के बाद "राष्ट्रपति कर सकते हैं" वाक्यांश आता है।इस प्रकार, एक सशर्त विशेषता मौजूद है।अनुच्छेद 370 (3) के परंतुक के लिए राज्य संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता होती है, हालांकि उपखंड (2) राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले ऐसी सिफारिश को "आवश्यक" होने का परंतुक करता है।इस प्रकार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग करने से पहले राज्य संविधान सभा की सिफारिश अनिवार्य है।राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग, इस प्रकार, श्री गोपाल शंकरनारायण द्वारा प्रस्तुत सशर्त था।

iii.महाराजा द्वारा निष्पादित दस्तावेजों को विलय के साधन के रूप में पढ़ना, महाराजा की प्रारंभिक विधायी शक्ति को संरक्षित करने का प्रयास करता है और जम्मू और कश्मीर संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था।81

iv.विलय के दस्तावेज और विलय समझौते के बीच अंतर करने की कोशिश की गई।ऐतिहासिक रूप से, 'बाहरी संप्रभुता' के विमोचन के लिए विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे और 'आंतरिक संप्रभुता' के विमोचन के लिए विलय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।इस संबंध में, पदोन्नति में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ

80 ऊपर

81 प्रेम नाथ कौल (पैरा 38)

इस अंतर को उजागर करने के लिए चंद्र देब बनाम उड़ीसा राज्य 82 का उल्लेख किया गया था।इस संदर्भ में, श्री राजीव धवन और श्री जफर शाह दोनों ने प्रस्तुत किया कि महाराजा हरि सिंह या उनके उत्तराधिकारियों ने कभी भी डोमिनियन के साथ किसी भी विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और इस प्रकार, अपनी विधायी शक्तियों को बनाए रखा।

विलय और विलय समझौतों के तंत्र के माध्यम से भारत के हिस्से के रूप में 600 से अधिक राज्यों के एकीकरण को उस ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें उन्हें निष्पादित किया गया

था।इस प्रकार, निवेदन यह था कि इस तरह के ऐतिहासिक समझौतों को भारत संघ द्वारा एकतरफा रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम भारत संघ **83** में टिप्पणियाँ

राष्ट्रपति द्वारा उसमें एकतरफा कार्रवाई के संदर्भ में, जिसे तब बरकरार नहीं रखा गया था, हालांकि बाद में प्रिवी पर्स के उन्मूलन को बरकरार रखा गया था क्योंकि संसद ने इसके संबंध में एक कानून पारित किया था।

vi.श्री जफर शाह ने उपरोक्त के अलावा यह तर्क देने की कोशिश की कि संविधान के अनुच्छेद 370 (3) का उपयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता था।

vii.जम्मू और कश्मीर के संविधान को महाराजा हरि सिंह की संप्रभुता से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कहा गया था, जिसे राज्य में बरकरार रखा गया था, जैसा कि विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने से पता चलता है।इस प्रकार, यह अपने पैरों पर खड़ा है न कि भारत के संविधान के आधार पर।इस व्यवस्था में दो संविधानों के सह-अस्तित्व की परिकल्पना की गई थी, जैसा कि वाई. वी. चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि वे तब थे) द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

केशवानंद भारती **84** मामला।

viii.भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता 85 में की गई टिप्पणियों में यह राय दी गई थी कि जम्मू और कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं है, इसे केवल एक आज्ञाकारी के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि सरफेसी अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए विधायी क्षमता सूची I में पाई जानी थी।

82 1962 पूरक (1) एससीआर 405 83 (1971) 1 एससीसी 85

84 (उपर्युक्त) पैरा 2072 85 (2017) 2 एस. सी. सी. 538 331

जम्मू और कश्मीर में विरासत में मिली संप्रभुता (यदि कोई हो) को निर्धारित करने का कोई अवसर नहीं था और प्रेम नाथ कौल 86 के फैसले के आलोक में वैकल्पिक रूप से इनक्यूरियम के अनुसार होने का आग्रह किया गया था।

2. विवादित कार्यकारी आदेश राज्य और संघ के बीच संबंधों को बदलने के लिए सक्षम नहीं हैंः

ए**.** सी**.** ओ**. 272** अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैः

आई.श्री सिब्बल ने आग्रह किया कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और कोई भी व्याख्या ऐसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी

चाहिए।इन संवैधानिक मूल्यों को लोकतंत्र, संघवाद और संवैधानिक नैतिकता के रूप में गिना गया था।

ii.संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई एकतरफा सहमति पर हमला किया गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर के संविधान ने अनिवार्य किया था कि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही काम कर सकते थे।इसका अपवाद केवल जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 36,38 और 92 में मौजूद कार्रवाई हो सकती है।

iii.यह राज्यपाल की शपथ के तहत बाध्य कर्तव्य था जिसके लिए उन्हें जम्मू और कश्मीर के संविधान को बनाए रखने और संरक्षित करने की आवश्यकता थी, और विवादित कार्रवाई राज्यपाल द्वारा ली गई उक्त शपथ का उल्लंघन थी।

iv.संवैधानिक शक्ति किसी अन्य संवैधानिक रूप से निहित शक्ति को समाप्त करने का साधन नहीं थी।विवादित कार्रवाई व्यावहारिक रूप से अनुच्छेद 370 (3) के तहत जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के पास निहित शक्ति को समाप्त करने के बराबर थी।इस समर्पण के संबंध में मिलर बनाम क्वीन 87 के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था।

v. विवादित कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 367 में खंड (4) को जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन के बराबर थी।शक्ति के इस प्रयोग को माला फाई दे कहा गया था क्योंकि यह माना जाता था कि संशोधन का उद्देश्य एक

86 ऊपर

87 (2019) यूकेएससी 41

विधान सभा पर विशेष प्राधिकारी जो सामान्य रूप से उस अधिकार को ग्रहण नहीं कर सकता था।

vi.राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण, प्रावधान अव्यवहारिक था।

vii.संविधान के अनुच्छेद 367 को अपनी शर्तों पर लागू किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य व्याख्या में सहायता के रूप में था।उक्त अनुच्छेद का उपयोग अनुच्छेद 370 जैसे संविधान के एक अन्य प्रावधान में संशोधन को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता था।

viii.संविधान का अनुच्छेद 370 (3) एक अबाधित खंड के साथ शुरू होता है और इस प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 367 उस प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध नहीं था जैसा कि श्री गोपाल शंकरनारायण ने आग्रह किया था।

ix.किसी भी प्रत्यायोजित शक्ति में 'अपवाद और संशोधन' बनाने के लिए एक निहित संबंध बताया गया था।इसमें अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति की संबंधित शक्ति शामिल होगी और ऐसी सीमाओं को वैधानिक प्रावधानों में अच्छी तरह से मान्यता देने का आग्रह किया गया था।इसे मान्यता देते हुए एक से अधिक निर्णय होने के लिए कहा गया था

सीमा **[**दिल्ली कानून अधिनियम**,** पुनः। **88** और केशवानंद भारती **89**

मामला पैरा 1423]।यह प्रावधानों के मूल सिद्धांतों को लागू करने के बराबर होगा और इस प्रकार, कोई अपवाद नहीं किया जाना चाहिए।

x. पुराणलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति **90** में टिप्पणियाँ

इन्हें सख्ती से केवल न्यायालय के आज्ञाकारी के रूप में समझने की आवश्यकता थी।पहले से ही पूर्ण न्यायिक निर्णय में, न्यायालय ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि उस मामले के तथ्यों में संशोधन एक 'कट्टरपंथी परिवर्तन' का गठन नहीं करता है।केशवानंद भारती 91 मामले में इस तरह की शक्ति की अंतर्निहित सीमा को मान्यता दी गई थी और इस प्रकार, पुरानलाल लखनपाल 92 मामले में उस सिद्धांत को कमजोर करने वाली टिप्पणियों को इनक्यूरियम के अनुसार माना जाना चाहिए।

88 1951 एस. सी. सी. 568 89 ऊपर

90 (1962) 1 एस. सी. आर. 688 91 (ऊपर) पैरा 2072 92 (ऊपर)

बी**.** सी**.** ओ**. 273** अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैः

संविधान के अनुच्छेद 370 की योजना का सार यह बताया गया था कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत किसी भी निर्णय को लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करना चाहिए।राज्य संविधान सभा पहले ही भंग हो चुकी थी।कोई निर्वाचित राज्य विधानसभा नहीं थी।इस मुद्दे को किसी अन्य रूप में लोगों के सामने नहीं रखा गया था और इस प्रकार, लोगों की इच्छा को किसी भी तरह से प्रतिबिंबित नहीं किया गया था जैसा कि श्री सिब्बल ने आग्रह किया था।

ग**.** सी**.** ओ**. 272** और सी**.** ओ**. 273** जारी करते समय संविधान के अनुच्छेद **356** के तहत शक्ति का अनुचित प्रयोग।

आई.वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया मार्ग संवैधानिक रूप से अस्थिर था, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग संविधान में संशोधन के लिए नहीं विद्वान जा सकता था।प्रत्यर्थियों ने जो किया वह भारत के संविधान में संशोधन करना था और संविधान में किसी भी संशोधन के लिए निर्दिष्ट सबसे कड़े मानदंड से बचने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेते समय एक विकल्प का अभ्यास किया गया था।
ii. उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह आग्रह किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 356 का

उपयोग अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधानों को निर्धारित करता है।इस प्रकार, संवैधानिक तंत्र के बहाल होने तक एक वैकल्पिक व्यवस्था की परिकल्पना की जानी थी।अंतर्वर्ती अवधि का उपयोग उन शक्तियों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता था, जो केवल राज्य की विधानसभा के पास निहित थीं।संविधान के अनुच्छेद 356 के तंत्र को निर्वाचित सरकार की बहाली यानी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विधि के रूप में परिभाषित किया गया था।

iii.श्री राजीव धवन द्वारा एक अतिरिक्त याचिका दायर करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि व्यापक संवैधानिक योजना में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 356 को इस शर्त पर पढ़ना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश को भी विधानसभा के समक्ष रखा जाए।

93 कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (2017) 3 एससीसी 1

94 एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एस. सी. सी. 1, (पैरा 108 सावंत, जे.)

iv.विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नाफडे ने आग्रह विद्वान कि यह घोषणा जारी करना राष्ट्रपति की शक्ति की सीमा के भीतर नहीं है कि राज्य तंत्र टूट गया है, इस प्रकार उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जबकि राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया था और राज्य की शक्ति ग्रहण कर ली थी।एक बार जब राज्यपाल इस तरह की शक्ति ग्रहण कर लेता है, तो राज्य तंत्र के टूटने का आधार ही नहीं था।

3. राज्य की स्थिति को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का भी बड़ा सवालिया निशान है।

A. संविधान का अनुच्छेद **3** किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने की शक्ति की गारंटी नहीं देता है।

आई. अनुच्छेद 3 स्वयं 'नए राज्यों का गठन और

मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।किस बारे में

खंड (ए) से खंड (ई) में निर्दिष्ट किया गया था जिसके तहत किया जा सकता था।इसमें किसी राज्य को समाप्त करने की किसी भी शक्ति का उल्लेख नहीं है और ऐसी शक्ति को उसमें नहीं डाला जा सकता है।इसे दो-स्तरीय लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप प्रस्तुत किया गया था।

ii.पूर्व-संवैधानिक अवधि का उल्लेख करते हुए, उस ओर से एक विकास के रूप में, यह आग्रह किया गया कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद से स्व-शासन और राज्य का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति हुई है, जहां उस अधिनियम की धारा 15 ने राज्यपाल के प्रांत में पुनर्गठन से

पहले स्थानीय सरकार से राय प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अनिवार्य किया था।इस प्रथा को भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी अपनाया गया था, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 का अग्रदूत था।इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंद्र उदय सिंह ने आग्रह विद्वान कि किसी राज्य को समाप्त करने और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कम करने की परिकल्पना पहले से नहीं की गई थी।

iii.एक बार फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह आग्रह किया गया कि 1955 में सातवें संशोधन की शुरुआत के बाद से किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, हालांकि इसका उल्टा सच था अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर आदि राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना संभव हो सकता है

95 के. एन. राजगोपाल बनाम एम. करुणानिधि, (1972) 4 एससीसी 733 335

किसी राज्य से बाहर, जैसा कि चंडीगढ़ के मामले में, क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है।इस प्रक्रिया के दुरुपयोग की भारी संभावना पर जोर दिया गया, क्योंकि भविष्य में किसी भी राज्य की राजनीतिक रूप से असुविधाजनक निर्वाचित सरकार को उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर प्रभावित किया जा सकता है।

iv.किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के माध्यम से किया गया एक अभ्यास था।यह राज्यों को गारंटीकृत कई संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर देता है, जैसे कि अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने का अधिकार, जैसा कि वरिष्ठ वकील श्री चंद्र उदय सिंह ने आग्रह विद्वान था।इस तरह की कवायद, यदि बिल्कुल भी हो, तो अपने सभी नियंत्रण और संतुलन के साथ केवल एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही की जा सकती थी।संविधान (18 वां संशोधन) अधिनियम, 1966, जिसमें अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण था, को विवादित कार्रवाई तक जम्मू और कश्मीर तक नहीं बढ़ाया गया था।यह देखा जा सकता है कि स्पष्टीकरण I खंड (ए) से (ई) को संदर्भित करता है जिसमें 'राज्य' अभिव्यक्ति के भीतर केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, लेकिन परंतुक में 'राज्य' में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था।स्पष्टीकरण II में खंड (ए) द्वारा संसद को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति को शामिल करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है।

B. अनुच्छेद **3** के परंतुक का निलंबन अवैध था।

आई. जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू अनुच्छेद 3 के परंतुक को अनुच्छेद 356 के माध्यम से निलंबित नहीं किया जा सका, जैसा कि श्री राजीव धवन ने आग्रह किया था।यह आधार रखता है क्योंकि परंतुक में अनिवार्य रूप से राज्य के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अभिव्यक्ति की परिकल्पना की गई थी, जो संभव नहीं था क्योंकि संबंधित समय पर कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं थी, क्योंकि इसे भंग कर दिया गया था और राज्यपाल द्वारा शक्ति ग्रहण की गई थी।

ii.अनुच्छेद 3 के परंतुक के निलंबन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ सीधा संबंध होना चाहिए।यदि उद्देश्य राज्य की बहाली और संरक्षण था, तो परंतुक को निलंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।दूसरा परंतुक , जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है, यह निर्धारित करता है कि जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने के लिए कोई विधेयक नहीं है।

जम्मू और कश्मीर राज्य या उस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन को उस राज्य के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश किया जाना चाहिए।

iii.श्री धवन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत कार्टे ब्लैंच नहीं है।अनुच्छेद 356 (1) (सी) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले से संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं।

राज्य में निकाय या प्राधिकरण '।अनुच्छेद 3 के तहत परंतुक नहीं हो सका

कहा जा सकता है कि यह इस श्रेणी में आता है।

iv.राष्ट्रपति अनुच्छेद 357 सहपठित अनुच्छेद 356 (1) (बी) के तहत केवल विधानसभा की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।उत्तरार्द्ध केवल 'कानून बनाने' की शक्ति को संदर्भित करता है।अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत शक्ति चरित्र में गैर-विधायी है और चुनाव और परामर्श की शक्ति के समान है।

उत्तरदाताओं का संवैधानिक बचाव

1. विवादित कार्यकारी कार्रवाइयों से पहले संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंधों की प्रकृति।

उ**.** जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ संप्रभुता की कोई झलक नहीं रही**,** क्योंकि इसका एकीकरण पूरा हो गया था।

आई. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 6 के अनुसार, जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 6 द्वारा निर्धारित किया गया है, एक बार जब कोई शासक विलय के दस्तावेज को स्वीकार कर लेता है तो विलय सभी मामलों में पूर्ण होता है।इस प्रकार, महान्यायवादी और महान्यायवादी दोनों ने आग्रह किया कि इसके बाद राज्य 'एक संघ में एकजुट' हों (भारत सरकार अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में), जिससे अलग संप्रभुता का कोई निशान नहीं रह जाता है।भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को युवराज करण सिंह ने अपनी 25.11.1949 की घोषणा में स्वीकार किया था।

ii.जम्मू और कश्मीर को अन्य विलय करने वाले राज्यों के समान ही खड़ा बताया गया था।उक्त निवेदन का तर्क थाः

क) विलय से पहले 63 अन्य राज्यों का अपना संविधान था।

337

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 338

ख) जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधियों ने भी संविधान सभा में भाग लिया; और

ग) कई अन्य राज्यों ने किसी भी विलय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए।तीनों मामलों में, यह आग्रह किया गया था कि संप्रभुता के सिद्धांत पर जम्मू और कश्मीर राज्य के विलय के बारे में कुछ भी अलग नहीं था।

iii.एक बार जब अधिकार डोमिनियन को सौंप दिया गया, तो जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के पास संविधान का दर्जा रखने वाले दस्तावेज़ को बनाने के लिए कोई संप्रभुता या पूर्ण शक्ति नहीं थी।जम्मू और कश्मीर के संविधान को आंतरिक शासन का दस्तावेज बनने का आग्रह किया गया था न कि एक समानांतर संविधान।इस स्थिति को जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 द्वारा प्रतिबिंबित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य की कानून बनाने की शक्तियां केवल भारत के संविधान द्वारा छोड़े गए क्षेत्र तक फैली हुई हैं।इस प्रकार, राज्य के संविधान को निश्चित रूप से भारत के संविधान की तुलना में 'हीन' दर्जा प्राप्त था, और जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 5 किसी भी संशोधन में असमर्थ थी।इस प्रकार, भारत के संविधान की तुलना में राज्य के संविधान की निम्न स्थिति को भी जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 147 द्वारा अपरिवर्तनीय बना दिया गया था।

iv.परिग्रहण से पहले हस्ताक्षरित व्यक्तिगत समझौतों का कोई कानूनी बल नहीं होता है।पूर्व रियासतों की तुलना में सभी दायित्व पूरी तरह से प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों से प्राप्त किए जाने हैं।इस याचिका को पहले की न्यायिक घोषणा द्वारा समर्थित करने की मांग की गई थी

रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत संघ 96, जिसने

1971 के संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता।माधवराव सिंधिया के मामले 97 में इस फैसले को अलग करने की कोशिश की गई क्योंकि यह प्रिवी पर्स के प्रावधान को हटाने के लिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अस्वीकार्य प्रयोग से संबंधित था और आवश्यक विधायी अभ्यास के बाद, बाद के फैसले में प्रिवी पर्स के उन्मूलन को बरकरार रखा गया था।

96 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 191 97 उपर्युक्त

v. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 98 में, यह राय दी गई थी कि

विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते या समझौते की विशेषताएँ भारत के संविधान में अनुपस्थित हैं।इस निर्णय को इस प्रकार उद्धृत किया गया था।इसके बजाय उक्त निर्णय शक्ति के वितरण का प्रावधान करता है, जो संप्रभुता का सूचकांक नहीं है।इस प्रकार, कानूनी संप्रभुता भारत के लोगों के पास निहित है, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत विद्वान है।

vi.श्री राकेश द्विवेदी ने यह भी आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर में सर्वोच्च न्यायालय और संघ के अंगों को काम करने की अनुमति दिए जाने के बाद कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं हो सकती है।समय-समय पर सी. ओ. जारी किए जाते थे।विवादित सी. ओ. से पहले, विभिन्न सी. ओ. के संदर्भ में, केंद्र सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सी. ए. जी., परिसीमन आयोग, भाग XIII, 'गवर्नर' और 'चीफ एम इनिस्टर' की शुरुआत, सूची I में 97 प्रविष्टियों में से 94 को सक्रिय करना, वित्तीय प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियां, आदि सभी जम्मू और कश्मीर में लागू किए गए हैं।इस प्रकार, नींव रखी गई थी और जो बचा था वह विवादित कार्यों के तहत किया जाएगा।

बी**.** अनुच्छेद **370,** दोनों उस भाग से जिसमें यह आता है **(**शीर्षक**)** के साथ**-**साथ संक्रमणकालीन प्रावधान का अध्ययन।

किसी भी स्तर पर, इसके स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है और यदि ऐसा होता तो संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाते।इसे एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में भी माना जाता था। राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक असंवैधानिक हो गया।

आई.संविधान सभा में श्री गोपालस्वामी अय्यंगार के बयान वास्तव में अनुच्छेद 370 के तहत व्यवस्था की क्षणिक प्रकृति का समर्थन करते थे, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल तब तक टिकना था जब तक कि राज्य में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती थी।

ii.अनुच्छेद 370 (1) के तहत पारित विभिन्न राष्ट्रपति के आदेश, विशेष रूप से C.O.10 (जो भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है), से पता चलता है कि अनुच्छेद 370 (1) एक अनुच्छेद था।

98 (1964) 1 एस. सी. आर. 371 339

भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को चरण-दर-चरण तरीके से लागू करके राज्य को धीरे-धीरे अन्य राज्यों के बराबर लाने का तंत्र और यह अभ्यास विवादित कार्यकारी कार्रवाई द्वारा पूरा किया गया था।

iii.यदि संविधान के अनुच्छेद 370 को स्थायी माना जाता है, तो यह एक असंगत स्थिति पैदा कर देगा जहां राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 (1) के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत के संविधान को

लागू करने में अपवाद और संशोधन (राज्य सरकार की सहमति से) करने की लगभग असीम शक्ति होगी।एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, इस प्रथा के कारण राज्य में भारत के संविधान के प्रावधानों को पैचवर्क तरीके से लागू किया गया था।इस प्रथा का दृष्टान्त तब किया गया जब यह देखा गया कि सी. ओ. 48 ने अनुच्छेद 15 (4) से अनुसूचित जनजातियों के संदर्भों को हटा दिया।अनुच्छेद 19 को इस तरह के संशोधनों के साथ भी लागू किया गया था कि विधान सभा को उक्त प्रावधान के तहत स्वतंत्रता के लिए 'उचित प्रतिबंधों' की अवहेलना करने की शक्ति थी।अनुच्छेद 35 ए को पूरी तरह से एक नए प्रावधान के रूप में माना जा सकता है, जो केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है।

iv.राज्य संविधान सभा ने किसी भी तरह से कोई सिफारिश नहीं की और इसने इसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण यानी राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया था।v. अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को भारत के अन्य नागरिकों के समान व्यवहार करने से रोक दिया।अंततः समानता की आवश्यकता थी।इस प्रकार, यह कभी भी एक स्थायी व्यवस्था होने का इरादा नहीं हो सकता था।

ग. अनुच्छेद **370 (3)-**यह कैसे काम करता है**?**राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद **370 (3)** का परंतुक असंवैधानिक हो गया।

आई. यह आग्रह किया गया कि अनुच्छेद 370 की व्याख्या हमेशा विभिन्न ऐतिहासिक आकस्मिकताओं पर विचार करते हुए कार्यात्मक तरीके से की गई है।उदाहरण के लिए, सी. ओ. 39 में, हमने जम्मू और कश्मीर में संशोधन के साथ अनुच्छेद 54 और 55 को लागू किया है, राज्य की संविधान सभा को विधान सभा के रूप में मान्यता दी है क्योंकि उस समय राज्य में कोई विधान सभा नहीं थी।

ii.संवैधानिक प्रथा से पता चलता है कि जब भी अनुच्छेद 370 में कोई शब्द अनुचित हो जाता है, तो उसे अगले कार्यात्मक समकक्ष या उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।सचित्र रूप सेः क) ऊपर चर्चा की गई सी. ओ. 39;ख) सी. ओ. 44, जिसने अनुच्छेद 370 (1) के स्पष्टीकरण में सदर-ए-रियासत की अवज्ञा को बदल दिया; और ग) सी. ओ. 48, जिसमें अनुच्छेद 367 (4) जोड़ा गया है, जिसके तहत विधानसभा के संदर्भों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के उद्देश्यों के लिए संविधान सभा के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।इस प्रकार, यह एक कार्य व्यवस्था थी, जो समय-समय पर अपने दृष्टिकोण से लागू होती थी।

iii.अनुच्छेद 370 (3) प्रकृति में राष्ट्रपति को सौंपा गया एक 'सुरक्षा कवच' था, जिसे तब लागू किया जाना था जब अनुच्छेद 370 (1) में प्रत्याशित राजनीतिक समझौता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, जैसा कि श्री हरीश साल्वे ने आग्रह किया था।

iv.पुरानलाल लखनपाल 99 मामले में टिप्पणियों का हवाला दिया गया था, जहां यह माना गया था कि अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों को लागू करने में अपवाद और संशोधन पैदा करने की राष्ट्रपति की शक्तियां।

370(1)(घ) 'सबसे व्यापक संभव आयाम' का होना।ये टिप्पणियां

संपत प्रकाश 100 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने उन्हें फिर से दोषी ठहराया और इस प्रकार, उन्हें कभी भी केवल आज्ञाकारी नहीं माना जा सकता था।v. एक असंभव शर्त के अनुपालन को स्पष्ट रूप से अधिकतम लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया के अनुसार प्रावधान द्वारा माफ करने की आवश्यकता नहीं है।vi. परंतुक को एक अनिवार्य शर्त के रूप में पढ़ना अस्वीकार्य होगा क्योंकि यह राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग एक स्वतंत्र, गैर-संवैधानिक निकाय के अनुमोदन के लिए सशर्त बना देगा।भारत के संविधान में राष्ट्रपति को एक निरंतर संस्था और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को एक अल्पकालिक संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था।इस प्रकार, उत्तरार्द्ध का अप्रचलन पूर्व की शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता है।संविधान सभा का काम पूरा हो चुका था और उसके साथ ही अनुच्छेद 370 (3) ने खुद ही काम कर लिया था।

vii.अनुच्छेद 370 को पढ़ने के लिए संवैधानिक रूप से केवल दो ही तरीके थे -क) राष्ट्रपति की निरंकुश पूर्ण शक्ति में पढ़ना

99 (ऊपर) 100 (ऊपर)

341

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 342

अनुच्छेद 370 (3) के तहत एक बार राज्य संविधान सभा ने खुद को भंग कर दिया; या बी) अनुच्छेद 370 (3) में संविधान सभा को अपने उत्तराधिकारी निकाय के साथ बदल दिया।यह बाद वाला है, जिसे वर्तमान मामले में अपनाया गया है, सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह आग्रह किया गया था कि हालांकि इस विकल्प का प्रयोग किया गया था, दोनों विकल्प समान रूप से अनुमत थे। viii.संविधान के अनुच्छेद 370 (3) ने संविधान सभा द्वारा जानबूझकर 'सिफारिश' शब्द का उपयोग किया, जो भारत के राष्ट्रपति के लिए एक निम्न निकाय है।इस प्रकार, श्री राकेश द्विवेदी के अनुसार, किसी निम्न अधिकारी की सिफारिश कभी भी वरिष्ठ अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकती है।

ix.जहाँ भारत के संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रपति को केवल किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश पर कार्य करना है, वहाँ ऐसी आकस्मिकता स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 103 (1) राष्ट्रपति का निर्णय लेता है, लेकिन अनुच्छेद 103 (2) राष्ट्रपति से चुनाव आयोग की राय प्राप्त करने और ऐसी राय के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है।ऐसे परिदृश्य में, राष्ट्रपति के पास कोई अन्य विवेकाधिकार नहीं है और वह चुनाव आयोग की राय पर कार्य करता है।अनुच्छेद 370 (3) में उसी के अनुरूप भाषा की कोई तैनाती नहीं है और 'सिफारिश' शब्द का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति उस सिफारिश पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।

2. क्या संबंध को विवादित कार्यकारी आदेशों द्वारा बदला जा सकता है।

ए**.** सी**.** ओ**. 272** अंतर**-**अधिकार है।

आई. जब अनुच्छेद 370 में परिकल्पित कोई संस्था या खंड अनुचित हो जाता है, तो उसे उसके उत्तराधिकारी या अगले कार्यात्मक समकक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।यह परिवर्तन अनुच्छेद 367 में संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है जो अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से अनुमत था।इस तरह की प्रथा का मोहम्मद में कानूनी प्रभाव था। मकबूल

दमनू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य **101,** जहाँ संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने सी. ओ. 74 में राज्यपाल के लिए सदर-ए-रियासत के प्रतिस्थापन को बरकरार रखा।

101 (1972) 1 एस. सी. सी. 536

ii.संविधान के अनुच्छेद 370 में परिवर्तन की अनुमति अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 367 में संशोधन के माध्यम से दी जानी चाहिए।यदि इस मार्ग को खुला नहीं छोड़ा जाता है, तो अनुच्छेद 370 स्थायी हो जाएगा, जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने उस अध्याय से स्पष्ट रूप से नहीं की थी जिसके तहत यह गिर गया था।प्रावधान को बदलने का एकमात्र अन्य तरीका अनुच्छेद 370 (3) (जैसे सी. ओ. 44 में किया गया परिवर्तन) के माध्यम से था।राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया था और यह प्रावधान निष्प्रभावी हो गया था।वैकल्पिक रूप से, यदि यह स्वीकार किया जाता कि अनुच्छेद 370 (3) प्रावधान को बदलने का एकमात्र संभावित मार्ग था, तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन भी अस्वीकार्य होता।

iii.अनुच्छेद 370 (1) (डी) के माध्यम से अनुच्छेद 367 में संशोधन भी सहमति के साथ किया गया था, जो अनुच्छेद 370 (1) (डी) के दूसरे परंतुक के तहत एक अनिवार्य शर्त है।यह इस तथ्य के बावजूद है कि राज्यपाल से इस प्रकार की सहमति तब प्राप्त हुई थी जब वह मंत्रिपरिषद के स्थान पर कार्य कर रहे थे।किसी भी मामले में, 'सहमति' 'सिफारिश' की तुलना में एक उच्च सीमा का गठन करती है और निर्माताओं ने जानबूझकर अनुच्छेद 370 (3) के तहत समझौते की निचली सीमा पर जोर दिया।अनुशंसा का अभाव शक्ति के प्रयोग के लिए घातक नहीं होगा।iv. सी. ओ. 272 लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है, जैसा कि इसे संसद की सिफारिश पर बनाया गया था।राष्ट्रपति का निर्णय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किए गए निर्णय को भी दर्शाता है, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है।

v. समानता और बंधुत्व को आगे बढ़ाने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी संवैधानिक उपाय का स्वागत किया जाना चाहिए।

बी. सी. ओ. **273** अंतर अधिकार है।

आई. पहले से ही आगे बढ़े हुए तर्कों की पंक्ति में, यह सुझाव दिया गया था कि जब संविधान सभा ने कोई सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, तो अनुच्छेद 370 (3) का परंतुक निरर्थक हो गया।हालाँकि, यह मुख्य प्रावधान को कभी भी निष्क्रिय नहीं कर सका।राष्ट्रपति के पास हमेशा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की शक्ति होगी।

102 रघुनाथ गणपतराव का मामला (ऊपर)

343

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 344

सी. ओ. 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 में किसी भी संशोधन का अभाव।फिर भी, अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत विकल्प राज्य के रणनीतिक महत्व और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस मुद्दे पर बहस करने की आवश्यकता को देखते हुए चुना गया था।

ii.अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति को घटक शक्ति प्रदान करता है, अर्थात भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने या फिर से बनाने की शक्ति, जैसा कि जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। इस प्रकार, यह न्यायिक समीक्षा के सामान्य रूपों के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैसे कि दुर्भावना आदि के आधार। दिल्ली कानून, री में विशिष्ट था क्योंकि उक्त मामला शक्ति के वैधानिक प्रत्यायोजन से संबंधित था।लेकिन, दूसरी ओर, वर्तमान परिदृश्य में, राष्ट्रपति को शक्तियों का आवंटन सीधे संविधान से ही होता है।

ग. सी. ओ. **272** और सी. ओ. **273** जारी करते समय अनुच्छेद **356** के तहत शक्ति का अनुमेय प्रयोग।

आई. अनुच्छेद 356 संसद में विधायी/घटक शक्तियों के सभी रंगों को शामिल/निहित करता है।उक्त शक्तियों को अनुच्छेद 357 द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त प्रावधान केवल संसद की 'कानून बनाने' की शक्तियों से संबंधित है।अनुच्छेद 357 'विधानमंडलों की शक्तियों' से संबंधित नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 356 (1) (बी) में उपयोग किया गया है।इस प्रकार, अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति में कोई निहित सीमाएँ नहीं हैं।

ii.याचिकाकर्ताओं ने लगभग 14 महीने के बाद देर से लागू किए गए राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी है।

3. क्या किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन की अनुमति थी**?**

अनुच्छेद **3** संसद को किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति प्रदान करता है।

आई.पुनर्गठन अधिनियम पारित होने से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा सी. ओ. 272 जारी किया जा चुका था।इस प्रकार, अनुच्छेद 3, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों पर लागू होता है, जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है और अतिरिक्त परंतुक लागू नहीं होता है।

ii.अनुच्छेद 3 संसद की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जहां वह राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता आदि जैसे कारकों पर विचार करने का हकदार है। इन कारकों का आकलन न्यायालय के समक्ष न्यायोचित नहीं होगा।

iii.हाजी अब्दुल गनी खान बनाम भारत संघ 103 में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए की गई परिसीमन प्रक्रिया की जांच की प्रक्रिया में, इस न्यायालय ने माना था कि अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण I संसद को नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की शक्ति प्रदान करता है।यह पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में था। स्पष्टीकरण II में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का गठन किसी भी राज्य के कुछ हिस्सों को एकजुट करके किया जा सकता है।इस प्रकार, संसद किसी राज्य को एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर सकती है।

iv.अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति, उक्त राज्य 104 की संप्रभुता की किसी भी धारणा के बावजूद, एक राज्य के अस्तित्व को प्रभावी रूप से समाप्त करने तक फैली हुई है।

v. शक्ति ऐसी है कि राज्यों को केवल पुनर्गठन के प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।संविधान संशोधन 105 करना आवश्यक नहीं है।यह शक्ति आगे राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व की सीमा प्रदान करने, इसकी संख्यात्मक शक्ति को बदलने और यहां तक कि राज्य विधानमंडल 106 के अस्तित्व को लागू करने तक फैली हुई है।

vi.राज्यों के संविधान के मामले में संसद सर्वोपरि है।अनुच्छेद 3 में केवल यह परिकल्पना की गई है कि प्रभावित राज्य 'अपने विचार व्यक्त करेंगे'।सहमति 107 की कोई आवश्यकता नहीं है।वास्तव में, संसद के माध्यम से पूरे देश से विचार लिए जाने चाहिए, क्योंकि पुनर्गठन का मुद्दा पूरे देश को प्रभावित करता है।संसद में जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

vii.अंत में, न्यायालय के एक प्रश्न पर, शुरुआत में ही, इस बात पर जोर दिया गया कि निर्देश लिए गए थे, और सॉलिसिटर जनरल द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट शब्दों में एक बयान दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चुनाव होने के बाद एक राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

103 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 138

104 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ, (1964) 1 एस. सी. आर. 317 105 बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य, (1960) 1 एस. सी. आर. 605

106 राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा, (2007) 3 एससीसी 184

107 एस. आर. बोम्मई (ऊपर)

345

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 346

यह पूछे जाने पर कि चुनाव कब होंगे, यह कहा गया कि जल्द से जल्द ऐसा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पंचायत स्तर पर हुए चुनावों से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र पहले ही बहाल हो चुका है।यह प्रस्तुत किया गया कि सदन के पटल पर माननीय गृह मंत्री ने पहले ही कहा था कि यह एक अस्थायी उपाय है और यह फिर से एक राज्य बन जाएगा।

ख. अनुच्छेद **3** के परंतुक का निलंबन अनुज्ञेय था।

आई. हर बार अनुच्छेद 356 लागू होने पर अनुच्छेद 3 के परंतुक को निलंबित कर दिया गया है। संविधान का प्रत्येक प्रावधान जो विधान सभा द्वारा किए जाने वाले किसी भी निर्णय को संदर्भित करता है, इस तरह से निलंबित कर दिया जाता है, भले ही वह निर्णय विधायी हो या सिफारिश करने वाला हो।संसद तब सभी क्षमताओं में विधानसभा को प्रतिस्थापित करती है।

ii.1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के उद्देश्य से संसद द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

मनोहर लाल बनाम भारत संघ **108** में दिल्ली।इसमें शामिल हैं **-**

अनुच्छेद 3 के परंतुक द्वारा विचार किए जाने के अनुसार, राज्य विधानमंडल की बैठक करने और अपने विचार व्यक्त करने की शक्तियों का अधिग्रहण।ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्यपाल की विधानमंडल को बुलाने की शक्ति को ही निलंबित कर दिया गया था।

iii.अनुच्छेद 3 के परंतुक द्वारा विचार किए गए विचार संविधान के संघीय ढांचे को बाधित किए बिना स्वयं संसद द्वारा दिए जा सकते हैं।कभी-कभी, किसी राज्य को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसके पुनर्गठन की आवश्यकता होती है जिसके कारण पहले स्थान पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता होती है।इस संदर्भ में इस सिद्धांत की सराहना की जानी चाहिए कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघीय दोनों है।

संवैधानिक दुविधा का समाधानः

45. जो कार्य हमारे सामने है वह प्रस्तुतियों के व्यापक स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना है ताकि हमारे द्वारा अपनाए गए मार्ग की संवैधानिकता का आकलन किया जा सके।

108 एयर 1970 डेल 178

उत्तरदाताओं।दोनों पक्षों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और अलग-अलग परामर्श यहाँ ऊपर दिए गए हैं।उसी के परिप्रेक्ष्य में, हमने निम्नलिखित व्यापक शीर्षों के तहत इन प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया हैः

1. विवादित कार्रवाइयों से पहले संघ और जम्मू और कश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक संबंध।

ए**.** आई**.** ओ**.** ए**.** के बाद आंतरिक संप्रभुता की अवधारणा।

46. याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि महाराजा हरि सिंह ने आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन विलय समझौते पर नहीं, बल्कि अपने साथ 'आंतरिक संप्रभुता' के तत्व को बनाए रखा है। प्रेम नाथ कौल, 109 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पहले विचार प्राप्त करने के बाद, जहाँ जम्मू और कश्मीर बिग लैंडेड एस्टेट एबोलिशन एक्ट, 1950 के अधिकार प्रश्नगत थे, हमारे विचार में, यह प्रश्न अब समग्रता के विरुद्ध नहीं है।न्यायालय के समक्ष चुनौती यह थी कि क्या युवराज करण सिंह ने उक्त कानून को लागू करने में जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 के तहत अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया था।उसमें याचिकाकर्ताओं ने, अन्य बातों के साथ-साथ, तर्क दिया कि महाराजा की संप्रभुता पर विलय के दस्तावेज द्वारा काफी प्रभाव डाला गया था, और इस प्रकार, वह अब एक संप्रभु शासक नहीं थे और युवराज को कोई संप्रभुता नहीं दे सकते थे।47. तर्क न्यायालय के पक्ष में नहीं गया।यह ध्यान दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के साथ, रियासतों पर महामहिम का आधिपत्य समाप्त हो गया, जिससे महाराजा का 'पूर्ण सम्राट' का दर्जा बहाल हो गया।बाद में, आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने के साथ, यह राय दी गई कि महाराजा ने आई. ओ. ए. के खंड 1 में उल्लिखित अधिकारियों को स्वीकार किया, जो कि दस्तावेज़ की अन्य शर्तों के अधीन कुछ कार्यों का प्रयोग करने का उनका अधिकार है।खंड 6 ने राज्य में और उसके ऊपर महामहिम की संप्रभुता की निरंतरता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी।यह इस संदर्भ में है कि निर्णय के पैराग्राफ 26 में,

न्यायालय इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए विवश था कि विलय के दस्तावेज के निष्पादन से राज्य सरकार के संबंध में विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां किसी भी तरह से प्राप्त होती हैं जब वे राज्य के शासक में निहित होती हैं।"

48. मामला इस पर नहीं रुका क्योंकि न्यायालय ने कहा कि युवराज करण सिंह (महाराजा द्वारा 20.06.1949 पर निहित) की शक्तियां उनकी दिनांक 26.11.1949 की घोषणा द्वारा 'काफी हद तक सीमित' नहीं थीं, जिसके तहत उन्होंने

घोषणा की कि भारत का संविधान राज्य और संघ के बीच संवैधानिक संबंधों को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार, घोषणा ने महाराजा द्वारा आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित संवैधानिक स्थिति को नहीं बदला।

49. यहां तक कि अनुच्छेद 370 (1) में भी राज्य के शासन में महाराजा की पूर्ण शक्ति को शामिल नहीं करने की राय दी गई थी, क्योंकि इन शक्तियों को राज्य के संविधान द्वारा ही मान्यता दी गई थी और प्रदान किया गया था।यह संविधान सभा के माध्यम से है कि राज्य सरकार का अपना रूप चुनने के लिए स्वतंत्र था।

50. इस न्यायालय की समन्वित संविधान पीठ इस प्रकार अपने निर्णय में स्पष्ट है कि राज्य ने आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने पर अपनी आंतरिक संप्रभुता की सभी झलक नहीं खोई-जिसमें राज्य की सरकार के रूप पर निर्णय लेना शामिल था। कुछ अन्य राज्यों की तुलना में विशिष्टता यह थी कि राज्य के लिए गठित होने वाली संविधान सभा को मान्यता देकर जम्मू और कश्मीर राज्य के विलय के लिए थोड़ा अलग मार्ग अपनाया गया था।जम्मू और कश्मीर राज्य के एकीकरण का मार्ग अनुच्छेद 370 के माध्यम से था।

51. जम्मू और कश्मीर का संविधान, जो राज्य संविधान सभा के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप बना, इस प्रकार जम्मू और कश्मीर राज्य की संप्रभुता का भंडार था।

B. संविधान का अनुच्छेद **370** एक अस्थायी प्रावधान के रूप में।

52. अनुच्छेद 370 की प्रकृति-चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी-विवादित कार्यों की वैधता का आकलन करने की कुंजी है।हम इस जांच को तीन तरीकों से करने का प्रस्ताव करते हैं।सबसे पहले, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जांच करके जिसके कारण संविधान में प्रावधान की शुरुआत हुई। दूसरा, प्रावधान की संरचना को देखकर और तीसरा, राज्य-संघ संबंधों के संदर्भ में प्रावधान ने कैसे काम किया है, इस पर विचार करके।

53. इतिहास के कुछ पहलू जो हमने पिछले खंडों में गिने हैं, वे इस प्रयास में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।जम्मू और कश्मीर भारत में तब शामिल नहीं हुआ था जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी।जहां महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ एक ठहराव समझौता किया था, वहीं भारत ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना था।यह इस संदर्भ में है कि महाराजा ने भारत को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें राज्य की अनिश्चित स्थिति का वर्णन किया गया था।

सशस्त्र पुरुषों द्वारा हमला।महाराजा ने सहायता मांगी, जिसे भारत ने आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने के लिए सशर्त बना दिया।

54. महाराजा ने आई. ओ. ए. के माध्यम से 26.10.1947 पर हस्ताक्षर किए।आई. डी. 1 पर, उन्होंने राज्य के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की।

55. संविधान सभा की बहसों के पृष्ठों को मोड़ने पर, जिन्हें न्यायालय के समक्ष विस्तार से पढ़ा और फिर से पढ़ा गया, श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगार के बयान इस ऐतिहासिक संदर्भ की ओर इशारा करते हैं।जब मौलाना हसरत मोहानी ने राज्य के साथ विशेष व्यवहार के कारणों के बारे में पूछा, तो अय्यंगार ने जवाब दिया कि यह अभी तक एकीकरण के तरीके के लिए तैयार नहीं है जो अन्य राज्यों के लिए संविधान में प्रदान किया गया था।यह 'कश्मीर की विशेष स्थितियों' के कारण था। अय्यंगार ने अपनी आशा व्यक्त की कि 'आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर भी इसी तरह के एकीकरण के लिए तैयार हो जाएगा'।बाद में, उन्होंने इस 'विशेष व्यवहार' के कारणों के रूप में चल रहे संघर्ष और राज्य का एक हिस्सा विद्रोहियों के नियंत्रण में होने के बारे में विस्तार से बताया।56. आगे का रास्ता बताते हुए, अय्यंगार ने प्रतिबिंबित किया कि राज्य का संविधान संघ के साथ संबंधों के भविष्य पर निर्णय लेगा।इस संदर्भ में उन्होंने कहाः“जब तक एक संविधान सभा अस्तित्व में नहीं आती है, केवल एक अंतरिम व्यवस्था संभव है और ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे तुरंत अन्य राज्यों के मामले में मौजूद व्यवस्था के अनुरूप लाया जा सके।”

57. श्री शेख अब्दुल्ला ने राज्य संविधान सभा में अपने संबोधन में इस भावना को दोहराया था। उन्होंने सशस्त्र आदिवासियों के आक्रमण और कश्मीरियों द्वारा अपने राज्य को हावी होने से बचाने के लिए किए गए बलिदानों के कारण राज्य को हुए गंभीर खतरे को याद किया।उन्होंने कहा कि इन विचारों के कारण महाराजा ने आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करके भारत से सहायता ली। उन्होंने भारत में शामिल होने के समर्थन में अन्य कारण भी बताए, जो दोहराने योग्य हैंः

“माननीय शेख मोहम्मद अब्दुल्लाः- …

एक यथार्थवादी के रूप में मैं इस बात से अवगत हूं कि कुछ भी पूरी तरह से काला या पूरी तरह से सफेद नहीं है, और हमारे सामने प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कई तथ्य हैं, मैं सबसे पहले भारत में राज्य के विलय के गुण और दोषों पर बोलूंगा।अंतिम चरण में

विश्लेषण, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह आदर्शों का संबंध है जो दो राज्यों के बीच संबंधों की ताकत को निर्धारित करता है।राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार राज्य के लोगों की स्वतंत्रता के उद्देश्य का समर्थन किया है।राजकुमारों का निरंकुश शासन समाप्त हो गया है और प्रतिनिधि सरकारों को प्रशासन सौंपा गया है।लोकतंत्रीकरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं और इनसे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, बहुत आवश्यक सामाजिक पुनर्निर्माण हुआ है, और सबसे बढ़कर उनकी भावना की स्वतंत्रता का निर्माण हुआ है।स्वाभाविक रूप से, अगर हम भारत में शामिल हो जाते हैं तो सामंतवाद और निरंकुशता के पुनरुत्थान का कोई खतरा नहीं है।इसके अलावा, पिछले चार वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने कभी भी हमारी आंतरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने की

कोशिश नहीं की है।इस अनुभव ने एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उनमें हमारे विश्वास को मजबूत किया है।

किसी राज्य का वास्तविक स्वरूप उसके संविधान में प्रकट होता है।भारतीय संविधान ने देश के सामने बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का लक्ष्य रखा है।यह आधुनिक लोकतंत्र का आधार है।यह इस तर्क को पूरा करना चाहिए कि कश्मीर के मुसलमानों को भारत में सुरक्षा नहीं मिल सकती है, जहां हिंदुओं की आबादी का बड़ा हिस्सा है।धार्मिक समूहों के बीच कोई भी अप्राकृतिक दरार साम्राज्यवाद की विरासत है, और यदि प्रगति और समृद्धि प्राप्त करनी है तो कोई भी आधुनिक राज्य कृत्रिम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है।भारतीय संविधान ने अपने धर्म, रंग, जाति और वर्ग के संबंध में सभी नागरिकों के अधिकार की समानता की गारंटी देकर एक धार्मिक राज्य की अवधारणा को पूरी तरह से और पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है, जो कि मध्ययुगीनता के लिए एक वापसी है।

हमारे राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के इन सिद्धांतों की ओर आकर्षित होता है।यहाँ के लोग कभी भी उस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, जो एक धर्म या सामाजिक समूह के हितों का दूसरे के खिलाफ समर्थन करता है।राज्य के भविष्य का निर्णय करते समय राजनीतिक सिद्धांत के साथ-साथ पिछले सहयोग में इस आत्मीयता और स्वतंत्रता के लिए हमारे सामान्य मार्ग को ठीक से तौला जाना चाहिए।

हम इस राज्य के लोगों की आर्थिक भलाई के बारे में भी गहराई से चिंतित हैं।जैसा कि मैंने संविधान निर्माण का उल्लेख करते हुए पहले कहा था, राजनीतिक आदर्श अक्सर अर्थहीन होते हैं जब तक कि उनसे जुड़े न हों।

आर्थिक योजनाएं।एक राज्य के रूप में, हम मुख्य रूप से कृषि और व्यापार के साथ हैं।जैसा कि आप जानते हैं, और जैसा कि मैंने पहले विस्तार से बताया था कि हम अपने "खेती के लिए जमीन" कानून को लागू करने और इसे व्यावहारिक रूप से सफल बनाने में सक्षम हुए हैं।भूमि और इसका मतलब हमारे किसानों के लिए एक अमूल्य आशीर्वाद है जो सदियों से बिना किसी संख्या के जमींदार और उसके सहयोगियों की दासता में लगे हुए हैं।हम वर्तमान परिस्थितियों में इन सुधारों को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे हैं; क्या हमें यकीन है कि पाकिस्तान के जमींदार के साथ गठबंधन में, इतने सारे सामंती विशेषाधिकारों के साथ, कि हमारे इस आर्थिक सुधारों को बर्दाश्त किया जाएगा?हम पहले ही सुन चुके हैं कि हमारे भूमि सुधारों की खबर हमारे राज्य के दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र के किसानों तक पहुंच गई है, जो व्यर्थ में समान दर्जे के हकदार हैं, और लाभ के समान हैं।दूसरा, हमारा आर्थिक कल्याण हमारी कला और शिल्प से जुड़ा हुआ है। इन बहुमूल्य वस्तुओं के पारंपरिक बाजार, जिनके लिए हम पूरी दुनिया में न्यायसंगत रूप से

जाने जाते हैं, भारत में केंद्रित रहे हैं।हमारे व्यापार की मात्रा, पिछले कुछ वर्षों के विस्थापन के बावजूद, यह दर्शाती है कि उद्योग भी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।संभवतः हम खनिजों में समृद्ध हैं, और उद्योग के कच्चे माल में; हमें अपने संसाधनों को विकसित करने के लिए मदद की आवश्यकता है।पाकिस्तान की तुलना में अधिक औद्योगीकृत होने के कारण भारत हमें उपकरण, तकनीकी सेवाएं और सामग्री दे सकता है।वह विपणन में भी हमारी मदद कर सकती है।बहुत सी वस्तुएँ भी जिनका यहाँ उत्पादन करना हमारे लिए व्यावहारिक नहीं होगा, उदाहरण के लिए, चीनी, कपास, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएँ हम भारत से बड़ी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की बुनियादी आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति के आसपास ही सड़क पर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर निर्भर करता है।

...

सबसे शक्तिशाली तर्क जो उनके पक्ष में दिया जा सकता है वह यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है, और हमारे लोगों का एक बड़ा बहुमत मुस्लिम होने के कारण राज्य को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए।मुस्लिम राज्य होने का यह दावा निश्चित रूप से केवल एक छद्म युग है।यह आम आदमी को धोखा देने के लिए एक पर्दा है, ताकि वह स्पष्ट रूप से यह न देख सके कि पाकिस्तान एक सामंती राज्य है जिसमें एक गुट खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए इन तरीकों से प्रयास कर रहा है।इसके अलावा, धर्म के प्रति अपील एक भावनात्मक और प्रश्न के प्रति गलत दृष्टिकोण का गठन करती है।जीवन में भावना का अपना स्थान है, लेकिन अक्सर यह तर्कहीन कार्रवाई की ओर ले जाता है।कुछ लोग तर्क देते हैं, 351

माना जाता है कि इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारा विलय हमारा विनाश या अस्तित्व पर निर्भर करता है।तथ्यों ने इसे गलत साबित कर दिया है; सही सोचने वाला व्यक्ति बताएगा कि पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप में सभी मुसलमानों की जैविक एकता नहीं है।इसके विपरीत, इसने भारतीय मुसलमानों को तितर-बितर कर दिया है, जिनके लाभ के लिए इसे बनाए जाने का दावा किया गया था।एक दूसरे से कम से कम एक हजार मील की दूरी पर दो पाकिस्तान बंदरगाह हैं।हमारे राज्य से सटे पश्चिमी पाकिस्तान की कुल आबादी मुश्किल से 2 करोड़ 50 लाख है, जबकि भारत में रहने वाले मुसलमानों की कुल संख्या 4 करोड़ है।जैसा कि एक मुसलमान दूसरे के समान ही अच्छा है, कश्मीरी मुसलमान अगर इस तरह के विचारों से चिंतित हैं तो उन्हें भारत में रहने वाले 4 करोड़ लोगों को चुनना चाहिए।

इस मामले को भी अधिक आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए, केवल धार्मिक संबंध ही राज्य के राजनीतिक गठबंधनों को निर्धारित नहीं करते हैं और न ही उन्हें करना चाहिए।हम एक ईसाई ब्लॉक, एक बौद्ध ब्लॉक या यहां तक कि एक मुस्लिम ब्लॉक भी नहीं बनाते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान में आजकल बहुत चर्चा हो रही है।इन दिनों आर्थिक हित और राजनीतिक आदर्शों का एक समुदाय राज्य की नीतियों को अधिक उचित रूप से प्रभावित करता है।

हमारे पास विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है, अगर राज्य इसे प्रमुख विचार बनाने का निर्णय लेता है।अब हमारे राज्य में दस लाख गैर-मुसलमानों का क्या होगा?वर्तमान में पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है।कोई भी समाधान जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन या पूरी तरह से दमन होगा, न्यायसंगत या निष्पक्ष नहीं होगा, और यह सुनिश्चित करना इस सदन की जिम्मेदारी है कि वह विलय पर जो निर्णय लेता है वह किसी भी धार्मिक समूह के हितों के खिलाफ नहीं है।

जहां तक आर्थिक लाभों का संबंध है, मैंने पाकिस्तान के साथ सड़क और नदी संपर्क का उल्लेख पहले ही कर दिया है।अंतिम विश्लेषण में, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल लोगों की आवाजाही से ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि वस्तुओं की आवाजाही और बाजारों को जोड़ने से भी चिंतित हैं।पाकिस्तान में हमारे उत्पादों के लिए बाजारों की दीर्घकालिक मृत्यु हो रही है।न ही, उस मामले में, वह हमारे औद्योगीकरण में हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि वह खुद औद्योगिक रूप से पिछड़ी हुई है।"

58. विभिन्न पूर्ववर्ती रियासतों द्वारा हस्ताक्षरित विलय के दस्तावेजों को भारत के संविधान में ही प्रतिबिंबित किया जाना था।हालाँकि, जहाँ तक जम्मू और कश्मीर राज्य का संबंध है, अनुच्छेद 370

राज्य में 'विशेष परिस्थितियों' के कारण एक विशेष प्रक्रिया पर विचार किया गया था और उम्मीद जताई गई थी कि आने वाले समय में 'जम्मू और कश्मीर उसी तरह के एकीकरण के लिए तैयार हो जाएगा जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ था'।

59. इस प्रकार, इरादा स्पष्ट था:पूर्ण एकीकरण लेकिन समय की अवधि में हो रहा है।अनुच्छेद 370 की परिकल्पना राज्य की संविधान सभा के अस्तित्व में आने तक और राज्य की विशेष परिस्थितियों के कारण एक सीमित अवधि के लिए एक अंतरिम प्रणाली के रूप में की गई थी।

60. अगर हम अनुच्छेद 370 के शब्दों की ओर मुड़ते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह इस इरादे को प्रतिबिंबित करता है।यह प्रावधान भाग 21 में रखा गया था, जिसका शीर्षक उस समय 'अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान' था।प्रावधान के सीमांत नोट का शीर्षक 'जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान' था।यद्यपि कानून यह तय करता है कि किसी प्रावधान के लिए एक सीमांत नोट इसका अर्थ निर्धारित नहीं कर सकता है, नोट निश्चित रूप से प्रावधान के प्रवाह और उद्देश्य के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है।निश्चित रूप से इसका अर्थ प्रावधान को समग्र रूप से पढ़ने से प्राप्त होना चाहिए।

61. अनुच्छेद 370 एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रावधान की सामग्री संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा अप्रचलित रहती है।खंड (1) (ए) निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 238 राज्य पर लागू नहीं होगा।परिणामस्वरूप, भाग VI लागू नहीं हुआ।खंड (1) (बी) ने

संसद को संघ और समवर्ती सूचियों में शामिल विषयों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट कथन पर आधारित राज्य के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाया।उपखंड (ख) (i) परामर्श के लिए प्रदान किया गया है जबकि (ख) (ii) राज्य सरकार द्वारा सहमति के लिए प्रदान किया गया है।

62. अनुच्छेद 370 (1) (सी) में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और 370 राज्य के संबंध में लागू होंगे। अनुच्छेद 1 के लागू होने का आवश्यक परिणाम यह है कि जम्मू और कश्मीर 'भारत जो भारत है' का एक अभिन्न अंग बन गया।63. खंड (1) (घ) राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए संविधान के 'अन्य प्रावधानों' का राज्य में विस्तार करने की बात करता है।प्रथम परंतुक में कहा गया है कि आई. ओ. ए. में निर्दिष्ट मामलों के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य मामलों के लिए सहमति आवश्यक होगी।अनुच्छेद 370 (2) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जब राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में होती है, जिसमें अनुच्छेद 370 (बी) (ii) या दूसरे 353 के तहत सहमति प्रदान की जाती है।

अनुच्छेद 370 (1) (डी) के परंतुक को आगे के निर्णय के लिए ऐसी विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।अंत में, अनुच्छेद 370 (3) में सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी।हालाँकि, इस संबंध में संविधान सभा की एक सिफारिश आवश्यक बताई गई थी।

64. इस प्रकार अनुच्छेद 370 ने संसद की कानून बनाने की शक्ति और भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को राज्य में विस्तारित करने के लिए तंत्र पर विचार किया, जो दर्शाता है कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य चरणबद्ध एकीकरण की इस प्रक्रिया में राज्य को धीरे-धीरे अन्य राज्यों के बराबर लाना था।हम ध्यान दे सकते हैं कि यह समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श या सहमति से राष्ट्रपति द्वारा पारित संवैधानिक आदेशों की श्रृंखला से स्पष्ट होता है।एक बार जब राज्य अनुच्छेद 1 के तहत भारत का एक हिस्सा था, तो कुछ समय के लिए केवल और एकीकरण किया जाना बाकी था-राज्य को संसद की कानून बनाने की शक्तियों और भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों दोनों का विस्तार करके।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट कार्य करना था।

65. इस स्तर पर, हम श्री दिनेश द्विवेदी, विद्वान सीनियर काउंसल की इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि यह प्रावधान केवल राज्य संविधान सभा के भंग होने तक अस्थायी था।ऊपर उल्लिखित ऐतिहासिक और पाठ्य पठन के अलावा, इस मुद्दे का निर्णय संपत प्रकाश मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा किया गया है।110 वहां, याची ने सी. ओ. एस. 59 और 69 को चुनौती दी क्योंकि अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों पर अधिकार नहीं है।यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद इसका संचालन बंद हो गया था।न्यायालय ने अन्यथा यह विचार रखते हुए अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान को आवश्यक बनाने वाली 'विशेष शर्तें' बनी हुई हैं और राज्य की संविधान सभा ने भी यह सिफारिश नहीं की थी कि प्रावधान का अस्तित्व समाप्त हो जाए।

66. फिर भी, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या राज्य संविधान सभा के विघटन के बाद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, इस सवाल पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें अभी निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

C. अनुच्छेद **370 (3)** का प्रभाव

67. ऊपर की गई हमारी चर्चा में दो पहलुओं पर चर्चा की गई है।पहला, अनुच्छेद 370 के तंत्र के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता की मान्यता।विशेष रूप से, यह अनुच्छेद 370 (2) के माध्यम से था, जिसमें राज्य की संविधान सभा पर विचार किया गया था।दूसरा, ऐतिहासिक संदर्भ के आलोक में अनुच्छेद 370 की अस्थायी प्रकृति, प्रावधान का पाठ और इसके आसपास की संवैधानिक प्रथा।

68. एक बार जब इन पहलुओं को अनुच्छेद 370 (3) के सहपठित पढ़ा जाता है, तो परिणाम यह होता है कि पूरी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक तंत्र था।अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रभाव, एक बार प्रयोग करने के बाद, यह होगा कि अनुच्छेद 'लागू नहीं होगा'।दूसरे शब्दों में, इस तंत्र का उद्देश्य राज्य की आंतरिक संप्रभुता की मान्यता को समाप्त करना था।इस प्रकार, अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग का मतलब था कि भारत के संविधान के उद्देश्यों के लिए, केवल भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा, न कि कोई अन्य संविधान यानी जम्मू और कश्मीर का संविधान।चूँकि भारत का संविधान एक पूर्ण संहिता है, जो कानून बनाने और शासन के सभी पहलुओं के लिए प्रावधान करता है, इसलिए जम्मू और कश्मीर के संविधान को राज्य में लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और इसे भारत के संविधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2 राज्य की संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद **370 (3)**।

उ. अनुच्छेद **370 (3)** जारी है।

69. एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि क्या अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य की संविधान सभा के भंग होने के बाद किया जा सकता है।

70. हम पहले ही अनुच्छेद 370 की अस्थायी प्रकृति पर ध्यान दे चुके हैं, जैसा कि संविधान में प्रावधान के स्थान, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इसके वाक्यांशों से स्पष्ट है।विशेष रूप से अनुच्छेद 370 (3) की ओर मुड़ते हुए, जिसमें व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया शामिल है, हम ध्यान दे सकते हैं कि यह दो संस्थानों में शक्ति निहित करता है:राष्ट्रपति और जम्मू और कश्मीर संविधान सभा।पहला स्थायी है, जबकि दूसरा अपनी प्रकृति से ही अल्पकालिक है-एक विशिष्ट

उद्देश्य के लिए है और उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद बुझाने का इरादा है।संविधान सभा का उद्देश्य शासन के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था 355

इन आरई:संविधान का अनुच्छेद 370:संविधान का अनुच्छेद 370:संविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.]

[संजय किशन कौल, जे।] [संजय किशन कौल, जे.] 356

राज्य से।दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 का उद्देश्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धीरे-धीरे जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था।यह शायद ही कहा जा सकता है कि दूसरा (और कुछ मायनों में, बड़ा) उद्देश्य प्रथम की पूर्ति से प्रभावित होगा।दूसरा उद्देश्य राज्य संविधान सभा के भंग होने के लंबे समय बाद भी जारी रहा।इस प्रकार, संविधान सभा से सिफारिश की आवश्यकता के अनुच्छेद 370 (3) की शर्त को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि प्रावधान के बड़े इरादे के संदर्भ को अनावश्यक बना दिया जाए।71. संक्षेप में, यदि प्रावधान अस्थायी था (जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है), तो अनुच्छेद 370 (3) को शर्त की समाप्ति के बाद भी निर्वाह में बने रहने के लिए माना जाना चाहिए, यानी राज्य की संविधान सभा।

B. राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश के बिना उपखंड **(3)** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

72. अगला सवाल यह निर्धारित करना है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना है।

73. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति दो संस्थानों के पास निहित है-राष्ट्रपति, जिनके पास स्थायी शक्ति है और राज्य की संविधान सभा, जिसके पास अस्थायी शक्ति है।उपरोक्त विश्लेषण से, यदि राज्य की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जा सकता है, तो निम्नलिखित बात यह है कि राज्य की संविधान सभा की सिफारिश करने की शक्ति को अनुच्छेद 370 (3) के तहत घोषणा जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग की पूर्व शर्त के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

74. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रपति के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक है, या दूसरे शब्दों में, कि राज्य की संविधान सभा के अभाव में शक्ति का एकतरफा प्रयोग नहीं किया जा सकता है।मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता।जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो केवल संविधान सभा की सिफारिश करने की शक्ति समाप्त हो गई, यानी अनुच्छेद 370 का परंतुक समाप्त हो गया।मुख्य प्रावधान, जो घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, मौजूद रहा।याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण को अपनाने का मतलब होगा कि अनुच्छेद 370, जिसका उद्देश्य था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अस्थायी, संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद अब अस्थायी नहीं होगा।यह अनुच्छेद 370 के उद्देश्य के साथ असंगत है। 75.दूसरी ओर, एक बार राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद अनुच्छेद 370 को एकतरफा रूप से निष्क्रिय करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत की संविधान सभा के दृष्टिकोण और अनुच्छेद 370 के उद्देश्य के अनुरूप है-जब भी परिस्थितियां इसकी अनुमति दें, पूर्ण संवैधानिक एकीकरण सुनिश्चित करना।अनुच्छेद 370 (1) के तहत जारी विभिन्न राष्ट्रपति आदेशों के मूल्यांकन से पता चलता है कि सी. ओ. 273 जारी होने के समय संवैधानिक एकीकरण को पूरा करने के मामले में बहुत कम बचा था।

76. राज्य की संविधान सभा से पहले भी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने की शक्ति थी।उदाहरण के लिए, संविधान का अनुच्छेद 371,1956 में संशोधित होने से पहले, 111 ने राष्ट्रपति को भाग बी राज्यों पर दस साल की अवधि के लिए सामान्य नियंत्रण दिया था, जिसे संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता था।

77. राष्ट्रपति की शक्ति को स्वीकार करते हुए, 'सिफारिश' शब्द का उपयोग अनुच्छेद 370 (3) में किया गया है, जिसका अर्थ है समझौते का एक बहुत ही संकीर्ण और न्यूनतम मानक, विशेष रूप से जब अनुच्छेद 370 में उपयोग की जाने वाली अन्य शर्तों के विपरीत जो राज्य सरकार के साथ 'सहमति' और 'परामर्श' प्रदान करती हैं।एक सिफारिश सलाह है।112 इस प्रकार, राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग से जुड़ी शर्त इतनी नगण्य थी कि इसकी अनुपस्थिति राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती।78. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि संघ भी जानता था कि संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक थी, और इस तरह अनुच्छेद 367 के मार्ग का उपयोग करते हुए इसे दूसरे निकाय के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए आगे बढ़े।हालाँकि, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 (3) के तहत एकतरफा रूप से शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति थी।

3. सी**.** ओ**. 272** जारी करना।

उ**.** अनुच्छेद **367** सहपठित अनुच्छेद **370 (1) (**डी**)** के तहत शक्ति का अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया था।

111 संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956। 112 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, (छठा संस्करण, 1990)।

79. 5 अगस्त 2019 को, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत सी. ओ. 272 जारी किया, जो राज्य में भारत के पूरे संविधान को लागू करता है, लेकिन अनुच्छेद 367 (4) को जोड़कर अनुच्छेद 367 में संशोधन किया।सी. ओ. 272 के बाद अनुच्छेद 367 (4) इस प्रकार हैः

“(4) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है -

(क) इस संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों को संविधान या उसके प्रावधानों के संदर्भों के रूप में माना जाएगा जो उक्त राज्य के संबंध में लागू होते हैं;

(ख) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए जम्मू और कश्मीर की सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के संदर्भ को, राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(ग) उक्त राज्य की सरकार के संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के संदर्भ शामिल हैं जो अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (3) के परंतुक में, "खंड (2) में निर्दिष्ट राज्य की संविधान सभा" पद को "राज्य की विधान सभा" पढ़ा जाएगा।

80. प्रभावी रूप से, सी. ओ. 272 ने परिकल्पना की कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत सिफारिश राज्य की विधानसभा द्वारा प्रदान की जा सकती है।सी. ओ. 272 को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि अनुच्छेद 370 (1) (डी) का उपयोग अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल राज्य सरकार की सहमति से किया जा सकता है।81. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 367 (4) (डी) आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 370 (1) (डी) को जोड़ना अनुच्छेद 370 (3) के संशोधन के बराबर है, जो अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति से अधिक है, और संविधान के तहत प्रक्रिया के अनुसार नहीं है।82. श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि संघ को अनुच्छेद 367 (4) (डी) का उपयोग करके अनुच्छेद 370 (3) में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, जैसा कि श्री सिब्बल ने सही कहा है, संघ के कार्यों की जाँच की जानी चाहिए कि वे क्या हैं।

अनुच्छेद 370 (1) (डी) अनुच्छेद 370 में संशोधन की अनुमति नहीं देता है।

83. अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का उपयोग केवल अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 1 के अलावा संविधान की शर्तों में संशोधन करने के लिए किया जा सकता है।इसे अनुच्छेद 370 (1) (सी) और (डी) के संयुक्त अध्ययन से एकत्र किया जा सकता है।अनुच्छेद 370 (1) (सी) में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे।अनुच्छेद 370 (1) (डी) राष्ट्रपति को संविधान के अन्य प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है, यहां तक कि संशोधनों के साथ भी।पुरानलाल लखनपाल बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 370 (1) (डी), अर्थात अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के तहत विचार किए गए प्रावधानों के अपवादों का भी उल्लेख किया

गया था।113 अनुच्छेद 370 को संशोधित करने का मार्ग अनुच्छेद 370 (3) के तहत एक आदेश के माध्यम से है, जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने या अपवादों और संशोधनों के अधीन इसे चालू करने की शक्ति देता है।84. अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए अतीत में भी इसी दृष्टिकोण का पालन किया गया था।उदाहरण के लिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अनुच्छेद 370 के उपखंड (बी) के पैरा (ii) के स्पष्टीकरण में "महाराजा" के रूप में संदर्भित है।"महाराजा" के संदर्भ को सी. ओ. 44 द्वारा सदर-ए-रियासत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।यह संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 (3) के तहत किया गया था जो उस समय अस्तित्व में थी।उत्तरदाताओं द्वारा निर्दिष्ट अन्य आदेश, जैसे सी. ओ. 48 और सी. ओ. 74 (जिन्होंने सदर-ए-रियासत को राज्यपाल के साथ बदल दिया), केवल स्पष्टीकरणात्मक थे और अनुच्छेद 370 में कोई ठोस संशोधन नहीं किए गए थे।

सी. ओ. 272 का प्रत्यक्ष प्रभाव अधिनियम अनुच्छेद 370 (3) में एक संशोधन है।

85. भारत के संविधान के प्रावधानों को लागू करते समय अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति के तहत अनुच्छेद 367 (4) को कथित रूप से जोड़ा गया है।सबसे पहले, अनुच्छेद 367 (4) एक व्याख्या खंड है जिसका उद्देश्य शब्दों की अवहेलना करना और उन्हें अर्थ देना है।यदि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया या अन्य प्रावधानों के तहत विचार की गई प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 367 (4) का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, तो प्रभावी अधिनियम विनाशकारी होगा।

86. दूसरा, यद्यपि संविधान में "संशोधन" वाक्यांश की अवहेलना नहीं की गई है, लेकिन शक्ति के प्रत्येक प्रयोग की सीमाएँ हैं।इस मामले में,

113 (1955) 2 एससीआर 1101 359

संशोधन एक जोड़ है जो एक प्राधिकरण को दूसरे के साथ बदल देता है, लेकिन शक्तियों की मूल अवधारणा और प्रकृति को भी बदल देता है।संविधान सभा एक घटक निकाय है और इसलिए, संप्रभु है।एक संप्रभु निकाय के संदर्भ को विधान सभा के संदर्भ के रूप में नहीं माना जा सकता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से एक निर्वाचित विधान सभा के विपरीत एक गैर-पक्षपातपूर्ण निकाय होने के रूप में संविधान सभा के महत्व को रेखांकित किया, जहां सदस्य पार्टी के लिए एक पक्षपातपूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।केशवानंद में जे. जगमोहन रेड्डी की राय में इसे दर्ज किया गया है।

भारती मामला।114

87. इस प्रकार, एक अपवाद या संशोधन एक मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकता है जो प्रावधान के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करता है, जैसा कि सी. ओ. 272 में प्रतिस्थापन करना चाहता है।

88. इसी तरह, दिल्ली विधि अधिनियम, 115 में न्यायालय दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 की धारा 7 की वैधता की जांच कर रहा था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थेः

निम्नलिखित हैः“प्रांतीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ विस्तार कर सकती है जो वह दिल्ली प्रांत या उसके किसी भी हिस्से के लिए उचित समझती है, कोई भी अधिनियम जो ऐसी अधिसूचना की तारीख से ब्रिटिश भारत के किसी भी हिस्से में लागू है।” (जोर दें।

आपूर्ति की गई)।विशेष रूप से, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों ने वैधानिक प्राधिकरण के लिए निरंकुश शक्तियों को शामिल नहीं करने के लिए "प्रतिबंध और संशोधन" वाक्यांश का विश्लेषण किया।

89. इसके जवाब में, संघ ने पुरानलाल लखनपाल बनाम भारत के राष्ट्रपति, 116 की टिप्पणियों पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय की संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति पर अपने "व्यापक संभव आयाम" में विचार किया जाना चाहिए।हालाँकि, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये टिप्पणियां आज्ञाकारी हैं।इस मामले में, न्यायालय सी. ओ. 48 में एक प्रावधान की संवैधानिकता पर विचार कर रहा था, जिसमें राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 81 (1) में संशोधन किया था जैसा कि यह जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

संशोधन में प्रावधान किया गया है कि "लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी।

राज्य का विधानमंडल।” विशेष रूप से, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि

114 (ऊपर)।115 (ऊपर)।116 (ऊपर)

क्या यह परिवर्तन अनुच्छेद 81 का एक 'कट्टरपंथी संशोधन' है जैसा कि यह जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, और क्या यह अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों के भीतर था।उक्त निर्णय के पैराग्राफ 3 में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि सी. ओ. 48 में किए गए संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81 में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया था।ऐसा इसलिए था क्योंकि राष्ट्रपति के पास केवल ऐसे व्यक्तियों को नामित करने की शक्ति थी जिनकी सिफारिश राज्य विधानमंडल द्वारा की गई थी, जिसे वयस्क मताधिकार पर चुना गया था।विधानमंडल द्वारा इस उद्देश्य के लिए सिफारिश करने का एकमात्र तरीका मतदान था।इस प्रकार, प्रभाव यह था कि लोक सभा की छह सीटें अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ली जाएंगी।चूंकि चुनाव का तत्व अभी भी बना हुआ है (हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से), यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत अपनी शक्तियों को पार कर लिया था।90. यद्यपि न्यायालय ने पैराग्राफ 4 में पाया कि शक्ति सबसे व्यापक संभव

विस्तार की थी, ये टिप्पणियां न्यायालय द्वारा पहले ही इस प्रश्न का निर्णय लेने के बाद की गई थीं कि क्या सी. ओ. 48 अनुच्छेद 81 का एक मौलिक परिवर्तन है और आई. एस. के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं थे।

91. इस प्रकार, सी. ओ. 272, इस हद तक कि यह अनुच्छेद 367 (4) को पेश करके अनुच्छेद 367 को "संशोधित" करता है, अमान्य है।

ख. भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को राज्य पर लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति आवश्यक नहीं थी।

92. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सी. ओ. 272 ने भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को राज्य पर लागू किया।अनुच्छेद 370 (1) (डी) की आवश्यकता हैः

i. उन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श जो राष्ट्रपति द्वारा विलय के दस्तावेज में मामलों के अनुरूप घोषित किए गए हैं।

ii.किसी भी अन्य प्रावधान को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहमति

इस मामले में, राज्य के राज्यपाल ने राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया था, कोई मंत्रिपरिषद नहीं थी, और राष्ट्रपति ने 2018 की घोषणा के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया था, जैसा कि विस्तारित किया गया था।

93. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह अमान्य है, क्योंकि राज्य के संविधान की धारा 35 सहपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 367 (4) (सी) में राज्यपाल को राज्य के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता है।शुरुआत में, अतीत में राष्ट्रपति शासन के दौरान संवैधानिक आदेश जारी किए गए हैं।1989 में जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन लगा हुआ था और सी. ओ. 136 117 जारी किया गया था।सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रपति शासन के दौरान जारी किए गए अन्य संवैधानिक आदेशों 151,118,154,119 160 120 और 162 121 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया था।94. इन दृष्टांतों के बावजूद, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की सहमति इस मामले में राज्य सरकार की सहमति का स्थान ले सकती है, क्योंकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, राष्ट्रपति के पास यह अधिसूचित करने की एकतरफा शक्ति है कि अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 370 (3) के तहत अस्तित्व में नहीं है, जो प्रभावी रूप से अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के बराबर है।इसलिए, सी. ओ. 272 के तहत संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

4. क्या सी**.** ओ**. 272** और **273** जारी करते समय अनुच्छेद **356** के तहत शक्ति का प्रयोग अनुमत था।

ए. विधानसभा के भंग होने के बाद अनुच्छेद **356** लागू किया जा सकता हैः

95. जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 के तहत राज्यपाल शासन लागू करना राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम था।लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं है।

117 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 1989।

118 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 1993।

119 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 1994।

120 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 1995।

121 संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 1996।

वर्तमान कार्यवाहियों में चुनौती।21.11.2018 पर राज्यपाल के शासन के दौरान विधानसभा के भंग होने पर, यथास्थिति की स्थिति पहले की तरह जारी रही, और 28.11.2018 पर, राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाने के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।राष्ट्रपति शासन लागू किया गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 ने राज्यपाल शासन को छह महीने तक सीमित कर दिया था और इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल इस अवधि के दौरान सरकार बनाने का दावा करने को तैयार था।केंद्रीय शासन लागू करने के लिए एक विलंबित चुनौती थी।

96. राष्ट्रपति शासन लागू होने का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार की शक्ति ग्रहण कर ली।यह अधिरोपण संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आधारित था, जो वास्तव में राज्यपाल शासन से पहले हुआ था।

97. याचिकाकर्ताओं ने थिरू के. एन. में टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया।

राजगोपाल बनाम थिरू एम. करुणानिधि और अन्य **122** का विघटन

विधानसभा अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं है।वर्तमान मामले में परिदृश्य थोड़ा अलग है क्योंकि उस मामले में राज्यपाल शासन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार नहीं किया गया था।तत्काल मामले में, राष्ट्रपति शासन की भविष्यवाणी संवैधानिक तंत्र की विफलता पर की गई थी, जो राज्यपाल शासन से पहले हुआ था और राज्यपाल शासन का आधार बना था। यह अधिरोपण केवल विधानसभा के विघटन पर आधारित नहीं था।

B. अनुच्छेद **356** राष्ट्रपति को अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की अनुमति देता हैः

98. याचिकाकर्ताओं ने एस. आर. बोम्मई 123 मामले में न्यायाधीश सावंत की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 356 के खंड (1) और (3) को सुसंगत बनाने के लिए कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियों की संसद द्वारा जांच की जानी है और यदि राष्ट्रपति एक अपरिवर्तनीय उपाय करते हैं तो यह जांच अर्थहीन हो जाएगी।इस तरह के एक अपरिवर्तनीय उपाय को विघटन कहा गया था

122 (1972) 4 एस. सी. सी. 733 123 (ऊपर)

सभा।हालाँकि, आई. डी. 1,124 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विघटन की अनुमति दी जाती है यदि इस तरह की अपरिवर्तनीय कार्रवाई से पहले संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दी गई थी, यानी, एक अर्थ में, संसद में व्यक्त की गई लोगों की इच्छा ने अपनी अभेद्यता दी थी।उपरोक्त दृष्टिकोण का अनुक्रम यह होगा कि राष्ट्रपति के पास अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की शक्ति थी। स्थापित सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति के पास अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की शक्ति थी यदि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा को संसद के दोनों सदनों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो गया था।यदि हम वर्तमान मामले की ओर मुड़ते हैं, तो घोषणा को लोकसभा द्वारा 28.12.2018 पर और 03.01.2019 पर राज्यसभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ।इस प्रकार, सी. ओ. एस. 272 और 273 की घोषणा से पहले पूर्व अनुमोदन मौजूद था।दूसरा, चूंकि आपातकाल की घोषणा न्यायोचित है और यदि न्यायालय द्वारा इसे अमान्य घोषित किया जाता है, तो संसद द्वारा इसकी मंजूरी के बावजूद, न्यायालय द्वारा अपने विवेक से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, एक भंग विधानसभा और मंत्रालय को पुनर्जीवित किया जा सकता है।साथ ही, पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए, न्यायालय उस तारीख तक की गई राष्ट्रपति की कार्रवाई को मान्य कर सकता है और अन्य आवश्यक राहत प्रदान कर सकता है।

ग. राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा के बाद विधायी और गैर-विधायी दोनों शक्तियां सुरक्षित हैंः

99. आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों को समझने के लिए, हमें वैधानिक प्रावधान, यानी राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की गणना करने वाले अनुच्छेद 356 की बारीकी से सराहना करने की आवश्यकता है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपातकाल लागू करना एक असाधारण स्थिति को उजागर करता है।संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करना, अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों पर आपातकाल लगाने की प्रक्रिया से शुरू होकर, राज्य के संवैधानिक संतुलन को बहाल करने के उद्देश्य से एक आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी उपाय हैं।

100. संवैधानिक योजना संविधान को असाधारण परिस्थितियों में एकात्मक संरचना के अनुकूल होने की अनुमति देती है, जिसमें केंद्रीय संसद की शक्तियों को राज्य विधानमंडल पर प्राथमिकता दी जाती है।अनुच्छेद 355 राज्य को किसी भी प्रकार के बाहरी अपराधों से बचाने के लिए संघ पर अतिरिक्त बोझ डालता है।

संघ को यह देखने के लिए बाध्य करते हुए कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप काम कर रहा है, आक्रामकता और आंतरिक अशांति।संविधान सभा की बहसों के दौरान, डॉ. आई. डी. 1 ने संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद से भारत के संविधान की प्रकृति को उपयुक्त रूप से अलग किया और संक्षेप में बताया कि कैसे भारत का संविधान वर्तमान स्थिति के आधार पर शासन की संघीय या एकात्मक संरचना के अनुकूल होने के लिए सुसज्जित है।संबंधित भाग नीचे निकाला गया हैः

"अमेरिकी सहित सभी संघीय प्रणालियों को संघवाद के एक तंग सांचे में रखा गया है।परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, यह अपना रूप और आकार नहीं बदल सकता है।यह कभी एकात्मक नहीं हो सकता।दूसरी ओर प्रारूप संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है।सामान्य समय में, इसे एक संघीय प्रणाली के रूप में काम करने के लिए तैयार किया जाता है।लेकिन युद्ध के समय में इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह एक एकात्मक प्रणाली के रूप में काम करे।" 125

101. अनुच्छेद 356 (1) का उपखंड (ए) राष्ट्रपति को राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य, राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को ग्रहण करने की अनुमति देता है।हालाँकि, उपखंड राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ ग्रहण करने से बाहर करता है।वर्तमान परिदृश्य में, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू होने से पहले ही राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया गया था।

102. अनुच्छेद 356 (1) का उपखंड (बी) केंद्रीय संसद को राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के तहत राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।स्पष्ट रूप से, उपखंड (बी) का विस्तार व्यापक है क्योंकि "राज्य के विधानमंडल की शक्तियों" शब्द में राज्य विधानमंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां शामिल हैं, और इसमें विधायी और गैर-विधायी कार्य शामिल होंगे।जब प्रावधान स्पष्ट रूप से केंद्रीय संसद को कोई अपवाद बनाए बिना राज्य विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है, तो किसी भी प्रतिबंध को इंगित करने वाले प्रावधान को पढ़ना गलत होगा।हालांकि अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 की निरंतरता में है, पूर्व केंद्रीय संसद या राष्ट्रपति पर राज्य विधानमंडल की गैर-विधायी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाता है।

125 संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। VII, पेज 34 365

103. संविधान का अनुच्छेद 357 हमारे संविधान की एक और एकात्मक विशेषता है क्योंकि राज्य विधानमंडल की प्रमुख और केंद्रीय शक्ति, यानी कानून बनाने की शक्ति, आपातकाल के दौरान और राज्य विधानमंडल के अभाव में केंद्रीय संसद को हस्तांतरित की जाती है।केंद्रीय संसद अनुच्छेद 357 के खंड (1) से राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करती है।इन प्रावधानों से पता चलता है कि आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की अनुपस्थिति में, शासन और दैनिक प्रशासनिक कर्तव्यों की शक्ति को स्थगित नहीं रखा जा सकता है और राज्य विधानमंडल के फिर से शुरू होने या चुनाव होने तक इसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।राष्ट्रपति या केंद्रीय संसद के लिए राज्य विधानमंडल की शक्तियों को लेना अनिवार्य है; अन्यथा, बिना किसी प्रशासनिक और सरकारी निरीक्षण के राज्य अराजकता से कम नहीं है।जब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 357 के तहत राज्य विधानमंडल के विधायी कार्यों को संभालने की अनुमति दी जाती है और उसे अत्यधिक अपरिवर्तनीय कदम उठाने के लिए भी न्यायिक अभेद्यता प्राप्त होती है, जैसे कि राज्य विधानमंडल को भंग करना, भले ही संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा को मंजूरी देने के बाद, राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की गैर-विधायी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने का कोई कारण नहीं है।

104. यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है कि संविधान ऐसी एकात्मक शक्तियों के प्रयोग पर विचार करता है।यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक और न्यायिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं कि आपातकाल के दौरान शक्तियों का प्रयोग निर्बाध और पूर्ण न हो।आपातकाल का अधिरोपण एस. आर. बोम्मई 126 और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, 127 के अनुसार न्यायिक समीक्षा के अधीन है और न्यायालय उस सामग्री का आकलन कर सकते हैं जो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह का आधार बनी।इसके अलावा, प्रत्येक घोषणा को घोषणा की तारीख से दो महीने के भीतर अनुच्छेद 356 (3) के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुसमर्थित और अनुमोदित किया जाना चाहिए।

5. अनुच्छेद **3** के तहत शक्तियों का विस्तार और पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिकता।

A. अनुच्छेद **3** के तहत किसी राज्य को बदलने या समाप्त करने का संसद का अधिकार।

126 (ऊपर)

127 (2006) 2 एससीसी 1

105. हम ध्यान दे सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को संसद द्वारा चर्चा के लिए लिए जाने के समय राष्ट्रपति द्वारा सी. ओ. 272 पहले ही जारी किया जा चुका था।इसका तात्पर्य यह था कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू थे।

अनुच्छेद 3, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों पर लागू होता है, इस प्रकार जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होता था।इस संदर्भ में पुनर्गठन अधिनियम पर विचार करने की आवश्यकता है।

106. यदि हम अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्तियों की जांच करते हैं, तो यह प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नए राज्यों का गठन कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव कर सकती है। स्पष्टीकरण I में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 3 के खंड (ए) से (ई) में, एक 'राज्य' में 'केंद्र शासित प्रदेश' शामिल है।इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 3 (ए) के तहत संसद की कानून बनाने या नया राज्य बनाने या राज्य की सीमा में बदलाव करने की शक्ति में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति शामिल है।प्रावधान के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि खंड (ए) के तहत शक्ति का तात्पर्य है कि संसद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है।

107. हमारे सामने सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 3 किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति पर विचार करता है, जिससे राज्य के रूप में उसके चरित्र को समाप्त कर दिया जाता है।इस न्यायालय को संदर्भित करना उचित होगा

डब्ल्यू. बी. बनाम राज्य में निर्णयभारत संघ, 128 जहाँ इसका उल्लेख किया गया था

यह मान लेना गलत होगा कि पूर्ण संप्रभुता राज्यों में निहित रही।न्यायालय ने संविधान के ढांचे से यह निष्कर्ष निकाला:यह देखते हुए कि भारत में दोहरी (राज्य और राष्ट्रीय) नागरिकता की कोई अवधारणा नहीं थी, राज्यों का कोई स्वतंत्र संविधान नहीं था, और विशेष रूप से, अनुच्छेद 3 ने संसद को राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए व्यापक शक्तियां दीं।स्वयं राज्यों के पास संसद द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के खिलाफ कोई संवैधानिक गारंटी नहीं थी।राज्यों की शक्ति केवल उसी पर अपनी राय व्यक्त करने तक फैली हुई थी।108. यह स्थिति थी कि राज्यों की कोई स्वतंत्र संप्रभुता नहीं है

बाबूलाल पराटे बनाम बॉम्बे राज्य, 129 में भी इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया

128 (1964) 1 एससीआर

129 (1960) 1 एससीआर 605 367

जहाँ न्यायालय को अनुच्छेद 3 की प्रकृति और विस्तार को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए फिर से राजी किया गया।एक अन्य कारक जो यहां न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण था, वह यह था कि संसद को केवल कानून बनाकर इस शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाया गया था, इसलिए संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया को लागू करना भी आवश्यक नहीं था।

109. हम इन निष्कर्षों से सहमत हैं, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों की कोई स्वतंत्र या स्वतंत्र संप्रभुता नहीं है।वे अपना अस्तित्व संविधान से प्राप्त करते हैं, जो एक ही समय में संसद को राज्य की सीमाओं को बदलने या बदलने की शक्ति देता है।चूंकि याचिकाकर्ता स्वीकार करते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने तक फैली हुई है, इसलिए उत्तरदाताओं का दावा है कि इस शक्ति का विस्तार राज्य को कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में बदलने तक भी होना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का कदम संघीय सिद्धांत के विपरीत होगा, जो भारतीय संविधान के तहत दो-स्तरीय लोकतंत्र और निरंतर राज्य की गारंटी देता है।जवाब में, सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करके संघीय ढांचे को बाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 239 ए (जो संघीय योजना का एक मजबूत हिस्सा है) नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा।हालाँकि, वर्तमान में, हमें इस पहलू की अधिक गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सॉलिसिटर-जनरल ने इस न्यायालय को सदन में की गई संघ की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया कि चुनाव होने पर निकट भविष्य में जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

B. राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद **3** के पहले परंतुक को निलंबित करने की अनुमति थी:

110. अनुच्छेद 3 का दूसरा परंतुक , जैसा कि पूर्ववर्ती राज्य पर लागू था, 5.8.2019 पर CO 272 जारी होने के बाद लागू नहीं था।राष्ट्रपति 2019 में प्रस्तुत किए गए विधेयक को अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के अनुपालन में अपने "विचार" व्यक्त करने के लिए पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर के राज्य विधानमंडल को भेजने के लिए बाध्य थे।हालाँकि, राष्ट्रपति शासन के संचालन के दौरान, जिसे मैंने वैध पाया है, राज्य विधानमंडल के कार्य संसद द्वारा किए जा रहे थे।इसलिए, राज्य विधानमंडल के विचार लेना संभव नहीं था।हम निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

निर्धारित कानूनी प्रस्ताव पर मनोहर लाल 130 का मामला।यदि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना (जैसा कि वे उस समय थे) की टिप्पणियों की ओर मुड़ते हैं, तो यह राय दी गई थी कि संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग, अनुच्छेद 356 के लागू होने को देखते हुए, 1956 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के उद्देश्यों के लिए अनुमेय था। विधिवत गठित राज्य विधानमंडल के अभाव में संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों से परामर्श करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था।

111. अंत में, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 और 4, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति के प्रयोग का प्रभाव थी, वैध है।

निष्कर्ष:

112. विश्लेषण के आधार पर, मैं निम्नलिखित निष्कर्षों को दर्ज करता हूंः

ए। प्रेम नाथ कौल में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय के आलोक में, महाराजा हरि सिंह द्वारा डोमिनियन के साथ आई. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करने के बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य ने आंतरिक संप्रभुता के एक तत्व को बनाए रखा।संविधान के अनुच्छेद 370 ने राज्य की संविधान सभा को मान्यता देकर इस आंतरिक संप्रभुता को मान्यता दी;

बी। अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके पाठ और इसके बाद के अभ्यास जैसे कारकों का एक संयोजन इंगित करता है कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य एक अस्थायी प्रावधान होना था।

ग. अनुच्छेद 370 (3) में अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने और बदले में, राज्य की आंतरिक संप्रभुता की मान्यता को रद्द करने और भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए तंत्र शामिल था।घ. चूंकि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 (3) के तहत तंत्र राज्य संविधान सभा के भंग होने के बाद समाप्त हो गया था।

ङ. अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन से अप्रभावित रही।

130 (ऊपर)

369

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.] 370

राज्य के पूर्ण एकीकरण के उद्देश्य के अनुरूप, राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।इसलिए, सी. ओ. 273, जो घोषणा करता है कि अनुच्छेद 370 प्रावधान के अलावा काम करना बंद कर देगा, और अनुच्छेद 370 (3) के तहत जारी किया गया था, वैध है।

एफ. राज्य सरकार की सहमति के बिना सी. ओ. 272 जारी करने की शक्ति वैध है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति इस मामले में राज्य सरकार की सहमति से सीमित नहीं है।छ. अनुच्छेद 367 सहपठित अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत शक्ति का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो सीधे नहीं किया जा सकता है।अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संशोधन करने की शक्ति का उपयोग अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 367, जो एक व्याख्या खंड है, का उपयोग किसी प्रावधान के चरित्र को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है।इसलिए, सी. ओ. 272 का अनुच्छेद 2, जो अनुच्छेद 367 (4) में संशोधन करता है, अनुच्छेद 370 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।ज. हालांकि, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने की शक्ति थी, जो अनुच्छेद 370 (3) के तहत शक्ति के समान है।अतः सी. ओ. 272 के अनुच्छेद 2 का शेष भाग वैध है।

i. राज्य विधानसभा के विघटन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल की भविष्यवाणी संवैधानिक तंत्र की विफलता पर की गई थी, जो राज्यपाल शासन से पहले हुई थी और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करना केवल बाद का परिणाम था।

जे. एक बार जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, ताकि लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया जा सके, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत राज्य विधानसभा को भंग करने सहित अपरिवर्तनीय परिवर्तन करने की शक्ति होती है।

के. आपातकाल लागू करना एक असाधारण स्थिति को उजागर करता है और राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की अनुपस्थिति में, इन निर्वाचित अंगों की शक्ति किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास होनी चाहिए।अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की गैर-विधायी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकता है, और अनुच्छेद 356 (1) (बी) केंद्रीय संसद को विधायी और विधायी के बीच अंतर किए बिना राज्य विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

राज्य विधानमंडल की गैर-विधायी शक्तियाँ।इसलिए, राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के विधायी और गैर-विधायी दोनों कार्यों का प्रयोग करने की अनुमति है।हालाँकि, आपातकाल की घोषणा न्यायिक और संवैधानिक जांच से बाध्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग निरंकुश और पूर्ण न हो।

1. अनुच्छेद 3 की कसौटी पर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 4 को चुनौती देने पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि चुनाव होने पर जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

एम. अनुच्छेद 3 के पहले परंतुक के तहत राज्य विधानमंडल के 'विचारों' का पता लगाना अनिवार्य है यदि प्रस्तावित विधेयक राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है।हालाँकि, तत्काल मामले में चूंकि जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और राज्य विधानमंडल पहले ही भंग हो चुका था, इसलिए राज्य विधानमंडल के कार्य केंद्रीय संसद द्वारा किए जाते थे। इसलिए, राज्य विधानमंडल के विचारों का पता लगाना संभव नहीं था।यह इस प्रकार है कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 वैध है।

EPILOGUE:

113. कश्मीर की घाटी एक ऐतिहासिक बोझ उठाती है।इसका एक सामाजिक संदर्भ है।इस प्रकार, क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति विकसित करने में, उपरोक्त को अलग करना मुश्किल है।“हम, जम्मू-कश्मीर के लोग, बहस के केंद्र में हैं।उन्होंने 1947 में घाटी पर आक्रमण के साथ शुरू हुए कई दशकों तक संघर्ष के पीड़ितों के रूप में बोझ उठाया है।हस्तक्षेप करने वाली राजनीतिक परिस्थितियों ने

आक्रमण के पूर्ण सीमा तक निवारण की अनुमति नहीं दी।कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अन्य देशों के कब्जे के संदर्भ में परिणाम बने रहे।विद्रोह का दूसरा दौर 1980 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। जमीनी स्तर पर एक परेशान करने वाली स्थिति थी, जिसका स्पष्ट रूप से समाधान नहीं किया गया था।यह राज्य की आबादी के एक हिस्से 1989-90 के प्रवास में समाप्त हुआ।यह कुछ ऐसा है जिसे हमारे देश को उन लोगों के लिए बिना किसी निवारण के जीना पड़ा है जिन्हें अपना घर और चूल्हा छोड़ना पड़ा था।यह स्वैच्छिक प्रवास नहीं था।

371

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370:संविधान का अनुच्छेद 370 [संजय किशन कौल, जे.]

[संजय किशन कौल, जे.] 372

114. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ गई और इस प्रकार, सेना को बुलाना पड़ा।सेनाएँ राज्य के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए होती हैं न कि वास्तव में राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन तब, ये अजीब समय थे।सेना के प्रवेश ने विदेशी घुसपैठ के खिलाफ राज्य और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के उनके प्रयास में अपनी जमीनी वास्तविकताएं पैदा कीं।राज्य के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

115. वर्षों से अपनी घर की यात्राओं के दौरान, मैंने सामाजिक ताने-बाने में कमी और पहले से ही खंडित समाज पर पीढ़ी दर पीढ़ी आघात के परिणामों को देखा है।इस क्षेत्र के लोगों ने जो अनुभव किया है और मैं इस उपाख्यान को लिखने के लिए विवश हूं, उसके लिए मैं दुखी हूं।

116. आगे बढ़ने के लिए घावों को भरने की आवश्यकता होती है।जो दांव पर है वह केवल अन्याय की पुनरावृत्ति को रोकना नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को बहाल करने का बोझ है जो ऐतिहासिक रूप से सह-अस्तित्व, सहिष्णुता और आपसी सम्मान पर आधारित है।यह ध्यान देने योग्य है कि 1947 में भारत के विभाजन ने भी जम्मू-कश्मीर के सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित नहीं किया।इस संदर्भ में, महात्मा गांधी को प्रसिद्ध रूप से यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि कश्मीर मानवता के लिए आशा की किरण थी!

117. इस दिशा में पहला कदम क्षेत्र के लोगों के खिलाफ राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की सामूहिक समझ हासिल करना है।पिछले कुछ वर्षों में इन घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने वाली कई रिपोर्टें आई हैं।फिर भी, जो हुआ उसके बारे में एक सामान्य रूप से स्वीकृत कथा, या दूसरे शब्दों में, "सत्य" के सामूहिक कथन की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों का सत्य का अधिकार अपने आप में एक अंत है।131 इसमें उन घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक संरचनाओं की संरचनात्मक जांच शामिल है जिनके कारण अत्याचार हुआ, व्यक्तिगत पीड़ा की विशेष परिस्थितियाँ, और एक आधिकारिक रिपोर्टिंग शामिल है।

131 एम. क्लिंकनर और एच. डेविस, टी टी टी

टी टी टी

युवाओं की एक पूरी पीढ़ी जो अविश्वास की भावनाओं के साथ बड़ी हुई है और यह उनके लिए है कि हम क्षतिपूर्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य देते हैं।इसके साथ ही, मामले के महत्वपूर्ण पहलू और इसमें शामिल संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए, यह मेरा विचार है कि यह सरकार को तय करना है कि इसे किस तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए, और आयोग के लिए आगे का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करना है।

122. मैं इस चुनौती के लिए जीवित हूं कि सच्चाई और सुलह की स्थापना की सिफारिश करना इस न्यायालय के दायरे से बाहर है।लेकिन मेरा मानना है कि संक्रमणकालीन न्याय और उसके घटक परिवर्तनकारी संविधानवाद के पहलू हैं।विश्व स्तर पर, संविधानवाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं की जिम्मेदारी को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है।134 इसमें उल्लंघनों की जांच करने के लिए उचित कदम उठाने का कर्तव्य शामिल है।135 यह इस संदर्भ में है कि प्रस्तावित सत्य और सुलह आयोग संवैधानिकता के अनुरूप है।

123. हमारा संविधान कोई अलग नहीं है, और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थितियों में न्याय न हो।न्याय करने में, ऐतिहासिक रूप से, हमारी अदालतें हमारी राजनीति की सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील रही हैं और उनके पास व्यावहारिक उपाय हैं।में।

विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 136 इस न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किए

एक अधिनियमित कानून के अभाव में कार्यस्थल यौन उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए, जो संसद द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू करने तक संचालित था। 124.सावधानी के एक शब्द के रूप में, एक बार गठित आयोग को आपराधिक न्यायालय में नहीं बदलना चाहिए और इसके बजाय एक मानवीय और व्यक्तिगत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिससे लोग बिना किसी रोक-टोक के अपने अनुभव को साझा कर सकें।यह बातचीत पर आधारित होना चाहिए, जिससे सभी पक्षों के अलग-अलग दृष्टिकोण और सुझाव मिल सकें।दक्षिण अफ्रीका के सत्य और सुलह आयोग के संदर्भ में, एल्बी सैक्स, जे ने कहाः

134 आर. जी. टीटेल, संक्रमणकालीन न्याय और संविधानवाद का परिवर्तन

(ओयूपी, 2014)।

135 वेलास्केज़ रोड्रिग्ज़ बनाम होंडुरास, (सेर। ग) सं. 4 (आई. ए. सी. एच. आर.) 1988। 136 (1997) 6 एससीसी 241

“न्यायाधीश रोते नहीं हैं।आर्कबिशप टूटू रो पड़े।यह अत्यधिक औपचारिक निष्कर्ष निकालने वाली एक कठोर संस्था के अर्थ में कानून की न्यायालय नहीं थी।यह एक गहन मानव और व्यक्तिगत शरीर था, जो उचित रूप से गरिमापूर्ण वातावरण में सुनने के लिए था कि लोग किस दौर से गुजरे थे।गवाहों के बगल में सांत्वना देने वाले बैठे थे-कानून की न्यायालय में गवाह की मदद करने, कंधे को थपथपाने, या पानी या ऊतक प्रदान करने के लिए कोई नहीं होता है जब व्यक्ति रोता है।अक्सर सत्रों की शुरुआत सुंदर अफ्रीकी सद्भाव में एक गीत के साथ होती थी जिसका उद्देश्य उपस्थित सभी लोगों को प्रोत्साहन और समर्थन देना होता था।या इसकी शुरुआत प्रार्थनाओं से हो सकती है।और उसके बाद लोग सभी क्षेत्रों में और देश की सभी भाषाओं में बोलते और बोलते थे।गवाही को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था, और इस प्रकार राष्ट्र गवाह बन गया कि क्या हुआ था और संबंधित व्यक्तियों के मुंह से सीधे कहानियाँ सुनी गईं।बोलने वाले न्यायालय में शिकायतकर्ता नहीं थे जो कठघरे में आरोपी व्यक्तियों की निंदा करते थे।न ही वे वादी अपने लिए हर्जाने की मांग कर रहे थे, ताकि जितना अधिक नुकसान होगा, उन्हें उतनी ही अधिक राशि मिलेगी।” 137

125. दक्षिण अफ्रीका की पुस्तक से एक पत्ता निकालकर "उबुन्टू" या मानवता की कला के सिद्धांत और समावेशिता इस प्रक्रिया के केंद्र में होने चाहिए।यह एक ऐसे सुधारात्मक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करेगा जो अतीत के घावों के लिए क्षमा को सक्षम बनाता है, और एक साझा राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करने का आधार बनाता है।कहने की जरूरत नहीं है कि आयोग प्रणालीगत सुधार के लक्ष्य की दिशा में कई मार्गों में से एक है।यह मेरी ईमानदारी से आशा है कि बहुत कुछ तब हासिल होगा जब कश्मीरी अतीत को गले लगाने के लिए अपना दिल खोलेंगे और उन लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे जो सम्मान के साथ वापस आने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर थे।जो कुछ भी रहा है, रहा है, लेकिन भविष्य हमें देखना है।138

137 (ऊपर)

138 जे लिविंगस्टन और रे इवांस के गीत "क्यू सेरा, सेरा" के लिए माफी के साथ।

इन आरईःसंविधान का अनुच्छेद 370 376

संजीव खन्ना, जे।

निर्णय एक ऐसा निर्णय है जो निष्कर्ष पर पहुंचने और पहुंचने के लिए कारण देता है।हमारे पास दो निर्णय हैं।

2. मुख्य न्यायाधीश, माननीय डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ का निर्णय विद्वतापूर्ण है और यह जटिल कानूनी मुद्दों की विस्तार से व्याख्या करता है।माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल द्वारा लिखित निर्णय व्यावहारिक रूप से तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति है।दोनों निर्णय क्रमिक हैं और समान रूप से सहमत हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 असममित संघवाद की एक विशेषता थी न कि संप्रभुता की।अनुच्छेद 370 को एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में

अधिनियमित किया गया था और इसका कोई स्थायी चरित्र नहीं था।अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संघीय ढांचे को नकारता नहीं है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले नागरिक करते हैं और उन्हें वही दर्जा और अधिकार प्राप्त होंगे जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को दिए गए हैं।1 सी. ओ. 272 का पैराग्राफ (2), जिसके द्वारा अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 367 का सहारा लेकर संशोधित किया गया था, अधिकार से परे है और कानून में बुरा है, हालांकि अनुच्छेद 370 (1) (डी) के तहत संबंधित शक्ति को देखते हुए इसे बनाए रखा जा सकता है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 370 के खंड (3) के संदर्भ में निष्क्रिय कर दिया गया है।अंत में, सी. ओ. 273 वैध है।

3. मुझे यह कहना मुश्किल लगता है कि मैं एक के तर्क से सहमत हूं न कि दूसरे के।इसलिए, मैं सम्मानपूर्वक दोनों निर्णयों से सहमत हूं।हालाँकि, मैं विशिष्टता के साथ जोड़ूंगा।

4. डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की विस्तृत जांच और व्याख्या की है और एस. आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में श्री न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी और श्री न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत की राय का प्रसार किया है।2 रामेश्वर का भी उल्लेख किया जा सकता है।

प्रसाद और अन्य (VI) बनाम भारत संघ और अन्य।3 मैं आदरपूर्वक

सहमत हैं।5. मैं डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों से भी सहमत हूं जो संघ की ओर से बयान का रिकॉर्ड ले रहे हैं।

1 पैराग्राफ 5 देखें। 2 (1994) 3 एससीसी 1. 3 (2006) 2 एससीसी 1.

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण को बरकरार रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भारत।4 6.केंद्र शासित प्रदेश आम तौर पर भौगोलिक रूप से छोटे क्षेत्र होते हैं, या असामान्य कारणों या कारणों से बनाए जा सकते हैं।किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के गंभीर परिणाम होते हैं, अन्य बातों के अलावा, यह राज्य के नागरिकों को एक निर्वाचित राज्य सरकार से वंचित करता है और संघवाद पर प्रभाव डालता है।किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के धर्मांतरण/निर्माण को बहुत मजबूत और ठोस आधार देकर उचित ठहराया जाना चाहिए।यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए।

7. न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल ने अनुच्छेद 370 (3) के प्रभाव और राज्य की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी यह क्यों जारी रहा, इसकी व्याख्या की है।इस पहलू पर श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल द्वारा दिए गए विस्तृत तर्क से मैं सम्मानपूर्वक सहमत हूं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

लिखित याचिकाओं और एस. एल. पी. का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस

4 न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल ने भी ऐसा ही उल्लेख किया है।